खण्ड-480, अंक-2
बुधवार, 23 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(13 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 480 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
-उपस्थित सदस्य	1-7
-प्रश्नोत्तर	9-88
-नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	88-90
-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-280 जलालपुर में मंगुराडीला से रफीगंज होते हुए नेउरी तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत, चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
-गाजियाबाद के माता कालोनी विजयनगर में पूर्व में डाली गई सीवर लाइन को चालू न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
-बहराइच जिले के विकास खण्ड जरवल तथा कैसरगंज के कतिपय गांवों में पात्र किसानों को बीज न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
-जनपद मेरठ विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न मार्गों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	91-92
-01 सितम्बर, 2006 में समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार में स्वीकृत सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं रख-रखाव की तरफ ध्यान न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
-जनपद बुलन्दशहर की स्याना विधान सभा के अन्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न माइनरों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92-93
-जनपद हमीरपुर के राठ में पर्याप्त में विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
-जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में लगभग 5 साल से लम्बित प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93-94
-जनपद पीलीभीत में 01 नवीन तहसील एवं 04 क्षेत्र पंचायत का गठन किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	94

विषय	पृष्ठ संख्या
-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के ग्राम तुस्सी की गढ़ी एवं सैंया ब्लाक में रामपाल पुरा तक सड़क एवं पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
-जिला सहारनपुर विकास खण्ड पुवारका के अन्तर्गत ग्राम पिंकी व सलेमपुर भुखडी स्थित नाले को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
-जनपद इलाहाबाद के कोरांव विकास खण्ड अन्तर्गत चन्दापुर अमौली में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
-जनपद इलाहाबाद में आगामी कुंभ मेले के आयोजनार्थ विशेष धनराशि आवंटन में पश्चिमी क्षेत्र इलाहाबाद को जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
-जनपद मेरठ के सरधना में राजमार्ग-24 एवं 119 को जोड़ने वाले दौरला-मंसूरी मार्ग को अत्यन्त जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97
-जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मिठवल में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
-जनपद हमीरपुर अन्तर्गत तहसील मौदहा के कतिपय ग्रामों में पानी की टंकी बनाकर जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98
-औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	98
-ब्रिटिश काल में बनाये गये जेल मैनुअल में संशोधन कर मा0 सांसद व विधायक को जेल में विशेष सुविधा एवं सुरक्षा युक्त दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	99-103
-प्रदेश में टोल टैक्स स्थल के दोनों ओर गये बोर्ड पर मा0 विधायकों को टोल टैक्स मुक्त व्यक्तियों की श्रेणी में अंकित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	103-106
-श्री तेजपाल की गाड़ी का शीशा तोड़कर अज्ञात लोगों द्वारा चार लाख रुपये निकाले जाने विषयक व्यक्तिगत प्रकरण	106
-विद्युत विभाग के बजट के कारण आज कार्य सूची में नियम-56 के अन्तर्गत चयनित सूचनाओं को कल दिनांक 14 जून, 2012 को लिए जाने हेतु श्री अध्यक्ष का सुझाव....(जारी)	106-107

विषय	पृष्ठ संख्या
-उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ की निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2009 (सदन के पटल रखी गई) ...	107
-लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रतिवेदन संख्या-14-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	107-108
-लोकायुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग	108
-उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम की स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2009-2010 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	108
-विद्युत विभाग के बजट के कारण आज की कार्य सूची में नियम-56 के अन्तर्गत चयनित सूचनाओं को कल दिनांक 14 जून, 2012 को लिए जाने हेतु श्री अध्यक्ष का सुझाव	108
-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या 70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.....(स्वीकृत)	108-176
-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) ...	176
-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत)	177
-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	177
-नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	177-180
-जनपद मथुरा के वृन्दावन में उपमण्डी समिति शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य का स्थगन	180
-जनपद महराजगंज के निर्वाचन क्षेत्र सिसवा में बरसात एवं बाढ़ की विभीषिका से बचने के सम्बन्ध में श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	180-183

विषय	पृष्ठ संख्या
-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला निवासी श्री राजेन्द्र गुप्ता द्वारा ट्रैक्टर हेतु लिये गये कर्ज की किश्तों को माफ करके उनके ट्रैक्टर को वापस किये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ...	183-185
-जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड माण्डा एवं मेजा में पेयजल की भीषण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इन्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य	185-189
-जनपद बलरामपुर में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग के टेन्डर की बिक्री के समय हुए उपद्रव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बब्बन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	189
-उत्तर प्रदेश में बी0पी0एड0 डिग्री धारकों को नौकरी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार होने के कारण रोजी-रोटी के संकट के सम्बन्ध में श्री बावन सिंह द्वारा नियम-51 कें अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	189-190
-जनपद संत कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा के ग्राम पंचायत पौली, टाड़ा, काली जगदीशपुर कांटे बेलहर में नये थाने बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अलगू प्रसाद चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	190-191
-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र व तहसील मीरगंज के बहेड़ी-पिथौरा मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुल्तान बेग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	191-193
-जनपद रामपुर के समस्त मिनी विद्युत केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति समय से न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अली यूसुफ अली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	193-194
-नत्थियां	195-220

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 13 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा,श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय, श्री — वाराणसी
7. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
8. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
10. अजीत कुमार, श्री — फर्रूखाबाद
11. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकरनगर
12. अताउररहमान, श्री — बरेली
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
15. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
16. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
18. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
19. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
20. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
23. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
24. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
25. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
26. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
27. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
30. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
31. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
32. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
33. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
34. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
35. अली यूसुफ अली, श्री — रामपुर
36. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
37. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
39. अविनाश, श्री — सोनभद्र
40. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
41. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
42. आनन्द सिंह, कुवंर — गोण्डा
43. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
44. आरिफ अनवर हाशमी,श्री — बलरामपुर
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
46. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
47. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
48. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
49. आशीष यादव, श्री — बदायूं
50. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं

51. इकबाल, श्री बिजनौर
52. इकबाल महमूद, श्री भीमनगर
53. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
54. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
55. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
56. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
57. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
58. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
59. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
60. उदयराज, श्री उन्नाव
61. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
62. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
63. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
64. उमा भारती, सुश्री महोबा
65. उमांशकर, श्री बलिया
66. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
67. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
68. ओम कुमार, श्री बिजनौर
69. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
70. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे,श्री जौनपुर
71. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
72. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
73. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
74. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
75. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
76. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
77. कामेश्वर, श्री देवरिया
78. काली चरन सुमन, श्री आगरा
79. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
80. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
81. कृष्णपाल सिंह राजपूत,श्री झांसी
82. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
83. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
84. कैलाश, श्री गाजीपुर
85. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
86. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
87. गंगा, श्री कुशीनगर
88. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
89. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
90. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
91. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
92. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराजनगर
93. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
94. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
95. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
96. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
97. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
98. गोमती यादव, श्री लखनऊ
99. गोरख पासवान, श्री बलिया
100. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
101. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
102. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
103. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
104. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
105. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
106. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
107. जगपाल, श्री सहारनपुर
108. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
109. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
110. जफर आलम, श्री अलीगढ़
111. जमालुद्दीन सिद्दीकी,श्री फर्रुखाबाद
112. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़

113. जमील अहमद कास्मी,श्री मुजफ्फरनगर
114. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
115. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
116. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
117. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
118. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर(भदोही)
119. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
120. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
121. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
122. तसलीम, श्री बिजनौर
123. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
124. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
125. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
126. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
127. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
128. दलजीत सिंह, श्री बांदा
129. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
130. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
131. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
132. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
133. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
134. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
135. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
136. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
137. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
138. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
139. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
140. धर्मराज, श्री बाराबंकी
141. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
142. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशीलनगर
143. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
144. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
145. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
146. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रूखाबाद
147. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
148. नवाजिश आलम खान,श्री मुजफ्फरनगर
149. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
150. नारद राय, श्री बलिया
151. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
152. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
153. नीरज (कुशवाहा) मौर्य,श्री शाहजहांपुर
154. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
155. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
156. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
157. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
158. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
159. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
160. पीतमराम, श्री पीलीभीत
161. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
162. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
163. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
164. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
165. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
166. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
167. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
168. प्रभुदयाल बाल्मीकि, श्री मेरठ
169. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
170. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
171. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
172. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
173. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी

174. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी — देवरिया
175. फेरन लाल, श्री — ललितपुर
176. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री — बुलन्दशहर
177. बजरंग बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
178. बदलू खां, श्री — उन्नाव
179. बब्बन, श्री — चन्दौली
180. बाबू खां, श्री — हरदोई
181. बाबूलाल, श्री — गोण्डा
182. बावन सिंह, श्री — गोण्डा
183. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती — बुलन्दशहर
184. बृज लाल सोनकर, श्री — आजगगढ़
185. बृजेश कठेरिया, इंजी0 — मैनपुरी
186. बृजेश कुमार, श्री — हरदोई
187. बेचई सरोज, श्री — आजगगढ़
188. बैजनाथ, श्री — मऊ
189. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
190. भगवत सरन गंगवार, श्री — बरेली
191. भगवती प्रसाद, श्री — अलीगढ़
192. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
193. भाई लाल कोल, श्री — मिर्जापुर
194. भारतेन्द्र, कुंवर — बिजनौर
195. भीम प्रसाद सोनकर,श्री — अम्बेडकरनगर
196. मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
197. मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
198. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री — औरैया
199. मधुबाला, श्रीमती — सन्त रविदास नगर(भदोही)
200. मनबोध, श्री — देवरिया
201. मनीष असीजा, श्री — फिरोजाबाद
202. मनीष रावत, श्री — सीतापुर
203. मनोज कुमार, श्री — चन्दौली
204. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री — रायबरेली
205. मनोज कुमार पारस, श्री — बिजनौर
206. ममतेश शाक्य, श्री — काशीराम नगर
207. महबूद अली, श्री — जे0पी0नगर
208. महावीर सिंह, कुं0 — हरदोई
209. महावीर सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
210. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
211. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
212. महेश शर्मा, डा0 — गौतमबुद्धनगर
213. महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
214. माइकल चन्द्रा, श्री — जे0पी0नगर
215. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
216. माधुरी वर्मा, श्रीमती — बहराइच
217. मानपाल सिंह, श्री — कांशीरामनगर
218. मित्रसेन यादव, श्री — फैजाबाद
219. मुकुट बिहारी, श्री — बहराइच
220. मुकेश शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
221. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री — बहराइच
222. मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
223. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री — कानपुर नगर
224. मुसर्रत अली बिट्टन,श्री — कानपुर नगर
225. मुहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
226. मुहम्मद रमजान, श्री — श्रावस्ती
227. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 — बिजनौर
228. मो0 अयूब, डा0 — सन्तकबीर नगर
229. मो0 आसिफ, श्री — फतेहपुर
230. मो0 आसिफ जाफरी,श्री — कौशाम्बी
231. मो0 जासमीर अंसारी,श्री — सीतापुर
232. मो0 मुस्लिम, श्री — छत्रपति शाहूजी महराजनगर
233. मो0 रेहान, श्री — लखनऊ
234. मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
235. मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
236. मौ0 अलीम खां, श्री — बुलन्दशहर

237. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
238. मोहम्मद युसूफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
239. यासर शाह, श्री बहराइच
240. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
241. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
242. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
243. रघुनन्दन सिंह भदौरया, श्री कानपुर नगर
244. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
245. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
246. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
247. रणजीत सुमन, श्री एटा
248. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
249. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
250. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
251. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
252. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
253. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
254. रविन्द्र भड़ाना, श्री मेरठ
255. रवि शर्मा, श्री झांसी
256. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
257. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
258. राकेश प्रताप सिंह,श्री छत्रपति शाहूजी महाराजनगर
259. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
260. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
261. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
262. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
263. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
264. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
265. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
266. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
267. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
268. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
269. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
270. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
271. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
272. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
273. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
274. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
275. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
276. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
277. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराजनगर
278. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
279. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
280. राम करन आर्य, श्री बस्ती
281. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
282. रामगोपाल श्री बाराबंकी
283. राम गोविन्द, श्री बलिया
284. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
285. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
286. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
287. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
288. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
289. राम मगन, श्री बाराबंकी
290. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
291. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
292. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
293. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
294. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद

295. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
296. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
297. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
298. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
299. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
300. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
301. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
302. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
303. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
304. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीरनगर
305. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
306. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
307. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
308. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
309. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
310. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
311. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
312. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
313. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
314. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
315. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
316. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
317. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
318. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
319. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
320. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
321. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
322. विजय सिंह, श्री रामपुर
323. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रूखाबाद
324. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
325. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
326. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
327. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
328. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
329. वीरपाल राठी, श्री बागपत
330. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
331. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
332. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
333. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
334. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
335. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
336. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
337. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
338. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
339. शाकिर अली, श्री देवरिया
340. शारदा प्रताप शुक्ला,श्री लखनऊ
341. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
342. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
343. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाईनगर
344. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
345. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
346. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
347. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
348. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
349. शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
350. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
351. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
352. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
353. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर

354. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
355. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
356. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
357. संजय कपूर, श्री रामपुर
358. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
359. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
360. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
361. सतवीर सिंह गुर्जर,श्री गौतमबुद्धनगर
362. सतीश कुमार निगम "एडवोकेट", श्री कानपुर नगर
363. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
364. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
365. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
366. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
367. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
368. सन्तराम, श्री जालौन
369. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
370. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
371. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
372. सावित्री बाई फूले,सुश्री बहराइच
373. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
374. सिबगतुल्ला अंसारी,श्री गाजीपुर
375. सियाराम सागर, डा0 बरेली
376. सीमा, श्रीमती जौनपुर
377. सुखदेव प्रसाद वर्मा,श्री फतेहपुर
378. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
379. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
380. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
381. सुधाकर, श्री मऊ
382. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
383. सुनील कुमार सिंह, यादव, श्री सोनभद्र
384. सुनील कुमार लाला,श्री लखीमपुर खीरी
385. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
386. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
387. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
388. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
389. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
390. सुरेश कुमार खन्ना,श्री शाहजहांपुर
391. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
392. सुल्तान बेग, श्री बरेली
393. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
394. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
395. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
396. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
397. सोबरन सिंह यादव,श्री मैनपुरी
398. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
399. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
400. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
401. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
402. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
403. हेमलता चौधरी,श्रीमती बागपत
404. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव) तथा राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सभी बालक/बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा दिये जाने की मांग

**1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी बालक/ बालिकाओं को शिक्षा सत्र, 2012-13 से कक्षा-9 से कक्षा-12 तक मुफ्त शिक्षा दिये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्ववित्त पोषित विद्यालयों में शुल्क मुक्ति की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि उक्त विद्यालय अपना वित्त पोषण अपने स्रोतों से करते हैं जिसमें शुल्क भी सम्मिलित है।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने मुझे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रदेश के सभी बालक, बालिकाओं को कक्षा-9 से कक्षा-12 तक मुफ्त शिक्षा दिये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने बच्चे प्राइमरी की पढ़ाई के बाद और कितने बच्चे जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ देते है?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी मूल प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है इसलिए इसका उत्तर देना संभव नहीं है।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मेरे प्रश्न का आशय था जहां तक आंकड़ों के अनुसार मेरी जानकारी है कि प्रतिवर्ष विद्यालयों में जितने बच्चे एडमीशन लेते है। उसमें करीब आधे बच्चे कक्षा 8 की पढ़ाई के बाद विद्यालय छोड़ देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार ने बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों का पता लगाया है?

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य ने पूछा है कि क्या कारण पता लगाया है कि बच्चे क्यों स्कूल छोड़ देते हैं? लेकिन जब मंत्री जी ने कह दिया कि इस प्रश्न का मूल प्रश्न से मतलब नहीं था तो कारण यह कहां से लाए होंगे।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मेरे प्रश्न पूछने का आशय मात्र यह था कि जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। उनका मुख्य कारण गरीबी है। आर्थिक मजबूरियों के कारण लोग अपने बच्चों की शिक्षा को बंद करके मजदूरी कराने को मजबूर हैं।

श्री अध्यक्ष-

2012-13 से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा दिये जाने सरकार की कोई योजना है। उन्होंने कहा नहीं, यदि हाँ तो उसका विवरण गया है?

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, पारिवारिक कारण, आर्थिक तंगी के कारण, गरीबी के कारण जो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, उसमें विचार किया जाएगा? इसमें कोई कारगर योजना बनाई जाएगी, कि वह पढ़ाई बीच में न छोड़ें इस पर पुनर्विचार किया जाएगा?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो मा0 सदस्य की चिन्ता है वह बहुत पवित्र चिन्ता है। श्रीमन् यह सचमुच विचारणीय प्रश्न है कि जो ड्राप आउट हैं। चाहे वह प्राइमरी स्तर पर हों, चाहे जूनियर हाई स्कूल के स्तर पर हों या उससे आगे हों जो बच्चे प्राइमरी पास करते हैं जूनियर हाईस्कूल में नहीं जाते हैं, जो जूनियर हाईस्कूल पास करते हैं वह आगे की माध्यमिक शिक्षा के लिए नहीं जाते हैं, और उसका कारण गरीबी और निर्धनता है तो प्रश्न ज्यादा गम्भीर हो जाता है। व्यापक प्रश्न है और शिक्षा विभाग के बजट पर हम इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। जहां तक प्रश्नों का मामला है जो प्रश्न होता है वह प्वाइंटेड होता है प्रश्न के माध्यम से जितनी सूचना होती हैं, वह दी जाती है। सरकार की नीति का जहां तक प्रश्न है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने मान्यवर जितने शासकीय विद्यालय, जितने राजकीय विद्यालय और जितने शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। उनमें पूर्ण शुल्क मुक्ति है। प्रश्न आपने पूछा अगर इस पर आप अनुपूरक पूछते तो मैं आपको बताता। चूँकि आपने नहीं पूछा है फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें पूर्ण शुल्क मुक्ति है। हम उनसे शिक्षा शुल्क नहीं लेते हैं, कोई ट्यूशन फीस उनसे नहीं लेते हैं और दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से और अतिरिक्त विद्यालयों की स्थापना का भी प्रयास कर रहे हैं। कई तरह के हमारे विद्यालय हैं। राजकीय विद्यालय हैं, शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं। तो अनेक प्रकार के विद्यालय है और इन जटिलताओं के चलते जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, उसका एक सटीक जवाब से ''जी हाँ या जी नहीं'' से उत्तर पूरा नहीं हो जाता। लेकिन आपने जितना पूछा है, हमने प्रयास किया है कि उसकी जानकारी आपको दी जा सके जहाँ तक इस विषय का प्रश्न है कि धन के अभाव में उनकी आगे की शिक्षा वंचित हो जा रही है, यह चिन्ता का विषय है। अगर यह पूछे होते तो हम इसका उत्तर लेकर आते और सुनिश्चित

बात से माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को और इस सदन को अवगत करा पाता। आपके अगर ऐसे कोई प्रश्न हो तो मुझे बता दें मैं समुचित समय पर उनके उत्तर उपलब्ध करा दूँगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना जो हम सबकी इच्छा है, राइट टू एजूकेशन दू आल सब को शिक्षा का मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में भी मान्यवर, इसका स्पष्ट उल्लेख है। देश की आजादी के बाद, मैं किसी को दोष नहीं देता लेकिन अभी तक यह पूरी तरह से सम्भव नहीं हो पाया है। मान्यवर, यह सामान्य ज्ञान की बात है कि 9 से 12 तक की शिक्षा वही नहीं ले पाता, एक कैटेगरी होती है जो नालायक होता है, जिसको लाख पढ़ाओ, नहीं पढ़ता या फिर दूसरी कैटेगरी होती है, जो पढ़ना चाहता है, लेकिन संसाधन नहीं होते। तो जिनके पास संसाधन नहीं होते, उनकी संख्या 97-98 फीसदी है। यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित होने की बात कर रही है और होगी भी, मुझे पूरी आशा है। मैं सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूँ और उसी अनुरोध में मेरा प्रश्न छिपा है कि भारत के संविधान की मूल आत्मा और राइट टू एजूकेशन टू आल, इन दोनों को देखते हुए क्या सरकार कोई ऐसी नीति निर्धारित करेगी कि उसके विद्यालयों में जो मान्यता प्राप्त हों, उनको तो मिले ही और विद्यालयों में क्या देने पर विचार करेंगे और करेंगे तो कब तक ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य माननीय प्रमोद तिवारी जी ने बहुत गंभीर बात रखी है। राइट टू एजेकेशन को संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया। आपकी सरकार में कपिल सिब्बल जी के संरक्षण में यह प्राविधान हुआ लेकिन उसमे मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा इन्क्लूडेड नहीं है। राइट टू एजूकेशन में 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए लेकिन उसमें माध्यमिक शिक्षा शामिल नहीं है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 9 से 12 तक का जो मूल प्रश्न है, इसमें मान्यवर, सर्वशिक्षा अभियान इन्क्लूडेड है ही नहीं और दूसरी योजना है मान्यवर और इस योजना के अन्तर्गत यह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 के अन्तर्गत 5 कि0मी0 में हाईस्कूल की स्थापना और प्रत्येक 7 कि0मी0 के रेडियश में इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना का प्राविधान है। हम सदन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि जितने राजकीय हाईस्कूल पूरे प्रदेश में थे, उन सभी राजकीय हाईस्कूलों को इण्टरमीडिएट का दर्जा दिया जा चुका है, सरकार जो अपने स्तर से उनके अपग्रेडेशन की व्यवस्था कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार का लक्ष्य दूसरा है, अभी जो स्थिति है, उसका हम उत्तर नहीं दे सकते लेकिन दृष्टि जो है, वह अलग है। हमारी दृष्टि है कि ''निर्धन हो या धनवान, सबको शिक्षा एक समान'', सबको शिक्षा मिल सके, यही हमारा

लक्ष्य है और इस लक्ष्य की दिशा में ही जब पूरा बजट आयेगा तो देखेंगे। मैने कहा कि प्रश्न पर हम पूरी योजना नहीं रख सकते जब बजट आयेगा तो पूरी योजना का प्रारूप आपके सामने आयेगा। मान्यवर, बजट सत्र चल रहा है इसलिए जिस दिन इसका बजट आयेगा, उस पर विस्तार से बात रख सकेंगे, जो इस प्रश्न में है और जो इस प्रश्न में नहीं है। जहाँ तक प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर देने की बात है, मैं समझता हूँ, मान्यवर, मैने माननीय सदस्य को संतुष्ट करने का प्रयास किया।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैंने मूल उत्तर पढ़ा और उसमें जी, नहीं, आया तो आज मुझे अपनी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने अखबार में भी कुछ पढ़ा था, सुबह और यहाँ उत्तर जी नहीं, आ रहा है और वहाँ एक श्रेणी जो मान्यता प्राप्त है या अनुदान पर है या राजकीय है, उन सब में मुफ्त शिक्षा की बात आपने कही है, नोटीफिकेशन भी आपने किया है। प्रश्न तो मान्यवर, सामान्य था किसी एक विशेष श्रेणी का नहीं था तो जी नहीं कैसे आ गया ? मेरी तो समझ में आ रहा है कि हाँ, इस श्रेणी के लिए मुफ्त है, बाकी के लिए मुफ्त नहीं है। जो उत्तर आया है, आप देखें, क्या यह कन्फ्यूजन करने वाला उत्तर नहीं है ? जब आपने कहा कि राजकीय मान्यता प्राप्त और उत्तर प्रदेश बोर्ड के उस श्रेणी के सभी छात्रों की, छात्राओं की शिक्षा माफ होगी। जब इतना कहकर आये तो जी नहीं कहाँ से आ गया। मान्यवर, मै आपका संरक्षण चाहता हूँ। विद्वान मंत्री है कई विभाग देखते है हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर देखने में इनसे कोई चूक हो गयी हो। और आप कहें तो यह मैं आपके पास भेज दूं।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, जो उत्तर आया है। इन्होने पूछा है कि कक्षा 9 से 12 तक मुफ्त शिक्षा दिये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है। तो उत्तर में आया है कि जी नहीं। स्ववित्त पोषित विद्यालयों में शुल्क मुक्ति की व्यवस्था नहीं है क्योंकि उक्त विद्यालय अपनी वित्त पोषण अपने स्रोतें से करते है जिसमें शुल्क भी सम्मिलित है। जब यह कक्षा 9 से 12 है तो इसमें कहाँ लिखा है कि होगा। कहीं आप अलग से कोई कागज लाये है क्या ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न आपके सामने पहले ही लाने वाला था। सरकार की एक नीतिगत घोषणा आज ही हुयी है। यह घोषणा सदन में नहीं हुयी है। बाहर हुयी है। उसमें लिखा है कि कक्षा 9 से 12 वीं तक छात्र छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ। सदन चल रहा है। यह महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा है। और यहाँ उत्तर आ रहा है कि जी नहीं।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

यह सदन की अवमानना है।

श्री अध्यक्ष-

यह अखबारों में छपा है। आप तो विद्वान है उसको यहाँ संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। अगर आप यह विषय नियम-300 में लाये तो इस पर विचार किया जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करूंगा, संज्ञान में नहीं लिया जाएगा और संज्ञान में यही लिया जाता है और कोई लिया भी नहीं जाता। हमारे पास सूचनाओं का आधार सिवाये इसके कि हम समाचार पत्र पढ़े इसके अलावा कुछ है ही नहीं। भले ही हम आपसे कहें कि यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, फलां सोर्स से यह जानकारी हमें मिली है लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। और वास्तविकता यही है मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर हम यहाँ पर प्रश्न करते है। हम उसको सिर्फ कहते नहीं हैं। मैंने कह दिया। फिलहाल यह नीतिगत घोषणा है और नीतिगत घोषणा सदन के चलते हुए है। फैसला कैबिनेट ने लिया होगा। कैबिनेट के फैसले के बाद में अगर कोई घोषणा होनी भी थी तो पहले सदन में यह घोषणा आनी चाहिए थी। यह सदन की अवमानना का प्रश्न भी है। अगर सदन के चलते हुए भी घोषणा बाहर होगी तो सदन का सम्मान कहाँ रह जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

आप इसकों नियम-300 में दीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं लाने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल आपके संज्ञान में लाने की बात कह रहा हूँ। आप इसका संज्ञान लेना चाहें और माननीय मंत्री जी को जिनको एक विभाग कल और मिल गया उनको आप कहना चाहें कि ऐसी महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा बाहर नहीं होनी चाहिए थी। यह आपने गलत किया है। मान्यवर, इतना तो निर्देश आपकी तरफ से हो ही जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी का भी वर्जन आ जाने दीजिए कि आया है कि नहीं आया है।

श्री हुकुम सिंह-

आप तो दूसरी बात कह देंगे। जो विभाग ने आपको दिया है। मेरी बात तो पूरी हो जाने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर मेरी बात का पहले ही अंदाजा करके कि मैं क्या कह दूंगा। माननीय हुकुम सिंह जी आपने एक बात कही है तो सरकार का इस पर पक्ष आये तो इस पर आपको आपत्ति है। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा गया उस पर सरकार ने सदन की कोई अवमानना नहीं किया है। और न इस तरीके की कोई घोषणा कहीं बाहर की है जिसके लिए माननीय हुकुम सिंह जी ने उल्लेख किया है। जब वह नियम-300 में आएगा तो हम उसका उत्तर देंगे। उन्होंने अखबार का संज्ञान लेकर जिसका कि संज्ञान नहीं ले सकते, एक बात कही है तो मैं उस बात के आधार पर कहता हूँ कि हमने यह उत्तर में दिया है कि सभी बालक/बालिकाओं को शिक्षा सत्र, 2012-13 में कक्षा 9 से 12 तक मुफ्त शिक्षा दिये जाने की सरकार की कोई योजना है। तो इसमें कहा है कि जी नहीं। तो मान्यवर, सभी को नहीं दे सकते। उसका कारण मैने बताया। और उसमें पालिसी में भी है कि जो राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त जो एडेड स्कूल है। उनकी दूसरी व्यवस्था है और जो स्ववित्त पोषित विद्यालय है उनकी दूसरी व्यवस्था है और जो माइनारिटीज इन्स्टीट्यूशन्स है उनकी दूसरी व्यवस्था है, जिसमें लखनऊ के तमाम बड़े नामचीन विद्यालय हैं, बहुत सारे विद्यालय प्रदेश भर में है, तो इसलिए सब पर नियंत्रण भी हमारा नहीं है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा दूँ कि सरकार ने खाली उनका फीस स्ट्रेक्चर ठीक करने के लिए जो प्रयास किया उसके लिए शासनादेश जारी किया उसको मा0 उच्च न्यायालय ने स्थागित कर दिया और बहुत पैरवी करने के बावजूद भी, इसके पूर्व जो पैरवी हुई हो, जैसी मैंने सूचना एकत्रित की है, मा0 उच्च न्यायालय से अभी तक वह स्थगनादेश खारिज नहीं हो सका है। तो उनकी फीस स्ट्रेक्चर पर भी हम नजर नहीं डाल सकते तो सबके बारे में सरकार यहां से व्यवस्था कैसे कर सकती है। इसलिए हमने सभी की बात कहीं, बाकी जिनका बन्दोबस्त किया मान्यवर, उसका उत्तर है हमारे पास, दे रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में, मंगलवार जो कि कल था, मंगलवार को प्राप्त शासन आदेश में सभी निजी राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को 02 जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र 2012-2013 में इसका लाभ दिया जायेगा, यानी उनसे फीस नहीं ली जायेगी। यह शासनादेश हुआ मान्यवर, कोई जुबानी बात नहीं हुई है और यह शासनादेश वहां पहुँच भी गया। मंगल कल था, सवाल का उत्तर आज आया, सवाल के उत्तर में आ रहा है, जी नहीं, शासनादेश आप कर चुके, दोनों में विरोधाभास है कि इसका निर्णय आप लें ले। मैं निर्णय लेने वाला कौन हूँ, मैं तो आपके सामने रखने वाला हूँ कि दोनों में विरोधाभास है कि नहीं है इसका निर्णय आप लेते है और नम्बर दो मान्यवर, मेरा सवाल तो दूसरा होने वाला था क्योंकि शिक्षा के लिए जो सुविधा दी जा रही है, सुविधा तो आपने दे दी। यह भी तो आपको सुनिश्चित

करना है कि शिक्षा भी वहां हो। केवल स्कूल में जाने मात्र के लिए नहीं फीस होती है, स्कूल में जाने के बाद में शिक्षा प्रदान करने के लिए फीस होती है, और यह जो श्रेणी आपने बताई है मान्यता प्राप्त की, सरकारी की, इस सबकी स्थिति आज यह है कि यह शिक्षा से बिल्कुल वंचित है, कोई स्तर नहीं है, पढ़ाई हो नहीं रही है। एक तो मैं चाहूँगा कि अवसर आपको मिला है उस अवसर का फायदा उठाया जाय और हम प्रयास करें कि वहां शिक्षा का स्तर भी सुधरे। दूसरा पक्ष मान्यवर, यह है कि अधिकांश छात्र मजबूर हो रहे है, निजी क्षेत्र के स्कूलों में जाने के लिए, खुशी से वहां कोई नहीं जाता है, मोटी-मोटी फीस ली जाती है वहां पर, तब जाते है वहां पर, इसलिए भी जाते है कि जो हमारी शिक्षा संस्थाएं, है उनमें उचित शिक्षा नहीं है, इसीलिए तो जाते है वहां वरना क्यों जायेंगे सी0बी0एस0ई0 में वह, क्यों जायेंगे दूसरे बोर्ड के स्कूलों में वह, निजी स्कूल है, 500 रूपये, हजार रूपये, डेढ़ हजार रूपये फीस है महीने की, वहां क्यों जायेंगे। आज वहां पर लाखों-लाखों छात्र जा रहे है, इस मजबूरी में कि हमारे स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। तो दोनों प्रश्न है मेरे मान्यवर, छूट दें तो सबको दे दें, हिम्मत करेंगे, चलिये पब्लिक स्कूल होंगे जायेंगे बच्चे वहां पर भी छूट देंगे। छूट देने से काम चलने वाला नही है, फीस तो मौलिक है, फीस वहां ज्यादा है भी नहीं, अगर देने की बात है तो बेहतर शिक्षा वहां देने का प्रयास किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे-सीधे प्रश्न पूछिये।

श्री हुकुम सिंह-

बस हो गया, मेरा प्रश्न आ गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 हुकुम सिंह जी ने जो बात कही है, मैं पुनः उसको दोहराना चाहता हूँ, उन्होंने भी कई बार कहा, मैं इसको फिर एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बात कही है एक तो अखबारों की सूचना के आधार पर सदन में संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, यह नियम होता है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो मैंने कह दिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह आपने कह दिया। इसको मैंने दोहरा इसलिए दिया कि आपके कहने के बावजूद भी उन्होंने इसका जिक्र किया, इसलिए मुझे इसे दोहराना पड़ा वरना मैं नही कहता, चूंकि आपने कह दिया इसलिए दोबारा उनको इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था, उन्होंने किया इसलिए मुझे करना पड़ा। आपके बोलने के बाद उन्होंने कहा इसलिए मैं स्थिति स्पष्ट

करता हूँ, यह उनको कहने की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने कहा कि अखबार के आधार पर संज्ञान नहीं लिया जायेगा, यह सीधे-सीधे नियमों में व्यवस्था है। दूसरी बात जहां तक प्रश्न का मामला है, मान्यवर, सभी का मतलब, सभी और इसलिए हम यह उत्तर सभी को नहीं दे रहे है और सभी के लिए विचार भी नहीं कर रहे है, इसलिए मैंने कहा। जिनके विषय में हम विचार कर रहे है उसकी व्यवस्था हमारे पास है और हमने पूरी तरह से आप को अवगत करा दिया है कि उनसे कोई शिक्षण शुल्क हम नहीं लेते और इसके बारे में एक शासनादेश नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि शासनादेश तो जब आये या देंगे उसको, शासनादेश एक शासनादेश नहीं मान्यवर, एक बार शासनादेश होता है, दूसरी बार शासनादेश होता है, तीसरी बार होता है, इसके सम्बन्ध में मान्यवर, अगर कल कोई शासनादेश पहुँचने की बात की जा रही है, तो यहां संज्ञान नहीं लेंगे और बजट का आ रहा है शिक्षा विभाग का।...

श्री अंबिका चौधरी-

और आपके सुझाव हम लेंगे। बजट के अवसर पर इस पर चर्चा होगी और जो उत्तम सुझाव होंगे उनको सरकार अपने आगे आने वाले क्रम में जरूर शामिल करेगी। यह तो जनता की भावनाओं की सरकार है, उम्मीद की साइकिल से आई है, इसलिए उम्मीदों को पूरा करने वाली सरकार है। और उसमें हम उदार भाव से आपके सुझाव लेते भी है और उस पर आगे कार्यवाही भी करते है। इसलिए पूरी तरह से यह सरकार कटिबद्ध है और हमारा लक्ष्य यह है कि "निर्धन हो या हो धनवान सबको शिक्षा एम समान" डॉ0 राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतो पर चलने वाली यह सरकार पूरी तरह से जब तक सबको शिक्षा न प्राप्त हो जाय, तब तक इस पर काम करती रहेगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

तारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच में बाढ़ नियंत्रण हेतु परियोजना

*1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सहित विशेषकर पूर्वी उ0प्र0 बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने बाढ़ की समस्या के प्रभावी नियंत्रण हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद बहराइच में बाढ़ के नियंत्रण हेतु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये क्या कार्य योजना बनाई है तथा उसके लिये कितने बजट का प्राविधान किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियोजन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जी हाँ।

जी हाँ।

बाढ़ के नियंत्रण हेतु मुख्य रूप से नदियों के किनारे तटबंधो का निर्माण, नदी के कटान को रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्यों हेतु योजनाएं बनायी गयी है। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, गण्डक, राप्ती, गोमती, रामगंगा आदि नदियों से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बहराइच में बाढ़ के नियंत्रण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये 6 अदद् परियोजनायें जिनकी लागत रु0 3243.18 लाख है, स्वीकृत की गयी है तथा इन सभी परियोजनाओं पर रु0 1600.00 लाख की धनराशि भी कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जनपद बहराइच के लिए वर्ष 2012-13 के लिए 6 अदद् परियोजनाएं 3243.18 लाख रुपये लागत की स्वीकृत की गयी है। क्या मा0 मंत्री जी बताएंगे कि उक्त 6 अदद् स्वीकृत योजनाएँ कौन-कौन सी है तथा अलग-अलग परियोजनाओं की क्या लागत है ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी वैसे तो हमारी यह योजना पूर्वांचल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है और अभी हमने बहराइच का भी दौरा किया था और राजस्व मंत्री जी भी साथ में थे और बहराइच में 16 करोड़ रुपये से बंधो से लेकर जितने भी बाढ़ से संबंधित क्षेत्र हैं, जहाँ-जहाँ भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ रोकने के इंतजाम कर दिए गए है। और इसके साथ-साथ जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध के कि0मी0 11.200 से 11.460 तक प्रस्तावित कार्य। दूसरी जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध के कि0मी0 11.460 से 11.750 तक के प्रस्तावित कार्य। तीसरी जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध की सुरक्षा के लिये नदी की धारा को मोड़ने हेतु प्रस्तावित कार्य, चौथी जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध की सुरक्षा हेतु किमी0 9.450 से किमी0 7.725 के मध्य स्लोप पिचिंग आदि के प्रस्तावित कार्य, पाँचवी जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध की सुरक्षा हेतु किमी0 9.725 से 9.990 तक के कार्य। छठी जनपद

बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध के किमी0 10.175 परस्पर के निर्माण का कार्य, तथा जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध की सुरक्षा हेतु किमी0 10.350 पर क्षतिग्रस्त स्पर एवं किमी0 10.115 तथा 10.230 पर क्षतिग्रस्त परक्यूपाइन स्टड के कार्य की परियोजना है एवं जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध के सुरक्षा हेतु किमी0 9.395 से किमी0 9.750 में मध्य प्रस्तावित कार्य। और हमारी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर भी बाढ़ की संभावना है, उसके लिए इंतजाम किए है। हम लोगों ने दौरा भी कर लिया है और बरसात के पहले भी कर लिया है यह पहली सरकार है। हमने बाढ़ के आने से पहले ही दौरा भी कर लिया है और पैसे भी दे दिए है। हम पूरी मजबूती के साथ बाढ़ का मुकाबला करेंगे।

(सत्तापक्ष की तरह से मेजे थपथपाई गई।)

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि माननीय मंत्री जी बाढ़ के प्रति गंभीर है और उन्होंने माननीय राजस्व मंत्री जी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरा भी किया और जो अधिकारी-कर्मचारी गलत पाये गये, उनके खिलाफ कार्यवाही भी की, उसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मेरे प्रश्न पूछने का आशय मात्र इतना था कि पूरे प्रदेश सहित विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ से प्रभावित होता है, कटान वाले क्षेत्र भी पहले से चिन्हित है और प्रत्येक वर्ष दर वर्ष परियोजनायें स्वीकृत हो रही है और गलत तरीके से धन की बरबादी हो रही है। माननीय मंत्री जी कटान क्षेत्र में लोग भुखमरी के कगार पर पहुँच गये है और उनके घर नदियों में समाहित हो चुके है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो चिन्हित इलाके है, वहां पक्का तटबंध बनाये जाने का कोई प्राविधान है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो अभी हमारी सरकार को बने दो महीना हुए है। इन दो महीनों के अंदर हमने बाढ़ आने वाले क्षेत्रों का दौरा भी कर लिया है और आगे चलकर हमारी योजना है क्योंकि अभी आजादी के बाद पूर्वांचल के लोग बाढ़ से परेशान रहते है। मुझे पता नहीं, आपको पता होगा कि किन परिस्थितियों की वजह से लखनऊ में बनमानुष से लेकर कितने जानवर लगे है, इससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान हुआ है। यह बनमानुष कहीं भी हो सकता है तो उसकी वजह से दिक्कत है। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं हमारी सरकार ने शुरूआत कर दी है। हम बाढ़ का परमानेंट इलाज करना चाहते है। हम इन तटबंधों को कच्चा नहीं रहने देना चाहते है, हम इन्हें पक्का बनाने की योजना बना रहे है जो नदियों है, उनकी सिल्ट सफाई की भी योजना लाना चाहते है, आपका सहयोग चाहिये और हमारी सरकार इस योजना को लायेगी और परमानेंट बाढ़ को रोकने का इंतजाम करेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस मूल प्रश्न में हमारा भी प्रश्न है लेकिन पूरी तरीके से बहराइच और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पक्ष तो आ गया लेकिन शाहजहाँपुर का मामला नहीं आया। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, केवल आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि शाहजहाँपुर वह जनपद है जहाँ 15 में से 10 ब्लाक बाढ़ प्रभावित है और पिछले 4 सालों में तीन साल भयंकर बाढ़ वहाँ आई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री जी ने बाढ़ नियंत्रण के लिये, बाढ़ की विभीषिका से निजात दिलाने के लिये आपने इंतजाम किया इसमें उत्तर प्रदेश में खासतौर से शाहजहाँपुर में कितने मोटरबोट का इंतजाम किया गया है। पिछली बार हमारे यहाँ एक मोटरबोट उलट गया जिसमें चार लोग मर गये थे क्योंकि जो मोटरबोट दिया था वह अप-टू-दि-मार्क नहीं था। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि शाहजहाँपुर के लिये कितने मोटरबोट का इंतजाम किया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि गर्रा नदी पर पिछले तीन साल से एक तटबंध बन रहा है और अभी तक उसकी गति इतनी धीमी है कि वह पूरा नहीं हो पाया, मैं उसके लिये इस सरकार को या माननीय मंत्री जी को दोष नहीं देना चाहता। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या उसके ऊपर तत्परता से कार्यवाही करके उस तटबंध को पूरा करा देंगे और मोटरबोट का इंतजाम यदि नहीं किया है तो कब तक कर देंगे, यह दो सवाल मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मैंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मैंने लखीमपुर खीरी का दौरा किया है, सीतापुर का भी दौरा किया है और जो माननीय सदस्य खन्ना साहब ने कहा है तो शाहजहाँपुर को भी हम दिखवा लेंगे। मोटर बोट का भी इन्तजाम किया जाएगा और विशेषकर खन्ना साहब के लिए हम इन्तजाम करवा देंगे। वैसे तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बाढ़ इनके क्षेत्र में न आए और खन्ना साहब अकेले चल रहे है इसलिए इनके लिए भी इन्तजाम हो जाए।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय मंत्री जी भी अवगत होंगे कि गोरखपुर जनपद में सर्वाधिक लम्बा बाँध कोठा से आछीतीद तक 45 किलोमीटर का लम्बा बाँध है। जब यह सरकार आई तो माननीय मंत्री जी ने आदेश किया था कि सभी बन्धों की मरम्मत करा दी जाए और बाढ़ से पहले बन्धों को सुरक्षित करा दिया जाए, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, 45 किलोमीटर लम्बे बन्धे एक पर खाची भी मिट्टी नहीं पड़ी, यहाँ सदन आने से पहले मैं वहाँ गया था, वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है तो क्या माननीय मंत्री जी इसे दिखवायेंगे कि

आपके आदेश के बावजूद 45 किलोमीटर लम्बे बाँध, जिससे कई दर्जन गाँव प्रभावित होते हैं, उसको ठीक करने में विभागीय अधिकारियों द्वारा लापरवाही क्यों की गई ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, गोरखपुर का भी मैंने दौरा किया है और मैं बन्धें पर भी गया था, मैंने उसे स्वयं देखा है और वहाँ पर मैंने अधिकारियों को भी निर्देश दिये है। माननीय सदस्य ने मुझे अवगत कराया है, हम इसे दिखवा लेंगे और अगर कहीं लापरवाही अधिकारियों ने की है तो कार्रवाई अवश्य होगी।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, आदमपुर तटबन्ध पर माननीय मंत्री जी गये थे लेकिन लोग माननीय मंत्री जी को उस ओर से ले गये जहाँ इस समय नदी पर काम हो रहा था। मान्यवर, तटबन्ध तो कट गया और कटने के बाद उस तटबन्ध को बाँधा गया है, लेकिन अब जिस तरफ कटाव होना है उस तरफ से मा0 मंत्री जी को इंजीनियर नहीं ले गये और पब्लिक को जाने नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न है कि उस बाँध क्षेत्र में फंसे हुए लोगों के लिए अरबों खर्च किया जा रहा है क्या माननीय मंत्री जी उनके लिए स्थायी आवास की व्यवस्था करेंगे ? जिन बाँधों पर बाढ़ आने के बाद पैसा खर्च करके आवास बनाये जाते हैं उतने ही पैसे से उनके स्थायी आवास बनाये जा सकते है, क्या सरकार उन्हें बनायेगी ? नदी की जहाँ से धारा बहती है, सभी इंजीनियर्स को पता है कि उन धाराओं के मुड़ने के मुख्य कारण उन पर सिल्ट बालू जमा हो जाना है क्या उस बालू को हटाकर नदी को मूल धारा में बहने का क्रम जारी रखा जाएगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है वैसे तो हम मौके पर गये थे और जितने भी तटबन्ध जहाँ-तहाँ थे, मैंने सभी के लिए पैसा दिया है। वैसे तो नदियों वाली स्कीम बहुत बड़ी है, बालू, सिल्ट हटाना बड़ा काम है। मैंने केन्द्र सरकार से भी सहयोग मांगा है क्योंकि इसमें बहुत बड़े सहयोग की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर घाघरा, गंगा, शारदा जैसी नदियां हैं। वैसे मैने कोशिश की है कि मनरेगा का भी पैसा जहाँ-जहाँ नदियों में सिल्ट सफाई की जरूरत है, वहां लगाया जाय। मान्यवर, हमारा प्रयास है हमें केन्द्र सरकार से या जैसे भी बजट की व्यवस्था होती जाएगी, हम योजना बना करके प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जनता बाढ़ से प्रभावित न हो। वैसे मैंने निर्देश भी दिये हैं अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि अगर बाढ़ से कहीं बेघर हो जाते है, ऐसे लोगों को सूची तैयार करें

ओर कहीं न कहीं उन्हें ग्राम समाज की जमीन दे करके जो भी हमारी सरकार की योजना है, उससे उनकी मदद की जाय ओर पुनः उनके घर बसाये जाए, हमने यह निर्देश दिये है।

(अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण कृपा बैठिये, मैंने डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल को बुला लिया है। अभी जब सिंचाई विभाग का बजट आयेगा तो आपको अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि माननीय मंत्री जी का यह कहना भी है कि वह बाढ़ के रोकथाम की स्थायी व्यवस्था करना चाहते है। प्रश्न पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ का है और जवाब तटबंधों और कटान को रोकने का है। यह बाढ़ की स्थायी व्यवस्था नहीं है, बाढ़ की स्थायी व्यवस्था करनी है तो जहाँ से पानी आता है वहाँ रोकना पड़ेगा। आप तटबंध चाहे जितने भी बनवा दें अगर पानी आना नहीं रूका तो बाढ़ नहीं रूकने वाली है। भारत सरकार ओर नेपाल के बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ को ले करके एक समझौता हुआ था, जिसका इसमें कोई जिक्र ही नहीं हैं क्योंकि यही वह स्थायी तरीका है, जिससे बाढ़ रूकने वाली थी। वह समझौता था महाकाली नदी का समझौता, पंचेश्वर मल्टी परपज प्रोजेक्ट। जिसके तहत इन नदियों पर बाँध बनाये जाने थे, बिजली भी उत्पन्न होनी थी, सिंचाई भी होनी थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाली बाढ़ भी रूकनी थी। 1996-97 का समझौता है जिसमें इण्डो-नेपाल ज्वाइण्ट एक्शन ग्रुप बना था। चूंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर में इसका कही उल्लेख नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह समझौता समाप्त हो गया है तो बता दीजिए अगर नहीं समाप्त हुआ है, और एक्जिस्ट कर रहा है तो क्या प्रगति है ? उससे इस सदन को अवगत करा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 डाक्टर साहब आप जानते हैं कि समझौता इसके पहले भी हुआ था भालू बांध परियोजना, पंचनाली परियोजना। नेपाल से भारत सरकार की बहुत पहले बात हुई थी परन्तु भारत सरकार की नेपाल से सहमति नहीं बन सकी कि वह अपने यहां बांध बनवाकर उस पर काम करने दें। तो यह सवाल भारत सरकार से संबंधित है, मंत्री जी कहां से उत्तर दे देंगे ? माननीय मंत्री जी आपके पास इसका कोई जवाब है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, यहां से मतलब भी नहीं है। जहां तक नेपाल से समझौते का मामला है तो यह केन्द्र से संबंधित होने के साथ-साथ

प्रकृति से है, ईश्वर से है। हम तो ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, मा0 सदस्य भी प्रार्थना करें कि बरसात संयम से हो और बाढ़ न आये।

(श्री पूरन प्रकाश, श्री राज नारायन बुधौलिया सहित अनेक सदस्यों के अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मा0 सदस्य क्यों प्रश्न पूछने के लिये परेशान हैं ? अभी जब सिंचाई और बाढ़ पर बजट आने वाला है उसमें आप लोग अपने विचार रखियेगा और उसका मा0 मंत्री जी उत्तर देंगे। अब आप लोग बैठिये। नत्थी-ग तारांकित प्रश्न संख्या-1 श्री सुरेश कुमार खन्ना जी।

अब आप लोग बैठ जाएं। जब सिंचाई विभाग का बजट आएगा उस समय आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

श्री राजनारायण बुधौलिया-

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बुधौलिया जी बैठ जाए। जब सिंचाई विभाग का बजट आए उस समय अपनी बात रखें।

*डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

*2[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

*श्री सतीश महाना तथा श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

*3[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

नत्थी -'ग'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बढ़ रहे लिंग भेद अनुपात को रोकने की कार्य योजना

*1–श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे लिंग भेद अनुपात को रोकने के लिये सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 पूर्व से ही प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 पूर्व से ही प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है। 1994 से यह अधिनियम लागू है 2001 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक हजार लड़कों पर 898 लड़कियां थीं यह 2001 की सेंसेस रिपोर्ट है भारत सरकार की उसके बाद 2011 की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई लेकिन समाचार पत्रों में उसके बारे में काफी बाते आ चुकी हैं लाइब्रेरी में भी आ चुकी है। उसके अनुसार यह संख्या 898 से घटकर एक हजार लड़कों पर शहरी क्षेत्र में 888 हो गई मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह है कि 1994 से एक अधिनियम लागू है अगर यह प्रभावी होता या इसका एक्जीक्यूशन प्रभावी होता तो निश्चित रूप से लिंग अनुपात भेद घटता नहीं। लड़कियों की संख्या घटती नहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो नियम है क्या इसको बदलने के लिये उसके प्राविधानों को बदलने पर विचार करेंगे यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि जो गर्भ में हत्या कराई जाती है क्या उसको हत्या की श्रेणी में लाने पर विचार करेंगे। तभी मान्यवर, यह रुक सकता है। क्योंकि लगातार जिन क्षेत्रों में शिक्षा ज्यादा है वह लोग फौरन अल्ट्रासाउंड कराकर गर्भपात करा देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो आने दीजिये। आपका दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री शंखलाल मॉझी-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण यह सही है कि लिंग अनुपात पिछले तीन दशक में वर्ष 1991 में 876 था वर्ष 2001 में 898 था और वर्ष 2011 में 908 हुआ है। फिर भी जो बाल लिंग अनुपात है उसकी स्थिति चिन्ताजनक है। वर्ष 1991 में यह 927 था 2001 में यह 916 हुआ और 2011 यह घटकर 899 हो गया। यह वास्तव में चिन्ताजनक है। हम आपकी चिन्ता से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं जहां तक आपने दूसरा प्रश्न किया है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम, 1994 जो पूर्व से प्रख्यापित है उसको आपने कहा कि नये सिरे से बदलाव करें। जिस तरह से नियम भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित किये गये हैं और उसको प्रदेश सरकार

द्वारा पूर्णतया लागू किया गया है इस पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिये अनुश्रवण करने के लिये हाउस बन्द होने के बाद हम लोग नये सिरे से इसका परिसीलिंग कराएंगे। जहां तक इसके प्रभावी ढंग से काम करने की बात है इस पर पहले से ही निर्देश दिये जा चुके हैं इसके लिये जेनेटिक क्लीनिक, जेनेटिक परामर्श केन्द्र, जेनेटिक लैब, अल्ट्रासाउंड इमेजिन सेन्टर जेनेटिक केन्द्र मोबाइल अल्ट्रासाउंड क्लीनिक और आई0बी0एफ0 केन्द्र आदि पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य किया गया है। यह नियम की बाध्यता है फिर भी हम यह जानते हैं, आपके इस प्रश्न से हम अपने को अलग नहीं करना चाहते हैं। जो समाज में आज इस तरह की आज पूरे प्रदेश की स्थिति है। गुपचुप तरीके से गोपनीय ढंग से आज भी कहीं न कहीं इस तरह का लिंग परीक्षण हो रहा है। भ्रूण हत्याओं के मामले में यह पूरा देश जानता है, प्रदेश नहीं पूरा देश जान रहा है कि इस तरह के ये अमानवीय कृत्य कदाचित् लोगों द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिये प्राविधान भी है, दण्ड प्रक्रिया भी है और उसके हिसाब से यदि कोई यह गैरकानूनी कार्य करता है तो उसे सीधे सक्षम न्यायालय मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां मुकदमा दायर किया जा सकता है और इस अधिनियम की खास विशेषता यह है कि यह भ्रूण लिंग की जांच करने वाले चिकित्सक और जांच कराने वाले व्यक्ति दोनों के साथ समान कैद और समान जुर्माना हो सकता है और इसके लिये प्रभावी कार्यवाही की गयी है। प्रदेश में अब तक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 39 व्यक्तियों/केन्द्रों के विरुद्ध जनपदीय समुचित प्राधिकारियों के स्तर से वाद मा0 न्यायालयों में दायर किये जा चुके हैं। ये इसकी व्यवस्थायें हैं। जहां तक दण्ड की बात है लिंग निर्धारण के लिये प्रथम अपराध की दशा में कारावास जो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना 50 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। अपराध की पुनरावृत्ति होने की दशा में कारावास जो 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना रुपये 01 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। ये इसके दण्ड के प्राविधान हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो स्थिति प्रश्न पूछने से पहले थी वही स्थिति प्रश्न पूछने के बाद भी रही। मैं समझ नहीं पाता हूं कि प्रश्न पूछा जाय अथवा नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप वो लिंग भेद का पूछ रहे हैं इसलिये आपको पूरी बात.....

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं बाकायदा यह सेंसस.....

श्री अध्यक्ष-

देखिये, मा0 हुकुम सिंह जी, हँस रहे है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी निजी जिन्दगी को निकाल के बात की जाये, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। मान्यवर, मैं जो सेन्सस की रिपोर्ट है मान्यवर, मा0

मंत्री जी ने कहा कि 908 हैं। मैंने कहा शहरी क्षेत्र में 899 से घटकर 888 रह गयी, यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह सेंसस की रिपोर्ट है और लाइब्रेरी में है मान्यवर। मान्यवर, 898 से घटकर 888 रह गयी। मा0 मंत्री जी ने मेरी चिन्ता से अपने आप को सम्बद्ध किया लेकिन ''ये बात वो बात फिर वो ही टका मेरे हाथ'' नतीजा कुछ भी नहीं है। मैंने केवल एक बात स्पष्ट रूप से पूछी कि जो गर्भ में गर्भपात कराते हैं तो क्या उसको हत्या की श्रेणी में रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

फिर वही एक प्रश्न।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बहुत स्पष्ट उत्तर है। आप लड़की पैदा करने के लिये प्रोत्साहन दे नहीं सकते। मा0 मंत्री जी उसके लिये सक्षम नहीं हैं, न तो पूरा जवाब देंगे, उस विषय पर बात ही नहीं करेंगे और जो लिंग अनुपात रोज घट रहा है उसके लिये प्रभावी कार्यवाही करेंगे नहीं, नियमों में परिवर्तन करेंगे नहीं तो प्रश्न पूछने का मान्यवर, मैं समझ नहीं पाता हूं कि औचित्य क्या है। जिस स्थिति में पहले थे उसी स्थिति में बाद में हैं। हम आपका संरक्षण चाहते है। आप कृपा करके स्पष्ट उत्तर दिला दें कि क्या उसको हत्या की श्रेणी में रखेंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष-

यही एक प्रश्न आपका बचा है। मा0 मंत्री जी, ये मा0 सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो भ्रूण हत्या होती है। क्या उस भ्रूण हत्या को जो आपने कानून बताया कि 3 साल, 4 साल की सजा आदि। ये कहना चाहते हैं कि उसे हत्या के रूप में लेकर के 302 के रूप में या 304 के रूप में पेनलाइज करने पर विचार करेंगे, यह इनका कहना है।

श्री शंखलाल माँझी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित किया गया है और पूरे देश, पूरे प्रदेश में लागू है। प्रदेश सरकार अपनी तरफ से अभी इस पर अलग से कोई विचार नहीं कर रही है।

प्रदेश में गम्भीर रोगों के मरीजों के निःशुल्क इलाज की नीति

*2–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गम्भीर रोगों के मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिये क्या शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी-

जी हां।

बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध है।

बी0पी0एल0 कार्ड धारक या ऐसे रोगी, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से आय वार्षिक रु0 24,000/- से अधिक न हो अथवा तत्समय बी0पी0एल0 के लिये विनिश्चित धनराशि के समतुल्य हो, को राज्य आरोग्य निधि (मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों में गम्भीर रोगों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा पहला सवाल यह था कि प्रदेश में गंभीर रोगों के मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए क्या शासन ने कोई नीति निर्धारित की है। उत्तर आया है जी हाँ।

अब मान्यवर, नीचे इसको क्लासीफाइड किया गया है और कहा गया है कि बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध हैं और इसमें 24 हजार रुपये की वार्षिक की आय बतायी गयी है। मान्यवर, सरकार की ओर से एक बयान आया था कि प्रदेश में जितने भी गुर्दे, हृदय रोग या अन्य बीमारियों से ग्रस्त मरीज होंगे उन सबके लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जायेगी। अब दूसरी ओर यह जवाब यह आ रहा है कि केवल बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के लिए।

तो यह मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने अपनी घोषणा वापस तो नहीं ले ली है। या यह जवाब गलत है ?

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर, हमने उत्तर में बी0पी0एल0 कार्ड और अन्त्योदय कार्ड धारक की बात कही है। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि जिनके पास ऐसे कार्ड नहीं है और गरीब हैं तो उनके संबंध में जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है। वह अपनी संस्तुति करती है। इसमें जिनकी वार्षिक आय 24 हजार रुपये तक है और गरीब है उनके संबंध में वह संस्तुति करती है। इसमें यह है कि विनिश्चित धनराशि के समतुल्य हो।

मान्यवर, फिर भी हमारी सरकार की साफ मंशा है और मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा भी है कि समाज के जो गरीब लोग है जिनकी आर्थिक स्थिति बी0पी0एल0 कार्ड धारकों से भी बदतर है। उनके लिए भी 400 रुपये महीना पेंशन योजना की बात कही है। इसी तरीके से जो व्यक्ति गरीब होगा और गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उनके इलाज में जो खर्च होगा उसकी व्यवस्था अलग से की गयी है। इसमें जिला स्तर पर कमेटी की संस्तुति पर 35 हजार रुपये तक का व्यय अनुमन्य है। इसी प्रकार से मण्डल स्तर पर 1.50 लाख रुपये तक का व्यय अनुमन्य है और यदि उससे अधिक धनराशि व्यय होनी है तो उसके लिए मुख्य मंत्री जी का कोष है और भी अधिक धनराशि खर्च होनी है तो भारत

सरकार के अन्तर्गत एक कमेटी गठित है। वहाँ संस्तुति भेजी जाती है और वहाँ से स्वीकृति आती है। मेरा कहना यह है कि गरीब गंभीर रोगियों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की जायेगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर सरकार ने कई घोषणायें पूरी की है और अपने घोषण पत्र में यह कहा था कि असाध्य रोगों से ग्रस्त मरीजों जैसे हृदय रोग, लीवर किडनी, आदि के संबंध में प्रदेश के चिकित्सालयों को सामर्थ्य बनाकर उनके इलाज की व्यवस्था की जायेगी। इसमें घोषणा पत्र में साफ लिखा है तो क्या मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपनी घोषणा को वापस ले लिया है जो सभी लोगों के लिए थी जो असाध्य रोगों से पीड़ित है, गरीब हैं, उनके इलाज के लिए ?

श्री शंख लाल मांझी-

हमारी सरकार की जितनी घोषणा है, जो घोषणा है उसमें कोई घोषणा हम वापिस नहीं ले रहे हैं। माननीय डाक्टर साहब आपको मैंने बताया उसके अलावा जो आप कह रहें हैं हमने कहा कि जो भी गरीबी रेखा के नीचे या गरीब पात्र लोग हैं उनकी व्यवस्था के लिए आपने डिफाइन किया है डा0 हैं आप, हम उसको दफा सरपट नहीं कह दे रहे हैं, जो भी क्रिटिकल बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए जैसे स्थिति बनेगी 35 हजार से लेकर डेढ़ लाख तक मैंने कहा कि मंडल स्तर से, राज्य स्तर से और उससे भी ज्यादा होगा तो भारत सरकार से व्यवस्था की जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह दफा सरपट क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, आप इस समय सदन में सबसे वरिष्ठ है कहाँ इसमें उलझ रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी की जो सीमा तय कर दी गयी है वह 30 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम है, एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो 150 रुपये अर्थात साढ़े चार हजार रुपये अर्थात करीब 52 हजार रुपये साल। अब सरकार यह कहती है कि सिर्फ 24,000 से नीचे वालों का इलाज करेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि वह जो गरीबी की रेखा निश्चित की गयी 52 हजार रुपये तक एक परिवार की तो 52 हजार से लेकर 24 हजार के बीच के जो गरीब हैं उनका भी इलाज करेंगे या उनको भी छोड़ देंगे ?

श्री शंखलाल मांझी-

मान्यवर, गरीबों का इलाज किया जायेगा मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जिले की कमेटी बनी, मंडल की कमेटी बनी और प्रदेश स्तर की कमेटी बनी है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, मैनीफिस्टो की मूल भावना अच्छी है और सरकार की नीयत भी अच्छी है और आपको किसी हद तक इस बात पर भरोसा भी है वर्ना आपके सवाल में कड़वाहट होती, कड़वाहट नहीं है। कुछ ऐसे सवालात हों जिनमें कड़वाहट हो तो वाजिब है लेकिन इस सवाल को पूछते वक्त आपके सवाल में कड़वाहट नहीं है और कहीं न कहीं आपको लगता है कि अगर आप बल देंगे इस प्रश्न पर तो समाज का वह कमजोर वर्ग जो आज तक इलाज से वंचित है आपके इस प्रश्न से और इस बहस से उसकी मदद हो जायेगी। मैं वैचारिक तौर पर कई बाते जब मुख्यमंत्री जी तशरीफ लाते हैं तो कर लेता हूँ और उसका लाभ हम सबको और पूरे प्रदेश को मिलता है। मैं इजाजत चाहूँगा इसकी जो पिछला प्रश्न था उस पर बात कर रहा हूँ मूलतः हम सब इससे सहमत है कि जब तक भ्रूण हत्या पर कोई सख्त कानून नहीं आयेगा, इसे नहीं रोका जा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा जो बाधा डालेंगे वह मजहबी लोग हैं, धर्मावलम्बी लोग हैं अगर उधर से कोई मांग उठे तो सरकार को इस पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि कोई सख्त कानून आये वरना लड़कियों की तादाद इतनी घट जायेगी और पूरे देश में एक समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अलावा भी यह इतना गैर इन्सानी अमल है और इतना घटिया और नीच है कि सिर्फ पैसे के लिए किसी की जिन्दगी ले ली जाय कोई और वजह हो तो समझ में आती है लेकिन सिर्फ पैसे के लिए डाक्टर जान ले ले और सिर्फ पैसे के लिए बाप जान ले ले कि उसकी शादी नहीं कर सकेगा, उसकी परवरिश नहीं कर सकेगा इस व्यवस्था को बदलना चाहिए।

इसी के साथ ही जहाँ तक गरीबों के इलाज का सवाल है यह पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने दिल से एहसास किया है और जो भी कुछ योजनाएं हैं उतना बजट में प्राविधान किया गया है। आज पहली बार ऐसा साया देखने को मिला है जो धोखे का साया नहीं है जिसमें कुछ न कुछ करने की नीयत है। मैं तो यहाँ तक इस सदन में कह चुका हूँ कि बीपीएल कार्ड होल्डर अन्त्योदय कार्ड होल्डर, मंत्री का खत इसके बावजूद संजय गांधी और मेडिकल कालेज में उसका इलाज आज भी नहीं होता है, आज भी लेकिन इस संस्था को सुधारने के लिए वक्त लगेगा मात्र दो ढाई महीने की सरकार की जिन्दगी उसकी उम्र काफी नहीं है। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन गुनाहों को हम तस्लीम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ऐसा होता है और इसको सुधारेंगे मान्यवर, जो अन्त्योदय कार्ड होल्डर हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर हैं उनका इलाज हो, अपमान न हो, उनको गरीब समझकर डाक्टर दुत्कारे नहीं, ऐसा माहौल बने और इसी के साथ-साथ जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि गरीबी की रेखा से नीचे और ऐसा ही कमिटमेन्ट माननीय मंत्री जी का भी है। गरीबी की रेखा से नीचे वह तमाम लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। पहली बार उनका इलाज हो इस पर विचार ही नहीं शुरू

हुआ है बल्कि खजाने का पैसा उन पर खर्च करने की शुरुआत भी हुई है। बस इतना आग्रह और निवेदन है आपसे कि थोड़ा इंतजार करें। हमारे और बढ़ने वाले संसाधनों का भी इंतजार करें। हमने शुरुआत की है और इस शुरुआत को हम आगे बढ़ायेंगे इतना मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। (प्रश्न संख्या-3 पर और प्रश्न संख्या-4 पर माननीय सदस्य श्री सतीश महाना और श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) उपस्थित नहीं थे)

प्रदेश के विद्युत विहीन गांवों में मा0 विधायकों की संस्तुति पर विद्युतीकरण करने की जानकारी

*3–श्री सतीश महाना (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र कि विद्युत विहीन गांवों में से प्रतिवर्ष 10 गांवों में बिजली लगाने हेतु विधायकों की संस्तुति पर विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री-

श्री अखिलेश यादव।

जी नहीं।

वर्तमान में मा0 विधायकों की संस्तुति के आधार पर 10 ग्रामों में विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश के जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में मानक के अनुसार चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति आदि का विवरण

*4–श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा (अनुपस्थित)-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु प्रदेश की सभी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 तथा जिले के महत्वपूर्ण सरकारी अस्पतालों में मानक के अनुसार चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा एक्स-रे मशीन, खून की जांच डायलिसिस मशीन सहित अन्य आवश्यक उपकरण तथा ऐन्टीरैबीज इन्जेक्शन की व्यवस्था हेतु कोई कार्य योजना लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हाँ।

प्रदेश के जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में मानक के अनुसार उपलब्धता के आधार पर चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा रही है।

सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीन की सुविधा का कोई मानक स्थापित नहीं है। वर्तमान में प्रदेश के 09 बड़े चिकित्सालयों में उपलब्ध है।

प्रदेश के सभी जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में खून की जाँच एवं एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है, जिन सी0एच0सी0 पर एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर एक्स-रे मशीन स्थापित करने की योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

पी0एच0सी0 पर एक्स-रे मशीन की स्थापना मानक के अन्तर्गत नहीं है।

एन्टीरैवीज इन्जेक्शन की व्यवस्था प्रदेश के सभी चिकित्सालयों तथा सी0एच0सी0 पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नील गायों/वनरोजों से किसानों की खड़ी फसलों को क्षति पहुंचाने से रोकने की मांग

*5–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप तथा श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नील गायों/वनरोजों से किसानों की खड़ी फसलों को हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस समस्या के निराकरण हेतु कोई कार्ययोजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में वनरोज (नीलगायों) द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुँचाये जाने की छुटपुट घटनाएं प्रकाश में आई हैं।

समस्या के निराकरण हेतु कार्ययोजना के अन्तर्गत वनरोजों (नीलगायों) द्वारा कृषि फसलों की क्षति के दृष्टिगत उत्पाती वनरोजों को नष्ट करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा संशोधित की धारा-4(1) के अन्तर्गत शासनादेश सं0-736/14-4-94-854/92, दिनांक 09.03.1994 एवं शासनादेश सं0-2194/14-4-2001-854/92, दिनांक 28.09.2001 व शासनादेश सं0-1464/14-4-2008-854/92, दिनांक 31.07.2008 से समस्त जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी से लेकर क्षेत्रीय वनाधिकारी के स्तर तक एवं राजस्व विभाग के समस्त तहसीलदारों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

शासकीय पत्र सं0-1487/14-4-2011-854/92, दिनांक 30.08.2011 द्वारा वनरोजों से कृषि फसलों की क्षति को नियंत्रित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

अतः प्रभावित कृषक अपने-अपने क्षेत्र के इन अधिकारियों से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि वनरोज (नीलगायों) द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुँचाये जाने की छुटपुट घटनाएं प्रकाश में आई हैं। जबकि प्रदेश के प्रत्येक जिले में इनकी संख्या बहुत है और यह फसलों को काफी नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या मंत्री जी द्वारा प्रदेश में वनरोजों की गणना कराई गई है या कराने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष-

वनरोजों की गणना कराना, यह कोई प्रश्न नहीं है। कितना गणना करायेंगे यह।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 2 लाख 12 हजार संख्या है और इनकी संख्या कभी भी बढ़ सकती है। अभी भी बढ़ सकती है और कल तक भी बढ़ सकती है। 2-4 और बढ़ गई होगी। रोज बढ़ती है।

श्री अध्यक्ष-

अरे कोई सकारात्मक प्रश्न पूछिये ना। गणना कौन कर पायेगा।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, गणना इसलिये जरूरी है कि इस समय पूरा सदन इस बात से अवगत है।

श्री अध्यक्ष-

अरे सुनिये। इस पर बहस हुई थी जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई थी तो माननीय सदस्यों ने इस पर बहुत सुझाव दिये थे। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। आप मेन प्रश्न पूछिये ना।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, शासकीय पत्र संख्या 1487/14.4.2011, 854/30.8.2011 द्वारा वनरोजों से फसलों की क्षति को नियंत्रित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित हुई, इसके बाद भी खड़ी फसल नष्ट हो रही है उस पर नियंत्रण नहीं है तो क्या वनरोजों को पकड़वाकर जंगल में छोड़ने की कोई योजना चल रही है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य कह रहे थे नर को अलग बाड़े में रखो, जनसंख्या कम हो जाएगी। मा0 सदस्य माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि इतने-इतने अधिकारी प्राधिकृत हैं उनसे मिलकर वनरोजों को नष्ट किया जा सकता है। अब इसमें कौन सा प्रश्न पैदा हो गया।

श्री केशव प्रसाद-

मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत से जिले प्रभावित हैं तो क्या उसमें से किसी जिले के अन्दर उनका बाड़ा बनवाने, उनका बन्ध्याकरण कराने का कष्ट करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह क्या प्रश्न हुआ।

श्री केशव प्रसाद-

सुन लीजिये जो नील गाय के कारण फसल चौपट हो रही है किसानों की, उस खेत के अन्दर, जो खेती है तो क्या सरकार उनकी खेती का बीमा कराकर उसका मुआवजा देगी। या नरेगा के अन्दर जो हमारे मजदूर उपलब्ध हैं उनको उपलब्ध कराकर उन खेतों की रखवाली कराने का कष्ट करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई प्रश्न नहीं है इस प्रश्न के उत्तर में सारी बातें आ गई हैं कि वनरोजों को नष्ट करने के लिये यह-यह है। अगर अब आपकी हिम्मत है इनको नष्ट करने की तो बी0डी0ओ0 से लाइसेंस लीजिये और इनको नष्ट करने को जाइए। जाएंगे आप, कोई जाता नहीं है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं वनरोजों और नीलगायों को नष्ट करने के लिये आदेश गये हुये हैं। किसान अधिकारियों से सम्पर्क करेंगे। लेकिन हमारे क्षेत्र में जंगली शूकरों का भी बहुत बड़ा आतंक है। इससे कई सारे किसानों की मौते हो चुकी हैं तो जो यह वनरोजों को नष्ट करने का आदेश गया हुआ है और जंगली शूकरों से भी लोगों की मौतें हो रही हैं तो क्या इसको भी वनरोजों में शामिल करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जो अभी मा0 सदस्य ने शूकर के लिये प्रश्न उठाया है यह भी बहुत खतरनाक जानवर है। अभी तो योजना नहीं है लेकिन आपने जो अभी जानकारी दी है इस पर विचार किया जाएगा जब भी विचार हो जाएगा तो योजना आएगी। इस पर हमारी सरकार गम्भीर है। इसमें कुछ न कुछ राय लेकर समस्या का समाधान हो इसका प्रयास करेंगे।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं हमारे बल्हा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तक जंगल है। वहां राहगीरों को जाने आने में बहुत दिक्कत

होती है। किसी विभाग से अगर जंगल से रास्ता ग्रामीणों के लिये बनाया जाता है तो वन विभाग के लोग उस रास्ते को बनने नहीं देते हैं। इतने सारे लोगों की बस्ती है बाघ और भालू से यहां आए दिन हमला होता रहता है। सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं और सरकार की तरफ से उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि जो जंगल के किनारे-किनारे बस्तियां हैं उनके लिये जाल की व्यवस्था की जाए। और जो मनुष्य मारे जाते हैं वह अपने खेतों में काम करते हुये मारे जाते हैं। बाघ उन पर हमला कर देता है और वह मर जाते हैं क्या मंत्री जी इसमें व्यवस्था करेंगे ? और जो उनके आने-जाने के लिये रास्ता नहीं हैं, जिसे वन विभाग के लोग आये दिन रोकते हैं और रास्ता नहीं बनने देते हैं, माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि वहां सड़क बनवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, पहली बार यह सदस्य चुनकर आई हैं, इस प्रश्न से यह सम्बन्धित नहीं है लेकिन अपने क्षेत्र की समस्या को उन्होंने इस प्रश्न से जोड़ा है कि उनके क्षेत्र में जो गांव वन के किनारे हैं, बाघ से लोग मारे जाते हैं, हालांकि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, सावित्री बाई जी, यह प्रश्न अलग होना चाहिये लेकिन मंत्री जी कुछ कर सकें तो बता दें, वन विभाग का मामला है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वन विभाग का सेन्ट्रल का अधिनियम है, इसमें हम कहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत आवंटित धनराशि व व्यय का विवरण

*6-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 में कितनी-कितनी धनराशि वर्षवार आवंटित किया है तथा उसमें वर्षवार कितना व्यय किया गया है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि इस योजना में कतिपय घोटालों की जांच सी0बी0आई0 द्वारा की जा रही है ? यदि हां तो उसमें अभी तक किन-किन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है ?

श्री शंख लाल मांझी-

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत वर्षवार आवंटित धनराशि एवं वर्षवार व्यय की सूचना का विवरण निम्नवत् है :-

धनराशि करोड़ में

वर्ष	अनुमोदित पी0आई0पी0	व्यय धनराशि
2007-08	1499.25	935.73
2008-09	1846.88	1501.57
2009-10	2900.48	2203.44
2010-11	2793.48	2660.26
2011-12	2595.18	1976.87

जी हां।

लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किये जाने की सूचना सी0बी0आई0 द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, हम लोग राजनीति में हैं, आरोप लगते हैं कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, बिना भोजन के लोग मर रहे हैं और इसी को देखते हुये केन्द्र सरकार ने अप्रैल, 2005 में यह योजना शुरू की और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं की कमी को दूर करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकेन्द्रित योजना प्रक्रिया की सुविधा देना तथा केन्द्र सरकार के रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को पूरा करना। मान्यवर, हमने पिछले 5 वर्षों की जानकारी चाही थी, इसमें 11615 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इनको दिया और केवल 8277.87 करोड़ इन्होंने खर्च किया। इससे लगता है कि जो सरकार रही इससे पहले वह गरीबों के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिन्तित रही और उन्होंने यह पैसा खर्च नहीं किया और खर्च भी किया, मान्यवर, उसमें दो तरह के तथ्य सामने हैं। हम लोगों का शर्म से सर झुकता है, एक आर्थिक घोटाला, जिसमें नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिर्पोट भी आयी है और दूसरा आपराधिक घटनायें। यह आर्थिक घोटाला करने के लिये बाकायदा जो संस्थागत रूप से अधिकारीगण शामिल थे और उसमें अधिकारियों की हत्या हो रही है। मान्यवर, पहले प्रश्न का तो उत्तर आ गया लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने दिया है कि लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किये जाने की सूचना

सी0बी0आई0 द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मान्यवर, कोई भी हो, हम लोगों में भी अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसकी सूचना होती है। जैसा कि सदन के संज्ञान में है कि कई वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के, निर्माण विभाग के, जल निगम के गिरफ्तार किये गये हैं। क्या हमारी सरकार आँख मूँद कर बैठी है, उसको नहीं मालूम कौन-कौन गिरफ्तार हैं ? यह सदन नहीं जान सकता कि कौन गिरफ्तार है ? जब सी0बी0आई0 इनको रिपोर्ट देगी कि यह गिरफ्तार हैं, तब जानकारी होगी ? अध्यक्ष जी, यह उत्तर अधूरा है। मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। यह मंत्रि-परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी है। तो क्या माननीय मंत्री जी जानकारी करके बतायेंगे कि कौन-कौन से अधिकारी गिरफ्तार हुये हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या धारायें हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न था कि कितनी धनराशि खर्च हुयी और सी0बी0आई0 ने कितनी प्राथमिकी दर्ज की है। और इनका कहना है कि सी0बी0आई0 ने हमको कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी है। मंत्री जी आपके पास गिरफ्तारी की कोई सूचना है।

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, यद्यपि यह मामला सी0बी0आई0 द्वारा जांच में है और अब तक हमें जो जानकारी मिली है उसमें 21 डाक्टरों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जा चुकी है। चूंकि मामला सी0बी0आई0 की जांच में है इसलिये अभी हमें और सूचना नहीं मिली है। इसलिये हम यहाँ भी नहीं दे पायेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, 2-2 सी0एम0ओ0 की हत्या हुयी है, एक डिप्टी सी0एम0ओ0 साहब जेल के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह गृह विभाग का प्रश्न है। आप कैसे चिकित्सा विभाग के प्रश्न में यह पूछ रहे हैं। यह कैसे बता पायेंगे ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इनको जानकारी तो करनी चाहिये। इसका मतलब कि इनके विभाग में जो घोटाले हुये हैं उसमें इनकी बहुत रूचि नहीं हैं। जो कार्यवाही हो रही है वह हो रही है।

श्री शंखलाल मांझी-

हम लोगों की रूचि है इस बात को हम कहकर नहीं बल्कि करके दिखायेंगे। यह हमारी कटिबद्धता है। दो-दो सी0एम0ओ0 की हत्या की जहां तक बात है उसकी जांच चल रही है। और जैसे ही जांच पूर्ण होगी उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इतना बड़ा मामला है। और इस पर सब लोग चिंतित हैं। तमाम नेता जेल में हैं, वरिष्ठ आई0ए0एस0 अधिकारी जेल में हैं। जो यह इतनी चिंतित सरकार है उसमें स्वास्थ्य विभाग की हालत यह है कि 3 हजार 337 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ और जो खर्च हुआ उसमें आडिट रिपोर्ट है, 8 हजार करोड़ रुपये का घपला आ रहा है। तो कहाँ आपने दिया। चलिये मान लीजिये किसी और ने नहीं दिया अब आप आ गये हैं आप देंगे, इस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब एक आपराधिक घटना हो रही है, आपके विभाग के लोग मारे गये और उसमें लोग जेल में हैं। अगर आप यह उत्तर देते हैं कि हमको विभाग ने नहीं उपलब्ध कराया है तो आप भी तो कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करके सदन को अवगत करायेंगे। यह मंत्रिमण्डल के सामूहिक दायित्व में आता है कि जो आर्थिक घोटाले और आपराधिक घोटाले हुये हैं उनकी सूचना सदन को दें। और मान्यवर, हमने यह प्रश्न 18 मई को लगाया था आज लगभग एक महीना हो गया। और अभी तक इनके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम चाहेंगे कि हमको पूरा उत्तर दिलवा दें।

श्री शंखलाल मांझी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने विगत पांच साल के बारे में हमसे आंकड़े पूछे थे। पिछली पांच साल की सरकार में उनके कार्य करने की पद्धति गरीब के प्रति उनकी सोच जगजाहिर है। और जनता ने उनका परिणाम भी दे दिया है। मान्यवर, अभी हमें 2-3 महीने ही हुये हैं। हमें कुछ काम करने का वक्त दीजिये। हम काम करेंगे और इसको करके दिखायेंगे। जहां तक आपने गिरफ्तारी सम्बन्धी जानकारी चाही है। हमें जो जानकारी थी वह हमने बता दिया है। आगे हम और जानकारी करेंगे और आपको अवगत करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

सी0बी0आई0 स्वतंत्र एजेन्सी है। प्रश्नों का समय समाप्त।

*7-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[4 थे बुधवार के तारांकित प्रश्न सं0-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संचालित होने की जानकारी

*8-डा0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने आयुष डाक्टर एवं

---

* नोट :-नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न सं0-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

फार्मेसिस्ट हैं तथा वित्तीय वर्ष 2011-2012 में इनकी संख्या क्या थी ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सरकार ने स्थगित कर दिया है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कोई आयुष चिकित्सक एवं फार्मेसिस्ट कार्यरत नहीं है। वित्तीय वर्ष 2011-2012 में 810 आयुष महिला चिकित्साधिकारी, 1114 आयुष पुरुष चिकित्साधिकारी तथा 721 आयुष फार्मासिस्ट कार्यरत थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सरकार ने स्थगित नहीं किया है। इसका प्रथम चरण (वर्ष 2005 से 2012) 31 मार्च, 2012 तक संचालित था एवं दूसरा चरण (वर्ष 2012-17) दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद खीरी की तहसील मोहम्मदी जर्जर विद्युत तारों व ट्रांसफार्मरों को ठीक कराने की मांग

1-श्री अवस्थी बाला प्रसाद -

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहम्मदी, जनपद खीरी में जर्जर तार, खराब व कम क्षमता के ट्रान्सफार्मर के कारण एवं निर्धारित सप्लाई न आने से तथा बिजली में भारी कटौती के कारण धान, गन्ना आदि फसलें सूख रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रान्सफार्मर एवं जर्जर तारों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

खराब परिवर्तक 7 दिन में बदले जा रहे हैं। धन उपलब्धता के आधार पर जर्जर तार बदले जा रहे हैं। कम क्षमता के परिवर्तक की क्षमता वृद्धि की जा रही है। तहसील स्तर की विद्युत आपूर्ति निर्धारित शिड्यूल के अनुसार की जा रही है।

जी हाँ।

बिजनेस प्लान वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी में स्वीकृत सड़कों के निर्माण कराये जाने की मांग

2-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व पसगवां में कितनी सड़कें व पुल निर्माणाधीन हैं तथा कितने प्रस्तावित हैं ? क्या

सरकार बतायेंगी कि निर्माणाधीन सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी में कुल 03 सड़के एवं 01 पुल तथा विकास खण्ड पसगवां में 04 सड़कें निर्माणाधीन हैं उक्त के अतिरिक्त विकास खण्ड पसगवां में 05 व मोहम्मदी में 04 सड़कें स्वीकृत हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी की तहसील मोहम्मदी के किसानों के निजी नलकूपों के कनेक्शन को अवमुक्त किये जाने की जानकरी

3-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहम्मदी जनपद खीरी में किसानों द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन की समस्त औपचारिकताएं पूरी कर निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद भी उन्हें कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो किसानों को कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश सिंह यादव-

वर्ष 2011-12 के लिए प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप 154 कनेक्शन अवमुक्त किये जा चुके हैं।

वर्ष 2012-13 में लम्बित 133 नग आवेदकों के निजी नलकूपों के कनेक्शन लक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त अवमुक्त किए जायेंगे।

लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर वर्ष 2012-13 में कनेक्शन अवमुक्त किए जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदुआगंज पावर हाउस कासिमपुर (एच0टी0पी0एस0) जनपद अलीगढ़ में क्रय किये गये प्रदूषण नियंत्रण यंत्र की स्थापना व कार्य की जानकारी

4-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज पावर हाउस कासिमपुर (एच0टी0पी0एस0), जनपद-अलीगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र (ई0एस0पी0) यूनिट नं0-3 यूनिट नं0-5 व यूनिट नं0-7 के लिये खरीदे गये थे ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सभी ई0एस0पी0 की स्थापना उक्त संयत्रों पर हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त ई0एस0पी0 सभी यूनिटों पर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

हरदुआगंज पावर हाउस कासिमपुर (एच0टी0पी0एस0) जनपद-अलीगढ़ में यूनिट संख्या-03, यूनिट सं0-05 एवं यूनिट सं0-07 के लिये प्रदूषण नियंत्रण यंत्र (ई0एस0पी0) में भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बी0एच0ई0एल0) से क्रय गये थे।

जी नहीं।

यूनिट सं0-5 एवं यूनिट सं0-7 में ई0एस0पी0 की स्थापना की जा रही है जबकि यूनिट सं0-3 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी0ई0ए0) विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के क्रम में संचालित नहीं किया जाना है। अतः इस इकाई में ई0एस0पी0 की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के पावर हाउस हरदुआगंज कासिमपुर में 660 मेगावाट की पावर यूनिट लगाने की जानकारी

5-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरदुआगंज पावर हाउस कासिमपुर (एच0टी0पी0एस0) जनपद-अलीगढ़ में 660 मेगावाट की पावर यूनिट लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति हो गयी है तथा इसके निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस यूनिट का कितना कार्य हो गया है तथा कितना कार्य अवशेष है ? शेष कार्य सरकार द्वारा कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

इकाई की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

इकाई की स्थापना का कार्य वर्ष 2017 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी की तहसील मोहम्मदी के कतिपय ग्रामों की विद्युत लाइन के खम्भे व तार बदलाये जाने की मांग

6-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहम्मदी जनपद-खीरी के ग्राम-बचिगवां से बहादुरपुर लालपुर व रसूलपुर विद्युत लाइन के खम्भे व तार दिनांक 12-06-2011 को भीषण आंधी तूफान में टूट गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

टूटे खम्भे एवं तार को बदलकर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के सब स्टेशनों का विस्तार 120 के0वी0ए0 करने की मांग

7-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया में 33 के0वी0ए0 के कितने सब स्टेशन बने हैं ? क्या सरकार उक्त सब स्टेशनों का विस्तार करके 120 के0वी0ए0 के सब-स्टेशन बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

7- दो नग।

1- 33/11 के0वी0 बैरिया 2X5 एम0वी0ए0

2- 33/11 के0वी0 जय प्रकाश नगर 5 एम0वी0ए0

तकनीकी कारणों से आवश्यक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के कतिपय ग्रामों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने की जानकारी

8-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद-बलिया में दल्लन छपरा लालगंज, श्रीनगर झरकटैहा, गोपालनगर, में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगवायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

8-श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा क्षेत्र बैरिया के दल्लन, छपरा, लालगंज, श्रीनगर, झरकटैहा, गोपालगंज में वर्तमान में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

संदर्भित ग्रामों की निर्बाध विद्युत आपूर्ति 33/11 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया, जनपद बलिया से की जा रही है।

जनपद पीलीभीत की तहसील के उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी की मुख्यालय पर निवास करने की जानकारी

9-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप मुख्य चिकित्साधिकारी को तहसील मुख्यालयों पर आवास बनाकर रहने के आदेश है ? यदि हां तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद-पीलीभीत की तहसील मुख्यालयों पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी आवासित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने हेतु सृजित किये गये हैं। जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सीधे नियन्त्रण में है। तहसील स्तरीय उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी का कोई पद सृजित नहीं है। इस कारण उन्हें तहसील स्तर पर मुख्यालय बनाकर रहने के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। प्रशासनिक सुधार के आदेश दिनांक 26 जून, 2002 के अनुपालन में कार्यरत उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मुख्यालय पर निवास करते हैं।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0 हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की जानकारी

10-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0 बीसलपुर, जनपद पीलीभीत हेतु अधिग्रहीत भूमि में किन-किन राजस्व गांवों की गांव पंचायत में निहित भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? क्या संबंधित गांव पंचायतों को उनकी अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त मुआवजा कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0 बीसलपुर, जनपद पीलीभीत हेतु राजस्व गांव कस्बा पट्टी की गांव पंचायत में निहित भूमि अधिग्रहीत की गयी है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के जिला चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने की मांग

11-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के जिला चिकित्सालय, पी0एच0सी0 तथा सी0एच0सी0 में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं दवाओं का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ तथा पर्याप्त मात्रा में दवायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

चिकित्साधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, परन्तु दवाओं का अभाव नहीं है। पी0 एम0 एच0एस0 संवर्ग में चिकित्साधिकारियों का अभाव है। लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को अधियाचन प्रेषित किया गया है। आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात उपलब्धता के आधार पर चिकित्साधिकारियों की तैनाती की जायेगी।

तृतीय श्रेणी के कार्मिकों की नियुक्ति पर वर्तमान में प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध समाप्ति के उपरान्त नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। दवायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार-

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत लिपिकों का विवरण।

12-श्री वीरपाल राठी-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कौन-कौन लिपिक कब से एक ही पटल पर तैनात है ? क्या सरकार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हाँ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय लखनऊ में कार्यरत लिपिकों के वर्तमान कार्य पटल एवं अवधि से संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ से प्राप्त सूची संलग्न है †

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण कार्य कराये जाने की जानकारी

13-श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम उदियापुर, भावलखेड़ा ददिउर्रा, कुरसंड़ा, टिकरा, हथौड़ा, रामापुर वरकतपुर, शहवाजनगर, कपेड़ कटका, निवाड़ी, मधवामई, टिकरी, बलेली, सिमरिया, लक्ष्मीपुर, रेभा तथा सतवाँ में विद्युतीकरण अधूरा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त गांवों के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संदर्भित सभी ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्व में किया जा चुका है। ग्रामों के मजरों के विद्युतीकरण हेतु राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत कार्य योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

जनपद खीरी की तहसील मोहम्मदीपुर के ग्राम फिरोजपुर एवं जैती की वन भूमि पर काबिज व्यक्तियों के नाम पट्टा किये जाने की मांग

14-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-मोहम्मदीपुर जनपद-खीरी में ग्राम-भीमनगर फिरोजपुर जैती में भूमिहीन परिवार वन विभाग की खाली पड़ी जमीन पर गुजर-बसर करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमिहीनों को उक्त जमीन का पट्टा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ग्राम फिरोजपुर एवं जैती में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विज्ञापित आरक्षित वन भूमि पर काबिज व्यक्ति अतिक्रमणकारी हैं। अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित आरक्षित वन भूमि को ही कालांतर में मजरा भीमनगर का नाम दिया गया है।

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 195-197 पर

जी नहीं।

तहसील मोहम्मदी, जनपद खीरी के ग्राम फिरोजपुर एवं जैती में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के अधीन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित आरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों को पट्टा नहीं दिया जा सकता है।

जनपद चित्रकूट, इलाहाबाद, कानपुर, बांदा में घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं से विद्युत बकाये की वसूली की जानकारी

15-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं पर कुल कितना बिजली बिल का बकाया है ? क्या सरकार जनपद इलाहाबाद, कानपुर, चित्रकूट व बांदा के 5 लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं पर मार्च, 2012 तक कुल बिजली का बकाया रु0 11,268.53 करोड़ है।

जी हाँ।

रुपये 05 लाख से अधिक के बकायेदारों का विवरण निम्नवत् है :-

जनपद-	**बकायेदारों की संख्या**
इलाहाबाद-	787
कानपुर-	166
चित्रकूट-	4
बाँदा	0

प्रश्न नहीं उठता।

बकायेदारों उपभोक्ताओं से वसूली करना एक सतत् प्रक्रिया है। बकायेदार उपभोक्ताओं से वसूली हेतु संयोजन विच्छेदित किए जाते हैं तथा धारा-3, धारा-5 की कार्यवाही की जाती है। दूर दराज क्षेत्रों में कैम्पों का भी आयोजन कर वसूली की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

16-श्री सुरेश बंसल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद यार्ड से विजय नगर और धोबी घाट क्षेत्र को जोड़ने हेतु ओवरब्रिज के निर्माण विषयक डी0आर0एम0 आफिस नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) का पत्रांक सं0-एस0आर0डी0ई0एन0-11/आर0ओ0बी0/आर0यू0बी0/

डब्लू-11, दिनांक 20-10-2011 जो जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक-229/एसटी-डी0एम0-2011, दिनांक 24-10-2011 द्वारा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद में विद्युत की आपूर्ति कम से कम 20 घंटे दिये जाने की मांग

17-श्री सुरेश बंसल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक नगरी गाजियाबाद से सरकार को सबसे अधिक विद्युत राजस्व की प्राप्ति हो रही है ? यदि हां, तो क्या गाजियाबाद जनपद में विद्युत की आपूर्ति मात्र 10-12 घंटे ही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद गाजियाबाद में अधिक राजस्व आय के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति कम से कम 20 घंटे दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय सहकारी एवं निजी शुगर मिलों में किसान संघों के कार्यकाल की जानकारी

18-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय सहकारी एवं निजी शुगर मिलों में किसान संघों के चुनाव कब से नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चुनाव शीघ्र करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों तथा चीनी मिल समितियों में दिनांक 16.02.2009 को चुनाव सम्पन्न हुए। अधिसूचना दिनांक 02.06.2011 द्वारा सहकारी समितियों का कार्यकाल दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष कर दिये जाने के कारण सहकारी गन्ना समितियों तथा चीनी मिल समितियों का कार्यकाल दिनांक 15.07.2012 तक है।

जी हाँ।

प्रदेश की 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचे जाने की जानकारी

19-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व ब0स0पा0 सरकार द्वारा प्रदेश की 21 सरकारी चीनी मिलों को बेच दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार की जानकारी में है कि चीनी मिलों को सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से भी कम दरों पर बेचकर वित्तीय अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार चीनी मिलों को बेचने में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

अवस्थापना विभाग द्वारा निर्गत विनिवेश सम्बन्धी दिशा निर्देशों में दी गई व्यवस्था के अनुसार चार स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन कराते हुए एक्सपेक्टेड प्राइस का निर्धारण कर चीनी मिलों का विक्रय किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद के जिला अस्पताल में हार्ट/बर्न यूनिट एंव आई0सी0यू0 होने की जानकारी

20-श्री सुरेश बंसल

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल गाजियाबाद में हार्ट/बर्न की कोई यूनिट नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार गाजियाबाद जैसे बड़े/व्यस्त महानगर के जिला अस्पताल में बर्न यूनिट एवं हार्ट के उपचार हेतु आई0सी0यू0 तथा संबंधित सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जिला अस्पताल गाजियाबाद में हार्ट/बर्न की यूनिट स्थापित है। उक्त चिकित्सालय में आई0सी0यू0 वार्ड एवं बर्न वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना

21-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार वृक्षारोपण करने

वालों तथा पौधों को जीवित रखने वालों को किसी प्रकार पुरस्कार देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना प्रचलित है, जिसमें वृक्षारोपण भी सम्मिलित है।

प्रदेश में डाइबिटीज, गुर्दे, हृदय व कैंसर रोगियों के उपचार व औषधि उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

22-श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डाइबिटीज, गुर्दे, हृदय तथा कैंसर आदि के रोगियों की बढ़ती संख्या को देखकर, दवाओं की उपलब्धता जिला अस्पतालों में नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त बीमारियों के मरीजों हेतु मानक के अनुसार दवाओं की व्यवस्था जिला मुख्यालयों पर करायेंगे ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

डाइबिटीज, गुर्दे, एवं हृदय आदि के रोगियों हेतु औषधियों जिला चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। कैंसर के रोगी को प्राथमिक उपचार के उपरान्त छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ/ एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ को संदर्भित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाने की नीति

23- श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये राशन कार्ड बनने की क्या नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी या नीति में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह) 'राजा भइया'-

उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश, 2004 के प्राविधानों के अन्तर्गत राशन कार्ड बनाने की नीति निर्धारित है। इसके अन्तर्गत तीन श्रेणी के राशन कार्ड ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय बनाये जाते हैं।

पुरानी व्यवस्था लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में विद्युत के प्रति किलोवाट फिक्सड चार्ज को कम करने की जानकारी

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक जनपद में घोषित विद्युत सप्लाई से कम सप्लाई मिल रही है ? यदि हां तो क्या सरकार विद्युत आपूर्ति ठीक न होने के कारण प्रति किलोवाट फिक्सड चार्ज को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

फिक्स चार्जेज उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारेषण एवं वितरण इकाइयों में विकास कार्य हेतु प्रति किलोवाट की दर से निर्धारित किया गया है, जिसका विद्युत आपूर्ति से सम्बन्ध नहीं है।

जनपद गाजियाबाद के वसुन्धरा योजना सेक्टर-5 की महायोजना 2021 हेतु चिन्हित भूमि का ग्रुप हाउसिंग के निर्माण की अनुमति

25-श्री जय प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विभाग की भू-उपयोग परिवर्तन निर्धारण की क्या नीति है, तथा हरित पट्टी के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु क्या शुल्क निर्धारित है ? क्या सरकार को जानकारी है कि गाजियाबाद व नोएडा क्षेत्र में 2.5 एफ0ए0आर0 ग्रुप हाउसिंग में सःशुल्क अनुमन्य किया गया था ? यदि हां, तो क्या ऐसे भूखण्डों का अभी तक बढ़े हुये एफ0ए0आर0 (फलोवर एरिया रेशियो) के शुल्क का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गाजियाबाद के वसुन्धरा योजना, सेक्टर-5 में स्वास्थ्य सेवायें व हरित पट्टी हेतु आरक्षित भूमि को ग्रुप हाउसिंग (आवासीय) में निःशुल्क भू-उपयोग परिवर्तन किस नीति के अन्तर्गत किया गया है।

श्री अखिलेश यादव-

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के प्राविधानाप्तर्गत किसी भी नगर की महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जाती है।

हरित पट्टी भू-उपयोग वर्गीकृत नहीं है, किन्तु इसे कृषि/मनोरंजन उपयोग सहित भू-उपयोग के अन्तर्गत माना जाता है इस हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-204/8-3-09-26 एल.यू.सी/91 दिनांक 21.1.2010 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार, विकास प्राधिकरण/ आवास एवं विकास परिषद् के क्षेत्रान्र्गत स्थित कालोनियों में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राधिकरण/परिषद् द्वारा निर्धारित सेक्टर दरों पर लिया जाता है।

जी हाँ।

नोएडा क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों हेतु अधिकतम एफ.ए.आर. 275 अनुमन्य है।

जी हाँ।

गाजियाबाद के वसुन्धरा योजना सेक्टर-5 में स्थित 12721 एकड़ भूमि जो मूल अनुबन्ध में स्वास्थ्य सेवायें व हरित पट्टी हेतु प्रस्तावित थी, गाजियाबाद महायोजना-2021 में उक्त, भूमि आवासीय भूमि उपयोग के रूप में चिन्हित होने के कारण तथा सम्बन्धित संस्था के अनुरोध पर कतिपय शर्तों के अधीन ग्रुप हाउसिंग के निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है।

जनपद गोरखपुर में चौरी-चौरा रेलवे स्टेशन के पूरब व पश्चिम भाग में उपरिगामी पुल निर्माण कराये जाने की मांग

26-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर में चौरी-चौरा रेलवे स्टेशन के पूरब व पश्चिम भाग में उपरिगामी पुल न होने के कारण निजी वाहनों के आवागमन में काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार चौरी-चौरा के वृहद् बाजार को देखते हुये उपरिगामी पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गो के पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

27-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर में फुटहवा इनार से सोनबरसा बाजार व मोतीराम अड्डा से कुसम्ही बाजार तक सड़क मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के गन्ना किसानों का वित्तीय वर्ष के बकाये के भुगतान की जानकारी

28-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरैया शुगर मिल्स सरदारनगर, जनपद-गोरखपुर के गन्ना किसानों का गत वित्तीय वर्ष बकाये का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किसानों के बकाये का भुगतान कब करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 5-06-2012 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2011-12 में सरैया शुगर मिल्स लि0 सरदारनगर जनपद-गोरखपुर पर गन्ना मूल्य भुगतान हेतु धनराशि रु0 481.38 लाख अवशेष है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 9360/2012 में निर्णय दिनांक 20-04-2012 द्वारा पेराई सत्र 2011-12 के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तीन किश्तों में यथा प्रथम किश्त 07 मई, 2012 द्वितीय किश्त 07 जून, 2012 तथा तृतीय किश्त 07 जुलाई 2012 तक किये जाने के निर्देश दिए गये हैं। उक्त निर्देश के अनुपालन में चीनी मिलों से भुगतान कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद आगरा के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गो की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

29-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के अन्तर्गत जगनेर रोड, अजीजपुर से सोहलो फाटक तक, जगनेर रोड अजीजपुर से टपरा, नैनाना वाहमण, ग्वालियर रोड तक, कलाल खेरिया चौराहा से लकावली, वगदा वाया समसाबाद रोड तक, फतेहाबाद रोड से वमरोली कटारा नगला सवला चौराहा तक तथा कलाल खेदिया से कुआ खेड़ा महुआ खेड़ा, वाया नगला सवला तक की सड़कें गड्ढ़ायुक्त एवं जर्जर है जिससे आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उक्त मार्गो के आबादी भाग में मकान, मार्ग की सतह से ऊँचे हैं। मकानों के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण पानी मार्गों की सतह पर एकत्रित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप ये मार्ग आबादी भागों में क्षतिग्रस्त हैं।

उक्त मार्गों की मरम्मत/निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के प्रयागपुर बघेल ताल को पक्षी बिहार के रूप में विकसित किये जाने की मांग

30-श्री मुकेश श्रीवास्ताव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के प्रयागपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित बघेल ताल को सरकार पक्षी विहार के रूप में विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। जनपद बहराइच में स्थित बघेल ताल में पक्षियों एवं जैवविविधता का संरक्षण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वन्य जीव विहार की परिधि में लाए बिना भी किया जा रहा है। इसके लिए इसे राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम में वर्ष 2008-09 में शामिल कर क्षेत्र में संरक्षण एवं प्राकृतवास प्रबन्धन का कार्य किया जा रहा है।

जनपद बहराइच के हास्पिटल चौराहा एवं सिविल लाइन में दो 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र की स्वीकृति व निर्माण

31-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच जनपद के कैसरगंज तथा सदर तहसील में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार हेतु विद्युत सब स्टेशन बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बहराइच के अन्तर्गत कैसरगंज तहसील में वर्तमान में सब-स्टेशन स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तहसील सदर जनपद बहराइच में वर्ष 2012-13 के बिजनेस प्लान के अन्तर्गत हास्पिटल चौराहा एवं सिविल लाइन में दो 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं जिनके निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत टी0एस0 तटबन्ध के मरम्मत व व्यय धनराशि

32-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा बैरिया जनपद बलिया अन्तर्गत टी0एस0 बंधा किलो0 संख्या-65 से 70 तक की मरम्मत पर कितनी धनराशि वर्ष 2005 से मई,

2012 तक खर्च की गयी ? यदि हां, तो क्या मरम्मत का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी, यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विधान सभा बैरिया बलिया के अर्न्तगत टी.एस. तटबंध (तुर्तीपार-श्रीनगर तटबंध) के कि0मी0 65.00 से 70.00 तक की मरम्मत पर वर्ष 2005 से मई, 2012 तक कुल धनराशि रु0 1,46,55,444.00 (रुपये एक करोड़ छियालीस लाख पचपन हजार चार सौ चौवालिस मात्र) व्यय की गयी।

उपरोक्त वर्णित व्यय धनराशि के सापेक्ष मरम्मत कार्य पूर्ण हो गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सुरेमनपुर गोपालपुर मार्ग पर बालकदास बाबा सेतु के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

33-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत सुरेमनपुर-गोपालनगर मार्ग पर बालकदास बाबा सेतु का निर्माण कब हुआ था तथा उक्त सेतु कितनी लागत का बना था, क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त पुल व अप्रोच मार्ग के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेतु की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उक्त सेतु का निर्माण जून,2011 में हुआ था तथा सेतु रु0 186.30 लाख की लागत का बना था।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उ0प्र0 सुल्तानपुर के बी0आर0 वर्मा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

34-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरित क्रान्ति योजना के तहत सुल्तानपुर जनपद में 115 निर्बल सहकारी समितियों को संचालन करने हेतु वर्ष 2011-12 में प्रति समिति दो-दो लाख रुपया अनुदान की धनराशि प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो ए0आर0

द्वारा 46 सहकारी समितियों को संचालित न करके धन विभाग को वापस कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी ए0आर0 को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

40 सहकारी समितियों को संचालित कराया जाना सम्भव न हो पाने के कारण इस धनराशि से कुशीनगर जनपद की 40 सहकारी समितियाँ संचालित करायी गयी।

आदेश सं0- 64/49-2-2012-145 (8)/2012, दिनांक 19-04-2012 द्वारा श्री बी0 आर0 वर्मा, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, सुल्तानपुर के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बी0 आर0 वर्मा, जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उ0प्र0 सुल्तानपुर के विरुद्ध जांच पर अन्तिम निर्णय की जानकारी

35-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहायक निबंधक सुल्तानपुर, जनपद सुल्तानपुर विगत दो वर्ष पूर्व गम्भीर घोटाले के आरोप में निलम्बित किये गये थे ? यदि हां, तो इनके निलम्बन पर जारी आरोप-पत्र पर अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

आदेश सं0- 247/49-2-2010-145(2)/2010, दिनांक 17-02-2010 द्वारा श्री बी0 आर0 वर्मा, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, सुल्तानपुर को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशानिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।

प्रशासनिक आधार पर समय-समय पर जांच अधिकारी बदले जाने के फलस्वरूप जांच अधिकारी से उनकी जांच आख्या प्राप्त न होने के कारण उनके जांच प्रकरण पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

जनपद गोरखपुर की नयी बस्ती-पादरी आदि बस्तियों में बांस के खम्भों के स्थान पर विद्युत आपूर्ति हेतु सीमेन्ट पोल लगाने की मांग

36-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद गोरखपुर की गोरखपुर शहर विधान सभा की सीमा अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों में बांस के खम्भों से विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा किन-किन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गयी है ? क्या सरकार बांस के

खम्भों के स्थान पर सीमेन्ट पोल से विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है यहां विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्ययोजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

नयी बस्ती-पादरी बाजार, सेमरा, वृन्दावन कालोनी जंगल नकहा नं01 तथा कजाकपुरा (रानीपुर) आदि में स्थानीय निवासियों द्वारा गलत तथ्य के आधार पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया है तथा अस्थायी लाइन को विस्तार करके संयोजन लिया गया है।

उपरोक्त नई बस्तियों के अवशेष भाग में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है।

जी नहीं।

आवासीय निर्माताओं द्वारा सोसाइटी के माध्यम से जमीन क्रेताओं को उपलब्ध करा दी जाती है, किन्तु विद्युत विकास कार्यों हेतु कोई धन कारपोरेशन को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जबकि विकासकर्ता का यह दायित्व है कि वे विकसित की जाने वाली कालोनियों में विद्युत पोल व तार लगाये जाने की व्यवस्था करें।

जनपद मेरठ में लो वोल्टेज की समस्या हेतु नये परिवर्तक स्थापित करना एवं क्षमता वृद्धि करने की योजना

37- श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ को कुल-425 विद्युत परिवर्तक की मांग की आपूर्ति नहीं होने के कारण लो-वोल्टेज एवं विद्युत फाल्ट की समस्यायें आ रही है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत परिवर्तकों की सप्लाई कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद में विभिन्न क्षमता के कुल 17944 नग परिवर्तक स्थापित है। समय-समय पर जिन स्थानों पर क्षमता वृद्धि की आवश्यकता होती है तथा जिन क्षेत्रों में लो-वोल्टेज की समस्या होती है, वहाँ नये परिवर्तक स्थापित करने एवं क्षमता वृद्धि करने की योजना बिजनेस प्लान 2012-13 के अन्तर्गत प्रचलन में है।

जनपद मुरादाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांठ में एण्टी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग

38-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0एच0सी0 कांठ मुरादाबाद को प्रति माह आवश्यकता के अनुरूप एंटी रैबीज इन्जेक्शन

उपलब्ध न होने के कारण गरीब व्यक्ति एंटी रेबीज इन्जेक्शन नहीं लगवा पा रहे है ? यदि हां, तो क्या सरकार पी0एच0सी0 कांठ मुरादाबाद को प्रति माह 300 एंटी रैबीज इन्जेक्शन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नही।

आवश्यतानुसार एण्टी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराये जाते है।

जनपद मुरादाबाद में वर्ष 2011-12 में कुल 9130 वायल एण्टी रेबीज इंजेक्शन की आपूर्ति की गयी, जिससे 565 वायल एण्टी रेबीज इंजेक्शन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांठ, जनपद मुरादाबाद को उपलब्ध कराये गये। माह जून 2012 हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांठ, जनपद मुरादाबाद को 100 वायल (1000 डोज) एण्टी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गोमतीनगर, लखनऊ की कतिपय क्रिटिकल यूनिट में विशेष प्रशिक्षण कराकर ट्रेन्ड चिकित्सक नियुक्ति करने की मांग

39-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गोमती नगर, लखनऊ में आई0सी0यू0 कार्डियोलोजी, बालरोग, न्यूमैटालोजी एवं न्योमैटालाजी विभाग एवं वेन्टीलेटर क्रिटिकल यूनिट है ? यदि हां, तो उक्त विभागों में कितने एवं कौन-कौन ट्रेन्ड चिकित्सक है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विशेष प्रशिक्षण हेतु उनकी ट्रेनिंग करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

न्यूमैटालोजी एवं न्योमैटालाजी को छोड़कर अन्य यूनिट स्थापित हैं।

बालरोग विभाग में डा0 अभिषेक वर्मा, डा0 आर0के0मिश्रा, डा0 जी0एल0 अग्रवाल,डा0 विनोद कुमार,डा0 सुरभि सिंह, डा0 सुधीर श्रीवास्तव तथा वेन्टीलेटर क्रिटिकल केयर यूनिट में डा0 डी0एस0नेगी, डा0 एस0के0 सिंह, डा0 डी0के0 त्रिपाठी प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी/डिग्री की अर्हता रखने वाले चिकित्सक कार्यरत है। आई0सी0यू0 एवं कार्डियोलोजी विभाग में प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं है। एम0डी0 मेडिसिन अर्हता वाले विशेषज्ञों द्वारा कार्डियोलोजी विभाग में कार्य किया जा रहा है।

जी नहीं।

एम0डी0मेडिसिन अर्हता वाले विशेषज्ञों द्वारा कार्डियोलोजी विभाग में कार्य किया जा रहा है।

जनपद आगरा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु जलपूर्ति (पलरा) परियोजना के क्रियान्वयन की जानकारी

40-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु यमुना नदी पर बैराज निर्माण की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

नगर विकास विभाग द्वारा संचालित आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) परियोजना के क्रियान्वयन को देखते हुए आगरा बैराज के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

जनपद आगरा में 24 घन्टें विद्युत आपूर्ति की जानकारी

41-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा को 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति देने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हुए है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा में 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हाँ। वर्तमान में आगरा नगर को 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शहजंहापुर को विद्युत कटौती से मुक्त करने की मांग

42-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जिले विद्युत कटौती से मुक्त है तथा किन-किन कारणों से उन्हें कटौती मुक्त किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद में प्रदेश द्वारा निर्धारित घण्टों में विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ? क्या सरकार शाहजहांपुर को विद्युत कटौती से मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र आगरा तथा अन्य जनपदों यथा इटावा, मैनपुरी एवं कन्नौज में कटौती से मुक्त विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

यथा आवश्यकता।

यथा सम्भव शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

समय-समय पर विद्युत मांग के सापेक्ष उपलब्धता के आधार पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। यथा सम्भव निर्धारित शिड्यूल का पालन किया जाता है।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर की नहरों की सिल्ट सफाई करवाने की मांग

43-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर की शाखा नहरों उनके रजवाहों एवं अल्पिकाओं में छोर तक पानी पहुंचाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन सभी नहरों की सिल्ट सफाई करवायेगी ? यदि नहीं, हो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर स्थित नहरें बीसलपुर शाखा एवं निगोही शाखा के टेल पर स्थित होने के कारण उनमें छोर तक कम मात्रा में पानी की उपलब्धता हो पाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नहरों की सिल्ट सफाई कराए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 द्वारा निर्देश दे दिए गए है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच की कतिपय शुगर मिल में गन्ना वाहनों से हो रहे बाधित आवागमन को दूर करने की मांग

44-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद की सिम्भावली शुगर मिल्स लि0 चिलवरिया तथा पारले शुगर मिल्स परेसेंन्डी द्वारा गन्ना वाहनों को सड़क पर खड़ा कराकर आवगमन बाधित किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन फैक्ट्रियों को आवागमन बाधित न करने हेतु निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दोनों चीनी मिलों के पास गन्ने के वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त केन यार्ड की व्यवस्था है। कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों में चीनी मिलों में होने वाली यान्त्रिक खराबी (ब्रेक डाउन) या सत्र के दौरान पड़ने वाले त्योहारों के बाद गन्ने की आपूर्ति बढ़ जाने की स्थिति में केन यार्ड के बाहर सड़क के किनारे कतार में गन्ने से भरे वाहनों को खड़ा कराया जाता है, परन्तु किसी भी प्रकार के आवागमन में बाधा नहीं आने पाती है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में निर्देशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम ठिकरा से तिडलक तक नाला खुदवाने की मांग

45-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर के ग्राम ठिकरा से तिडलक तक ग्रामों में बरसात के मौसम में नाला न खुदने के कारण सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल भराव को रोकने के लिये ग्राम ठिकरा से तिडलक तक नाला खुदवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

सर्वेक्षण के उपरान्त विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के मोहम्मदी कस्बा के बराबर मार्ग हाइवे जोड़ने वाले मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी

46-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी कस्बा के बराबर मार्ग हाइवे जोड़ने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्विपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

मार्ग के मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व परसवां के गॉवों का विद्युतीकरण करने की मांग

47-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी व परसंवा में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण हो रहा है तथा कितने गांवों में विद्युतीकरण प्रस्तावित है ? क्या सरकार शेष गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में विकास खण्ड मोहम्मदी व परसंवा में ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य नहीं हो रहा है।

विकास खण्ड मोहम्मदी के 41 ग्राम एवं विकास खण्ड परसंवा के 70 ग्रामों के विद्युतीकरण की स्कीम राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (द्वितीय चरण) में स्वीकृत हो चुकी है।

जी नहीं। कोई राजस्व ग्राम अवशेष नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद खीरी के गन्ना मिल के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की जानकारी

48-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- खीरी के एरिया मिल, खमरिया से नव निर्मित पुल सरैया व नवरंगपुर पुल से होते हुये वाया-रायपुर-ईसानगर पम्प तक गन्ना मिल मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, मार्ग का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद में ग्राम अमीपुर के सामने नहर वाई के गन्दे नाले पर पुल निर्माण की जानकारी

49-श्री सुदेश शर्मा

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद में ग्राम अमीपुर के सामने नहर वाई का गन्दा नाला जो मुकीमपुर-अमीपुर नगोला-सरावा होते हुये खरखौदा को जोड़ता है पर पुल न होने से जनता को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्दे नाले पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के मोदी शुगर मिल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने की जानकारी

50-श्री सुदेश शर्मा

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद-गाजियाबाद के मोदी शुगर मिल द्वारा सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार तीन किश्तों में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भुगतान में किये जा रहे विलम्ब के लिये दोषी मोदी शुगर मिल के खिलाफ कार्यवाही कर गन्ना किसानों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पेराई सत्र 2011-12 के अवशेष गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-9360/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 20-04-2012 द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तीन किश्तों में यथा प्रथम किश्त 07 मई 2012, द्वितीय किश्त 07 जून 2012 तथा तृतीय किश्त 07 जुलाई 2012 तक किया जाना है।

पेराई सत्र 2011-12 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-9360/2012 मे मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 20-04-2012 के क्रम में मोदी शुगर मिल द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू. 2442.60 लाख के सापेक्ष धनराशि रू. 534.96 लाख का भुगतान किया गया है।

सम्बन्धित चीनी मिल को अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान मा0 उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत कर तत्काल भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र के कतिपय नहरों की सिल्ट सफाई कराये जाने के निर्देश

51- श्री सुदेश शर्मा

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में सिंचाई राजवाहा चकभोला, राजवाहा पूट, राजवाहा जलालाबाद एवं राजवाहा टीकरी में सिल्ट होने के कारण उक्त राजवाहों से हेड से टेल तक पानी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजवाहों को सिल्ट से मुक्त कराकर हेड से टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव

जी नहीं।

प्रदेश मे नहरों की सिल्ट सफाई कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 द्वारा निर्देश दे दिए गए है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में नाहली ग्राम के क्षतिग्रस्त पुल के मरम्मत की मांग

52-श्री सुदेश शर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में नाहली ग्राम का पुल क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

आकलन बनाया गया है। नियमानुसार दैवी आपदा राहत फण्ड में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर के ग्राम विद्यापुर आदि पर निर्गत क्षतिग्रस्त पुल के मरम्मत की मांग

53-श्री सुदेश शर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में ग्राम विद्यापुर, शाहजहांपुर, भटजन, तलहेटा मुरादाबाद भदारी पर पूर्व निर्मित पुल क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

आकलन बनाया गया है। नियमानुसार दैवी आपदा राहत फण्ड में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में एक समान शैक्षिणिक कैलेण्डर लागू किये जाने की मांग

54-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के इन्जीनियरिंग कालेजों में एक समान शैक्षिणिक कैलेण्डर लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में दो प्राविधिक विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोएडा स्थापित हैं। दोनों प्राविधिक विश्वविद्यालयों द्वारा अपने से सम्बद्ध कालेजों में अपने शैक्षिणिक कैलेण्डर लागू किये गये हैं।

सभी इंजीनियरिंग कालेजों में एक समान शैक्षणिक कैलेण्डर लागू किये जाने का प्रकरण अभी शासन में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का विवरण

55-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के इन्जीनियरिंग कालेजों में दलित एवं पिछड़े वर्ग के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि उपलब्ध कराने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के उन छात्रों को समाज कल्याण विभाग के स्तर से छात्रवृत्ति की धनराशि उपलब्ध कराने की योजना है जिनके पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2.00 लाख से अधिक न हो। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग के उन छात्र/छात्राओं जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु0 1.00 लाख तक है, को छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्तर से प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद की हिण्डन पर नये पुल के निर्माण की जानकारी

56-श्री अमर पाल शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग पर गाजियाबाद में हिन्डन नदी पर पुल के सकरे होने के कारण पुराने पुल पर जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो सरकार जाम को दृष्टिगत रखते हुए गाजियाबाद में हिन्डन नदी पर नये पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

गाजियाबाद में हिण्डन नदी पर पुल के सकरा होने के कारण सुबह-शाम कुछ समय के लिये जाम लग जाता है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हिण्डन नदी पर एक नये पुल का निर्माण कराया जा रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपर गाजियाबाद में एन0 एच0 24 व एन0 एच0 58 के चौड़ीकरण कराये जाने की जानकारी

57-श्री अमर पाल शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद की सीमा के अन्तर्गत एन0 एच0 24 और एन0 एच0 58 के चौड़ीकरण की कोई योजना है ? यदि हां, तो इन राष्ट्रीय मार्गों का चौड़ीकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे योजना में गाजियाबाद की सीमा में एन0एच-24 व एन0एच0-58 के चौड़ीकरण का कार्य सम्मिलित है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चौड़ीकरण कार्य किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु डबल ग्रुप विद्युत सप्लाई की मांग

58-श्री महावीर सिंह राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में एक ही बिजली की लाईन पर विद्युत उपकेन्द्र होने के कारण 3-4 घन्टें ही विद्युत सप्लाई हो पाती है ? क्या सरकार को जानकारी है कि पहाड़ी इलाका होने के कारण वर्ष 2005 से इस क्षेत्र में डबल ग्रुप विद्युत सप्लाई होती थी जिससे 6 से 8 घन्टे विद्युत पेयजल के नलकूपों के लिये मिल जाती थी ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु पूर्व की भांति डबल ग्रुप सप्लाई करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बेहट को दो ग्रुपों में बांटते हुए प्रतिदिन ग्रुप-(अ) को 22 बजे से 08 बजे तक एवं ग्रुप-(ब) 8 बजे से 18 बजे तक (कुल 10 घन्टें) विद्युत आपूर्ति आदेशित है। स्थानीय व्यवधान के कारण कभी-कभी विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिसे दूर कराकर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर की छितौनी बन्द चीनी मिल को चालू करवाने की मांग

59-श्री विजय कुमार दूबे-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010-11 में जनपद कुशीनगर के छितौनी चीनी मिल की बिक्री सर्किल रेट से काफी कम दर पर ओंकारा प्राइवेट लि0 को की गयी थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चीनी मिल की जमीन, भवन, कल पुर्जों को कितने में बेचा गया ? क्या सरकार खरीद-बिक्री के अनियमितता/घोटाले की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार की जनहित में पुनः बन्द पड़े छितौनी चीनी मिल को चलवाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अवस्थापना विभाग द्वारा निर्गत विनिवेश सम्बन्धी दिशा निर्देशों में दी गई व्यवस्था के अनुसार दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन कराते हुए एक्सपेक्टेड प्राइस का निर्धारण कर चीनी मिल का विक्रय किया गया है

छितौनी चीनी मिल का विक्रय रु0 3.60 करोड़ में किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

छितौनी चीनी मिल का निजीकरण होने के कारण इस चीनी मिल को चलवाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

60-श्री वीरपाल राठी-[4थे मंगलवार के अतांराकित प्रश्न सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के गांव पटनियां को देवहा नदी के कटान से बचाने की मांग

61-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के गांव पटनियां हेतु वर्ष 2007 से 30 अप्रैल, 2012 तक नदी देवहा के कटान से बचाव के लिए कौन-कौन परियोजनायें स्वीकृत हुई ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऐसी सभी परियोजनाओं हेतु/कितना धन स्वीकृत हुआ और क्या परियोजनायें पूर्णरूपेण क्रियान्वित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्ष 2007 से 30 अप्रैल, 2012 तक कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में गुमटी नं0-5 से आई0आई0टी0 तक रेलवे क्रासिंग तक लगने वाले जाम से निजात दिलाने हेतु उपरिगामी सेतु बनवाने की मांग

62-श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकट'-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में गुमटी नं0-5 से आई0आई0टी0 तक रेलवे क्रासिंग तथा यातायात का भारी दबाव होने के कारण भीषण जाम लगा रहता है ? क्या सरकार की जानकारी में यह भी है कि इस क्षेत्र में हृदय रोग संस्थान, जे0के0 कैंसर हास्पिटल, आई0आई0टी0, मेडिकल कालेज, एन0एस0आई0 तथा छत्रपति शाहूजी महराज विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठान भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के यातायात को सुगम बनाने तथा जाम से निजात दिलाने हेतु गुमटी नं0-5 से आई0आई0टी तक एक उपरिगामी सेतु बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान में उक्त क्षेत्र में उपरिगामी सेतु निर्माण की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अनेकों राजस्व गांवों में निर्मित सरकारी गोदामों को हस्तगत कर संचालित करने की मांग

63-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव चौखण्डी, गुलैन्दा, गौटिया, चांदपुर आदि राजस्व गांव में निर्मित सरकारी गोदामों को क्या हस्तगत कर दिया गया है ? यदि हां, तो सहकारिता विभाग द्वारा उन्हें अभी तक संचालित क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार इन्हें संचालित कराने हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

राजस्व ग्राम चौखण्डी में साधन सहकारी समिति लि0, खाण्डेपुर, राजस्व ग्राम गुलैन्दा गौटिया में किसान सेवा सहकारी समिति लि0, बीसलपुर ग्यासपुर एवं राजस्व ग्राम चाँदपुर में साधन सहकारी समिति लि0, सिधौराखरगपुर समितियों के गोदाम एवं कार्यालय संचालित हो रहे हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बरेली के अन्तर्गत इज्जतनगर से बहेड़ी तक नैनीताल जाने वाले मुख्य मार्ग को 2 लेन व 4 लेन बनाये जाने की योजना

64-डा0 अरूण कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के अन्तर्गत इज्जतनगर से बहेड़ी तक राजमार्ग (नैनीताल रोड) रेलवे क्रासिंग कुदेसिया से बहेड़ी तक जो नैनीताल जाने का मुख्य मार्ग है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग को 2 लेन से 4 लेन बनाये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा योजना तैयार की गयी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार

जनपद महाराजगंज में तिलवकनियां से बिरैचा तक छोटी गण्डक नदी की बाढ़ से हो रहे कटान को बचाने की योजना

65-श्री सुदामा प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज में तिलवकनियां से बिरैचा तक छोटी गण्डक नदी की बाढ़ से कृषि योग्य भूमि में प्रति वर्ष कटान होती है ? यदि हां तो क्या सरकार कटान रोकने हेतु कोई कार्ययोजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

बाढ़ से बचाव के लिये प्रदेश में एक समग्र बाढ़ प्रबन्धन योजना बनायी जा रही है।

जनपद महाराजगंज के बौद्धपरिपथ के अन्तर्गत घुघुली से शिकारपुरवा आदि तक सड़क निर्माण की योजना के स्वीकृत होने की जानकारी

66-श्री सुदामा प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बौद्धपरिपथ के अन्तर्गत जनपद महराजगंज, में घुघुली से शिकारपुरवा सेन्दुरिया से झझनपुर होते हुए रामग्राम देवदह होते हुए लुम्बिनी सड़क निर्माण हेतु कोई परियोजना बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पर्यटन विभाग द्वारा परियोजना का आगणन मांगा गया था, जिसके क्रम में इस मार्ग का आगणन गठित कर पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

यह योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित रोगियों के उपचार की व्यवस्था

67-श्री सुदामा प्रसाद-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट में मस्तिष्क ज्वर से हो रही मौतों को रोकने हेतु गोरखपुर मेडिकल कालेज में अलग से विभाग की स्थापना किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

पूर्वी उत्तर प्रदेश मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित रोगियों के उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से 100 शैय्यायुक्त आई0सी0यू0 वार्ड का निर्माण स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त 09 जनपद गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं जिला चिकित्सालय एवं ओपेक चिकित्सालय कैली बस्ती में 10 शैय्यायुक्त आई0सी0यू0 की स्थापना की कार्यवाही प्रस्तावित है, जिससे तराई क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित रोगियों को उपचार की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के वन क्षेत्र पकड़ी व चौक रेन्ज के किनारे रहने वाले किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने की मांग

68-श्री सुदामा प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के वन क्षेत्र पकड़ी व चौक रेन्ज के किनारे रहने वाले कृषकों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा नष्ट कर दिया

जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु वन रेन्ज के किनारे तारों की बाड़ लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत वन क्षेत्र अभ्यारण्य में स्थित होने के कारण यदाकदा समीपस्थ कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की घटना प्रकाश में आती है।

तारबाड़ से वन्य जीव के स्वच्छन्द विचरण की प्रकृति पर प्रतिबन्ध लगने के कारण तारों का बाड़ लगवाना व्यवहारिक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नहरों की सिल्ट सफाई, कराये जाने के निर्देश

69-श्री सुदामा प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज में नहरों में काफी सिल्ट जमा होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंचता है जिससे सिंचाई प्रभावित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद महराजगंज की सभी नहरों की सिल्ट सफाई करायेगी ? यदि हां ? तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रदेश में नहरों की सिल्ट सफाई कराए जाने हेतु शासनादेश दिनांक, 08 मई, 2012 द्वारा निर्देश दे दिए गए है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

महराजगंज में रोहनी नदी व बी गैप पर हेड आदि बनवाने मरम्मत हेतु सिंचाई खण्ड प्रथम एवं द्वितीय द्वारा कराये गये कार्यों आदि की जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

70-श्री सुदामा प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में रोहनी नदी व बीगैप पर हेड आदि बनाने एवं मरम्मत हेतु सिंचाई खण्ड प्रथम और द्वितीय महराजगंज द्वारा वर्ष 2007 से 2011 के मध्य कार्यों पर लगभग 16 करोड़ रु0 से अधिक खर्च किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त योजना में मानक के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराये गये हैं तथा बिना निविदा व बिना अनुबन्ध के पत्थरों की सप्लाई की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। उक्त अवधि में सिंचाई खण्ड-प्रथम एवं द्वितीय, महराजगंज द्वारा कुल रु0 14.125 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी है।

मानक के अनुसार निर्माण कार्य न कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। निविदा आमंत्रित किये बिना आपूर्ति आदेश के माध्यम से पत्थरों की सप्लाई लिये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है।

प्रकाश में आयी अनियमिताओं की जांच टी0ए0सी0 से करायी गयी और जांचोपरान्त उत्तरदायी पाये गये 01 अधीक्षण अभियन्ता, 01 अधिशासी अभियन्ता एवं 03 सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही का निर्णय लिया जा चुका है। कार्य से सम्बन्धित समस्त अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के पश्चिमी स्थित सरकारी चेहरी फार्म की भूमि पर चीनी मिल के स्थापना की मांग

71-श्री सुदामा प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली बसपा सरकार में घुघली गन्ना चीनी मिल बेच दी गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त मिल के बिक जाने के बाद जनपद महराजगंज में कोई गन्ना चीनी मिल न होने के कारण क्षेत्र के गन्ना कृषकों को अपना गन्ना दूसरे क्षेत्रों में ले जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद महराजगंज के पश्चिम स्थित सरकारी चेहरी फार्म की लगभग 700 एकड़ जमीन में कोई चीनी मिल की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

महराजगंज जनपद के गन्ना क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता की चीनी मिले स्थापित हैं एवं मिल के विक्रय किये जाने पर क्षेत्र के गन्ना कृषकों को गन्ने की पेराई हेतु किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा।

जी नहीं।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गाजियाबाद एन0एच0 58 मार्ग मेरठ के परतापुर से दिल्ली मार्ग को चौड़ीकरण करने की जानकारी

72-श्री रविन्द्र भड़ाना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद के नेशनल हाईवे डिवीजन गाजियाबाद एन0एच0 58 मार्ग मेरठ के परतापुर से दिल्ली का मार्ग अत्यन्त संकरा

होने के कारण घन्टों जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद मेरठ के परतापुर से दिल्ली तक राष्ट्रीय मार्ग-58 चार लेन चौड़ा है एवं बीच में डिवाइडर बना हुआ है। इस भाग में स्थित आबादियों में यदाकदा जाम की स्थिति कुछ समय के लिये रहती है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित दिल्ली-मेरठ मार्ग एक्सप्रेस वे योजना में राष्ट्रीय मार्ग-58 के परतापुर से दिल्ली तक भाग चौड़ीकरण सम्मिलित है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चौड़ीकरण कार्य किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में महायोजना 2021 में प्रस्तावित इनर रिंग रोड तथा आउटर रिंग रोड के निर्माण कार्य कराये जाने की जानकारी

73-श्री रविन्द्र भड़ाना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में महायोजना 21 में प्रस्तावित इनर रिंग रोड तथा आउटर रिंग रोड का निर्माण कार्य करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मेरठ महायोजना-2021 में प्रस्तावित इनर रिंग रोड के निर्माण हेतु प्रथम चरण में गढ़ रोड से बागपत रोड तक कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 56.95 हेक्टेयर भूमि के अर्जन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे जिलाधिकारी मेरठ को भेजा जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात सड़क निर्माण हेतु भूमि उपशा (उ0प्र0 राज्य हाईवे अथोरिटी) को दिया जाना प्रस्तावित है।

आउटर रिंग रोड का निर्माण एन0एच0ए0आई0 के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ में हापुड़ रोड से दिल्ली रोड को मिलाने वाले बाईपास रोड को चौड़ीकरण करने की मांग

74-श्री रविन्द्र भड़ाना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले हापुड़ रोड़ से दिल्ली रोड को मिलाने वाले बाईपास का

अत्यधिक आवागमन के दबाव को देखते हुए इस मार्ग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 7.00 मीटर है। अतः चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ से बुलन्दशहर मार्ग का चौड़ीकरण व ग्राम फफूंडा नगर खरखौदा, हापुड गुलावटी के बाईपास बनाये जाने का प्रस्ताव

75-श्री रविन्द्र भड़ाना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ से बुलन्दशहर मार्ग का चौड़ीकरण करते हुए ग्राम फफून्डा, नगर खरखौदा आदि ग्रामों के बाई पास मार्ग बनाये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो कब तक इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य वी0ओ0टी0 पद्धति पर कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम फफूंडा, नगर खरखौदा, हापुड़ गुलावटी के बाईपास बनाया जाना सम्मिलित है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस कार्य हेतु अनुबन्ध गठित किया जा चुका है। कार्य माह अक्टूबर, 2012 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी मण्डलों में आवश्यकता के अनुसार अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी

76-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी मण्डलों में कितनी जनसंख्या पर सरकारी अस्पतालों में एक बेड औसतन उपलब्ध है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अधिकृत मानकों के अनुरूप कितने व्यक्ति पर एक बेड औसतन होना चाहिए ? क्या सरकार उक्त मण्डलों के अस्पतालों में अधिकृत मानक के अनुरूप बेडों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

कोई मानक निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ। आवश्कता के अनुसार बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में नहरों की सिल्ट सफाई कराये जाने के निर्देश

77-श्री विजय कुमार दुबे-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा में नहरों में सिल्ट जमाव एवं नहरों के रख-रखाव के अभाव में रजवाहे एवं माइनरों में हेड से टेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार नहरों की मरम्मत एवं सिल्ट सफाई का कार्य बरसात से पहले करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रदेश में नहरों की सिल्ट सफाई कराए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 08 मई, 2012 द्वारा निर्देश दे दिए गये है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

78-श्री विजय कुमार दुबे-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुशीनगर जनपद के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के कितने टोले एवं मजरे अभी भी विद्युतीकरण से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टोलों एवं मजरों में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में कुल 372 मजरे विद्युतीकरण हेतु अवशेष हैं।

372 मजरों में से 300 या इससे अधिक आबादी वाले 242 नग मजरों का विद्युतीकरण, राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित है। शेष 130 मजरों के विद्युतीकरण हेतु कोई योजना नहीं है।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् 242 ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर की गण्डक नदी के बन्धे के बचाव हेतु कार्ययोजना

79-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही राज में स्थित ए0पी0 तटबन्ध पर पिछले साल भारी तबाही हुई थी? क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष शुरूआती दौर में ही ए0पी0 तटबन्ध पर स्थित 1.6 से लेकर 2.14 तक नदी बन्धे से टकरा रही है तथा ए0पी0 तटबन्ध का एक्सटेंशन नरवा जोत बंधा 800 मी0 पर पूर्व का बना स्पर 80 मी0 कट चुका है और किमी0 800 से लेकर किमी0 1.5 तक नदी बंधे से सटकर बह रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बरसात से पूर्व बन्धे के बचाव हेतु कोई ठोस कदम उठाने हेतु कार्ययोजना बनायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। वर्ष 2011 की बाढ़ के समय गण्डक नदी का प्रवाह ए0पी0 तटबंध पर लम्बवत दिशा में केन्द्रित हो जाने के कारण अतिसंवेदनशील परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करके तत्काल नियंत्रित कर लिया गया था।

जी हाँ।

माह अक्टूबर 2011 में गण्डक उच्च स्तरीय स्थाई समिति पटना द्वारा स्थल के निरीक्षण के उपरान्त किमी0 1.600 से 1.800 के मध्य रिवेटमेंट तथा किमी0 1.900 पर स्थित स्पर के नोज के पुनर्स्थापना के कार्य की संस्तुति की गई। इस कार्य हेतु लागत रु0 611.22 लाख की अनुमोदित परियोजना के सापेक्ष रु0 600.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

नरवाजोत तटबंध के किमी0 1.00 एवं 1.5 पर स्थित स्पर वर्ष 2011 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए है जिनकी पुनर्स्थापना हेतु रू0 416.17 लाख लागत की परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24.5.12 द्वारा संस्तुत की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के सलेमगढ़, बहादुरपुर, खानगी, समऊर के अस्पतालों में मानक के अनुसार चिकित्सक व स्टाफ के तैनाती की मांग

80-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र सेवरही का नाम सी0एच0सी0 है परन्तु इसकी सुविधा उप पी0एच0सी0 का है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सलेमगढ़, बहादुरपुर, खानगी, समऊर में अस्पताल के नाम पर बड़े भवन निर्मित है, परन्तु वहाँ कर्मचारियों की

नियुक्ति नहीं है? यदि हाँ, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवरही को सी0एच0सी0 का दर्जा प्रदान करते हुए सलेमगढ़, बहादुरपुर, खानगी, समऊर के अस्पतालों में मानक के अनुसार चिकित्सक व स्टाफ की तैनाती करेगी? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेवरही स्थापित एवं क्रियाशील है तथा सी0एच0सी0 की सुविधा उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सलेमगढ़, खानगी एवं समऊर में स्वीकृत पदों पर चिकित्सक व कर्मचारी तैनात है। बहादुरपुर में कर्मी कम है जिन पर उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी। सेवरही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से ही स्थापित व क्रियाशील है तथा सी0एच0सी0 का दर्जा प्राप्त है। केन्द्रों के रिक्त पदों पर कार्मिकों की उपलब्धता पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत आने वाले नलों के पानी पीने योग्य होने की जांच

81-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत पानी बहुत दूषित होने के क्या कारण ग्राम ढायकी नवाजपुर घाटमपुर, दूधला, कुण्डाकला आदि ग्रामों में हार्ट अटैक, पीलिया, कैंसर व बुखार जैसी घातक बीमारियां फैल रही है ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किये जा रहे है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

विधान सभा गंगोह के अन्तर्गत आने वाले अधिकतर ग्रामों के पानी के नमूने के 57 सैम्पल एकत्रित कर राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ को जाँच हेतु भेजे गयें। परिणाम में पाया गया कि अधिकतर नालों का पानी पीने योग्य है मात्र 2 नलों का का पानी पीने योग्य नहीं है, जिसके संबंध में उक्त नल का पानी पीने में प्रयोग न करने के निर्देश दे दिये गये है इनमें ग्राम ढायकी में जल निगम द्वारा 04, प्रदूषण विभाग द्वारा 04 एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 03 कुल 11 जल के नमूने लिये गये हैं तथा कुण्डाकला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 03 तथा आस-पास कें ग्रामों के 12 जल के नमूने लेकर राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0 लखनऊ जाँच

हेतु भेजे गये, जिनमें मात्र 2 नलों का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। जल की जाँच में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे कि कैंसर का रोग फैलता हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ से बचाव के लिये प्रदेश में समग्र बाढ़ योजना

82-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गंगोह जनपद सहारनपुर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बाढ़ को रोकने के लिए ठोकरे बनाने हेतु कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

बाढ़ से बचाव के लिये प्रदेश में एक समग्र बाढ़ प्रबन्धन योजना बनायी जा रही है।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह में विद्युत की आपूर्ति 20 घन्टे करने की मांग

83-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह में बिजली की आपूर्ति बहुत कम होने के कारण क्षेत्रवासी धरने व प्रदर्शन करते रहते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षेत्र के लिए बिजली की उपलब्धता 18 से 20 घन्टे सुनिश्चित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र गंगोह को 10 घन्टे साप्ताहिक अदल-बदलकर विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

यदा-कदा आपूर्ति में व्यवधान के कारण धरने एवं प्रदर्शन की स्थति उत्पन्न होती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी होने के कारण इससे अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

जनपद बहराइच में सिम्भावली शुगर मिल्स लिमिटेड चिलवरिया तथा पारले शुगर फैक्ट्री द्वारा विद्युत उत्पादन व आपूर्ति की जानकारी

84-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में स्थित सिम्भावली शुगर मिल्स लिमिटेड चिलवरिया तथा पारले शुगर फैक्ट्री परसेन्डी द्वारा विकास कार्यक्रमों हेतु रोड-

बिजली आदि से किन-किन गांवों को लाभान्वित किया गया है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गन्ना की ढुलाई हेतु सड़क को बनवाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

चीनी मिल सिम्भावली शुगर मिल्स लिमिटेड, चिलवरिया तथा पारले शुगर फैक्ट्री, परसेन्डी द्वारा विद्युत उत्पादन कर सीधे उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को आपूर्ति किया जाता है। पारले शुगर फैक्ट्री, परसेन्डी द्वारा रू0 5.00 लाख की धनराशि सड़क निर्माण हेतु वर्ष 2010-11 में गन्ना विकास परिषद् परसेन्डी को दिया गया।

गन्ने की ढुलाई के दृष्टिगत वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में 06 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है।

कृष्णा नदी पर पुल निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

85-श्री वीरपाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 01-05-2012 जो प्रश्नकर्ता के क्षेत्र ग्राम आसरा के पास से बहने वाली नदी (कृष्णा नदी) पर आवागमन हेतु पुल न होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी होने विषयक है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

उक्त प्रस्तावित सेतु स्थल के लगभग 5.00 कि0मी0 अप.स्ट्रीम में कृष्णा नदी पर ग्राम एलम भनेडा के निकट एक पक्का सेतु निर्मित है एवं लगभग 2.50 कि0मी0 डाउन.स्ट्रीम में कृष्णा नदी पर ग्राम दोघट सुजती के निकट भी एक पक्का सेतु निर्मित है। प्रश्नगत स्थल पर सेतु निर्माण फिजिबिल नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में 132 के0वी0 पावर हाउस के निर्माण की जानकारी

86-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर तहसील जलालाबाद में 132 के0वी0 का पावर हाउस लगने का प्रस्ताव स्वीकृत है ? यदि हां तो सरकार उक्त पावर हाउस का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

वर्तमान में जमीन उपलब्ध नहीं है तथा धन की व्यवस्था नहीं है। दोनों सुविधाएँ प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद की रामगंगा नदी पर बांध या ठोकरों के निर्माण कार्य का सर्वेक्षण

87-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत रामगंगा नदी में आने वाली बाढ़ से बचाव हेतु मौजमपुर के कुन्डरिया के बीच बांध या ठोकरों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त बांध कब तक बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रस्तावित योजना का सर्वेक्षण कार्य कराने के उपरान्त साध्य पाये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में निर्मित कोलाघाट पुल के नीचे दोनों तरफ कटान रोकने हेतु ठोकरों के निर्माण की मांग

88-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में निर्मित कोलघाट पुल के नीचे दोनों तरफ कटान रोकने हेतु ठोकरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त ठोकरों का निर्माण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

कार्य सिंचाई विभाग से संबंधित न होने के कारण।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के गुलड़िया ग्राम के निवासियों का विद्युत बिल माफ करने की मांग

89-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-जलालाबाद के गांव गुलड़िया वासियों को विगत 12 वर्षों से विद्युत सप्लाई न मिलने के बावजूद विद्युत बिल बकाया दिखाकर वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के बकायेदारों के सभी बिल माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ग्राम गुलड़िया, ब्लॉक-जलालाबाद की विद्युत आपूर्ति ग्राम नयागांव में रखे 25 के0वी0ए0 परिवर्तक से एल0टी0 लाईन बनाकर की जा रही है। नयागांव एवं गुलड़िया ग्राम के निवासियों के मध्य आपसी विवाद के कारण गुलड़िया व नयागांव के बीच की एल0टी0 लाईन के 8 नग पी0सी0सी0 पोल तोड़ दिये गये थे, जिसके कारण गुलड़िया ग्राम की विद्युत आपूर्ति बाधित चली आ रही है। ग्राम गुलड़िया में 23 विद्युत संयोजन थे, जिन पर वर्तमान में कुल रुपये 8,47,141.00 की धनराशि बकाया दर्शित है, किन्तु उपभोक्ताओं से बिल की वसूली नहीं की गयी है।

बिलों की वसूली तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गयी है। जांच कर नियमानुसार केवल बिजली उपभोग/आपूर्ति अवधि का ही संशोधित बिल भेजकर वसूली की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के चौरा-चौरी के गोहटा बांध पर रेगूलेटर रैम्प के उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही

90-श्री जय प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के चौरा-चौरी विधान सभा क्षेत्र में गोहटा बांध पर रेगूलेटर रैम्प को नीचे दबा दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार दायित्वों का निर्धारण करते हुये रेगुलेटर रैम्प ठीक करायेगी ? यदि हो, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

प्रकरण पर लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ताओं की संयुक्त समिति जांच हेतु बनायी जा रही है। जांच उपरान्त उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सींच पर्यवेक्षकों की प्रोन्नति करने की मांग

91-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में कितने पद सींच पर्यवेक्षकों तथा जिलेदारों के रिक्त है ? क्या सरकार रिक्त पदों को सींचपाल से प्रोन्नत कर भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्तमान में सींच पर्यवेक्षक के कुल 302 पद रिक्त हैं, जिन्हें सींचपाल के विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। जिलेदार के कुल 234 पद रिक्त हैं, जिसमें से 58 पद सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा 176 पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाना है।

सींचपाल से केवल पदोन्नति के सींच पर्यपेक्षक के पद भरे जायेंगे। जिलेदार के पदोन्नति के पद, सींचपाल से नियमावली में प्राविधान न होने के कारण, नहीं भरा जायेगा।

सींच पर्यवेक्षक के पदोन्नति से भरे जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता (अधिष्ठान-6-अनुभाग) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 25 मई, 2012 को क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-3 द्वारा प्राइवेट वाहनों को विभाग में किराये पर लिये जाने की जांच व कार्यवाही

92-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-3, अमरोहा द्वारा अब तक उन प्राइवेट वाहनों को विभाग में किराये पर लिया गया है, जो टैक्सी में पंजीकृत ही नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जांच कराते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नही; तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए गए है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-3 अमरोहा द्वारा एच0आर0ए0 लिये जाने की जांच

93-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-3, अमरोहा द्वारा विगत दो वर्षों से, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-4 स्थित

आवासीय प्रांगण में दो-दो आवासों पर कब्जा किया गया है ? क्या यह भी सही है कि सरकारी आवास में रहने के बावजूद उनके द्वारा एच0आर0ए0 भी लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमितताओं के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

93-श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-3 अमरोहा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा झण्डारोहण न किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

94-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 15 अगस्त, 2011 को मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-3, अमरोहा के अधिशासी अभियन्ता के स्थान पर सहायक अभियन्ता श्री मनोज कुमार राव द्वारा झण्डारोहण किया गया था ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अधिशासी अभियन्ता उस दिन मुख्यालय पर थे अथवा नहीं ? क्या यह सही है कि उक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा कही अन्यत्र झण्डारोहण कार्यक्रम मनाने का प्रमाण-पत्र अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर, निर्माण खण्ड-3 अमरोहा उस दिन मुख्यालय पर उपस्थित नहीं थे।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई लि0 मोहउद्दीनपुर बन्द शुगर मिल को पुनः चलाये जाने की मांग

95-श्री रविन्द्र भड़ाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मेरठ, मेरठ दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई लि0 मोइउद्दीनपुर, शुगर मिल पिछले एक सत्र से बन्द है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त शुगर मिल को पूर्व सरकार

द्वारा बेचने के भी प्रयास किये गये परन्तु अनुबन्ध पूरा न होने के कारण न तो बेचा गया और न ही इसे चलाया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई लि0, मोइउद्दीनपुर मेरठ शुगर मिल को पुनः चलायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल को विक्रय करने का प्रयास किया गया परन्तु विक्रय प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। पेराई सत्र 2011-12 में इसे संचालित नहीं किया गया।

जी नहीं। इस मिल को चलाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

96-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बलिया के नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा में पर्यटन स्थल श्री नाथ बाबा के विकास की योजना

97-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा में पर्यटन स्थल श्री नाथ बाबा के प्रांगण की खाली पड़ी जमीन को अतिक्रमण से बचाने हेतु उसकी बाउण्ड्री निर्माण, जलाशय की सीढ़ियों की मरम्मत, रामलीला मैदान की जर्जर सीढ़ियों की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण की योजना पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ, जनपद बलिया के नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा में पर्यटन स्थल श्री नाथ बाबा के विकास के लिये वर्ष 2012-13 में जिला सेक्टर के अन्तर्गत योजना प्रस्तावित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-रसड़ा में अल्ट्रासाउन्ड लगवाने की मांग

98-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-रसड़ा में अल्ट्रासाउन्ड मशीन नही है ? यदि हां, तो क्या

सरकार इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा जनपद बलिया में अल्ट्रासाउण्ड मशीन की सुविधा के विषय पर वित्तीय प्राविधानों की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराने का परीक्षण किया जायेगा।

वित्तीय प्राविधानों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में रसड़ा के पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को समतलीकरण कर आवंटन करने की जानकारी

99-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के रसड़ा के नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रांगण में स्थित पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का समतलीकरण करके किसी को अनियमित रूप से आवंटित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवंटन निरस्त करके उसे खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। समतलीकरण का कार्य हुआ है, किन्तु किसी को अनियमित रूप से आवंटित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के गोवल नहर कोठी में चोरी हुए सामान के प्रकरण पर कार्यवाही

100-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत नहर विभाग की स्थापित कोठियों में से क्या करेली नहर कोठी पर पुलिस विभाग का कब्जा है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि गोवल नहर कोठी के सम्पूर्ण पेड़ों, भवन में प्रयुक्त चौखट, किवाड़, खिड़की, कड़ियां एवं भवन का मलवा तक गायब हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत करेली नहर कोठी में पुलिस चौकी स्थापित है।

गोवल नहर कोठी में वन निगम, पीलीभीत द्वारा 25 पेड़ों की नीलामी की गयी थी। 17 पेड़ों एवं लोहे के गर्डर के विभिन्न तिथियों में चोरी होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

थानाध्यक्ष बीसलपुर द्वारा प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है।

थानाध्यक्ष की रिपोर्ट के उपरान्त।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मेरठ के मोईद्दीनपुर से खरखौदा तक के मार्ग को चौड़ीकरण करने की मांग

101-श्री रविन्द्र भड़ाना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के मोईद्दीनपुर से खरखौदा तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराते हुये निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ, मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वर्तमान में मार्ग का चौड़ीकरण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ में ग्राम जुर्रानपुर फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाने हेतु भूमि का अधिग्रहण

102-श्री रविन्द्र भड़ाना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के मेरठ दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली बम्बा बाई पास पर स्थित ग्राम जुर्रानपुर फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

उपरिगामी सेतु के पहुँच मार्ग का सरेखण जिस भूमि में गुजरता है उस भूमि का अधिग्रहण मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। भूमि अधिग्रहीत हो जाने पर सेतु निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच में पयागपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विशेश्वरगंज की स्थापना तथा उसे क्रियाशील की कार्यवाही

103-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत कितने ऐसे सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के नव निर्मित भवन हैं जहां अभी तक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार उक्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में चिकित्सकों/स्टाफ की नियुक्ति कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विशेश्वरगंज है, जहाँ अभी तक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं है।

जी हां। शासनादेश दिनांक 21.06.2011 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विशेश्वरगंज की स्थापना की जा चुकी है तथा उसे क्रियाशील किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर नगर की सीमान्तर्गत क्षेत्रों के ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि की मांग

104-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के गोरखपुर नगर विधान सभा की सीमान्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्रों में क्षमता से कम स्तर के ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के कारण हमेशा ''लो वोल्टेज आपूर्ति'' रहती है? क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि करने के लिए कार्य योजना तैयार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

कोई नहीं।

जी नहीं।

गोरखपुर नगर विधान सभा की सीमान्तर्गत क्षेत्रों में समय-समय पर भार के अनुसार क्षमता वृद्धि की गयी है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने की मांग

105-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में पालीटेक्निक कालेज खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, हो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जिला मुख्यालय बहराइच में पूर्व से ही एक राजकीय पालीटेक्निक संचालित है। जनपद बहराइच के तहसील बहराइच के ग्राम कालेपुरवा में केन्द्रीय सहायता से राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त जनपद बहराइच के तहसील नानपारा, ग्राम-बुझिया में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु भूमि चयनित कर ली गयी है।

प्रदेश में हार्ट, किडनी, कैंसर, लीवर आदि बीमारियों के गरीब मरीजों के इलाज की नीति

106-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हार्ट, किडनी, कैंसर, लीवर आदि बीमारियों से ग्रसित गरीब मरीज जिसका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है, के इलाज की नीति क्या है? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2007, 2008, 2009 में उक्त गम्भीर बीमारियों में कितने रोगी सरकारी अस्पतालों में आये? क्या सरकार ऐसे गरीब रोगियों का इलाज सरकारी खर्चे पर कराने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

बी0पी0एल0 सूची में नाम न होने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र के आधार पर राज्य आरोग्य निधि के अन्तर्गत स्थापित मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष के माध्यम से हदय रोग, कैंसर, गुर्दा, अस्थि रोग एवं थैलेसीमिया व अन्य गम्भीर रोगों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। प्रतिबंध यह है कि सम्बन्धित रोगी के परिवार की आय समस्त स्रोतों से रू0 24,000/- से अधिक न हो अथवा तत्समय बी0पी0एल0 के लिये विनिश्चित धनराशि के समतुल्य हो।

हार्ट, किडनी, कैंसर एवं लीवर आदि गम्भीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों की सरकारी अस्पतालों में वर्षवार संख्या निम्नवत है :-

वर्ष	संख्या
2007	121899
2008	136622
2009	152850

खण्ड ''क'' के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पहाड़ा मुरार पट्टी सहित अन्य ग्रामों का विद्युतीकरण करने की मांग

107-श्री राम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पहाड़ा मुरार पट्टी सहित अन्य ग्रामों में बगैर तार के खड़े खम्भे (अधूरे विद्युतीकरण) की सूचना प्रश्नकर्ता द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत वितरण निगम को दिनांक 03-05-12 को पत्र द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

संदर्भित पत्र दिनांक 03-05-2012 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पहाड़ा मुरार पट्टी सहित अन्य ग्रामों में बगैर तार के खड़े खम्भों (अधूरे विद्युतीकरण) के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु 22 खम्भों की लाइन निर्माण का कार्य पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 2011-12 योजना में स्वीकृत है।

उपरोक्त ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। कार्य 30 सितम्बर, 2012 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में रानीडीहा चौराहा रामपुर-भगता देवरिया बाईपास सड़क का चौड़ीकरण व सुदृड़ीकरण की मांग

108-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में रानीडीहा चौराहा-रामपुर-भगता-देवरिया बाईपास रोड तक जाने वाली सड़क अत्यन्त संकरी तथा खराब हो चुकी है ? यदि हां, तो इसका चौड़ीकरण, उच्चीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

मार्ग कहीं-कहीं अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह से हैदरगंज चौराहे तक मार्ग का चौड़ीकरण तथा क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की जानकारी

109-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर स्थित ईदगाह से हैदरगंज चौराहे तक सड़क बहुत जर्जर एवं टूटी हुई तथा पुलिया भी क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा आवागमन भी बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

ऐशबाग ईदगाह से हैदरगंज चौराहे तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य तथा क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिससे भारी वाहनों का आवागमन आंशिक रूप से बाधित होता है।

मार्ग का चौड़ीकरण एवं क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नई आर0सी0सी0 वाक्स कल्वर्ट का निर्माण प्रगति में है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

एन0सी0आर0 के मास्टर प्लान 2021 से जनपद बागपत को अलग करने की जानकारी

110-श्री वीरपाल राठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या एन0सी0आर0 के मास्टर प्लान 2021 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस मास्टर प्लान से जनपद बागपत को अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर महानगर की यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

111-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर की यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु क्या प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-4 नं0 035417, दिनांक 16-04-12 जो

मुख्य मंत्री को सम्बोधित है प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

पत्र में यातायात की समस्याओं के समाधान हेतु कुछ नये फ्लाई ओवर/ओवर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता बतायी गयी है। नये फ्लाई ओवर/ओवर ब्रिज का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनायें लेते हैं।

आज दिनांक 13 जून, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 39 सूचनायें प्राप्त हुई, जिसमें 17 सूचनायें स्वीकार की गयी :-

पहली सूचना श्री शेर बहादुर सिंह की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र-280 जलालपुर में मंगुराडीला से रफीगंज होते हुये नेउरी तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत, चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं। दूसरी सूचना श्री सुरेश बंसल की गाजियाबाद के माता कालोनी विजयनगर में पूर्व में डाली गई सीवर लाईन को चालू न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह पहली बार है कि दस लोगों में ऐसे लोगों ने 301 में दिया है जो आज तक नहीं दिये थे, इसलिए उनका सब स्वीकार कर लिया गया। तीसरी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की बहराइच जिले के विकास खण्ड जरवल के अनुमन्य गांव तथा कैसरगंज के कतिपय गांवों में पात्र किसानों को बीज न मिल पाने के सम्बन्ध में।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना सदन में पढ़ना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ दें।

(सूचना पढ़ी गई।)

चौथी सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की जनपद मेरठ विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न मार्गों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में है। पाँचवीं सूचना श्री श्याम बहादुर सिंह यादव

की 01 सितम्बर, 2006 में समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं रख रखाव की तरफ ध्यान न दिये जाने के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री त्रिभुवन राम की है।

(श्री त्रिभुवन राम का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

सातवीं सूचना श्री दिलनवाज खान की जनपद बुलन्दशहर की स्याना विधान सभा के अन्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न माइनरों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री गयादीन अनुरागी की जनपद हमीरपुर के राठ में पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री गयादीन अनुरागी-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना सदन में पढ़ना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप पढ़ सकते हैं।

(सूचना पढ़ी गई।)

नवी सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में लगभग 5 साल से निलम्बित प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में 01 नवीन तहसील एवं 04 क्षेत्र पंचायत का गठन किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, मै अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ दें।

(सूचना पढ़ी गई।)

अगली सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की है। आप पढ़ेंगे। ठीक है पढ़िए।

(सूचना पढ़ी गई।)

अगली सूचना श्री जगपाल सिंह जी की जिला सहारनपुर विकास खण्ड पुवारका के अन्तर्गत ग्राम पिंकी व सलेमपुर भूखण्डी स्थित नाल को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में। अगली सूचना श्री गुलाम मोहम्मद जी की है। (श्री गुलाम मोहम्मद का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित) चौदहवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के कोरांव विकास खण्ड के अन्तर्गत चन्दापुर अमौली में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। पन्द्रहवीं सूचना

श्री सुधाकर सिंह जी है। (श्री सुधाकर सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित), सोलहवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की है। क्या आप पढ़ेगीं।

(श्रीमती पूजा पाल ने सूचना पढ़ी)

सत्रहवीं सूचना श्री संगीत सिंह सोम की जनपद मेरठ के सरधना में राजमार्ग-24 एवं 119 को जोड़ने वाले दौराला मंसूरी मार्ग की अत्यन्त जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में। इसमें तीन मा0 सदस्य उपस्थित नहीं है। उनके स्थान पर श्री कमाल यूसुफ मलिक जी की और साध्वी निरंजन ज्योति की सूचना ले ली गई और जो महत्वपूर्ण होगा उसकी सूचना जुड़वा देंगे।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र 280 जलालपुर में मंगुराडिला से रफीगंज होते हुए नेउरी तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शेर बहादुर सिंह-

[मान्यवर, मैं जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र 280 जलालपुर सम्बन्धित विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मंगुराडिला से रफीगंज होते हुए नेउरी तक की क्षतिग्रस्त सड़क आने जाने योग्य नहीं रह गयी है जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है।

अस्तु उक्त सड़कों का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण तथा मरम्मत कराने हेतु संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश देने की कृपा करें।]

गाजियाबाद के माता कालोनी विजयनगर में पूर्व में डाली गई सीवर लाइन को चालू न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अर्न्तगत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत माता कालोनी, विजय नगर में लगभग 20 वर्ष पूर्व शहर की गन्दगी निकासी हेतु सीवर लाईनें डाली थीं। मान्यवर यह सीवर लाईनें जैसी की तैसी पड़ी हुई हैं जिससे वहां गन्दगी की गम्भीर समस्या बनी हुई है। यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। गरीब एवं मध्यमवर्गीय लोग रह रहें हैं। मैं सदन के माध्यम से पूर्व में डाली गई सीवर लाईन जिसके धन का सदुपयोग जनहित में नहीं हो पा रहा है, जनहित में चालू कराये जाने का अनुरोध करता हूँ।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहराइच जिले के विकास खण्ड जरवल तथा कैसरगंज के कतिपय गांवों में पात्र किसानों को बीज न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

महोदय, पूरे प्रदेश में इस समय धान के बेरन (वियाड़) बोने का समय है। कृषि केन्द्रों पर धान की उपलब्धता नहीं के बराबर है, जिन बीजों पर अनुदान है वे गोदामों पर साधारण किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। मुफ्त बीज पैकेट तो अनुमन्य लोगों तथा अनुमन्य गांवों को दिये जाने के बजाय विशेष लोग उठाकर ले जा रहे हैं। बहराइच जिले के विकास खण्ड जरवल के अनुमन्य गाँव रमवापुर, बीवीपुर व बढ़ोली तथा कैसरगंज विकास खण्ड पवही-गाँव भखरौली, मुगीशपुर में पात्रों को भी बीज नहीं मिल पा रहा है। जरूरतमंद किसान को नहीं मिल पा रहा है। समय पर बीज उपलब्ध न होकर अपितु बाद में आने पर यही बीज गोदाम पर बोझ बन जाता है जिसे कर्मचारी खाद आदि बेचते समय जबरदस्ती किसान पर थोपते हैं अथवा दूसरे साल बीज के रूप में चला देते हैं जो निष्प्रभावी हो जाता है जिसका जमाव नहीं होता है, किसान का खेत बरबाद होता है, धन की हानि होती है। इस तात्कालिक विकट समस्या के प्रति सरकार मौन है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद मेरठ विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न मार्गों की जर्जर स्थित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भड़ाना-

[महोदय, मेरठ जनपद में मेरठ दक्षिण विधान सभा के अन्तर्गत सड़कें अत्यन्त जीर्णशीर्ण स्थिति में है जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। मेरठ दिल्ली मार्ग NH 58 का चौड़ीकरण करके बनाना व दक्षिण विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत-शास्त्रीनगर, इन्द्रापुरम कालोनी निकट दिल्ली रोड के समीप औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें, जागृति विहार, भोपाल विहार, शिवशक्तिनगर, शिवशक्ति विहार, प्रवेश विहार, हनुमान विहार, उत्तराखण्ड कालोनी, शिवपुरम व नई बस्ती लल्लापुरा, क्षेत्र की सूर्या पैलेस, मेवला गुप्ता कालोनी की सड़के, औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली रोड निकट मोहकमपुर एवं रिझानी की सड़कें, फफून्डा के पास से जुरनिपुर फाटक, बाईपास (बिजली बम्बा) से ग्राम गुमी होता हुआ ग्राम गगौल व गोटरा से गगौल तीर्थ तक हापुड़ रोड से चान्दसारा से कताई मिल हवाई पट्टी तक का व मार्ग का चौड़ीकरण, परतापुर गगौल मार्ग, ग्राम काशी गगोल रोड अछरोडा मोड़ से सौलाना-बहादुरपुर से मोहद्दीनपुर रेल फाटक तक का मार्ग अत्यन्त खराब है एवं मोहद्दीनपुर से गांवड़ी और भूड़बराल से उपलहडा छज्जूपुर मार्ग तक मौइदीनपुर से खरखौदा तक का चौड़ीकरण, जिसमें

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जगह-जगह बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हो गये है जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और आये दिन दुर्घटना भी हो रही है। जनहित में उक्त मार्गों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

01 सितम्बर, 2006 में समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार में स्वीकृत सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं रखरखाव की तरफ ध्यान न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से उक्त विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि 01 सितम्बर, 2006 में तत्कालीन सपा सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सं0-21/2006 पारित किया था, परन्तु कुछ महीनों बाद विधान सभा के चुनाव हो गये जिसमें सपा सरकार में नहीं आ सकी। पिछली बसपा सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत पुस्तकालयों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रख-रखाव और विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

मान्यवर, आपके माध्यम से वर्तमान सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पुस्तकें प्रदेश व देश के भद्र समाज का आइना होती हैं। डा0 सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने कहा कि-हम पुस्तकालय के द्वारा ही साहित्य से जीवन की ओर बढ़ते है। (पुस्तकें ही हमारी सच्ची मित्र हैं) सुकरात ने लिखा है कि जिन घरों में अच्छी पुस्तकों का संग्रह नहीं, वह घर कहलाने योग्य नहीं है, वह तो जीवित व्यक्तियों की कब्रगाह है। कार्लाइल के शब्दों में-पुस्तकालय ही संसार के सच्चे विश्वविद्यालय हैं। संस्कृत साहित्य में किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृत का मूल्यांकन वहां के पुस्तकालय से होता है, इसलिये समाज के उत्तरोत्तर विकास की तरफ ले जाने के लिये पुस्तकालयों का होना अत्यन्त आवश्यक है।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा है कि सपा की पूर्व सरकार द्वारा लाये गये उक्त अधिनियम-21/2006 का अनुपालन सुनिश्चित कराये, जिससे पुस्तकालयों के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज का हित हो सकें।]

जनपद बुलन्दशहर की स्थापना विधान सभा के अन्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न माइनरों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खान-

मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के विकास खण्ड बीबीनगर के अन्तर्गत पड़ने वाली मडौना-चितसौना माइनर व अल्लीपुर माइनर की सफाई तीन वर्षों से न करायें जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र स्याना के विकास खण्ड बीबीनगर के अन्तर्गत मध्य गंगा नहर, लखावटी ब्रान्च-10 स्थापित है। वहां से मडौना-चितसौना माइनर व अल्लीपुर माइनर की सफाई विगत तीन वर्षों से नहीं की गयी है, जिससे उक्त माइनरों में मिट्टी भराव हो गया है। माइनरों के चारों तरफ घास बहुतायत जमा हो गयी है पानी का बहाव पूरी तरह से नहीं हो पाता है, इसलिये क्षेत्र के किसानों व अपनी फसलों को सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। पर्याप्त पानी न मिलने के कारण किसानों की फसलें सूख जाती हैं और उन्हें अपनी मेहनत व उपज का सही लाभ नहीं मिल पाता है। किसान हित में उक्त माइनरों की सफाई कराया जाना आवश्यक है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हमीरपुर के राठ में पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयादीन अनुरागी-

महोदय, जनपद-हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र-राठ में पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाले जनपद हमीरपुर का विधान सभा क्षेत्र-राठ अति पिछड़ा इलाका है। यहां पर आम लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधायें नगण्य हैं। कस्बा व तहसील राठ में वर्तमान में सिर्फ आठ घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है, जो पर्याप्त नहीं है और जिससे आम नागरिकों, व्यापारियों, किसानों आदि को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति न होने से कस्बा व तहसील राठ में पेयजल का संकट भी उत्पन्न हो गया है। गर्मी का मौसम, विद्युत आपूर्ति बहुत कम मात्रा में की जा रही है, जन-जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। मेरी सरकार से मांग है कि कस्बा व तहसील-राठ में कम से कम 18 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।

जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में लगभग 5 साल से लम्बित प्रधान मंत्री सड़क योजना के कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलम बदी-

[श्रीमन्, मैं उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके द्वारा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निम्नलिखित विवरण बड़ा संवेदनशील है और जनहित पर विभाग की उदासीनता व लापरवाही का एक अनोखा उदाहरण है।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निम्नलिखित प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़के अधूरे काम होकर पड़ी हैं और क्षेत्रीय जनता के आवागमन में कठिनाईयों का कारण बनी पड़ी हैं।

1-आजमगढ़ शाहगंज मार्ग पर संजरपुर बाजार से आगे उत्तर तरफ फिरूद्दीनपुर गांव को जोड़ने हेतु 2 किमी0 प्रस्तावित सड़क अधूरी पड़ी है, वह जनता की कठिनाई का कारण बनी है।

2-उपरोक्त के कुछ किलोमीटर आगे खानपुर इण्टर कालेज के सामने से उत्तर तरफ कोठियां गांव को जोड़ने हेतु 2 किमी0 कार्य अधूरा होने के कारण जनता के लिये परेशानी का कारण बना हुआ है।

3-निजामाबाद फूलपुर मार्ग पर कौड़िया से उत्तर तरफ मद्दूपुर-कलबारी मार्ग भी आज तक अधूरा पड़ा है जिससे क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है।

मा0 मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि लम्बे समय से उक्त लम्बित अधूरी सड़कों की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराते हुये इन सड़कों को जनहित में पूरा कराने का कष्ट करें।]

जनपद पीलीभीत में 01 नवीन तहसील एवं 04 क्षेत्र पंचायत का गठन किये जाने की माँग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

महोदय, ज्ञातव्य है कि सम्पूर्ण उ0प्र0 में अनेकों नवीन जनपद, तहसील एवं क्षेत्र पंचायतों का सृजन एवं गठन हुआ है। सम्पूर्ण प्रदेश में जनपद पीलीभीत मात्र एक ऐसा जनपद है जिसमें कि 94 राजस्व गांव जनपद शाहजहांपुर से पृथक करके सम्बद्ध किए गए हैं। जिसके कारण पूरनपुर तहसील परिक्षेत्र दो तहसील परिक्षेत्रों के समरूप हो गया है। क्योंकि यह तहसील पूरनपुर पहले से बड़ी तहसील एवं क्षेत्र पंचायत परिक्षेत्र है। यह आवश्यकता प्रतीत होती रही है तथा मांग भी की जाती रही है कि गजरौला नामक एक अन्य तहसील तथा कलीनगर/माधोटांडा नामक एक अन्य क्षेत्र पंचायत बनाई जाय। इसके लिए प्रशासन की ओर से प्रस्ताव भी प्रेषित किए गए हैं। उक्त 94 राजस्व गांव जनपद शाहजहांपुर से पृथक होकर संबद्ध होने के कारण यह मांग और भी अधिक प्रखर हो गई है। इस प्रकार पूरनपुर, गजरौला एवं माधौ टांडा नामक तीन क्षेत्र पंचायत साथ ही साथ पूरनपुर एवं गजरौला नामक दो तहसील परिक्षेत्र गठित किया जाना आवश्यक है। इसी जनपद की तहसील सदर (पीलीभीत) एवं बीसलपुर के अन्तर्गत भी जनसंख्या वृद्धि, आवागमन एवं भोगौलिक संरचना की दृष्टि से एक एक क्षेत्र पंचायत क्रमशः भमौरा एवं माधौपुर गठित होना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम द्वारा शासन से जनपद पीलीभीत में एक अन्य तहसील गुजरौला एवं चार गजरौला, माधौटांडा, माधोपुर एवं भमौरा क्षेत्र पंचायत सृजित किए जाने की मांग करता हूँ।

जनपद आगरा के विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ के ग्राम तुस्सी की गढ़ी एवं सैंया ब्लाक में रामपालपुरा तक सड़क एवं पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

महोदय, आपको अवगत कराना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी गाँवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाये लेकिन जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के ग्राम-तुस्सी की गढ़ी एवं सैया ब्लाक में ग्राम-रामपाल का पुरा के लिए कोई भी मार्ग नहीं है जिसमें कि ग्राम तुस्सी की गढ़ी चारों ओर से नदी एवं नहर से घिरा हुआ है। तथा बरसात के दिनों में यदि किसी महिला को प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल जाना हो तो नहीं जा सकती और उसे घर पर ही प्रसव कराना पड़ेगा। अतः मैं चाहूँगा कि उक्त दोनों गाँवों को सरकार की प्राथमिकता के आधार पर मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क एवं पुल का निर्माण कराया जाये।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की माँग करता हूँ।

जिला सहारनपुर विकास खण्ड पुवारका के अर्न्तगत ग्राम पिंकी व सलेमपुर भुखडी स्थित नाले को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगपाल सिंह-

[कृ0 संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जिला-सहारनपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-04 सहारनपुर के विकास खण्ड पुवारका के अर्न्तगत ग्राम-पिंकी व सलेमपुर भुखडी के मध्य नाले का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त पुल से रोजना हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। पुल से काफी वाहन भी गुजरते हैं। उक्त पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से लगभग 14-15 ग्रामों का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आने जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त पुल के निर्माण हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन से अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक शासन द्वारा उक्त पुल निर्माण हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पुल को यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के कोराँव विकास खण्ड अन्तर्गत चन्दापुर अमौली में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना-

श्री राजबली जैसल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव वि0ख0 कोरांव के अन्तर्गत ग्राम चंदापुर अमीलिया जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ तथा गुरूमा नदी के किनारे चन्दापुर पर स्थित ग्राम है। अमीलिया में सड़क का निर्माण न होने के कारण आवागमन में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं। यहाँ का मुख्य बाजार बड़ोखर जहाँ पर सड़क का निर्माण हो चुका है। परन्तु बड़ोखर, कालिकन से चंदापुर अमीलिया तक सड़क का अभाव बना हुआ है जबकि उक्त गांव की आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 से ऊपर हैं। उक्त गांव पांच मजरों में स्थित है हर मजरो में पूरी चौड़ाई में मिट्टी द्वारा सड़क का निर्माण किया जा चुका हैं जिससे वर्षा के समय सड़क पर पैदल चलना भी दूभर रहता है। नदी के उस पार म0प्र0 और इस तरफ उ0प्र0 की सीमा जहाँ पर सड़क का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त गांव में सड़क का निर्माण न होने के कारण लोगों का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध है। लोगों के आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है, जिससे क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बड़ोखर, कालिकन से चंदापुर अमीलिया तक पक्की सड़क बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद इलाहाबाद में आगामी कुम्भ मेले के आयोजनार्थ विशेष धनराशि आवंटन में पश्चिमी क्षेत्र इलाहाबाद को जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना-

श्रीमती पूजा पाल-

मान्यवर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि जनपद इलाहाबाद में आगामी कुम्भ मेले के आयोजनार्थ शासन द्वारा विशेष धनराशि की व्यवस्था करके विशेष रूप से क्षेत्र की प्रगति हेतु कदम उठाये गये हैं। यद्यपि इलाहाबाद शहर पश्चिमी क्षेत्र का 40 प्रतिशत क्षेत्रफल शहरी क्षेत्र में आता है जहाँ दूर-दूर से तथा अन्य प्रदेशों से भी तीर्थयात्री आकर रूकते हैं। फिर भी कुम्भ मेले की व्यवस्था के अन्तर्गत विकास हेतु सरकार द्वारा इलाहाबाद शहर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ दिया जाना कुम्भ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों के साथ इंसाफ नहीं होगा और उन्हें होने वाली असुविधा से एक गलत संदेश इस लोकप्रिय सरकार के लिये जायेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कुम्भ मेले की व्यवस्था के अन्तर्गत विकास हेतु शहर पश्चिमी क्षेत्र इलाहाबाद को भी जोड़े जाने की मांग करती हूँ।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ के सरधना में राजमार्ग 24 एवं 119 को जोड़ने वाले दौराला-मंसूरी मार्ग की अत्यन्त जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संगीत सिंह सोम-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र सरधना जनपद मेरठ में पड़ने वाले अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग-24 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-119 को जोड़ने वाले दौराला-मंसूरी मार्ग की स्थिति अत्यन्त जर्जर है। बड़े-बड़े गड्ढ़ों के कारण 13 कि0मी0 का सफर तय करने में एक घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। टूटी सड़क से उड़ने वाली धूल से सड़क किनारे बसे दर्जनों गांव के हजारों निवासियों का जीना दूभर हो गया है। इसके अतिरिक्त मेरठ करनाल मार्ग पर नानू पुल से कस्बा सरधना को जाने वाली सड़क लम्बाई लगभग 4.0 कि0मी0 पूरी तरह टूट चुकी है। आवागमन में अत्याधिक कठिनाई होती है। उपरोक्त दोनों सड़कों पर आये दिन दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु काफी प्रयास किया गया है परन्तु अभी तक सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। इस कारण स्थानीय जनता मे काफी रोष है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के विकास खण्ड मिठवल में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मान्यवर, डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-मिठवल में जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं, उनकी स्थिति काफी जर्जर होने के कारण लोगों का चलना दूभर हो गया है। जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत का कार्य विगत 10 वर्षों से मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निम्न सड़कों का विशेष मरम्मत कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

पथरा-तिगोड़वा मार्ग, गौरागढ़-करही मार्ग, पिपरा नानकार-सेहरी सेवक मार्ग, तिगोड़वा-बनगड़ोरी मार्ग, दुबौली-मसिना मार्ग, सेहरी बुजुर्ग-बरहपुर मार्ग, सुमहा-मनिकौरा तिवारी मार्ग, बूढ़ापार-बानकुइयां नहर के पुल तक, टेड़िया चौराहे-राजा डड़वा तक, बघनी-बनकटा सड़क तक, मसिना चौराहे-ड़िडई तक, सेमरहनी-कटिबन्ध तक, गौरागढ़-मसिना मार्ग तक, बनकटी-भैसहिया होते हुये भवानीगंज (विकास खण्ड-डुमरियागंज) तक का मरम्मत कार्य।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का कष्ट करें जिससे सैकड़ों गांव के लोगों को उक्त मार्ग के मरम्मत हो जाने से आने-जाने में सुविधा हो सके। इसलिये विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के लिये सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद हमीरपुर अन्तर्गत तहसील मौदहा के कतिपय ग्रामों में पानी की टंकी बनाकर जलापूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

साध्वी निरंजन ज्योति-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर, जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत मौदाहा तहसील में खारे पानी की समस्या के कारण जनमानस को 2-3 किमी0 दूर नदियों से पानी लाकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। इसमें प्रमुख रूप से ग्राम चादी, भमई, छानी, बक्छा, लेवा, छोटा लेवा, पासुन, खैर, भैसमरी, सिजवाही, टिकरी, कपसा, इचौली सहित अनेकों ग्रामों का पानी खारा है जिसके कारण इन ग्रामों के हजारों परिवार 2-3 किमी0 दूर नदियों से पानी लाने को बाध्य है। यहाँ काफी समय से टंकी के माध्यम से जलापूर्ति किये जाने की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक शासन एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण टंकी द्वारा जलापूर्ति न होने से क्षेत्र की जनता में असन्तोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए टंकी बनाकर जलापूर्ति किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13 जून, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 सूचनायें प्राप्त हुयीं। पहली सूचना श्री प्रमोद मिवारी की ब्रिटिश काल में बनाये गये जेल मैनुअल में संशोधन कर माननीय सांसद व विधायक को जेल में विशेष सुविधा एवं सुरक्षा युक्त दर्जा दिलाये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री हुकुम सिंह व डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रदेश में टोल टैक्स स्थल के दोनों ओर लगाये जाने वाले बोर्ड पर माननीय विधायकों को टोल टैक्स मुक्त व्यक्तियों की श्रेणी में अंकित किये जाने के संबंध में, सुनी जायेगी। तीसरी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की प्रदेश के 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों का स्नातक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में, यह नियम-300 में नहीं आती। चौथी सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर में दिनांक 26 अप्रैल, 2012 को बाबूपुरवा बाजार में हुये भीषण अग्निकांड के पीड़ितों को मुख्यमंत्री के दैवीय आपदा कोष से आर्थिक मदद न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इसे आप नियम-301 में दें या किसी और नियम में दें, यह नियम-300 में नहीं आता। इसमें पहली और दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की और श्री हुकुम सिंह की सुनी जायेगी।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ब्रिटिश काल में बनाये गये जेल मैनुअल में संशोधन कर मा0 सांसद व विधायक को जेल में विशेष सुविधा एवं सुरक्षायुक्त दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैद्धान्तिक रूप से औचित्य के प्रश्न को आपके सम्मुख रखते हुये शासन से इस पर उनके विचार चाहता हूँ। मान्यवर, जब इस देश में गुलामी थी और भारत अंग्रेजों के अधीन था तो उस समय जो जेल यात्री होते थे, जो सत्याग्रही होते थे, वह देश को आजाद कराने के लिये होते थे और उस समय जेल का कंसेप्ट होता था यातना गृह। मान्यवर, देश आजाद हुआ और आगे बढ़ा अब यातना गृह की जगह जेल सुधार गृह के रूप में धीरे-धीरे विकसित किये जा रहे हैं। मान्यवर, एक नियम है ब्रिटिश शासनकाल का और मजिस्ट्रेट उस समय क्या करता था, जैसा सरकार चाहती थी। मैं यहाँ विशेष रूप से सांसद और माननीय विधायक का जिक्र करना चाहता हूँ, तब तक उन्हें साधारण जेल कैदी के रूप में सबके बीच में रखा जाता है परन्तु अगर एक भी मजिस्ट्रेट का आदेश हो जाय तो उनकी कैटेगरी और सुरक्षा का प्रबन्ध हो जाता है। मान्यवर, मेरी आपत्ति इसी पर है और मैं सुविधा की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि कैदियों में भी दो श्रेणी है। एक है जिनकी सजा या दोष सिद्ध हो चुका है यानि जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी करार दिये गये हैं। मान्यवर, न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है, कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी न हो जाये, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। भारत की न्याय व्यवस्था इसी पर आधारित है कि जिसके खिलाफ भी मुकदमा कायम किया जायेगा, चार्जशीट लगाई जायेगी, उसमें अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि अपराध सिद्ध करे और जब तक अपराध न सिद्ध कर दे, तब तक उसे दोषी अपराधी नहीं कहा जाता है, उसे अंडर ट्रायल कहा जाता है। मान्यवर, मेरा प्रश्न मुख्यतः अंडर ट्रायल के लिये है। आज देश का रेट आफ कंजेप्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट में 10 प्रतिशत से नीचे और ट्रायल कोर्ट में आते-आते मात्र 15-20 प्रतिशत यानि कि अब यह मान लिया गया है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग बेगुनाह रहते हैं और जेल में रहते हैं। मान्यवर, मैं बात करना चाहता हूँ सम्मानित सांसद और सम्मानित विधायकों की। इधर कुछ दिनों में देखने में आया है कि जिससे भी नाराज हुई सरकार, वह गिरफ्तार हुआ और जब गिरफ्तार हुआ, तो जब तक वह छूट न जाये, तब तक तो वह जेल में है। मान्यवर, पहला काम होता है कि उसको उस जिले से हटाओ, 8 जिले, 10 जिले, 15 जिले दूर ले जाओ, वहाँ रखो और किस मजिस्ट्रेट की हैसियत और हिम्मत है कि उसके यहाँ एप्लीकेशन मूव हो और वह उसे विशेष डिग्री दें। मान्यवर, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक जेल में सुविधा की बात है, सुविधा के साथ सुरक्षा भी जुड़ी है, मेरा यह कहना है कि जेल मैनुअल में इतना सा संशोधन हो जाए कि अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि है, विधायक या सांसद के रूप में तो उसे सामान्यतः विधायक, सांसद के लिए अनुमन्य (जो

मजिस्ट्रेट करता है) सुविधा मिल जाएगी और सामान्यतः यदि वह जन-प्रतिनिधि है तो उसे अपने जनपद में या समीपवर्ती जनपद में रखा जाए क्योंकि जन-प्रतिनिधि होने के नाते अगर वह चार साल जेल में रहे तो हो सकता है कि उसकी गलती हो लेकिन उस क्षेत्र की जनता की क्या गलती है। मान्यवर, मेरा मौलिक दृष्टिकोण है, मेरा कहना है कि ब्रिटिश शासनकाल में यह यातनागृह था अब सुधारगृह है।

मान्यवर, प्रॉविजन है, मजिस्ट्रेट अगर आदेशित कर दे तो उसे विशेष डिग्री मिल जाती है। हमारा यह कहना है कि जो जन-प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ है जो एक लाख, तीन लाख, दस लाख या पन्द्रह लाख या पचास लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसे सामान्यतः आप वह श्रेणी दे दीजिए अगर न्यायालय यह समझता है कि उसे मिसयूज किया है या उस सुविधा का गलत उपयोग किया है तो निश्चित रूप से उसे समाप्त किया जाए लेकिन सामान्यतः जेल मैनुअल में सिर्फ एक संशोधन की बात मैं कर रहा हूँ। मान्यवर, अगर कोई मऊ का है तो उसे आप आगरा भेज देंगे, अगर कोई फैजाबाद का है तो उसे हमीरपुर भेज देंगे, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि जब एक बार सजा हो जाए तो चलिए प्रथम न्यायालय से आप दोषी हो गये लेकिन जब तक आप दोषी नहीं हैं और 97 प्रतिशत लोग छूट रहे हैं तो उस समय उनको उस यातना, अवमानना और उस परेशानी से बचाने की आवश्यकता है क्योंकि मैंने इधर कुछ दिनों से महसूस किया है इसलिए मेरे मन में यह बात आई। मेरा आपसे आग्रह है कि सामान्यतः उन्हें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी जो भी होगी दी जाएगी और अगर कोई बात अदरवाइज है तो मैं चाहूँगा कि उसे सामान्य कटेगरी दी जाए। जहाँ मान्यवर, सुविधा मिल जाएगी वहाँ उसके साथ सुरक्षा अपने आप शामिल हो जाएगी। यहीं लखनऊ में डिप्टी सी0एम0ओ0 की हत्या हुई या उन्होंने सुसाइड किया, दोनों बातें एक ही हैं। इसको इसलिए मैंने यहाँ पर उठाया है कि जन-प्रतिनिधि ज्यादा से अपने क्षेत्र के नजदीक रहें और सामान्यतः जितने जन-प्रतिनिधि हैं उसमें आप भूतपूर्व को भी जोड़ लें तो और अच्छा हो जाएगा, उन्हें वह अनुमन्य सुविधा सामान्यतः दी जाए जब तक अदरवाइज न हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि सरकार इस पर अपना विचार दें।

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया')-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े प्रभावी ढंग से प्रमोद तिवारी जी ने नियम-300 के अन्तर्गत कारागार के विषय में मा0 सदस्यों के सामने और पूरे सदन के सामने प्रकाश डाला है। माननीय सदस्य हमारे जिले के हैं और जिले के क्या हमारी ही तहसील के हैं। हम तो आपसे वर्षों पहले उम्मीद कर रहे थे कि इस प्रकार की किसी सुविधा या इस तरह की कोई आवाज आप तत्कालीन सरकार के सामने उठाते तो उससे हम सभी लोगों को सुविधा होती और श्रीमन् यह बताते हुए हमें तकलीफ हो रही है कि यहाँ जितने भी सदस्य सत्तापक्ष के बैठे हुए

हैं इनमें से सभी पिछले रिजीम में जेल भेजे गये और एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसको विशिष्ट श्रेणी या उच्च श्रेणी या जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग बी-क्लास कहते हैं वह किसी को नहीं मिली। श्रीमन् ताली एक हाथ से नहीं बजती और जिस तरह का व्यवहार समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ, सपा के विधायकों के साथ हुआ है वह भुलाये से नहीं भूलता। हम दो मिनट में अपनी बात रखना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में। दोनों शासन काल में 26 महीने मुझको जेल में रखा गया और हमारे लिए आप लोगों ने विशेष नियम बना दिया गया। रघुराज प्रताप सिंह से मिलाई करने के लिए सिर्फ उनके ब्लड फेमिली के मेम्बर हैं, वही मिल सकते हैं। पिता जी दूसरे जेल में, सगा भाई, सगी बहिन कोई है नहीं, माताजी की उम्र 75 वर्ष हो चुकी है और पत्नी तक को नहीं मिलने दिया। 11 महीने इन लोगों ने कानपुर की जेल में एक तनहाई में, एक टिन की छत के नीचे रखा। 11 महीने लगातार अकेले रहे, खुद अपना कपड़ा धोया खाना बनाया, किसी को मिलने पर भी पाबन्दी थी। श्रीमन्, मैं अकेला नहीं बहुत से ऐसे मा0 सदस्य और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन पर मुकदमों के अम्बार लगाये गये और जितने तरीके से उनको तोड़ा जा सकता था, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। (सत्तापक्ष की तरफ से शेम-शेम की आवाजें आयी।) हमको बाँदा भेजा गया, फैजाबाद गये, उसके बाद फतेहगढ़ सेण्ट्रल जेल गये, फिर कानपुर भेजा गया, बरेली सेण्ट्रल जेल भेजा गया, जबलपुर मध्य प्रदेश में भेज दिया गया, यह कहा गया कि इनका दूसरे राज्य में ट्रायल होना चाहिए, मध्य प्रदेश गया वहाँ की जेल में रहा। कोटा में ट्रायल हुआ, माननीय उच्च न्यायालय ने बाइज्जत दोषमुक्त किया। श्रीमन् अपने अलावा बहुत से ऐसे सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक है श्री विजय मिश्र जी उनको मेरठ भेज दिया गया, निर्दलीय विधायक मुख्तार अंसारी साहब हैं उनको आगरा में भेजा गया, विधायक अभय सिंह हमीरपुर भेजे गये। तो यह चलन आपका चलाया हुआ है। यह सही बात है कि सरकार समय-समय पर अपनी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कतिपय बंदियों को एक जेल से दूसरे जेल में आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित करती है। यह अधिकार भी है और व्यवस्था के लिए अनिवार्य भी है, ऐसा होना भी चाहिए लेकिन जो मा0 सदस्य आज भी जेल में हैं वह पिछली सरकार और इस सरकार की तुलना करें और मैं चाहूंगा कि आप दिल पर हाथ रख करके कहिये कि पिछली सरकार जिस तरह से आपके साथ व्यवहार करती थी, उस व्यवहार में और इस व्यवहार में आपको कुछ अन्तर महसूस हुआ कि नहीं।

श्री मुख्तार अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, जमीन आसमान का फर्क है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

श्री रघुराज प्रताप सिंह ('राजा भइया')-

जेल में बंद बंदियों को इंसानों की तरह देखा है और आप लोगों का यह मानना था कि ये हमारे विरोधी है। जो अभी मा0 प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि ब्रिटिश शासनकाल में

यातनागृह, ब्रिटिश शासनकाल के यातनागृह तो बिल्कुल खत्म हो गये, बहुजन समाज पार्टी के यातनागृह तो अभी 4 महीने पहले तक चल रहे थे, उत्तर प्रदेश में। छोटी-छोटी बातों पर यातनायें दी गयी। पी0डब्लू0डी0 व सिंचाई मंत्री मा0 शिवपाल सिंह जी मिलने गये लेकिन इनको मिलने भी नहीं दिया गया। आदरणीय आजम खाँ साहब मिलने गये इतने वरिष्ठ नेता इनको 4-4 घंटे बरेली जेल के सामने बैठाये रखा गया, मुख्यमंत्री जी मिलने गये। आपके बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चन्द्रशेखर जी मुझसे मिलने आये, उनको जेल के बाहर 04 घंटे बैठाये रखा गया, अन्ततः उनको बिना मिले वापस जाना पड़ा। जब भेंट नहीं हो पायी तो जो सामान आप लोग लेकर आये वह सामान विधायक तक नहीं पहुँचाया गया, वह सामान कहाँ चला गया, यह तो अलग शोध का विषय है कि वह कहाँ चला गया? बहुत कड़ुवी यादें हैं हम लोगों के पास लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन कड़ुवी यादों का प्रतिशोध लिया जाए, ऐसी कोई हमारी न तो नीयत है न ही कोई इरादा है। श्रीमन् यह सरकार का विशेषाधिकार है कि किस बंदी को किस जेल में रखा जाए, किस श्रेणी में रखा जाए, इसको सरकार के पास ही रहने दिया जाए। क्योंकि अन्ततः दायित्व कारागार विभाग का आता है, अगर कहीं शांति भंग होती है या कोई अव्यवस्था होती है तो सीधे-सीधे जिम्मेदारी हमारी होगी, इस सरकार की होगी।

उत्तर प्रदेश की हर जेल में किसी भी जेल में आप पता करवा लें जमीन आसमान का अन्तर चाहे वह भोजन व्यवस्था में हो, चिकित्सा व्यवस्था में हो यह इसलिए कि हम लोग उस दर्द को झेल चुके हैं बहुत नजदीक से देखा है उनके दर्द को समझा है और जेल में श्रीमन हमेशा दरिन्दे ही नहीं बन्द होते हैं बहुत से हालात के मारे लोग आज जेल में बन्द हैं। किसी धारा में उनको सजा नहीं हुई है लेकिन सालों साल से बन्द हैं। श्रीमन् बरेली जेल में मैं था उड़ीसा का एक व्यक्ति 24 साल से वहॉ पर बन्द था जयराम साबर उसका नाम था वह सिर्फ इसलिए बन्द था कि 8 हजार रुपये की जमानत कराने का पैसा उसके पास नहीं था। मैंने अपनी तरफ से उसकी जमानत कराई आज वह हमारे बच्चों की देखरेख करता है। तो बहुत से ऐसे मामले हैं जेलों में जिनमें इंसानियत की जरूरत है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेख यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार आदरणीय मुलायम सिंह जी के सिद्धान्तों पर चलने वाली यह सरकार इंसानियत का सलूक हर बन्दी के साथ करेगी। यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

जेल मंत्री जी ने जितना मैं नहीं कह सकता था उससे ज्यादा मेरी बात को बल दे दिया। ऐसा होता है उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है मान्यवर, मैं सिर्फ एक जानकारी देना चाहता हूँ। यही आपको जानकारी नहीं है जब इनकी सरकार थी मैंने इसी प्रश्न को उठाया था और जो जवाब आज आप दे रहे हैं यही जवाब उन्होंने दिया था इसलिए मैंने कहा कि बात दलों की नहीं होनी चाहिए। बात सिद्धान्तों की होनी चाहिए। मैंने जो बात रखी थी वह न सपा की है न बसपा की है न भाजपा की है न कांग्रेस की है वह एम0एल0ए0 और एम0पी0 की है।

मैं विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूँगा। अगर उस समय मैंने यह प्रश्न न उठाया हो तो? मेरी बात सैद्धान्तिक है। अगर कोई एम0एल0ए0 कोई एम0पी0 जाय तो सामान्यतः उसे सुविधा दी जाए और जब वह सुविधा लायक न हो कंविक्सन हो जाए तो वह सुविधा वापस कर ली जाय। मेरी बात पर चूँकि माननीय जेल मंत्री ने बल दिया इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

श्रीमन् कंविक्सन के बाद भी उच्च श्रेणी का प्राविधान है। फैजाबाद जेल बी0 क्लास जेल है तो जो उच्च श्रेणी के बन्दी हैं जिनको कंविक्सन हो जाता है तो ऐसा नहीं कि कंविक्सन के बाद उनकी उच्च श्रेणी समाप्त हो जाती है। फैजाबाद का कारागार उच्च श्रेणी के सजायाफ्ता लोगों का कारागार है। इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विचार विमर्श कर लेंगे। आपने उस समय यह बात उठाई यह हमारी जानकारी में नहीं था उसके लिए अब धन्यवाद ले लीजिए। उन्होंने आपकी बात नहीं मानी लेकिन यह इंसानियत और वसूलों पर चलने वाली सरकार है। पूरी इंसानियत के साथ व्यवहार होगा और माननीय सदस्य जो आगरा में हैं उनको श्रीमन् मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके कोई न कोई निर्णय हम लोग कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना....

श्री प्रमोद तिवारी-

इस पर काफी बात आ चुकी है। इसलिए मैं अपने औचित्य के प्रश्न पर बल नहीं देता हूँ अगर सरकार मेरी बात से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी सूचना वापस ले रहे हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी-

ठीक है। मैं अपनी सूचना वापस ले रहा हूँ और मैं आपको भिजवा दूँगा जो मैंने उस समय नियम-300 के अन्तर्गत उठाया था।

श्री अध्यक्ष-

उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में टोल टैक्स स्थल के दोनों ओर लगाये गये बोर्ड पर मा0 विधायकों को टोल टैक्स मुक्त व्यक्तियों की श्रेणी में अंकित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना पर माननीय हुकुम सिंह जी व डा0 राधा मोहन दास में से कोई एक लोग अपनी बात रख लें।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, चूँकि यह विधायकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए मैं इस पर आपकी अनुमति चाहता हूँ। पूर्व विषय बहुत गम्भीर था, यह विषय उतना गम्भीर नहीं है यह मैं मानता हूँ लेकिन यह विधायकों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अभी बहुत से नेशनल हाई वे बने हैं और भी ऐसी सड़कें बनी हैं जिन पर टोल टैक्स लग रहा है। जहाँ टोल टैक्स केन्द्र है उसके दोनों तरफ बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। उसमें श्रेणियों के नाम का उल्लेख है जो टोल टैक्स से एक्जम्प्टेड हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत श्रेणियाँ हैं। जहाँ हाई वे बने हैं उन पर जो बोर्ड लगे हुए हैं। मैंने गौर से एक आध जगह देखा मुझे नहीं दिखाई दिया फिर मैंने ढुंढ़वाया तो बहुत नीचे विधायक का भी श्रेणी में नाम आया लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है। अपना परिचय पत्र दिखाने पर और केवल अपने राज्य में। मेम्बर पार्लियामेंट भी प्रतिनिधि हैं। आखिर यह परिचय पत्र की शर्त विधायक पर क्यों लगी और श्रेणी पर क्यों नहीं लगी। उसमें एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हैं। सचिवालय के और भी अधिकारी हैं जिलास्तर के और अधिकारी हैं पुलिस के अधिकारी हैं। चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं केवल एक श्रेणी है जिसमें लिखा गया परिचय पत्र दिखाने पर। हमारी गाड़ी है मान्यवर, आपने पास दिया हुआ है, विधान सभा का पास उस पर लगा हुआ है। मान्यवर, इससे अच्छा तो हम से टोल टैक्स ले लिया जाए, अपमानित तो न करें हम को वहाँ पर खड़ा करके कि परिचय पत्र दिखाइए, पास दिखाइए। दो जगह हो चुका है मान्यवर। मैं यहाँ से शाहजहाँपुर जा रहा था बीच में सीतापुर के पास टोल टैक्स है। वही गाड़ी थी मान्यवर, विधान सभा का पास लगा हुआ था। 5 मिनट लगे हमारा स्टाफ उतरा फिर हमने परिचय पत्र दिया, 10 मिनट देखने के बाद जब उन्होंने अनुमति दी, मैंने 100 का नोट भी पकड़ा दिया, मैंने कहा इनको दे दीजिए, पीछा छुड़ा लीजिए। मान्यवर, लेकिन केवल पैसे की बात नहीं है, मान-सम्मान की बात है। अगर हमें प्रोटोकॉल देना है दीजिए, नहीं देना है तो उसे वापस ले लीजिए। ये केन्द्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, हमें इसे गम्भीरता से लेना चाहिए और कोई भी श्रेणी ऐसी नहीं है। मान्यवर, 18 श्रेणी उसमें हैं जिनका उल्लेख है। एक भी श्रेणी ऐसी नहीं है कि जिसमें लिखा हुआ हो कि परिचय पत्र दिखाएँ केवल विधायकों पर यह शर्त लगाई गई है। दूसरी बात केवल अपने राज्य में, वैसे तो फिर लिख दें कि सांसद भी केवल अपने क्षेत्र में। ये शर्त केवल हम पर क्यों लगाई गई, दो बातें मैं कह रहा हूँ मान्यवर। और मेरा आग्रह है मान्यवर कि बात छोटी सी है मान-सम्मान से जुड़ी हुई है। इस प्रकार से हम पर बंदिश लगाना और हमें वहाँ पर खड़ा करके परिचय-पत्र माँगना, मान्यवर शोभा नहीं देता। या तो इस सुविधा को वापस ले लें जो सबके साथ हो रहा है होता रहे और जहाँ तक मेरी जानकारी में है एक बार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह सुविधा मा0 सांसदों और विधायकों सबसे ले ली गई थी। फिर दबाव पड़ा वहाँ पर, सोच-विचार हुआ इस सुविधा को दोनों को लौटाया गया, लौटाते समय समान शर्तें थीं लेकिन अब यह बात कहाँ से आ गई। मान्यवर, कई बार ऐसी घटनाएँ होती हैं, बहुत अपमानजनक लगता है और भी लोग खड़े रहते हैं। वो भी देखते हैं आ करके और वहाँ का मोदीपुरम का तो मुझे जानकारी है। मान्यवर, 15 मिनट से पहले कोई वहाँ से गुजर नहीं सकता जानबूझ करके इतनी लम्बी लाइन लगा देते हैं। मान्यवर, सड़क पर पूरा जाम लग जाता है, कोई वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। ऐसी जगहें जहाँ टोल टैक्स लगाए हुए हैं, वहाँ पर यह भी व्यवस्था होनी चाहिए। काफी जगह है मान्यवर, मैंने दक्षिण में जा करके देखा है, विदेशों में देखा है कि एक अलग से लेन बनी हुई है। इसमें जो एग्जम्टेड श्रेणी हैं, वो श्रेणी एक नम्बर गेट पर जाती है और चली जाती है। आखिर यह उत्तर प्रदेश में क्या बात है कि इस श्रेणी के लिये नम्बर एक का गेट ही नहीं है कहीं पर। नम्बर दो पर शुरू होता है और नम्बर दो पर आपको पैसा देना पड़ेगा। यह स्थिति मैंने आपके सामने रखी है मान्यवर। लोक निर्माण मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हुये हैं। मेरा आग्रह है मान्यवर कि निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही की जाये और सीधा समान रूप से यह सुविधा प्रदान की जाये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 हुकुम सिंह जी ने सारी बातें रख दीं। मैं इस सदन के संज्ञान में दे दूँ कि यह असम्मानजनक स्थिति केवल मा0 विधायकों के साथ नहीं है, स्वयं इस सरकार के मंत्रियों के साथ भी है। जो सूची जारी हुई है उसमें मा0 मुख्यमंत्री और राज्यों के प्रिसाइडिंग अफसर इनको छोड़ करके अगर अपने राज्य के मा0 कैबिनेट मंत्री उन सड़कों से चलना चाहेंगे तो उनकी गाड़ियाँ रोकी जाएँगी चाहे फिर वे लोक निर्माण मंत्री जी ही क्यों न हों, उन्हें भी टोल टैक्स देना होगा। इसके बाद ही उनकी गाड़ी उस रास्ते से गुजर पाएगी। पैसे का महत्व नहीं है। गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा में अगर हम 3 बार रुके तो आप समझ सकते हैं कि कुल कितना समय लगने वाला है, कितनी अवमानना होने वाली हैं। इसलिए मान्यवर, मा0 मंत्री जी को कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए क्योंकि आप भी इसी नाव में सवार है। ये सिस्टम बदल सके, हम पैसा देने से मना नहीं कर रहे हैं, रीइम्बर्समेण्ट का प्राविधान हो सकता है। सिस्टम कुछ ऐसा बना दीजिये जो हमारे लोगों या हमारी पहचान को देख करके उन्हें जाने की छूट मिले। वो रिकॉर्डिंग कर लें फिर उसका पेमेण्ट किया जा सके।

*लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय हुकुम सिंह जी ने चिन्ता जताई, यह सही है। पिछले दिनों और पिछली सरकार में जब हम लीडर ऑफ अपोजीशन थे, मुझे भी

* नोट-भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं होगा।

कई जगह प्रोटोकॉल नहीं मिला और वैसे तो हम रोज देखते हैं, वैसे तो इस समय बहुत से विधायक ऐसे हैं कोई पास नहीं है तब भी चले जाते हैं, निकल जाते है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, कोई नहीं पूछता है बहुत से ऐसे लोग जो विधायक भी नहीं है वह भी निकल जाते हैं अपना भोकॉल बनाये हुए है। (हंसी)

मान्यवर, मा0 हुकुम सिंह जी भले और सज्जन आदमी हैं इसीलिए शायद उनको रोका गया। इसलिए मुझे चिन्ता है वैसे उ0प्र0 सरकार के जितने भी ऐसे स्थल हैं वहाँ पर मा0 सदस्यों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। रोकना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक एन0एच0आई0 का मामला है हम गंभीरता से दिखवा लेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सभी मा0 सदस्यों को पूरा प्रोटोकॉल मिले। (मेजो की थपथपाहट)।

पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जायेगा। पूरे सदस्यों को सभी को प्रोटोकॉल मिलेगा। अन्य सुविधायें भी जो हैं सम्मानित सदस्यों से संबंधित हैं उसमें भी व्यवस्था करायी जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)।

श्री तेजपाल सदस्य, विधान सभा की गाड़ी का शीशा तोड़कर अज्ञात लोगों द्वारा चार लाख रुपये निकाले जाने विषयक व्यक्तिगत प्रकरण

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, आज से 2.5 महीने पहले खुद मेरे साथ एक घटना घटी है। मेरा ड्राइवर बैंक से 4 लाख 75 हजार रुपये लेकर आया था और उसने गाड़ी में ही रखा था फिर वह बच्चों को स्कूल से लाने के लिए चला गया इस बीच कुछ अज्ञात लोगों ने शीशा तोड़कर वह पैसा गाड़ी से निकाल लिया इसकी रिपोर्ट 336/2012 सदर कोतवाली मथुरा में लिखवाई भी गयी है लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। इससे गलत संदेश जाता है, कि जब मा0 विधायक की गाड़ियां सुरक्षित नहीं है तो फिर सामान्य जन का क्या हो सकता है? इस गलत संदेश को जाने से रोका जाये और मेरे से संबंधित प्रकरण को दिखवाया जाये। इसमें संबंधित पुलिसवालों को निर्देशित भी किया जाये कि जब भी इस प्रकार की घटना घटे तो उस पर तुरन्त ऐक्शन लें। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपकी बात आ गयी।

विद्युत विभाग के बजट के कारण आज की कार्य सूची में नियम-56 के अन्तर्गत चयनित सूचनाओं को कल दिनांक 14 जून, 2012 को लिये जाने हेतु श्री अध्यक्ष का सुझाव

श्री अध्यक्ष-

सभी मा0 दलीय नेताओं से और मा0 नेता प्रतिपक्ष से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि कल बिजली की समस्या पर चर्चा हो रही थी और बहुत से मा0 सदस्य बोलना चाह रहे थे तो मैंने आज के लिए कहा था। आज विद्युत विभाग का बजट भी है। मैं चाहूँगा कि आज

उसको न लेकर के कल ले लिया जाये और नियम-56 की भी आज सूचनायें हैं वह कल ले ली जायेंगी। यदि आप सब सहमत हों तो ऐसा कर लिया जाये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, ठीक है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ठीक है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आज जो सूचनायें आयी हैं। वह केवल सदन के संज्ञान के लिए आप बता दें बाकी ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है वह मैं बता देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ की निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2009†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनायी गयी ''उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ की निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2009'' को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 14-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 14-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उप धारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोकायुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं मांग करता हूं जो लोक आयुक्त की रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा थी, लगायेंगे कि नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपने कह दिया उस पर जब कार्य मंत्रणा होगी।

---

† छापी नहीं गई।

†† छापा नहीं गया।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम की स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2009-2010†

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष श्री, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम की स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2009-2010 को दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962 की धारा-31 (11) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 6, 7, 8 तथा 9 में कुछ नहीं है।

विद्युत विभाग के बजट के कारण आज की कार्य-सूची में नियम-56 के अन्तर्गत चयनित सूचनाओं को उक्त दिनांक 14 जून, 2012 को लिये जाने हेतु श्री अध्यक्ष का सुझाव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी कह रहे हैं कि किसका-किसका है, मैं बता देता हूं।

चूंकि कल के लिये कर दिया इसलिये आफिस भेज दिया है। क्या है मौर्य जी।

देखिये माननीय सदस्य, कल काफी संख्या में लोगों ने लिखकर दिया है आप 5 मिनट में अगर बोलना चाहें तो बहुत समय मिल जाता है लेकिन आप लोग विषय पर न आकर ज्यादातर इधर-उधर की बात करते हैं इसलिये ज्यादा समय लग जाता है थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान- अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बजट रखें।

*लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,84,83,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का बजट अगर आपको ही रखना हो तो उसको रख दीजिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान 70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,24,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम वित्तीय वर्ष 2012-13 की अनुदान मांगे प्रस्तुत करते हुये इस महत्वपूर्ण विभाग की योजनाओं से इस माननीय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण विभाग है। मान्यवर, आज के इस वैज्ञानिक युग में और कम्प्यूटर युग में विद्युत की बहुत ही बहुत आवश्यकता है। और यह विद्युत विभाग मनुष्य के जीवन से जुड़ गया है। बिना बिजली के कोई भी व्यक्ति अपनी जिन्दगी ठीक से नहीं बिता सकता है और यहां तक कि चाहे उद्योग धंधे हों, चाहे व्यापारिक धंधे हों, चाहे कृषि से जुड़े उद्योग हों सबके लिये विद्युत की जरूरत है। आज के युग में विद्युत की बहुत आवश्यकता है। जब 2003 में हमारी सरकार बनी थी हमने विद्युत व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया था। मेरी सरकार ने बिजली की कमी को पूरा किया था। बिजली की कमी को नहीं आने दिया था। पिछले कार्य काल में हमने काफी परियोजनाएं इस प्रदेश में लगाई थीं और आज उन्हीं परियोजनाओं की वजह से हमको बिजली मिल रही है। अगर वह परियोजनाएं न लगाई गई होती तो हमको जितनी बिजली मिल रही है वह न मिल पाती। आज थोड़ा बहुत बिजली का संकट है, परेशानियां हैं, दिक्कते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे सभी सदस्यों के सामने दिक्कते हैं चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। जब बिजली की कटौती होती है तो पानी की भी दिक्कत आती है और यहां तक कि अस्पतालों में तो और भी परेशानी हो जाती है। मरीजों के सामने दिक्कत आ जाती है। कभी-कभी गम्भीर बीमारियों के आपरेशन में भी दिक्कत आती है इसलिये हमें इसकी बहुत चिन्ता है। हमारी सरकार बिजली के बारे में बहुत चिन्तित है। बिजली के बारे में हमारी सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में दिया था। पुरानी सरकार की वजह से आज उत्तर प्रदेश में बिजली की दिक्कत है। मैं जानता हूं और मुझे पता है और मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारी पुरानी सरकार ने 600 मेगावाट की रोजा ताप विद्युत परियोजना, 1200 मेगावाट की अनपरा सी ताप विद्युत परियोजना, 500 मेगावाट की हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, 500 मेगावाट पारीक्षा ताप विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट क्षमता की

अनपरा डी का काम शुरू न किया होता तो आज पूरा उत्तर प्रदेश अन्धेरे में होता। तो इसलिये हमने बताया कि आज हम कितने गम्भीर हैं विद्युत के मामले में। मैंने अपने घोषणा-पत्र में भी कहा है और हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन इसके लिये हमको समय चाहिये। हमारी सरकार को समय चाहिये। दो ढाई महीने का ही हमारा अभी कार्य काल हुआ है। इसलिये हमको समय की आवश्यकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली के मामले में बहुत चिन्तित हैं। जब जनता परेशान होती है तो रोज टेलीफोन भी आते हैं, बातचीत भी होती है। विधायक भी रोज मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करते हैं, हमसे भी अनुरोध करते हैं। अध्यक्ष जी आपसे भी अनुरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं भी अनुरोध करता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह हर आदमी की समस्या है। इसलिये हम बहुत गम्भीर हैं। आज जो मैंने बजट प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने नई परियोजना के लिये निजी क्षेत्र के साथ समझौते किये थे उसमें एक भी परियोजना पर काम नहीं हुआ है। पिछली सरकार के बारे में बता रहा हूं जो परियोजनायें थी उनका समय भी खत्म हो रहा था उनका एम0ओ0यू0 का समय खत्म हो रहा था। हमारी सरकार ने एम0ओ0यू0 का समय बढ़ा दिया है। और इसलिये बढ़ा दिया है क्योंकि हो सकता था कि निजी क्षेत्र के लोग पिछली सरकार के कारनामों की वजह से क्योंकि बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता था हर चीज में दलाली हर चीज में पैसे, मुझे अपने सूत्रों से पता है जो परियोजनायें चलाई थी उसमें बाहर से, निजी क्षेत्र से लोग आये थे उनसे भी पैसा मांगा जा रहा था और ले भी लिया और बड़े पैमाने पर लिया है। इसलिये निजी क्षेत्र के लोग अपना निवेश करने के लिये यहां डरते थे उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार ने आश्वासन दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने आश्वासन दिया है उत्तर प्रदेश में जो लोग आएंगे अपनी पूंजी का निवेश करेंगे और परियोजनायें लगायेंगे तो हम उनको सुविधायें देंगे। जितनी भी सुविधायें हम उनको दे सकते हैं हम उनको सुविधायें देंगे। माननीय अध्यक्ष जी मैं बहुत जल्दी, जो समय चाहिये कुछ समय चाहिये आज मैं अपना बजट प्रस्तुत कर रहा हूं वैसे तो हमने बहुत प्रयास किये थे जो प्रदेश के सामने दिक्कते हैं चोरी रोकने एवं लाइन हानियां घटाने के लिये प्रदेश के 168 शहरों में रु0 1831 करोड़ लागत की आर0-ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के कार्य अगले दो माह में प्रारम्भ हो जायेंगे। 5 बड़े शहर क्रमशः लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद एवं झांसी में वितरण तंत्र को अत्याधुनिक बनाने के लिये रु0 1451.89 करोड़ की स्काडा योजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा। किसानों को भरोसेमन्द बिजली उपलब्ध कराने तथा घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत

आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रु0 1500 करोड़ की फीडर सेपरेशन योजना का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में 22 जनपदों में गैर विद्युतीकरण मजरों एवं गांव के विद्युतीकरण के लिये लगभग रु0 3500 करोड़ की लागत के कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जा रहे हैं। टेण्डर के माध्यम से 6000 मेगावाट बिजली क्रय करने के लिये निविदा प्रकाशित की जा रही है। टेण्डर के माध्यम से दरें तय करके जवाहरपुर जनपद एटा में 1320 मेगावाट क्षमता की एक नयी तापीय परियोजना स्थापित करने के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। पारेषण क्षेत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिये चालू वित्तीय वर्ष में लगभग रु0 4000 करोड़ के नये कार्य कराये जायेंगे। इसमें 400 के0वी0 क्षमता के 4 नये उपकेन्द्र तथा 220 के0बी0 क्षमता के लगभग 20 नये उपकेन्द्रों का निर्माण सम्मिलित है। मान्यवर, किसानों के निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिये रु0 150 करोड़ का प्राविधान इस बजट में किया गया है जिससे लगभग 22000 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जायेगा। हमने हथकरघा बुनकरों को मुफ्त बिजली तथा पावरलूम बुनकरों के बकाया बिजली के बिल माफ करने का वादा अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था जिसे पूरा किया जायेगा। जिसे हम पूरा करेंगे। मान्यवर, प्रदेश में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों ने 10 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 16 से 22 घण्टे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मान्यवर, बहुत अधिक मांग और अतिभारिता के कारण कुछ क्षेत्रों को निर्धारित बिजली नहीं मिल पा रही है। इस समस्या के निराकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को बजट से सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है ताकि लाइनों की अतिभारिता दूर करके सभी क्षेत्रों को बिजली मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, अगले एक वर्ष में विद्युत व्यवस्था में अपेक्षा के अनुरूप सुधार होगा ताकि प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक बिजली मिल सके। इसलिये आज मैं यह बजट प्रस्तुत करते हुये सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यह बजट स्वीकृत करेंगे और हम बिजली के बारे में बहुत चिन्तित हैं और हमारी सरकार बहुत जल्दी व्यवस्था करेगी ताकि प्रदेश की जनता को दिक्कत न हो। हम बजट प्रस्तुत करते हुये यही अपील करेंगे, सब लोग मिल करके हमारा सहयोग करें और आपको बिजली की जो समस्या है, उसे हम दूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय नेता विरोधी दल ने लिखा है कि कटौती का प्रस्ताव आज भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, अगर आप लोगों की राय हो तो इसे पास करा के यह जो अनुदान संख्या-11(2) है, बाद में उस पर चर्चा कराई जाय या इसी समय करा लें ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उसे बाद में कर लें, ऊर्जा का अपना महत्व है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। कटौती कौन रखेंगे ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं रखूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप रखिए।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना लिखित भाषण इतने विस्तृत रूप से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया और अपने घोषणा-पत्र की भी चर्चा की। मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर मैं अपनी बात प्रारम्भ करूँ, उससे पहले जो इनके घोषणा-पत्र में लिखा है, मैं सदन में दोहराना चाहूंगा। घोषणा-पत्र कहता है, निजी और सहकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी और आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। मैं अपने आप को यही तक रोकूंगा। यह घोषणा है जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने इस सरकार की तरफ से कहा कि इस घोषणा-पत्र को पूरा किया जायेगा अर्थात् 2 साल बाद हम पुनः यहां बैठेंगे और इस समय सदन में कही हुई बाद का मूल्यांकन करेंगे कि शहरी क्षेत्र को 22 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्र को 20 घण्टे बिजली मिली या नहीं ? क्योंकि घोषणाएं तो इसके पहले भी हुई है। 2003 में भी यह सरकार आई थी, 2005 तक काम किया था और जो उस समय के जो माननीय सदस्य होंगे, उन्हें याद होगा कि सदन को बार-बार यह आश्वस्त किया गया था कि 2005 होते-होते इस प्रदेश की बिजली समस्या को दूर कर दिया जायेगा। उन तीन सालों में बिजली पर कितने आन्दोलन हुये, हम सब उससे वाकिफ है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थितियां बिजली के नाते हो गई थी। बिजली कब आती है, यह चर्चा का विषय नहीं था, चर्चा का विषय यह होता था कि जब बिजली चली गई, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, कितने दिन शहर में अंधेरा रहेगा। हम लोग सड़कों पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बैठे थे, परिवार के साथ आन्दोलन किये थे, जेलों में भेज गये थे और पूरे 3 साल आन्दोलन चला था। मैं सहमत हूं माननीय मंत्री जी की इस बात से कि पिछले 5 साल में भी बहुत कुछ नहीं हुआ। जो आपने साहित्य दिया है, उसको हम लोगों ने देखा है। प्रश्न यह है कि इस सरकार से पहले जो सरकार 2007 में आई थी तो उसने भी 2012 तक बिजली की समस्याओं को समाप्त करने की घोषणा की थी। और जब उन्हें लगा कि 2012 तक नहीं कर पायेंगे तो बड़ी आसानी से उन्होंने 2014 का सब्जबाग दिखा दिया था। क्योंकि उनको मालूम था कि 2014 में वह यहां रहेंगे नहीं। अब आपने दो साल जोड़ा है। 2012 में दो साल जोड़कर 2014 ही हुआ। अर्थात जो पूर्ववर्ती सरकार ने कहा था आप उसी पर बल दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग कितना महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं। ऊर्जा विभाग विकास की रीढ़ है। जहां ऊर्जा नहीं है वहां विकास नहीं है। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान होता है वैसे ही प्रदेश के विकास में ऊर्जा का स्थान होता है। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी तो हम इस प्रकार के किसी काम को करने की कल्पना ही नहीं कर सकते। इतने महत्वपूर्ण विभाग के बारे दुख इस बात का होता है सरकारें चाहे कोई रही हों जो आंकड़े हमारे पास हैं। हर योजना के बाद दूसरी योजना में ऊर्जा विभाग पर जो परिव्यय दिया जाता है वह योजना दर योजना घटता चला जा रहा है। इस सरकार के कार्यकाल में भी यही होगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा परिव्यय का 29 प्रतिशत ऊर्जा पर दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में घटकर 27 हो गया, नवीं पंचवर्षीय योजना में घटकर 17 हो गया, दसवीं में घटकर 10 हो गया और ग्यारहवीं में घटकर 8.45 हो गया। हर योजना के बाद कितना निवेश हम विद्युत के क्षेत्र में करना चाहते हैं उनका योजना परिव्यय ही वह चीज है जो इस योजना को तैयार करेगी, हर बजट के साथ और हर योजना के साथ वह घटता चला जा रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अभी हम लोगों के पास आयी नहीं है। लेकिन 2013-14 का यह जो साहित्य दिया गया है। सरकार विद्युत का उत्पादन बढ़ाने की चाहे कितनी बात कर ले आप उसके अंतिम पृष्ठ को पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि यह सरकार जो धनराशि स्वीकृत कराना चाहती है उसके पूरे आंकड़े में किसी नये विद्युत उत्पादन के लिये सरकार कोई खर्च करना चाहती है उसका जिक्र ही नहीं है। सरकार जो खर्च करना चाहती है वह बिजली विभाग का ही खर्च है। लेकिन सरकार के सम्पूर्ण खर्च का 6762 करोड़ रुपया बिजली विभाग के ऋणों और विभिन्न नागरिकों को मिलने वाली छूट में जाने वाला है। विकास कार्यों में सारा खर्च जो दिखाया गया है वह 1970 करोड़ का है। और उसमें भी अधिकांश खर्चा विद्युत के संचरण का, ट्रांसमीशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। नये विद्युत गृहों की स्थापना का नहीं है। लेकिन दूसरा सत्य यह भी है कि पूर्ववर्ती सरकार में जितनी भी फैक्ट्रियां लगनी थी उसके पूर्व में जब कभी योजना बनी होगी तो वह लग चुकी है अधिकांश निर्माण की प्रगति के दौर पर हैं। कुछ मेमोरेण्डम और अंडरस्टेंडिंग की बातें यहां आयी हैं।

10-12 फैक्ट्रियों को छोड़कर। जो कुछ आंकड़े हमें दिये गये हैं उसके हिसाब से जो लक्ष्य सरकार ने तय किये हैं अगर वह लक्ष्य पूरे हो जाये तो 2013 आते-आते हम लोगों को इस प्रदेश में नये बिजली के स्रोत के रूप में 2000 मे0वाट बिजली प्राप्त होगी। 2015 आते-आते करीब 3300 मे0वाट और बिजली प्राप्त होगी। यह आंकड़े हैं जो सरकार दे रही है उन उत्पादन केन्द्रों के हवाले से जो निर्माणाधीन हैं, जिनका निर्माण समय से पूर्ण हो गया तो। सरकार ने कहा कि सरकार इस प्रदेश में 10 प्रतिशत की विकास दर लाना चाहती है। अगर हमें सचमुच इस प्रदेश की विकास दर 10 प्रतिशत लाना है तो ऊर्जा की जो उपलब्धता है उसके विकास प्रतिशत के समतुल्य हम अगर देखेंगे तो उसे हम कम्पांउड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं एक साल में कितना विद्युत उत्पादन बढ़े तो यह तकरीबन 8-10 प्रतिशत आएगा। अर्थात् तीन साल में यह बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाएगा। यानी तीन साल बाद आज जहां से हम चले हैं तीन साल बाद हम फिर वही होंगे। बिजली का उत्पादन हम कह सकेंगे बढ़ेगा। लेकिन जो उस समय हमारी मांग होगी उसके मुकाबले जो हम आपूर्ति करेंगे, दोनों के बीच का गैप उतना ही बना रहेगा, लोगों की समस्यायें उतनी ही बनी रहेंगी। मैं जानता हूं कि यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि दो महीनें में बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन इतने आन्दोलन शहर में विद्युत को लेकर के हो रहे हैं, सरकार का एक दायित्व बनता है, आपने अच्छा काम किया, 1980 मेगावाट के एक नये विद्युत उत्पादन केन्द्र का शिलान्यास आपने कर दिया, जिसमें से हम लोगों को मिलना 1980 नहीं है, हम लोगों को जो शेयर होगा 1980 में सिर्फ 1485 होगा, उत्तर प्रदेश का शेयर इतना ही है, शेष बिजली हम लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन एक शिलान्यास और एक उत्पादन के बीच की कितनी दूरी होगी, कितने साल में वह वस्तुतः विद्युत उत्पादन की स्थिति में आ जायेगा, इस सदन को यह जानना चाहिये और जो अन्य एम0ओ0यू0 साइन किये गये हैं जिनके बारे में बहुत अलग प्रकार के विचार आ रहे थे, एक चर्चा आ रही थी कि जो बिजली इन एम0ओ0यू0 के माध्यमों से मिलेगी और जो बिजली हमें अन्य माध्यमों से मिलती है उनके रेट में बड़ा अन्तर है, शायद 9 या 10 रुपये प्रति यूनिट वह बिजली हम लोगों को पड़ेगी।

चूँकि मा0 ऊर्जा मंत्री जी सदन में है, मैं सहमत हूं इससे कि गलतियां उनकी हैं, लेकिन बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान वह है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, अगर हम नहीं जानते कि यह गलतियां उनकी हैं, तो यह अपराध क्षम्य है, हम जानते हैं कि उनकी गलतियां है फिर भी हम उन गलतियों को पुनः दोहरायेंगे यह हमारे समझ के परे है। अगर गलतियां इनकी थी, अगर सरकार यह मानती है कि जो एम0ओ0यू0 साइन हुये थे, गलत हुये थे, प्रदेश को बड़ी महंगी बिजली मिलने जा रही थी और यहां तक कि जो बिजली निजी कम्पनियों से हम लोग संयोजन करते हैं उनमें जो दो वैरायटीज है केस-वन और केस-टू, जिसके माध्यम से वाटर मेण्टेन और कोल मेण्टेन इनका दायित्व उन कम्पनियों का हो जाता है हमारा

अधिकार होता है कि हमारे प्रदेश से जो बिजली मिलेगी वह हमारे प्रदेश में आयेगी। जब आप एम0ओ0यू0 उनसे करते हैं तब आप शर्त भी नहीं लगा पाते कि जो अतिरिक्त बिजली पैदा होगी वह आपके प्रदेश को मिलेगी या नहीं मिलेगी। चूंकि यह बातें एम0ओ0यू0 की यहां आई थी इसलिये मैं कहा रहा हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं मूल रूप से बजट की कटौती पर आ रहा हूं। बिजली की कमी है, इसकी उपलब्धता बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, नम्बर-एक हमें केन्द्र सरकार से अधिक बिजली मिलें। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके हवाले से बताना चाहूंगा हमें जो बिजली मिलती है वह गाडगिल फार्मूले से मिलती है। मा0 मंत्री जी जिसके तहत जो भी बिजली सेण्ट्रल सेक्शन में आती है, उसकी 25 परसेण्ट को तो नमस्ते कर लीजिये, 15 परसेंट केन्द्र सरकार के पास चली गई, 10 परसेंट शहरी क्षेत्र में, 12 परसेण्ट बाहरी क्षेत्र में वह चली गई। अब जो बचा सरकार हम को उसी हिसाब से देती है, जितना हमें नार्मल केन्द्रीय सहायता मिलती है और जितना हमारी विद्युत की खपत होती है। अब यह जो केन्द्र सरकार की सोच है उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली देने की वह उत्तर प्रदेश सरकार की विरोधी सोच है और इसकी लड़ाई भी मजबूती से लड़ी जानी चाहिये थी, शायद हमें उनसे और अधिक बिजली मिल सकती थी। मा0 मंत्री जी के बयान में यह बातें कहीं आई नहीं है। अन्यथा सच्चाई यह है कि अगर हमारी ऊर्जा की खपत आज कम है।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

दो प्लाण्ट जो बेचे थे आपने, वह नहीं बेंचने चाहिये थे।

श्री हुकुम सिंह-

20 साल पुरानी बात, आपको अब याद आ रही है। उसके बाद तीन बार सत्ता में आ चुके, उसकी बात करो।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं तो अभी तक सरकार की आलोचना पर नहीं आया था, मा0 अध्यक्ष जी, यह लोग आज भी उस जमाने में जीते हैं तो उनको मुबारक हो, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिये, मैं तो कुछ और कह रहा था, मैं आपसे यह कह रहा था कि केन्द्र सरकार हमें बिजली, जो हमारा हक होना चाहिये था, यह हमारी कमी है कि हम केन्द्र सरकार से कितना बढ़िया सम्बन्ध बनाते हैं। हम केन्द्र सरकार को चलाने का काम करते हैं, हम केन्द्र सरकार को विभिन्न प्रकार से स्थापित बनाये रखने का काम करते हैं और हम केन्द्र सरकार से यह भी नहीं कह पा रहे हैं कि जो गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत तुम हमको बिजली दे रहे हो, इसके नाते हमारा कम से कम डेढ़ से दो हजार मेगावाट बिजली हमें कम मिल रही हैं।... हमें अपने नागरिकों की संख्या के हिसाब से और हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से केन्द्र सरकार की बिजली में से हिस्सा मिलना चाहिये यह लड़ाई यह लड़ाई लड़ते हुये मैं

सरकार को नहीं देख रहा हूं और विशेष रूप से तब जब पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध तो ठीक चल रहे हैं, इसलिये बिजली की उपलब्धता केन्द्र के स्तर से हमारी बढ़े इसके लिये प्रयास करने चाहिये। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे प्लांट्स हैं। हम रोज यह कहते हैं कि नई फैक्ट्री लगाएंगे। एक नई फैक्ट्री लगाने में एक मेगावाट में आज करीबन साढ़े पांच या 6 करोड़ रुपया मेरे ख्याल से कम से कम लागत आती होगी, अगर हम इसको राज्य इकाई के रूप में लगाते हैं। निजी लोग जब लगाते हैं तो उसमें और अधिक लागत आ जाती है। हमारे पास बहुत-सी ऐसी फैक्ट्रियां है, जिनसे हम जितना उत्पादन करा सकते थे, हम उतना उत्पादन कराने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार ने स्वयं जो आंकड़े दिये हैं, सरकार के दिये आंकड़ों के पहले पन्ने में इस बात का जिक्र है कि हमारा प्लांट लोड फैक्टर घटकर के 52 प्रतिशत हो गया है। इस सरकार ने खुद इस बात को लिखा है कि हमारा प्लांट लोड फैक्टर 52.63 हो गया। आज से 3 साल पहले यह प्लांट लोड फैक्टर 64 प्रतिशत हुआ करता था। यह जो प्लांट लोड फैक्टर की कमी आया है इसका कारण यह है कि आखिर जब हम अपने पुराने उत्पादन केन्द्रों का रिनोवेशन नहीं करेंगे, मॉडलाईजेशन नहीं करेंगे। उनके खराब पड़े उपकरणों को बदलेंगे नहीं और उनकी जिन्दगी को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। उनके बगल में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर नये उद्योग लगाने का काम नहीं करेंगे तो आखिर यह अतिरिक्त बिजली पैदा कहां से होगी ? मा0 मंत्री जी को यह बताना चाहिये था कि इन बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों को जिनको अगर हम आज लगाते हैं तो 6 साल बाद हमें उससे बिजली मिलेगी। कोई भी फैक्ट्री अगर आप आज लगाएंगे तो आप जानते हैं कि उससे उत्पादन हमें 5 साल या 6 साल बाद ही मिलेगा। बहुत लम्बी यह प्रक्रिया होती है, इसमें लम्बी पूंजी लगती है और लम्बा समय लगता है। लगता है मा0 मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

डा0 वकार अहमद शाह-

इसमें तीन से चार साल का समय लगता है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल

मान्यवर, तीन से चार साल तो आपने बताया लेकिन आपको यह भी बताना चाहिये कि पिछले तीन-चार सालों में कौन-कौन सी फैक्ट्रियां थी, जो कब लगा दी गयी और किनका-किनका उत्पादन कब आ गया। इसी से जवाब निकल आएगा तो मैं यह कह रहा था कि हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम अपने पुराने प्लांट्स का रिनोवेशन, मॉडनाईजेशन और उनके लाइफ इक्सटेंशन के लिये और उनके पुराने उपकरण बदलने के लिये प्राथमिकता पर काम करते, क्योंकि यह जो बिजली की 20 प्रतिशत की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि आज भी अगर इनमें पहले से बेहतर काम कर लिया जाए जो देश का औसतन

है प्लांट लोड फैक्टर का राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश में अध्यक्ष महोदय, प्लांट लोड फैक्टर 90 प्रतिशत है, हरियाणा में 78 प्रतिशत है और पंजाब का प्लांट लोड फैक्टर 87 प्रतिशत है और हम 64 से घटकर के 52 पर आ गये। कहीं-न-कहीं यह सिस्टम जो हमने बनाया है, अगर हम प्लांट को लगाते हैं और उन्हें एफिसियन्ट तरीके से चला नहीं पाते हैं, तो एक साल, दो साल बिजली मिलेगी और तीसरे साल हम फिर उसी कमी की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिये सरकार को यह बताना चाहिये और मुझे विश्वास है कि मा0 ऊर्जा मंत्री जब जवाब देने के लिये उठेंगे, अब तो यहां पर मूल ऊर्जा मंत्री बैठे हुये है अब तक तो सब्सीट्यूड खड़े थे, जो लिखित पढ़ रहे थे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मूल ऊर्जा मंत्री हम लोगों को बहुत अच्छा जवाब देंगे। आखिर इस प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाने की दृष्टि से हम लोगों ने क्या तैयारियां की है इस सदन को बताया जाना चाहिये। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, हमारे पास बिजली कम है। हमारे घर में अगर पैसा कम होता है, तो हर आदमी कहता है कि व्यक्ति को अपने खर्चों में मितव्ययी हो जाना चाहिये और प्रयास करना चाहिये कि बिजली का उपभोग हम कम से कम कर सके। उसके तरीके है केन्द्र सरकार ने बकायदा ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफिसिएन्सी बनाया हुआ है। ढेर सारा काम हुआ है। भारत के कई प्रदेशों में एनर्जी इफिसिएन्सी को बढ़ाने के लिये कई प्रयोग हुये हैं। उन प्रयोगों के आधार पर बहुत सकारात्मक रिजल्ट सामने आये हैं। इतनी बड़ी सरकार है। अगर हम लोगों के पास यह जानकारियां हैं तो मैं यह मानकर चलता हूं कि सरकार और सरकार के अधिकारियों के पास भी यह जानकारियां होगी। मैं जानना चाहूंगा मा0 ऊर्जा मंत्री जब खड़े होते हैं तो हम अपनी इफिसिएन्सी को बढ़ाने के लिये क्या-क्या कर रहे हैं ? किस प्रकार से इस बोझ को कम कर सकते हैं नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या पैदा किये बिना। जैसे मैं उदाहरण देता हूं नगर निगम का। नगर निगम में जितनी जलापूर्ति की जाती है उस जलापूर्ति का आधा खर्चा बिजली का खर्चा होता है। विभिन्न प्रदेशों में व्यवहारिक प्रयोग है कि यदि हम ऊर्जा उपकरणों को बदल लें तो हम नगर निगम में पानी की आपूर्ति में होने वाले खर्च में तकरीबन 50 प्रतिशत तक की कमी कर सकते है। अध्यक्ष महोदय, अकोला म्यूनिस्पल कारपोरेशन ने एक प्रयोग किया स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर।

उन्होंने अकोला म्यूनिस्पल कारपोरेशन की स्ट्रीट लाइट्स को बदल दिया और इनर्जी इफीशियंट स्ट्रीट लाइट सिस्टम ला दिया, इससे स्थिति क्या हुयी, एक साल के अन्दर एक छोटी सी म्यूनिस्पल कारपोरेशन ने 67 लाख रुपये की बचत कर ली और उस उपकरण को बदलने की प्रक्रिया में उनका सिर्फ 66 लाख का खर्च आया। अर्थात् इनर्जी इफीशियंट उपकरणों को लगाने में जितना खर्च आया वह सब एक साल में वापस आ गया। मैं जानना चाहता हूं कि यह सारी चीजें अगर भारत में हो रही है, भारत सरकार अगर आपको लिखित रूप से इसकी जानकारियां दे रही है तो 14-14 नगर निगम है आपके पास, ढेर सारी टाउन एरियाज है आपके पास, इन उपकरणों को वहां लगवाकर के विद्युत की खपत को घटाने का

प्रयास आप क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हों तो जो योजनायें आपके पास हों तो हमारे पास रखी जानी चाहिये। ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, एक बहुत अच्छा प्रयोग गुजरात में हुआ, नागरिक जिस एयरकंडीशनर का प्रयोग करते हैं और जिस रेफ्रीजरेटर का प्रयोग करते हैं, उन्हें इनर्जी एफीशियेंट एयरकंडीशनर और रेफ्रीजरेटर में बदला गया और माननीय मंत्री जी इससे छोटा मोटा लाभ नहीं हुआ जो बिजली हम लोगों ने बताई है उसका एक इंडेक्स होता है कास्ट आफ कंर्जवेटिंग इनर्जी, उसके हिसाब से सिर्फ सही प्रकार की इनर्जी इफीशियेंट ए0सी0 लगा देने से हर ए0सी0 पर घरेलू प्रयोग में 394 किलोवाट और कार्मशियल प्रयोग में 440 किलोवाट और हर रेफ्रीजरेटर पर 166 किलोवाट इनर्जी की बचत हो जाती है। बढ़िया है तो माना करिये और इन्हें अपने जीवन में उतार लीजिये। बढ़िया का मजा तब आयेगा, जब हम सब मिलकर के क्षेत्र में बढ़िया करे। माननीय मंत्री जी इसे अगर पैसे के रूप में बदलने की कोशिश करें, तो सिर्फ हम अपने बाजारों में सही तरीके से इनर्जी इफीशियेंट ए0सी0 लगाने की परिस्थितियां पैदा करें तो एक किलोवाट पर 2.86 पैसे की बचत होने वाली है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इससे बिजली की लागत में कितनी कमी होने वाली है। यही स्थिति पंपिंग वाटर्स की है। जो प्रयोग हम लोग के पास उपलब्ध है, अगर हम सिर्फ अपने 5 हार्स पावर वाले पंपिंग वाटर्स को सही तरीके से रिनोवेट कर ले जायें, इनर्जी इफीशियेंट कर ले जाये तो एक-एक पंपिंग सेट से माननीय अध्यक्ष महोदय प्रति किलोवाट 1 रुपये 75 पैसे की बचत होने वाली है। यह सारी इनर्जी इफीशियेंट प्राविधिकियां इसी भारत की है, भारत में लगाई जा रही है और भारत के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि नागरिक विद्युत का उपभोग कम करें। प्रश्न यह है कि क्या वह हमारे भाषण से कम करेंगे या हम अपने आचरण से उनके सामने कोई आदर्श रखेंगे। हमारे यहां बहुत स्पष्ट मान्यता है, जो हमारे यहां बड़े लोग आचरण करेंगे, सामान्य जनता उनका अनुकरण करेगी। हमारे यहां गीता के तीसरे अध्याय में 21वें श्लोक में कहा गया है 'यद्दा चरित्र श्रेष्ठत तत देवे तरो जना सौ यत्र प्रमाणम् कुरूते लोकस तदम् करिष्यते'। जैसा श्रेष्ठ आदमी आचरण करेगा, सामान्य आदमी उसे जीवन में उतारेगा। तो मैं यह कह रहा हूं अध्यक्ष जी, बिजली की कमी है, जनता मितव्ययी हो, जनता बिजली का उपभोग कर करे, हम अपना खर्च नहीं घटायेंगे।

यह प्रदर्शनकारी असर जाना चाहिये। हमें कुछ चीजें तय करनी चाहिये। हमारा सचिवालय हो सकता है कि 24 घंटे चलता हो, हम मान सकते हैं, आफिस चलता है, बिजली मिलनी चाहिये। अस्पताल महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको बिजली मिलनी चाहिये। उद्योग-धन्धे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको बिजली देनी चाहिये लेकिन शेष जगहों पर विद्युत पर दुरूपयोग शासकीय और प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिये।

गोरखपुर शहर की बिजली कटी रहे, लोग आन्दोलन करते हुये मुख्य अभियन्ता के पास जायें और उनके कार्यालय में 3-3 ए0सी0 चल रहे हों तो स्वाभाविक रूप से नागरिकों का आक्रोश बढ़ने वाला है। इसलिये यह प्रयास होना चाहिये माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहाँ-जहाँ भी विद्युत के उपभोग को कम करने के लिये हम जनता के सामने एक आदर्श रख सकें उस आदर्श को रखने का प्रयास करना चाहिये। सबसे बड़ी समस्या लाइनलॉस की है जिसके बारे में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं। यह सबको पता है कि बिजली की चोरी हो रही है, यह सबको पता है कि प्रदेश में बहुत अधिक हो रही है, मैं नहीं कह रहा कि आपकी सरकार में हो रही है, जो हम लोगों के पास अन्तिम आंकड़े हैं वह घट करके 31 परसेंट के आये हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य इसे घटा करके 15 परसेंट करना है और इसका एक तरीका तय किया गया है। कटिया कनेक्शन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि जितने हमारे बिजली के तार हैं उनके ऊपर हम एरियल बंच कन्डक्टर लगा दें। हम जानते हैं कि यह लगाने से चोरी रुक जाएगी, जिन-जिन क्षेत्रों में यह लगा है वहाँ से कटिया कनेक्शन समाप्त हो गया। प्रश्न यह है कि इतनी बिजली चोरी हो रही और इतना सारा खर्च हम कर रहे हैं। हम इन खर्चों की प्राथमिकता क्यों नहीं तय कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं यह बात महसूस होती कि हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि एक-एक लाइन पर ए0बी0सी0 लगाया जाए और किसी भी नागरिक को कटिया कनेक्शन करके बिजली चोरी करने की छूट न दी जाए, कितना आसान काम है, आर्थिक रूप से बहुत महंगा भी नहीं है, प्रयोग हुआ है, प्रयोग सफल भी हुआ है, पूर्ववर्ती सरकार में ही नहीं आपने स्वयं भी किया है 2003 से 2005 के बीच में तो जब यह प्रयोग सफल है तो पैसा इधर-उधर टुकड़े में न बाँट करके एक स्थान पर कम्पोजिट काम करके, प्रभावी तरीके से काम करके बिजली की चोरी को पूरी तरह से रोकने का प्रयास आखिर हम क्यों नहीं कर पाते, मुझे लगता है कि सरकार को इस बात का जवाब देना ही होगा।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 साहब, अभी आप और कितना समय लेंगे?

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, आप जानते हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि एक भी शब्द दायें-बायें मैं नहीं बोलता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

बाद में भी कुछ बोल लीजिएगा।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी समस्या प्रदेश की उन नागरिकों की है और समस्या बहुत बड़ी है, जो नगरों में रहते हैं। नगर निगम, विकास प्राधिकरणों ने अवैधानिक कॉलोनियाँ बनाने की छूट दे दी, कॉलोनाइजर्स ने अधिकारियों से मिल करके सारी जमीनों को बेच दिया

लेकिन वहाँ विद्युत की व्यवस्था नहीं कराई। माननीय अध्यक्ष जी, अब जब विद्युत विभाग से कहा जाता है कि इन कॉलोनियों को विद्युत का कनेक्शन दे दीजिए तो विद्युत विभाग कहता है कि यह हमारा दायित्व नहीं है जिसने कॉलोनियाँ बनाई थीं उसको वहाँ विद्युत का कनेक्शन देना चाहिए था। अब सवाल यह है कि उन कॉलोनियों को बनाने किसने दिया, मान्यवर, बनाने तो सरकार ने दिया, बनाने तो प्राधिकरणों ने दिया, बनाने तो नगर निगम ने दिया और बनाने देने के लिए इन्होंने पैसे की वसूली की और अब झेल रहे हैं नागरिक। इसलिए अब कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो अनियोजित कॉलोनियाँ हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि फ्री में दे देंगे, आज के युग में यह कह पाना कि सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा यह सम्भव नहीं है लेकिन लागत में मिल सकता है। जो मुझे जानकारी है, मैंने सदन में यह सवाल पूछा था, बिजली विभाग में इस बात की चर्चा हुई थी, सरकार से यह माँग भी की गई थी कि ऐसी सारी कॉलोनियों को प्रदेश को चिन्हित कर लेना चाहिए, ऐसी सारी कॉलोनियों के विद्युतीकरण के लिए जो खर्चा आने वाला है उसको आगणित कर लेना चाहिए। लागत के अन्तर्गत प्रदेश सरकार उन कॉलोनियों में विद्युतीकरण करने के लिए पॉवर कारपोरेशन को पैसा दे दे और जैसे-जैसे नागरिक उनसे कनेक्शन लें उस पैसे में राजस्व ले करके राज्य सरकार को वह पैसा वापस कर दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार ऐसे ही दे, या तो आपके पास इतनी ताकत हो कि जिन कॉलोनाइजर्स ने नागरिकों को ठग करके, उनका शोषण करके जैसे तैसे जमीनें बेच दीं और बिजली नहीं दी या तो आप उन्हें दण्डित कर दें, मा0 अम्बिका चौधरी जी आप सुन लें आप सुन लेंगे तो ऊर्जा मंत्री जी भी सुन लेंगे। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि या तो हमारे पास इतना सामर्थ्य हो कि जिन कॉलोनाइजर्स ने प्रदेश के नागरिकों का शोषण किया है।

हमारे पास ताकत है, हम उन्हें दंडित कर सकते हैं, हम उन्हें मजबूर कर सकते हैं। इस बात के लिए कि अपनी-अपनी कालोनियों में वह पुनः विद्युत की व्यवस्था करके दें अन्यथा उनका स्थान जेल में होना चाहिए, मा0 राजा भैया के अन्तर्गत होना चाहिए। यदि हम अक्षम महसूस करते हैं तो कम से कम इसकी सजा नागरिकों को मत दें। एक व्यवस्था यह कर दीजिए कि सरकार डिपॉजिट के आधार पर पैसा दे दे और पॉवर कारपोरेशन वहाँ पर नेटवर्क डेवलप कर दे। नेटवर्क से जो भी कनेक्शन चार्ज आप तय कर लीजिए, जो लागत हो तय कर लीजिए, प्राफिट तय करना हो, प्राफिट तय कर लीजिए लेकिन बिजली दीजिए। आप उस पैसे को ले करके अलग फण्ड क्रियेट करके राज्य सरकार को धीरे-धीरे वापस कर दीजिए। मंत्री जी, जो सबसे बड़ी समस्या है, सबके आसपास इललीगल कॉलोनियाँ हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। अध्यक्ष महोदय कि ऐसे पचासों लाख लोग हैं। जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, उन्हें बिजली दो या न दो वह तो ले ही लेंगे।

जब आप जानते हो कि ले लेंगे तो दे करके वैधानिक कर लो और वैधानिक करके उनसे पैसा ले लो। कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हम लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि कनेक्शन नहीं मिल रहा है। कनेक्शन दो आधार पर मिलती है या तो जमीन का कागज हो या मकान मालिक की स्वीकृति हो। अब सवाल है कि ये सारे लोग न तो इनके पास जमीन के कागज होंगे और न मकान मालिक की स्वीकृति होगी। इस नाते कोई तरीका निकालना चाहिए, राशन कार्ड के आधार पर निकालिये, परिचय-पत्र के आधार पर निकालिये या जिस भी तरीके से निकालिये और एक फिक्स चार्ज तय कर लीजिए कि हम आपको कनेक्शन देंगें, उसका न्यूनतम इतना चार्ज लेंगे। उस आधार पर उन गरीबों, झुग्गी-झोपड़ी वालों को जिसकी यह सरकार है, जिसका दावा करती है, हम उनको बिजली उपलब्ध करायेंगें। अध्यक्ष महोदय, मैं अब तक तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा था चूँकि गोरखपुर का विधायक हूँ तो एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। अध्यक्ष जी, सत्तापक्ष के ऊर्जा मंत्री जी सामने बैठे हैं और विपक्ष का ऊर्जा मंत्री यहाँ खड़े होकर अपनी बातें कह रहा है। नियम यही है कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ समान आचरण करना चाहिए। जब सिकन्दर, पोरस को पकड़कर ले गया तो पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा आचरण होना चाहिए, तो हारे हुए पोरस ने कहा कि जैसा एक राजा ने दूसरे राजा के साथ किया। इसलिए मा0 मंत्री जी जितनी विद्युत कटौती आपके जनपद में होती है, जितनी विद्युत कटौती सरकारी ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र में होती है उतनी ही विद्युत कटौती विपक्ष के ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र में होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी सैद्धान्तिक आपत्ति है। ये नाजायज बँटवारा जो दोनों करना चाहते हैं, ऊर्जा मंत्री जी के क्षेत्र और कटौती रखने वाले के क्षेत्र में और बाकी क्या करेंगें?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह मजाक था।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर इन्होंने मजाक में कहा था तो मैंने भी यह व्यवस्था का प्रश्न सिर्फ मजाक में उठाया था।

(इस समय 01 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुये)

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद कि हमें आपने आदरणीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के ऊर्जा विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए अनुमति दिया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने उस कटौती प्रस्ताव को रखते समय जिन बातों का उद्धरण दिया है, हम उनसे अपने को सम्बद्ध करते हैं और उनकी इस बात से भी सहमति जताता हूँ कि वर्तमान सरकार के द्वारा यह बात रखी गयी है कि आगामी 2014 तक वे ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों को 22 घण्टे विद्युत उपलब्ध करायेंगें। यकीनन यह इस बात को साबित करता है कि अभी तक यह बात सामने आयी है कि मात्र 2-3 महीने सरकार को आये हुये हैं। अभी 3 महीने के अन्दर ऊर्जा के क्षेत्र में अपने पहले शिलान्यास में परसों जो कानपुर में मा0 मुख्यमंत्री जी और केन्द्रीय कोयला मंत्री जी ने शिलान्यास किया। यकीनन उसको कार्य रूप में लाने में चार से पाँच साल का वक्त लगेगा। अगर दो साल के अन्दर सरकार यह कहती है कि हम दो साल में 20 से 22 घण्टे गॉव को बिजली उपलब्ध कराएंगे अर्थात पूर्व में कोई कार्य कहीं न कहीं जरूर हुआ है। जिसके नाते दो साल में कार्य पूरा कराने की बात करते हैं। क्योंकि पिछली बी0एस0पी0 सरकार में भी 2014 तक 20-22 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने का दावा प्रदेश की जनता को किया गया था। यह सरकार भी उसी दावे की पुनरावृत्ति कर रही है। इस नाते इस बात में दम है कि यकीनन पिछली सरकार ने गम्भीरता से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में काम किया है। मुख्यमंत्री महोदय ने 9 एम0ओ0यू0 को साइन किया है और जो समय सीमा बढ़ाई है अगर वह उस एम0ओ0यू0 से सहमत नहीं होते तो किसी भी दशा में उस एम0ओ0यू0 का वह बढ़ाते नहीं। बल्कि उन्हें पूरी तरह से अधिकार था कि वह उसे निरस्त कर सकते थे यकीनन अगर उन्होंने सहमति दिया है तो कहीं न कहीं पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों से सहमति जरूर रखे होंगे तभी उन्होंने सहमति दी है हम इस नाते साधुवाद देना चाहते है कि आप 2014 तक प्रदेश की जनता को 20-22 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने का जो दावा किया है ईश्वर से कामना है कि आप उस दावे पर सफल हों। मैं बहुत लम्बी चौड़ी बात न रखकर कुछ बिन्दुओं को रखना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश में अगर हम गोरखपुर को अपना माडल माने तो अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जर्जर पोल लकड़ी के पोल जर्जर तार अभी भी लगे हुए हैं। अभी जो साथी यह कह रहे थे कि पांच साल आपने क्या किया पांच साल में जो सरकार कर सकती थी उसमें अगर वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई है तो आप नई उम्मीदों के साथ यह दावा करके आए हैं कि हम आपसे बेहतर करने जा रहे हैं तो हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी जर्जर तार, पोल की समस्या है जो गांव में लकड़ी के पोल लगे हैं जिससे आपकी जो बिजली है वह काफी लास जा रही है उसको सही कराने का कार्य करेंगे। आपने राजीव गॉधी विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में जो 100 करोड़ की बात की है जो संसाधन दिए हैं मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जितने असंतृप्त गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची है आप उन जगहों पर भी विद्युतीकरण का कार्य कराएंगे। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना में टोले मजरे निर्धारित है

पूर्व में ही। और पूर्ववर्ती सरकार में सूची जा चुकी थी उसके बाद से पिछले पांच सात वर्षों में नए टोले बसे है जिनका राजीव गांधी विद्युत परियोजना में कोई सूची में कोई नाम नही है क्या आप यह भी व्यवस्था किया जायेगा कि जो मजरे उस सूची से छूट गये हैं उन्हें भी उस परियोजना में शामिल करने का कार्य करेंगे। कटिया कनेक्शन की बात अभी अग्रवाल साहब ने कही है। यकीनन कटिया कनेक्शन पर रोक लगनी चाहिए। अभियान चलाकर रोक लगनी चाहिए। विद्युत वितरण में जो अनिमितताएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करना होगा। पूर्व में हमने बात रखी थी कि गोरखपुर में घाघरा नदी है सरयू नदी है उसके किनारे बड़े पैमाने पर जमीन भी उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो ऊर्जा मंत्री के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं कि गोरखपुर में घाघरा नदी में सरयू नदी में पानी भी बड़े पैमाने पर है तो फिर विद्युत उत्पादन का कोई संयत्र गोरखपुर में लगाने पर सरकार को विचार करना चाहिए जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ की आपूर्ति ठीक हो सके। हम इस बात को आपके समक्ष रखना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

त्रिपाठी जी अध्यक्ष जी की व्यवस्था के अनुसार आपके पांच मिनट हो गये हैं। इसलिए अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से श्री शिवपाल सिंह जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि गोरखपुर के लिए जो विद्युत आपूर्ति की अवधि की बात अभी अग्रवाल साहब ने उठाई है उसको आप पूरा करेंगे ही लेकिन मेरी अपनी विधान सभा चिल्लूपार में जो विद्युत आपूर्ति वर्तमान में दे रहे हैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे दो शिफ्टों में कांटीन्यू रखने का काम करेंगे। जब तक बिजली बढ़ की और नही जाती। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मा0 पिछलें 5 सालों में बहुत गम्भीर रूप से बिजली का संकट रहा है। लखनऊ व पूरे प्रदेश के अन्दर जनता बिजली के लिए त्राहि-त्राहि करती रही है। बिजली की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने जो संघर्ष किए हैं तो उस पर लाठीचार्ज भी हुए हैं। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 मुलायम सिंह जी जब प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दादरी में पावर प्लाण्ट लगाने का निर्णय किया था लेकिन सरकार बदल गई और पूर्व 5 साल में वहाँ पर कोई काम नहीं

हुआ और दादरी में पावर प्लाण्ट नहीं लग पाया। पूरे प्रदेश में बिजली के गम्भीर संकट से जनता बुरी तरह परेशान रहीं, जब पूर्व की सरकार ने 9 निजी कम्पनियों के साथ पावर प्लाण्ट लगाने का एम0ओ0यू0 किया और उसके बाद भी 2 साल में कोई पावर प्लाण्ट नहीं लग पाया जिसके कारण से प्रदेश में बिजली का गम्भीर संकट रहा। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री मा0 अखिलेश यादव जी इस बात के लिए बधाई के पात्र है उन्होंने जो 9 पावर प्लाण्ट लगने थे उनकों 18 महीने का अल्टीमेटम दे करके ये मौका दिया कि प्रदेश में जो संकट बिजली का है वो दूर हो सके। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से 20 मई को हरदुआगंज, अलीगढ़ में 250 मेंगावाट का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। सिर्फ 3 महीने के मुख्यमंत्री जी के प्रयास से पारीछा पावर हाउस, झाँसी में 27 मई को 250 मेगावाट का उत्पादन कार्य शुरू हो गया है और 11 जून को घाटमपुर में वर्तमान मा0 मुख्यमंत्री जी ने पावर प्लाण्ट का उद्घाटन किया है 2 वर्ष में वहाँ उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्रदेश वर्तमान सरकार के मा0 मुख्यमंत्री जी 18-19 घण्टे एक दिन में काम कर रहे है। प्रदेश में जो गम्भीर बिजली संकट है उसको दूर करने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी बहुत गम्भीर है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि पूर्व में 5 साल में जो ट्रांसफार्मर जो बिजली के खम्भे और जो तार जर्जर हो गए है जिसके कारण जनता को परेशानी हो रही है वो बदले जाएगें मा0 मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि 18500 कि0मी0 के जर्जर तार बदले जाएंगे। जो 80000 जर्जर खम्भे है वह बदले जाएंगे। लखनऊ शहर में और तमाम जगहों पर भी बिजली घरों के ऊपर जो ओवर लोडिंग है, जो ट्रांसफार्मर है उन पर ओवर लोडिंग है जिसके कारण से तमाम बार ट्रांसफार्मर उड़ते है और कई-कई घण्टे बिजली नहीं मिलती है तो उन ट्रांसफार्मरों को बदल करके उनकी क्षमता के अनुसार चलाने का काम होगा। इसके साथ-साथ मान्यवर, हम चाहते है कि लखनऊ शहर में जो लोग झुग्गी-झोपड़ी में नाले के किनारे एवं फुटपाथ पर रहते है उन लोगों का लाइट न मिलने का काम हो रहा है। हम लोग यह चाहते है मा0 मुख्यमंत्री जी से कि जो गरीब, कमजोर, असहाय, और बेसहारा लोग झोपड़ी में रहते है, उनकों भी बिजली मिलने का काम हो। वो तमाम गरीब लोगों के पिछले 5 सालों से वहाँ अंधेरे में रह रहे है बिना बिजली के रहने से उन्हें भारी परेशानी एवं कष्ट हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो पुराने ट्रासफार्मर हैं जिन पर अधिक लोड़िंग है उनकों बदलने का विशेष रूप से प्रयास हो और बिजली घरों में जो ओवर लोड़िंग हो गई है, उस ओवर लोड़िंग के हिसाब से काट दिया जाये । बिजली का उत्पादन करने का काम हो। मा0 मुख्यमंत्री जी ने बिजली संकट दूर करने के विशेष प्रयास किए है बिजली के बजट में 8000 करोड़ से अधिक की व्यवस्था करी है। एक और प्रयास किया कि बिजली के दाम न बढ़ने पायें, इसलिए कि जनता को सस्ती बिजली मिलें, इसलिए उन्होंने 4040 करोड़ रूपये की बजट की व्यवस्था करी है जिससे जनता को सस्ती बिजली मिल सके। मैं इस बात के साथ-साथ कि प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी ने जो

बिजली का बहुत गम्भीर संकट है। उसके हल के लिए गम्भीर प्रयास शुरू किये है। पूर्व ब0स0पा0 सरकार ने 5 सालों में कोई प्रयास नहीं किये थे लेकिन इस सरकार ने जो प्रयास शुरू किया है उसके लिये प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए जो बजट पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

*श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मा0 ऊर्जा विभाग के मंत्री को, जो कि मा0 मुख्य मंत्री जी स्वयं है। मैं कटौती का प्रस्ताव रखने वाले मा0 डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने बहुत ही अच्छे ढ़ंग से बिजली की कटौती पर अपनी कटौती का प्रस्ताव रखा। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कानपुर नगर को 3.50 करोड़ रूपया दिया। और अभी घाटमपुर में पावर प्रोजेक्ट प्लान्ट का उद्घाटन किया है। इसके लिए निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र है।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, एक तरफ तो माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया ओर दूसरी तरफ मा0 मुख्यमंत्री जी को कानपुर नगर की विद्युत व्यवस्था के लिए जो 3.50 करोड़ रूपये दिया है उसके लिए बधाई दी है। तो मेरा डा0 राधाा मोहन दास अगवाल जी से यह कहना है कि इस धनराशि को वह अपने कटौती प्रस्ताव से हटा लेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने बहुत सी चीजें अपने कटौती प्रस्ताव से स्पष्ट कर दी है मैने कहा है कि समान रूप से बिजली का वितरण होना चाहिए। किसी एक क्षेत्र विशेष में अतिरिक्त बिजली दी जा रही है तो दूसरे में कटौती हो रही है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, मा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने पूरे प्रदेश की बात रखी है और उनके कटौती के प्रस्ताव पर मैं बोल रहा हूँ। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने घाटमपुर में जो विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है उससे कानपुर की जनता को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। मान्यवर, आपने कहा था कि कानपुर नगर को 22 घण्टे बिजली दी जायेगी। लेकिन बत्ती आती ही नहीं है। वहां पर 22 घण्टे तो दूर लोगों को यह नहीं पता रहता कि बिजली कब आयेगी और कब गुल हो जायेगी। मान्यवर, इससे वहाँ पर पानी की समस्या भी उत्पन्न

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गयी है। हैण्डपम्प तो है नहीं जब खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराने की बात आती है तो कह दिया जाता है कि इसके लिए पैसा नहीं है। मान्यवर, कानपुर नगर सबसे ज्यादा रेवन्यू प्रदेश को देता है उसके बाद भी बिजली नहीं मिल पाती है। वह जनता क्या करेगी। जब उसे यह नहीं पता कि बत्ती कब आयेगी और कब नहीं आयेगी। मेंरा यह अनुरोध है कि जो पानी देने का समय निश्चित है आपका, कृपया उस समय तो बिजली जरूर रहे। मान्यवर, कानपुर एक उद्योग नगरी है वहाँ तो बिजली की समस्या होनी ही नहीं चाहिए। मेरा कहना है कि वहाँ की बिजली की व्यवस्था को सुधारा जाये व पूरे समय बिजली दी जाये। मान्यवर, हमारा छावनी विधान सभा क्षेत्र है वहाँ 22 स्थान ऐसे है जहाँ पर बिजली के पोल नहीं लगे है। वह सोसाइटी का क्षेत्र है और वहाँ पर लोग बस गये है लेकिन बांस बल्लियां लगा कर बत्ती ले रहे है। जब वह लोग वहाँ के निवासी हो गये है तो उन्हें पूरा हक है कि हर प्रकार की नानरिक सुविधायें उन्हें मिले। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनकी सुविधा के लिए बिजली के पोल लगवाये जायें। उसके अभाव में हो यह रहा है कि गाय भैंस साँड़ उसमें बांस बल्लियों में फंस कर मर जाते है और कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। मान्यवर, मेरा यह भी कहना है कि कानपुर से लगा हुआ कन्नौज इटावा सैफई है वहां 24 घण्टे बिजली जा रही है तो फिर कानपुर में क्यों नहीं दी जा सकती है यह आपको सोचना चाहिए। जब कानपुर वासी आपको भरपूर राजस्व देते है तो फिर उन्हें पूरा हक है कि उन्हें पूरे समय बत्ती मिले।

मैं उस पर आपसे बार बार यही चाहता हूँ कि आप हमारे कानपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश में आप बिजली की कटौती को बन्द करें और मैं कहना चाहता हूँ कि एक बात अभी उधर से आई थी कि 20 साल पहले प्लांट बेचा गया था मैं कहना चाहता हूँ कि सदियों की बात छोड़ो आज आप अपनी बात को देखो और नहीं तो जैसा इन लोगों ने किया वैसा ही आप लोगों ने भी किया तो फिर मैं कहता हूँ कि न आप होंगे न ये होंगे भारतीय जनता पार्टी यहाँ होगी इसलिए लोगों की मद्द कीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-माननीय अधिष्ठाता जी, जब कभी किसी सदस्य को बुलाते है तो उसके पहले ही लाल बत्ती जली होती है तो इससे वह डर जाता है।

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्तुत ऊर्जा बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो ऊर्जा बजट प्रस्तुत किया गया है वह उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और गांवों में बिजली पहुँचाने के लिए इसमें प्रयास किया गया। बिजली निश्चित ही एक महत्तवपूर्ण विषय है और बिना बिजली के प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है चाहे हम कृषि के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो, चाहे हम उद्योग के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हों या घरेलू उपयोग हो या व्यावसायिक उपयोग अगर बिजली का उत्पादन,

उसका वितरण और आपूर्ति हम ढ़ंग से नहीं कर पाये तो इस प्रदेश को विकास के जिस बिन्दु पर पहुँचना है, पहुँचने में मुश्किल होगी। लेकिन यह स्थिति आई क्यों, यह स्थिति इसलिए आई कि विगत 5 वर्षों में बसपा के कार्यकाल में उत्पादन बढ़ाने के नाम पर कुछ नहीं किया गया और जहाँ तक खेतों में खम्भे और तार खड़े थे वह गड़बड़ हो गये उसमें सुधार का कार्य नहीं किया गया, जो ट्रांन्सफार्मर जल गये वह ऐसे ही पड़े हुए है। आज जो विद्युत की समस्या है उसकी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो विगत 5 वर्षों में जो सरकार रही है इस बिजली की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार बसपा की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र में यह वायदा किया है, हमारी पार्टी ने यह वायदा किया है कि हम गांवों में शहरों में 20 घन्टे से 22 घन्टे के बीच विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। यह सपना हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देखा था पिछली सरकार में दादरी जैसे प्रोजेक्ट को लगाने की मंशा यह थी कि उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़े और प्रदेश के निवासियों को बिजली मिलें इससे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो, इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हो, लोगों को घरेलू उपयोग के लिए व्यावसायिक उपयोग के लिए बिजली मिल सके और प्रदेश विकास के नये आयाम छू सके। लेकिन उसमें तमाम राजनीतिक साजिशों के कारण दादरी प्रोजेक्ट नहीं चलने दिया जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कानपुर में जो उद्घाटन किया है वह बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए। आपने जो एमओयू साइन किया था, जिसमें भ्रष्टाचार किया था, हमारे दस्तखत करने या बढ़ाने का मकसद यह नहीं था कि यह काम आपने किया है इसलिए हम उसको नही बढ़ायेंगे। यह प्रदेश की आवश्यकता है। बिजली का उत्पादन कैसे बढ़े इसलिए एमओयू को इक्सटेंशन देने का काम किया है यह हमारी नीति है कि हम प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते है। इसलिए उस एमओयू को इक्सटेंशन देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है।

आज बिजली की बहुत बड़ी चोरी होती है। हम सबको मिलकर उस चोरी को रोकना होगा। लाइन हानि को कम करना पड़ेगा और उत्पादन बढ़ाने के सेक्टर में जो काम हो रहा है वह होगा और बिजली का उत्पादन बढ़ेगा और जो वादा किया है वह वादा पूरा होगा। मान्यवर, आज इस बजट चर्चा में मै एक बात और कहना चाहता हूँ कि राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के अन्तगर्गत जिन मजरो ंका नाम गाँवों के अन्दर लिखा गया हो, मैंने वह सूची पढ़ी है और उस सूची में तमाम मजरों का नाम छूट गये हैं और उनके जो जनगणना के मानक 100 और 300 आबादी के लिए गये है तमाम मजरे शामिल नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से माँग करता हूँ कि उस सूची का पुनरीक्षण करा लिया जाय और जितने मजरे छूटें है उनको पुनः राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित करके और जो उस आबादी के मानक में आते हों उसकी पुनः सूची बना करके 100 आबादी तक के गाँवों के मजरों को शामिल करते हुए डी0पी0आर0 भेज दिया जाय और आर0ई0एस0 में उसकी

स्वीकृति प्राप्त करके 100 गाँवों के विद्युतिकरण का लक्ष्य पूरा करने का काम किया जाय क्योंकि बिजली, आज गांवो में छोटे-छोटे घरों में मोबाइल है और मोबाइल चार्जिंग की एक कुटीर उद्योग गाँव में खुल गये हैं कि अपने गाँव से लोग जाते है और जहाँ पर यह मोबाइल चार्जिंग की दुकाने हैं वहाँ पर दस-दस, पाँच-पाँच रूपये दे करके अपने मोबाइल चार्ज कराने का काम दो-दो,तीन-तीन किलोमीटर दूर जाकर करते हैं। यह समस्या है, आवश्यकता है गाँव इसलिये मैं पुनः यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस सूची की समीक्षा कर ली जाय और उन मजरों को पुनः उस सूची में शामिल करने का काम किया जाय। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि दो फीडर की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि दो फीडर बनेंगे जिससे किसानों को समय से बिजली मिलेगी और उनका उत्पादन बढ़ सकेगा। मान्यवर, पिछले दिनों में यह नियम था कि 5 हार्स पावर के मोटर जो सिंचाई के लिये लगाये जायेंगे वह कृषि उपयोग माना जायेगा लेकिन 3 हार्स पावर के मोटर का कनेक्शन कृषि उपयोग के लिये बन्द कर दिया गया है। छोटे किसान है, कमजोर किसान है उनको 3 हार्स पावर की मोटर लगाने की सुविधा कृषि उपयोग के लिये दी जाय जिससे वह अपने छोटे जोत की, खेत की सिंचाई कर सकें और कृषि उत्पादन में वृद्धि करके इस प्रदेश के विकास में काम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत, जय समाज।

श्री विवेक कुमार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि शायद कोई बोलेगा। हम बुन्देलखण्ड वाले लोग शर्म से डूबे हुए है कि 24 हजार करोड की लागत से 4400 मेगावाट का बिजली घर भारत सरकार ने बरगढ़ में लगाने को दिया था लेकिन तत्कालीन सरकार ने आवश्यकता नहीं समझी कि जमीन दे सकें। एक वर्ष वह पावर हाउस बुन्देलखण्ड के नाम पर बरगढ़ में आया था। बार बार भारत सरकार ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे लेकिन यहाँ पर जमीन नहीं दी गई। मैं काशी राम जी का विरोधी नहीं हूँ लेकिन कांशी राम जी की वह मूर्ति जो जमीन पर लगाई गई है। जहाँ पीने का पानी नहीं है वहाँ नहीं लगाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि 24 हजार करोड़ का बिजली घर चला गया यहाँ से और बुन्देलखण्ड के बगल में उत्तर प्रदेश के हिस्से के बगल में छतरपुर में लगा जाकर लेकिन बी0एस0पी0 सरकार ने बाँदा में नहीं लगने दिया। मान्यवर, समय कम है मैं दो बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ.....

या तो कैबिनेट के डिसीजन को वापस ले लें बुन्देलखंड के अन्दर बिजली की कटौती नहीं हो सकती हैं। पहले इसमें उत्तरांचल भी शामिल था। केवल आपात स्थिति में कटौती की जा सकती है यह कैबिनेट का डिसीजन बी0पी0सिंह के जमाने में, तो या तो आप उसे वापस

ले लीजिए या बुन्देलखण्ड को बिजली दे दीजिए। दिल्ली में टी0बी0 दिखाता है कि झमाझम बारिश, और दिल्ली का टैम्प्रेचर 44 से 42 चला जाता है लेकिन वही टैम्प्रचर बुन्देलखंड में 48 से 50 डिग्री तक है। और बिजली कटौती कब होती है दिन में बारह बजे से चार बजे तक। माननीय ऊर्जामंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उनको बधाई देता हूँ कि पिछले पाँच सालों में ऊर्जा मंत्री वही बोला करते थे जो अधिकारियों की बेंच से लिखकर आता था। ऊर्जा मंत्री नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे साइन होते थे कि अधिकारी टाई लगाए खड़ा होता था और साइन होते थे, कभी-कभी वह हाथी का बिल्ला भी लगा लेता था। पहली बार कम से कम आपने इन्डिपेन्डेंट होकर आपने बजट पेश किया ऊर्जा विभाग का। हम आपकी नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे है। मान्यवर, भारत सरकार से आप भी प्रयत्न कीजिए एक बिजलीघर और लगा दें। क्योंकि छतरपुर चला गया बांदा में नहीं लग पाया आप ही लगा दीजिएगा। पहले बिजली चलती थी, बांदा में 24 घन्टे बिजली मिलती थी...

श्री अधिष्ठाता-

आपस में बात न करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री उमाशंकर-

1990 से पहले गर्मी नहीं पड़ती थी।

श्री विवेक कुमार सिंह-

दिक्कत यह है इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जो बलिया से जाकर, देवरिया से जाकर, बांदा से जाकर ठेकेदारी कर रहे है। बांदा की जनता उनको ढूंढ रहीं है कि आवें सड़क बनावें तो उनकी हैसियत बता दी जाए क्या किया है उन्होंने, किसके साथ रहकर किया है। आपके पास जवाब नहीं है जो लोग ठेकेदार है [x x x] वह ठेकेदारी करते है वह पैसों का हिसाब दें। (व्यवधान)

श्री उमाशंकर-

[x x x]

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग आपस में बातचीत न करें शान्त हो जाएं। विवेक कुमार जी सदन की एक गरिमा होती।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

यह कुछ भी बोलते जाएंगे।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उमाशंकर-

यह रोज सदन मे [x x x] इनका चेकअप करा लें।

श्री अधिष्ठाता-

जब मा0 अध्यक्ष या अधिष्ठाता खड़े होते हैं तो खड़ा नहीं हुआ जाता है। कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही में जो आपत्तिजनक होगा वह निकलवा दिया जाएगा। कृपया बैठ जाएं कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

(व्यवधान)

नियमों में व्यवस्था है कि किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो वह पहले लिखकर देता है मैंने सुन लिया है जो आपत्तिजनक होगा उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

(बसपा के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

अब व्यवधान न करें, जिन लोगों के सूची में नाम है, उनकों अवसर मिलेगा, अपनी बात कहिएगा। माननीय विवेक कुमार सिंह जी, आपका समय समाप्त हो गया है, आप कृपया बैठ जायें। माननीय दलवीर सिंह जी आप बैठ जायें विवेक कुमार सिंह जी आप बैठ जायें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)

माननीय अधिष्ठाता जी, न जाने क्या कह दिया कि इतनी बौखला गयी दुनिया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय दलवीर सिंह के बाद माननीय जाहिद बेग जी बोलेंगे और उनके बाद श्री कालीचरण सुमन जी बोलेंगे। कृपया शान्ति बनाये रखें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान जारी)

कृपया बैठ जायें। पीठ से जब अध्यक्ष या अधिष्ठाता खड़े होते है तो नहीं खड़े होते है। माननीय विवेक कुमार सिंह जी, आप बैठ जायें। आप लोग बैठ जायें, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

अधिष्ठाता जी, आपने विवेक कुमार सिंह जी को कहा कि आप बैठ जायें, आपने सिर्फ माननीय सदस्यों को शान्त करने के लिए कहा था, इनकी बात को समाप्त करने के लिए नहीं कहा था, इनकी बात अभी अधूरी थी, सदन में व्यवस्था बनाये रखने के लिए इन्हें बैठने के लिए कहा था, इनकी बातों को समाप्त करने के लिए नहीं कहा था।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, कृपया शान्ति बनाये रखें। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी है कि 5 मिनट का समय मिलेगा, आप दिखवा लें, 5 मिनट से ज्यादा समय हो गया है। आप लोग आपस में बातचीत न करें। आप बैठ जायें, मैंने आपकी बात सुन लिया है। माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था के अनुसार अधिकतम 5 मिनट एक माननीय सदस्य को ऊर्जा विभाग के बजट पर अपनी बात रखने को मिला है। माननीय विवेक कुमार सिंह जी का समय पूरा हो गया था। यह सही है कि व्यवधान हो गया था लेकिन समय पूरा हो गया था। चूँकि उनका समय पूरा हो गया था, उनकी बात रिकार्ड पर आ गयी है, उन्हें जो कुछ कहना था, वह भी रिकार्ड पर आ गया।

(व्यवधान जारी)

व्यवस्था बनाये रखिए। सदन की अपनी एक गरिमा है, कृपया उस गरिमा को बनाये रखें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

अधिष्ठाता जी, सदन की भावना का भी आप सम्मान करें। उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई है, आपको हट नहीं करना चाहिए। आपकों हट शोभा नहीं देता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विवेक कुमार सिंह जी।

अगर आपका कोई वाक्य रह गया हो जिसको आप पूरा न कर पाये हों तो उसे आप पूरा कर दें ताकि कार्यवाही में आ जाये। वैसे आपका समय पूरा हो गया है।

(बसपा के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

(शोर शराबे के मध्य)

आपको मौका मिलेगा। आप बैठ जायें। यह सदन पहले नियमों से चलेगा बाद में परम्पराओं से चलेगा।

श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, मैं तीन बार निर्वाचित हुआ हूँ मुझे मालूम है सदन कैसे चलता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। अगर नाम लिया है तो निकलवा दीजिए। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता कि बुन्देलखण्ड की बदहाली को लेकर, बिजली, सड़क को लेकर अगर मैं कोई आवाज उठाता है तो क्या लोग उचकने लगते है। मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर ठेकेदार शब्द का नाम लेता हूँ तो क्यों परेशानी होती है। अगर किसी ने लूट की है तो उसका जवाब सरकार को देना है। अगर सरकार जवाब नहीं दे पायी तो बांदा और बुन्देलखण्ड की जनता जवाब देगी। धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह -

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं इसी क्रम में हरदुआगंज में स्थापित पावर हाउस के संबध में आपके संज्ञान में कुछ महत्तवपूर्ण बिन्दु लाना चाहता हूँ। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हरदुआगंज में बिजली की उत्पादन बढ़ाने के लिए 250 मे0वाट की यूनिट लगायी गयी है। और 250 मेगावाट की जो इकाई काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन दोनों यूनिटों पर 2200 करोड़ रूपया की लागत आनी थी। पिछली सरकार में केवल लूट का उद्देश्य था। उसकी कीमत 2200 से बढाकर 27 सौ करोड़ कर दी गयी। मैंने सवाल भी किया था। यहां व्यर्थ में इतनी ई0एस0पी0 मशीन सिर्फ कमीशन लेने के लिए खरीदी गयीं। उस पर जवाब भी आया है कि यह सब ई0एस0पी0 मशीनें कमीशन के लिए खरीदी गयी उनका कही उपयोग नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस पर उच्चस्तरीय जांच बैठाने के लिए मैं निवेदन कर चुका हूँ अब फिर पुनः कर रहा हूँ। बजट पर विभिन्न वक्ता विस्तार से चर्चा कर चुके है। मेरा और मेरी पार्टी का केवल एक निवेदन है कि राष्ट्रीय लोकदल मांग करता है कि किसानों का बिजली का बिल माफ किया जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, नेता जी ने घोषणा की थी कि सभी किसानों के सिंचाई के कर्ज माफ कर दिये जायेंगे और फ्री सिंचाई की जाएगी। तो मैं मांग करता हूँ कि सिंचाई में प्रयोग होने वाली बिजली पूरे प्रदेश में किसानों की माफ की जायें मेरे प्रश्न के जवाब में अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि हरदुआगंज प्रोजेक्ट में 660 में0 वाट का बिजलीघर प्रस्तावित है।

मैं चाहूँगा कि उसके बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजली की स्थिति बहुत अच्छी हो जायेगी, उसे शीघ्रता से खुलवाया जाय। दूसरा जो ढ़ाई ढ़ाई सौ मेगावाट के दो बिजली घर लगे है, उनमें लगभग आठ सौ करोड़ रूपये का घोटाला और बेईमानी हुई है, एक दिन काम नहीं कर रही है, पिछली सरकार हो या कोई और हो, अधिकारी हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे नेता हो, उनका उद्देश्य बिजली का उत्पादन बढ़ाने का नहीं था, उनका उद्देश्य लूट का था, दोनों यूनिटें आज कोई काम नहीं कर रही है, और आपको पिछली सरकार के जवाब में लीपा-पोती करके जवाब देना पड़ रहा है। आपने कहा है कि हमारी एक मशीन काम कर रही है, बिल्कुल काम नहीं कर रही है, कतई फेल है, आठ सौ, सात सौ करोड़ रूपये का कमीशन लिया गया है। मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी और विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उस में उच्च स्तरीय जांच कराई जाय। मुख्य मंत्री जी, पूरे प्रदेश की जनता आपकी बिजली आये चाहे न आये, लेकिन वह इस इन्तजार में बैठी है कि इन बेइमानों का इन्तजाम आप जल्दी कर रहे कि नहीं कर रहे है। यदि आपने इनका इन्तजाम जल्दी नहीं किया तो जनता आपके भी विरोध में हो जायेगी। सबको पता है आपको आये हुए सिर्फ ढ़ाई महीने हुए है, हर एक को पता है ढ़ाई महीने में आप कर ही क्या सकते है, आप पर क्या

आरोप-प्रत्यारोप लगाये। हमें तो आपसे यह आशा है कि जो पिछले पाँच सालों में इन लोगों ने खाया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करके तो देखाइये। आप देखिये हरदुआगंज मेरी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि 660 मेगावाट की परियोजना को आपने स्वीकृति दी है, जवाब मेरे पास है आपका, लेकिन जो ढ़ाई-ढ़ाई सौ मेगावाट की यूनिट लगी है, जो 22 सौ करोड़ में लगनी थी, उन पर 29 सौ करोड़ रूपया लग गया, एक भी यूनिट बिजली नहीं दे रही है, एक भी दिन नहीं चली है, सारे पैसे को खा गये। मेरे निवेदन पर आपने उन बेइमान अधिकारियों को तो हटा दिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई तो करो, रिकवरी तो कराओ, एफआईआर कराओ, उनको जेल भिजवाओ, जनता भी इसी आशा में बैठी है और इसीलिए आपको मुख्य मंत्री भी बनाया है, इसीलिए आपकी सरकार बनाई है, उसमें देरी मत करो। जितनी देरी हो रही है, उतना ही मामला गड़बड़ हो रहा है। मान्यवर, मैं अपने दल की तरफ से, खुद अपनी तरफ से, मा0 मुख्य मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि किसानों पर विभिन्न केस दर्ज हो गये इतने थोडे पीरियड में, आपका कोई दोष नहीं है, आप ढ़ाई महीना में कहां पर पावर हाऊस लगा देते, लेकिन दोष जो भी कुछ है, पिछले लोगों ने जो कुछ किया यह सब उसी का दोष है लेकिन जितने मुकदमा आपके समय में किसानों पर, कायम हुए है मेरे खुद गभारा थाने में अलीगढ़ जनपद में, बागपत में, बड़ौत में, बुलन्दशहर में किसानों पर कायम हुए है क्योंकि वह बिजली की मांग कर रहे है, सिम्बौलिक तरीके से किसान कही कर्मचारियों को बन्धक बना लेता है, कही रोड जाम करता है, इस-इस तरह के उन पर केस लगे है, मैं आपसे मांग करता हूँ कि वह जरूर वापस किये जाएं और राष्ट्रीय लोक दल इस बात का विरोध कर रहा है कि यहां बजट में किसानों के लिए फ्री बिजली देने की व्यवस्था नहीं की गई है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद् और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री जाहिद बेग-

माननीय अधिष्ठाता जी, मा0 ऊर्जा मंत्री शिवपाल जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब घोटालों की बात आती है, जब ठेकेदारी की बात आती है, जब चोरी की बात आ जाती है कि पांच साल जिन लोगों ने सरकार चलाई है उनके अन्दर कौन सा ऐसा वो आ जाता है, उठ कर चिल्लाने लगते हैं, मा0 सिंह साहब जी ने कौन सी ऐसी बात कही सिर्फ ठेकेदारी की बात कही, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, किसी विधायक का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ ठेकेदार का नाम लिया, ठेकेदार का नाम लेते ही बसपा के लोग आग बबूला हो जाते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं पाँच सालों में सारे विभागों में चोरी हुई है, घूसखोरी हुई है। मैं मांग करता हूँ कि सारे विभागों की जाँच कराई जाय और उन बेइमानों को जेल भेजने का काम किया जाय, जिसने इसमें बेइमानी की हो।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसने बेईमानी की हो और जो विधायक ठेकेदारी करते हैं। मैं कड़े शब्दों में कहता हूँ कि उन विधायकों से कहा जाए कि या तो ठेकेदारी करो या जनता की सेवा करो। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा क्षेत्र का मामला है, में मुद्दे पर आता हूँ क्योंकि इस पर ज्यादा बोलने में टाइम समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, हमारा भदोही विधान सभा क्षेत्र है, जो कारपेट उद्योग से ताल्लुक रखता है। हमारा क्षेत्र शुद्ध रूप से कुटीर उद्योग का क्षेत्र है। वहाँ पर बिजली की समस्या है। मा0 मुख्य मंत्री जी, स्वयं बिजली की समस्या के लिए चिंतित भी हैं केवल भदोही के लिए ही नहीं, सारे उत्तर प्रदेश के लिए। मान्यवर, वहाँ पर शहरों में 22 से 24 घण्टे की बिजली व्यवस्था करायी जाए और गांवों में कम से कम 18 घण्टे बिजली की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही साथ मैं यह मांग करना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मर जब खराब होते हैं, तो पूरे फीडर की बिजली काट दी जाती है, मैं यह चाहता हूँ कि जब ट्रांसफार्मर खराब हो तो सिंर्फ उस एरिया की बिजली काटी जाए, जिस एरिया का ट्रांसफार्मर खराब हो मान्यवर, जब ट्रान्सफार्मर खराब हो जाता है तो पूरे फीडर की बिजली काट दी जाती है। इससे सरकार की भी बदनामी होती है और अन्य लोगों की भी बदनामी होंती है। और जब ट्रांसफार्मर खराब होता है तो किराये के नाम पर, जनता से धन माँगा जाता है। इसमें कहीं न कहीं वहां के लोकल अधिकारियों का फायदा होता है। अधिकारी कहीं-न-कहीं अपनी जेबों को भरने के लिए ट्रांसफार्मर को खराब भी करते हो। पिछले पाँच सालों में जिस तरह ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं, दो दिन के अन्दर, तीन दिन के अंदर, एक महीने के अंदर ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं, उसके संबंध में मैं चाहता हूँ कि जिसने यह ट्रांसफार्मर सप्लाई किए हुए है। उसकी भी जाँच करायी जाए, कि ट्रांसफार्मर कैसे आए और क्या वजह उनके खराब होने की ? कभी-कभी हमने यह देखा है मान्यवर, कि जब लाइट चली जाती है तो तुरंन्त ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं माँग करता हूँ कि जो ट्रान्सफार्मरों की सप्लाई की गयी है, उन ट्रान्सफार्मरों की जांच करायी जाए। मा0 अध्यक्ष जी, मैं बिजली के बिलों के बारे में कहना चहता हूँ कि बिजली के बिल साल-साल भर नहीं आते हैं। और जब बिल समय से नहीं आते तो हमारे उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करने में परेशानी होती है। बिजली के बिल के संबंध में जैसे पहले व्यवस्था थी उसे लागू किया जाए। ठेकेदारी की व्यवस्था को समाप्त करके पहले जैसे बिजली के बिल की सप्लाई होती थी दो-दो महीने पर वह कर दिया जाए। जो किसान और जो गरीब आदमी होता है, उसको बिजली का बिल इक्ट्ठा आने पर दिक्कत होती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं माँग करता हूँ आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से और मा0 ऊर्जा मंत्री से कि बिजली का बिल दो महीने में किसानों और मजदूरों के घर भिजवाया जाए ताकि उनके ऊपर भार न पड़े और वह समय से बिल जमा कर सकें। और अगर बिल जमा कर देंगे तो उससे सरकार के खजाने को भी पैसा मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, और इसकी क्या वजह है कि 5 साल की जब बात आती है, ठेकेदारी की बात आती है, घोटालों की जब बात आती है, तो जो 5 साल तक राज किए हैं, उनके अंदर से उलझनें होने लगती हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए। मा0 अधिष्ठाता जी आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री कालीचरण सुमन-

मा0 अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा रखे गए बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, मैं आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे क्षेत्र में विद्युत की बहुत ही विकट समस्या है। मेरा क्षेत्र ताजमहल से सटा हुआ क्षेत्र है वैसे तो कोर्ट के आदेश से ताज ट्रिपोजियम के आधार पर आगरा जनपद को और आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र को 24 घन्टे बिजली मिलनी चाहिए थी, परंतु 5-6 घंटे ही बिजली मिलती है। मान्यवर, 5-6 घन्टे बिजली मिलती है और वह भी पता नहीं कब मिले कब न कटे इसका कोई पता नहीं है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि आगरा शहर के आस-पास बिजली न होने के कारण रात में मच्छर बहुत काटते हैं। मच्छरों का बहुत प्रकोप है। मा0 मुख्य मंत्री जी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि बिजली तो आप नहीं दे सकते, परंतु मच्छरों के प्रकोप को रोकने का तो आप जरूर प्रयास करेंगे। मा0 मुख्य मंत्री से हम अनुरोध करेंगे कि मान्यवर, बिजली चले जाने के कारण रात में सोना भी दुर्लभ हो जाता है। कभी-कभी तो बिजली ऐसे समय जाती है, जब खाना खाने बैठते हैं, जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं। वैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में कहा था कि हम 20-22 घन्टे बिजली देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह केवल दिखावी घोषणा थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 33/11 के0वी0 का विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत कालाक्खा में हुआ था, उसका पैसा भी आगरा जनपद में पड़ा हुआ है परन्तु सरकार बदलने के कारण वह आज तक शुरू नहीं हो पाया है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि 33/11 के0वी0 का जो सब स्टेशन स्वीकृत है, उसका निर्माण कराकर विद्युत आपूर्ति कराने की कृपा करें। मान्यवर, मेरा क्षेत्र शहर से लगा हुआ है और शहर से लगा होने के कारण बिल्डरों ने तमाम अवैध कालोनियाँ बना ली है और उसकी विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र के सब स्टेशनों से की जाती है, इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का संकट अधिक हो जाता है। इसलिये माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसकी भी आप व्यवस्था करें और ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत कटौती न की जाये। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बरौली अहीर से इटोरा फीडर है। (इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) उसके तार जीर्ण-शीर्ण हालत में है। उन तारों को तथा पुराने पोलों को बदलने की व्यवस्था करें। मान्यवर, हमारे यहाँ अधिकांश ग्राम और मजरे विद्युतीकरण से अधूरे रह गये है। उन गांवों का विद्युतीकरण कराने की कार्यवाही की जाये। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अकोला पेयजल हेतु एक पानी की टंकी लगी हुयी है, उसका आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है। मान्यवर, इसके विद्युत कनेक्शन को कराया जाये जिससे पेयजल की आपूर्ति हो सके। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम सेमरी नगला कली विद्युत ट्रांसफारमर घनी आबादी में लगे हैं, जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, इन ट्रांसफारमरों को घनी आबादी से हटाकर

उपयुक्त स्थान पर लगाया जाये। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जखोदा है, वहाँ विद्युत ट्रांसफारमर लगा हुआ है, उसकी क्षमता कम है, इसके अतिरिक्त एक ट्रांसफारमर अनुसूचित बस्ती में लगा दिया जाये। मान्यवर, मै इस विद्युत बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात खत्म करता हूँ धन्यवाद।

*श्री बजरंग बहादुर सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग के बजट पर डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। अभी माननीय मंत्री जी सदन के अंदर जब ऊर्जा विभाग का बजट रख रहे थे तो बड़ी बारीकी से उन्होंने बताया कि हम प्रदेश की जनता को क्या दे रहे हैं, हम प्रदेश के अंदर विद्युत क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई वर्षों से कई सरकारें आती रहीं हैं और जाती रही हैं सब लोगों ने निश्चित रूप से इस सदन में बजट रखते समय इस प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया है कि 5 साल के अंदर निश्चित रूप से हम विद्युत में सुधार करेंगे। जो सरकार आज सामने बैठी है, वर्ष 2003 में भी इसी पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता को बजट दिया था और कहा था कि 9-10 साल बाद प्रदेश में 24 घन्टा बिजली की व्यवस्था रहेगी। हम नहीं समझते हैं आपने ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिये जो प्रोजेक्ट लगाये वह किस तरह से लगाये थे कि आपके जाने के बाद आने वाली सरकारें उसको बंद कर देती हैं। मै समझता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी भी रहे हैं उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी तमाम योजनायें चलाई लेकिन उसका जो एग्रीमेंट था, वह इस तरह का था कि आने वाली सरकारें उसको बंद करने में सफल नहीं हुयी। लेकिन आपने जो 2003 में प्रोजेक्ट लगाये थे वह अगली सरकार कैसे बंद कर देती है। आज पुनः जनता के बीच में आप गये। बहुजन समाज पार्टी ने जनता को बिजली नहीं दिया है, आपने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से जनता को बिजली देंगे। लेकिन आज हालत क्या है, प्रेस मीडिया में छाने के लिए, जनता को सन्देश देने के लिए प्रदेश के मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम शाम 6 बजे से 10 बजे तक बिजली देंगे और पूरी बिजली की व्यवस्था बिगड़ जाती है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम 10 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में और 16 घण्टे बिजली शहरी क्षेत्र में देंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि जो बाते सरकार कहती है वह उसे पूरा नहीं करती। पूरे उत्तर प्रदेश में तीन घण्टे, चार घण्टे से अधिक बिजली नहीं दी जा रही है, कहा जाता है कि विशेष कटौती है, मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप 10 घण्टे बिजली देने की घोषणा करते है तो उसमें विशेष कटौती क्या है या तो आप कहिये कि हम तीन घण्टे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिजली दे रहें हैं। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश मे समाजवादी पार्टी बिजली के मामले में फेल है, पूरी बिजली व्यवस्था फेल है किसान परेशान है, किसान की सिंचाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर बिजली की व्यवस्था को आप सुधारना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके लिए संकल्पित होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ आपको प्रोजेक्ट लगाने होंगे तभी प्रदेश की जनता को बिजली की समस्या से राहत दिलायी जा सकती है। मा0 अध्यक्ष जी, पिछले वित्तीय वर्ष 2011-12 में मेरे विधान सभा के अन्दर एक करोड़ उनसठ लाख रूपया स्वीकृत हुआ था, बरातिगाड़ा, सिकन्दराजीतपुर, करमहा, रायपुर जिगनिहा, महादेवा इन तमाम गांवों के लिए यह एक करोड़ उनसठ लाख रूपया स्वीकृत हुआ था, बहुत सारे काम शुरू हो गये थे, पोल खड़े हो गये, करोड़ों रूपये खर्च हो गये दूसरी सरकार आई और सरकार ने आते ही इस योजना को ब्रेक लगा दिया। हम क्षेत्र के विधायक हैं, हम जन-प्रतिनिधि हैं, हम उन गांवों में गये थे, जनता के सामने पोल खड़ा करा करके आये थे लेकिन वह काम रूके पड़े हैं। हम बार-बार प्रयास कर रहे हैं, सरकारी विभागों के अधिकारी निश्चित रूप से इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि बहुत पैसा खर्च हो चुका है, मा0 मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रदेश के अन्दर लूट हो रही है वह आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कनेक्शन के नाम पर साढ़े नौ सौ रुपये सरकारी खजाने में जमा कराने की व्यवस्था है लेकिन बिजली विभाग का अधिकारी 2 हजार रूपये कनेक्शन के नाम पर ले रहा है और यदि कोई पैसा नहीं देता है तो वह अधिकारी कहता है कि तुम्हारे पास यह कागज नहीं है, वह कागज नहीं है, मान्यवर, लूट हो रही है। अभी आपने एक दूसरा आदेश किया है कि क्षमता वृद्धि की जाए, जहाँ कनेक्शन बढ़ गये हैं वहाँ क्षमता वृद्धि की जाए। आप चले जाइये मैं आपको बता रहा हूँ आपके अधिकारी गाँवों में गये और उपभोक्ता से कहा कि मुझे 10 हजार रूपये दो, हम आपको 10 केवीए का ट्राँसफारमर तुरन्त दे रहे हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश में क्षमता वृद्धि के नाम पर लूट मचाई जा रही है। आपका यह आदेश क्यों नहीं होता है कि जन-प्रतिनिधियों से प्रस्ताव ले लिए जाएं और जन-प्रतिनिधियों से प्रस्ताव ले करके क्षमता वृद्धि कराई जाए। आज बिजली विभाग में भारी घोटाला हो रहा है, यह घोटाला विद्युत विभाग के इंजीनियर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामलाल अकेला-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने जो ऊर्जा विभाग का बजट इस सदन में रखा है उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में तरक्की और विकास के लिए जो रास्ता निकाला है ऐसी स्थिति में जब पूरा उत्तर प्रदेश जर्जर हालत में

मिला हो, पूरे उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था चरमरा गयी हो और आज जो लोग बात कर रहे है बिजली के बारे में, जो 2002-2003 की बात करते हैं, याद करो वह जमाना जब मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि पूरे उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। दादरी का प्लाण्ट लगा था, अगर आप सब लोगों ने मिलकर अडंगा लगाने का काम न किया होता तो आज उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली के लिए अगल-बगल झाँकने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद भी मा0 मुलायम सिंह यादव ने गाँवों को 16 घण्टे और शहरी क्षेत्रों को 18 घण्टे बिजली देने का काम किया था, जानकारी न हो तो गाँव के किसानों से पूछने का काम कर लो। आज ढ़ाई महीने की सरकार में, उत्तर प्रदेश को जिस हालत में दिया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मा0 विवेक सिंह जी कल भी जब लोक निर्माण विभाग पर वह बात कर रहे थे कि ठेकेदार लूट रहा है, डकैती डाल रहा है तो हमारे ब0स0पा0 के मित्रों को क्यों बुरा लग रहा है, क्या आप यह साबित करना चाहते हो कि वह डकैती आपने करने का काम किया है। उन्होंने तो चोरों की बात की थी, डकैतों की बात की थी आज निश्चित रूप से पूरे सदन की मंशा है, मैं अनुरोध करूँगा ऊर्जा मंत्री जी से, नेता सदन से कि जो लूट हुई है, डकैती हुई है, उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे को लूटने का काम किया है, ऐसे लोगों की जगह सदन में नहीं, गाँव में नहीं, ऐसे लोगों की जगह अब जेलों में सुरक्षित कराने का काम किया जाए। यह पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की भावना है। मा0 ऊर्जा मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो कमी है तकनीशियन, लाइनमैन की कमी है, प्राइवेट लोग उसमें काम करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी लाइनमैनों की कमी है। उस पर माननीय मंत्री जी अगर ध्यान दे देंगे और जो प्राइवेट लोग काम करते हैं उसकी वजह से तमाम बाधायें उत्पन्न होती हैं कारण यह है कि बगल के गाँव का रहने वाला है और ट्रांन्सफार्मर में जानबूझकर खराबी पैदा करता है, इसलिए खराबी पैदा करता है कि जब फाल्ट आयेगी तो गाँव के लोग हमको लेने के लिए आयेंगे, अनावश्यक रूप से किसानों और उपभोक्ताओं को नाजायज पैसा भी देना पड़ता है और परेशानी भी उठानी पड़ती है। इसके अलावा जो बड़ी-बड़ी लाइनें है उनके फीडर बदलने की आवश्यकता है। अगर ऊर्जा की चोरी रूक जाए, लाइन लास कम हो जाए तो इतने में ही उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हो जायेगा। माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ट्रांसफार्मर के बारे में एक जाँच होनी चाहिए। अभी बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे। नये ट्रांसफार्मर के नाम पर जो नकली ट्रांसफार्मर मरम्मत करा करके, वही मरम्मत शुदा नये ट्रांसफार्मर के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने का काम किया है पिछली सरकार ने। वह ट्रांसफार्मर जब गाँवों में लगाये गये तो 3 घण्टे भी नहीं चल पाये वह जल गये परिणाम यह हुआ कि गाँव का किसान उस ट्रांसफार्मर को निकालता है, अपनी गाड़ी से लादकर ले जाता है। 3-4 दिनों तक उसे ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता। वह सारी स्थिति आप याद करिये। इसलिए मैं मा0 अध्यक्ष महोदय

का आभार व्यक्त करता हूँ और ऊर्जामंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो वायदा किया है उत्तर प्रदेश के मजदूर, किसान, नौजवान आपको धन्यवाद देता है आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश समग्र विकास करेगा और उत्तर प्रदेश के किसानों के मुरझाये हुए चेहरे पर मुस्कान आने का काम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

माननीय अध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज इस बिजली के बजट पर जो हमारे डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल साहब ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर मुझे बोलने का मौका दिया अध्यक्ष महोदय हम जब से इस सदन में आए हैं हम यह देख रहे हैं कि बिजली को लेकर हमारे साथी चाहे इधर के हों या उधर के सभी ने अपनी बातें कहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली इस प्रदेश की एक बहुत ही विकराल समस्या है और हम सब इससे जूझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मगर मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूँ जो मेरी समस्या है वह पैदा तो इसी बिजली से होती है मगर है दूसरे तरह की महोदय मैं आजमगढ़ मुबारकपुर से निर्वाचित होकर आता हूँ। बुनकर बहुल क्षेत्र है अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा मैं उसका स्वागत भी करता हूँ कि बुनकरों को मुफ्त में बिजली देंगे। उनके लोन भी माफ करेंगे। मगर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बुनकरों की समस्या का अगर समाधान करना है अगर वाकई में उनकी मदद करनी है तो उनकी मेन समस्या का निदान करना पड़ेगा। आज हालत यह है कि दो-दो दिन तीन-तीन दिन बिजली नहीं मिलती है क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खराब हो जाते है लोग एक-एक हफ्ते तक दौड़ते हैं तार की हालत जर्जर हैं मैने पहले भी जब आपने मुझे माननीय महामहीम के अभिभाषण पर बोलने की अनुमति दी थी तब मैंने आपके माध्यम से यह अनुरोध किया था कि जो इस तरह के बुनकर बहुल क्षेत्र हैं जैसे कि मेरा क्षेत्र मुबारकपुर है उसको इण्डस्ट्रियल बेल्ट घोषित कर दें। और इण्डस्ट्रियल बेल्ट घोषित करके कोई सुनिश्चित टाइम बना दें कि 20 घण्टे 18 घण्टे आपको लाइट मिलेगी। क्योंकि महोदय आज उधर ऐसी समस्या है कि तीन-तीन दिन चार-चार दिन तक लाइट नहीं मिलती है। लाइट न मिलने की वजह से उनका पावर लूम नहीं चलता है जिससे उनके बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। भुखमरी के कगार पर हैं अगर उनको इस विकराल समस्या से निजात दिलाना है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह हमारे क्षेत्र मुबारकपुर, जहाँनागंज, अमीलों इब्राहिम जो बुनकर बहुल क्षेत्र है 60-70 हजार की आबादी होगी उसको इण्डस्ट्रियल बेल्ट घोषित कर दें। और पूरे क्षेत्र में तारों की हालत इतनी जर्जर है कि कई बार ऐसा हुआ कि तार टूटकर गिरा और घटना हुई और मौत भी हो गई। किसानों की खेती कटकर रखी हुई है उसमें आग लग गई। उनके अनाज में आग लग गई। किसान को लाइट नहीं मिल पाती है उसकी वजह से सिंचाई नहीं हो रही है। महोदय, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है सभी

लोग देख रहे हैं अभी हमारे वरिष्ठ साथियों ने इस पर अपनी बातें कहीं हैं। इसलिए मैं पूरे प्रदेश पर दुबारा समय न बरबाद करते हुए उनको दोहराना नहीं चाहता मैं अपने को अपने क्षेत्र तक सीमित कर रहा हूँ। महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे क्षेत्र की वकालत करें और मेरे इस अनुरोध को सरकार तक पहुँचाएं कि मेरे क्षेत्र को इण्डस्ट्रियल बेल्ट घोषित कर दें। वहाँ लाइट ज्यादा से ज्यादा देने की कृपा करें। धन्यवाद !

श्री राम चन्द्र चौधरी-

अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आज बिजली का, विद्युत का बजट जो पेश किया गया है वह महत्वपूर्ण आस्था के साथ पेश हुआ है मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ।

मान्यवर, यह बजट अपने में एक महत्वपूर्ण आस्था के साथ पेश हुआ है मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ। मान्यवर, विपक्ष के लोगों ने तमाम टीका टिप्पणी की लेकिन दादरी की परियोजना को किसने रोका था यह सबको पता है। जबकि दादरी परियोजना के माध्यम से समाजवादी पार्टी की सरकार ने पिछले समय में सबको बिजली देने की बात की थी। आज उनकी वजह से ही पूरे प्रदेश में बिजली का संकट पैदा हो गया है। जब हमारी पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 18 घंटे लोगों को बिजली मिलती थी। हमारे नेतागण जो कहते हैं वह करते भी हैं। लेकिन इसके उलटे विपक्ष के नेतागण परियोजनाओं पर कार्य को ही रुकवा देते हैं। केवल वह लोग हूटिंग करके व्यवधान उत्पन्न करने का काम करते हैं। मान्यवर, वही कहावत है कि हंसों के बीच जब कौआ भरे उड़ान, तो उसकी वलदियत तो बतानी ही पड़ेगी। यही मैं विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूँ। आज मान्यवर जो बिजली की जो स्थिति है वह पिछली सरकारों की देन हैं अगर उनकी यह देन नहीं होती तो बिजली व्यवस्था खराब नहीं होती। मान्यवर, पिछली सरकार के समय में स्थिति यह थी की अधिकारियों और कर्मचारियों ने माननीय मंत्री जी के नाम पर धन लेना शुरु कर दिया था। मैने विद्युत स्टेशन पर पता लगाया तो पता चला कि कर्मचारी ट्रांसफारमर का तेल बेच देते है और उसका पैसा मंत्री जी तक जाता है। तार बेच दिये जाते थे। आज उसकी वजह से हमारे यहां कादीपुर सुल्तानपुर क्षेत्र में बिजली के तारों की स्थिति बहुत जर्जर हो गयी है। इससे बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अब उन अधिकारियों कर्मचारियों में विद्युत के सामानों की चोरी की आदत सी पड़ गयी है। जो ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा वह पिछली सरकार के शासनकाल में बढ़ा है और बिजली वितरण की विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी। मान्यवर, उससे पहले भी सरकारें यहां पर रहीं हैं 22-22 घंटे बिजली मिलती रही है। लेकिन उसके बाद जैसे ही पिछली सरकार आयी बिजली की आपूर्ति व्यवस्था बिगड़ गयी। उस समय हर सामान को बिकवाने का काम किया जा रहा था। मान्यवर, इस विभाग में जो संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको जनवरी माह से वेतन नहीं मिला है उनके समक्ष भूखों मरने जैसी स्थिति है। उनको

वेतन दिलवाया जाय। मान्यवर, हमारे यहां नेतागण बिजली का सामान ट्रांसफारमर का तेल निकलवाकर बिकवाते रहे हैं। यह कहा जाता था हरेक से कि अगर पैसा नहीं दोगे तो यहां पर रहने नहीं पाओगे। और बड़े नेताओं के बिजली दो तीन फेजेज से आती थी। एक फेज चला गया तो दूसरे फेज से जोड़ ली। उन्होंने इस तरह से अपने स्वार्थ की पूर्ति की और जनता को ऐसे ही छोड़ दिया। उससे समझा जाता है कि हमारे क्षेत्र का क्या विकास हुआ होगा। मान्यवर, हमारे यहां खंभे खड़े है लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं है। तार नहीं लगे हैं। हम चाहेंगे कि उनमें कनेक्शन दे दिया जाय और बिजली उनको दे दी जाये।

मान्यवर, आज जो हमारी सरकार ने बिजली देने की योजना बनायी है उससे आशा है कि सभी को पूरी बिजली जल्द मिलने लगेगी। हर प्रकार से बिजली की आपूर्ति मुहैय्या होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत ऊर्जा के बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री वीरपाल राठी-

आरदणीय अध्यक्ष जी, आपने डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी के कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मान्यवर, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी ये देख लेना चाहिए कि किस सदस्य की क्या पीड़ा है। मान्यवर, मेरी बहुत बड़ी पीड़ा है और पीड़ा के हिसाब से मैं कई दिनों से इस सदन में बोलने का मौका चाहता था, नहीं मिला और यह तो बड़े बड़े अस्पतालों में भी इमरजेन्सी है कि जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा पीड़ा होती है उसे इमरजेन्सी में भर्ती कर दिया जाता है। यहाँ भी ऐसा होना चाहिये, यह पता लगा लेना चाहिये कि वास्तविकता में किसकी पीड़ा है। मेरे क्षेत्र में आज बिजली की समस्या को लेकर के लोग आन्दोलन पर उतारू हैं। 132 हो या 133 फीडर तमाम के तमाम जानते है लोग कि दो दिनों से वहां पर एसडीएम साहब और डीएम साहब भी फेल हो चुके है लोगों के आन्दोलन के सामने। ऐसी स्थिति पैदा है। मान्यवर, कटौती की है उस क्षेत्र में जिस एरिया को डार्क एरिया घोषित कर रखा हो, उस क्षेत्र में कोई साधन न हो और यहां पर मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने घोषणा की कि 22000 ट्यूबवेल देंगे, कैसे देंगे जब मेरे क्षेत्र के अन्दर कनेक्शन बंद हैं, डार्क एरिया है एक भी कनेक्शन वहां पर नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न है और ऐसी स्थिति के अन्दर यहां पर 22000 की घोषणा की जाये, मैं नहीं मानता। मान्यवर, यहां पर राजीव गांधी योजना की भी चर्चा हुयी, फीडरों का अलग करने की भी चर्चा हुयी और पैसा बिजली विभाग को दिया गया। लेकिन हमें यह भी देख लेना चाहिये कि वास्तविकता क्या है, हम किन फीडरों पर पैसा दे रहे हैं, हम जिन योजनाओं के अन्दर पैसा भेज रहे हैं, उन योजनाओं के अन्दर जो ठेकेदारों की चर्चा की है, जो पहली सरकार के अन्दर ठेकेदारों की चर्चा अभी मेरे एक मित्र कर रहे थे, इस सरकार में भी उन ठेकेदारों को

देख लेना चाहिये कि वे वास्तविकता में कौन सा तार डाल रहे हैं। मान्यवर, एक छोटी सी चर्चा कह कर के अपनी बात को समाप्त कर देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी पीड़ा है यह, यह मैने पहले भी कही थी और आज दोबारा से कहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर ढाई पावर की वृद्धि कर दी है। यहां अम्बिका चौधरी जी भी बैठे हैं, मैंने इनसे भी निवेदन किया था और आज दोबारा से निवेदन कर रहा हूं कि जो ढाई पावर की वृद्धि की है क्षेत्र में बागपत के अलावा प्रदेश में कहीं ये ढाई पावर की वृद्धि हो, तो बागपत वृद्धि को भी रहने दे के अन्यथा मेरी वृद्धि वो भी ली जाये। मान्यवर, यहां पर बहुत से मेरे मित्रों ने बिजली की समस्याओं से अवगत कराया है। आज सबसे बड़ी समस्या मैं एक यह कहना चाहता हूं कि जो मेरे क्षेत्र के अंदर 16 तारीख तक कटौती की है डार्क होने की वजह से उस कटौती को न किया जाये मेरे क्षेत्र के अंदर अन्यथा मुझे मजबूर हो करके आपके समक्ष धरने पर बैठना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी होगी और मैं इसी मजबूरी के साथ मान्यवर निवेदन करना चाहता हूं ऊर्जा मंत्री जी से कि आप मेरी कटौती वापस कर दें, मेरे क्षेत्र की तो कर दें जहां पर डार्क एरिया है और 100 फिट, 110 फिट पर जहां पानी है। इसके अलावा और बिजली के अलावा वहां पर और कोई चारा नहीं है। यहां बहुत में कर मेरे मित्रों ने कहा बिजली पर पैसा नहीं बढ़ाया जाये। मैं इससे भी सहमत हूं कि क्या बिजली सबसे मंदी है, अगर इसमें कुछ पैसा भी बढ़ाना पड़ जाये लेकिन बिजली मिल जाये। बिजली जरूर ही मिलनी चाहिये, बिजली के बिना हमारा क्षेत्र राजस्थान के हालातों में बदल जायेगा। मान्यवर, एक बात कह करके, में एक मिनट लूंगा। एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बहुत ऊंचे पेड़ पर एक व्यक्ति चढ़ गया, उसने देखा कि तू इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ उतरेगा कैसे, उतरने का जब उसे कोई साहस ही न पड़ा तो कहा कि 100 कन्याओं को जिमा दूंगा अगर इस पेड़ से नीचे उतर जाऊं। जब वो बीच में आया तो उसने सोचा कि अब तो तू उतर सकता है तो वो 50 कन्याओं पर आ गया, और नीचे जब आया तो 25 कन्याओं पर आ गया, और नीचे आया तो 10 कन्याओं पर आ गया, और जब 10 कन्याओं पर आया तो उसे साहस दिखा कि अब तो तू उतर ही जायेगा तो वह कूद गया ऊपर से और कूद करके कहा कि तुमने मुझे गिरा दिया मैं एक भी कन्या नहीं को नही अब जिमाउगां कहीं ऐसा ना हो आज सरकार बड़े बड़े वायदे कर रही है। बाद में मैं भी न कह दे कि पेड से गिरा दिया अब हम कुछ नहीं करेंगे। मान्यवर पिछली सरकार को भी हमने देखा है बड़े दुखी थे पहली सरकार से। अब उम्मीद जागी है पूरे प्रदेश को, यह लगा है कि युवा मुख्य मंत्री बना है, चौधरी चरणसिंह के अनुयाई हैं बैठे हैं ईधर और लगता है कि उनके सिद्धान्तों पर काम करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप जो वायदे किये है पूरा करें। कहीं ऐसा न हो जाय कि बाद में कह दें कि एक भी नहीं कन्या नहीं जिमाएंगे पेड़ से गिरा दिया है। धन्यवाद जयहिन्द, जयभारत।

* खेल कूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि ऊर्जा विभाग के बजट पर अपनी बात रखने के लिए और प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर बल देने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भाजपा के नेता डा0 दास साहब अपनी बात रख रहे थे, मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है, जनसमस्याएं हैं लेकिन एक शिकायत आपसे और आपकी पार्टी से है। हमारे पूरे प्रदेश का पैसा उत्तरांचल में बिजली पर लग गया और पहाड़ पर जो बिजली बन रही थी, जो प्रोजेक्ट थे खास तौर से पानी से चलने वाला था उसमें बिजली कम पैसे में तैयार होती है और जो कोयले से बिजली तैयार होती है वह मंहगी पड़ता है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा उत्तरांचल में लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उसी की सरकार केन्द्र में भी थी, यह दोनों एक हो गये। मान्यवर, इन्हें चाहिए था अगर यह लोग लायक होते और उत्तर प्रदेश का विकास चाहते तो कम से कम जब बटवारा हुआ था तो एक क्लास जोड़ना चाहिए था कि जो यहाँ बिजली सरप्लस होगी जो उत्तरांचल के पास खपत से ज्यादा बिजली पैदा होगी हम सीधे उत्तर प्रदेश को देंगे। मान्यवर, कोई ऐसा इन्होंने बात नहीं किया। न बात हुई। उत्तर प्रदेश की, चाहे पूर्वान्चल का हो, मध्य का हो या मेरठ का हो, या चाहे बुन्देलखण्ड का, हमारे पसीने की कमाई से, गरीब और किसानों की कमाई से उनके पैसे से जो प्रोजेक्ट लगा हुआ था वह सारी का सारी बिजली जो उत्तरांचल की थी, मुझे मिलना चाहिए था। आज वह दूसरी जगह जा रही है। और आज बात कर रहे हैं बिजली के बारे में। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि दास साहब को बिजली के बारे में पहले अपने को देखना चाहिए कि हमारी सरकार ने क्या किया, हमने क्या किया, हमने जो पाप किया है, जो अपराध किया है वही उत्तर प्रदेश की जनता को भोगना पड़ रहा है। जो भी सरकार आयेंगी, ऐसा नहीं है कि जो भी सरकार आयेगी उसके पास जादू की छड़ी है तत्काल बिजली आ जायेगी। आज 11 हजार मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को चाहिए और हम कितना पैदा करते हैं जो प्रोडक्शन हमारा है वह कितना है आप सब लोग जानते हो, बिजली हमें बाहर से खरीदना ही पड़ेगा जो हमारे लायक दोस्त थे पिछले 5 साल में, इन लोगों ने जो किया यह भी आपसे कुछ छिपा नहीं है।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री से निवेदन है कि और चीजों में कटौती करते हुए हमें ऊर्जा के क्षेत्र में नये प्रोजेक्ट तैयार करने पड़ेगें, हमको ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली पैदा करने के लिए नये कारखाने लगाने पड़ेगे ताकि बिजली जब उत्तर प्रदेश में होगी तो सारे कार्य होंगे। मैं जानता हूँ कि थोड़ी भी गर्मी लगने पर हमारे विधायकगण, मंत्रीगण और अधिकारीगण बेचैन हो जाते हैं लेकिन यह नहीं सोचते है कि गोरखपुर में हो रहा है बस्ती में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या हो रहा है, मेरठ में क्या हो रहा है, यह किसान कैसे रहता है इसके बारे में भी हमको, आपको सोचना चाहिए और मान्यवर, अगर कल कारखानों के लिए बिजली नहीं होगी तो हम तरक्की नहीं कर पायेंगे, अगर किसान को बिजली नहीं मिलेगी तो वही तरक्की नहीं कर पायेगा, अगर हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली नहीं मिलेगी तो आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 बड़ी बड़ी नौकरियों में नहीं जायेंगे। आज बिजली की जरूरत है लेकिन कम पाप कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं किया है। हमारी दादरी का जो प्रोजेक्ट था काश अगर यह पूरा हो गया होता तो इतनी चिल्ल पों न होती। तमाम समस्याएं हैं। यह समस्याएं ही हमको मिली है और उन लोगों के पाप से पूरी जनता परेशान होकर एक उम्मीद के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दिया। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को वोट दिया कि जब इनकी सरकार बनेगी तो निश्चित है बिजली की समस्या दूर होगी, हमको बिजली मिलेगी, और हमारे कल-कारखाने चलेंगे। इसी के साथ साथ मेरा एक सुझाव और निवेदन है कि राजीव गाँधी योजना के तहत गरीब को, चाहे वह निषाद हो, दलित हो, हरिजन हो केवल जो झोपड़ी वाले थे, झोपड़ी योजना में मान्यवर, एक कनेक्शन दे दिया गया और मान्यवर, वह केवल कागज में ही कनेक्शन हुआ। जब मैं चुनाव में गया तो गाँव के गाँव जो गरीब थे नदियों के किनारे झोपड़ी वाले उन्होंने कहा, कोई कहता था मान्यवर, मेरा 8 हजार बिजली का बिल आया है, कोई कहता था कि मेरा 14 हजार का बिजली का बिल आया है। मान्यवर, जिनको खाने की दिक्कत है, जिनको मजदूरी नहीं मिलती है, जिनकी आमदनी निहायत ही कम है जो केवल रोटी खाते हैं उनके पास सब्जी नहीं है चावल खाते हैं उनके पास दाल नहीं है। मान्यवर, उनके लिये 14 हजार से 18 हजार, बीस हजार बिजली का बिल देना मुश्किल हो जायेगा। यह पाप किस का है? यह पाप पिछली सरकार का है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय ऊर्जा मंत्री जी कि उस पर हमारी आपकी बात होनी चाहिए और फिर हमको कोई न कोई हल निकलना चाहिए। कोई तरीका निकालना चाहिए ताकि उनको राहत मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसका समर्थन करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 5 वर्षों में इतना बिजली पैदा करेंगे कि हम प्रदेश के बाहर बिजली भेजेगें यह हमारा लक्ष्य है मान्यवर। धन्यवाद।

श्री गयादीन अनुरागी-

मान्यवर, आज पहली बार आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बिजली विभाग के बजट पर कटौती का प्रस्ताव जो डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने रखा है, उसके विषय में सारे लोगों ने जो बताया है, उस सबका मैं समर्थन करता हूँ। मान्यवर, बुन्देलखंड में जो सबसे पिछड़ा विधान सभा क्षेत्र राठ से मैं चुनकर आया हूँ। राठ क्षेत्र में एक हफ्ते से जो बिजली की व्यवस्था है वहाँ जनाक्रोश इतना बढ़ा हुआ है। वहाँ 7-8 घंटे बिजली आती है लेकिन उसकी कोई टाइमिंग नहीं है कि बिजली सुबह हो

आयेगी, या शाम को आयेगी या शाम को आयेगी या दोपहर में आयेगी। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूँगा कि जिस तरह से घोषणा-पत्र में वादा किया था कि 20-22 घंटे बिजली दी जायेगी उस तरह से बिजली की व्यवस्था की जाय। बुन्देलखंड क्षेत्र में यही स्थिति हमीरपुर की है। यही स्थिति विधान सभा क्षेत्र राठ और हमीरपुर दोनों क्षेत्रों की है। मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि मेरे क्षेत्र में जो बिजली के जर्जर तार हैं, ट्रांस्फार्मर रखे नहीं जा रहे हैं एक एक महीने तक। जनता बार बार प्रार्थना करती है डी0एम0 के पास जाती है, एस0डी0एम0 के पास जाती है, एस0डी0ओ0 विद्युत के पास जाती है और केवल कोरे आवश्वसन दिये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जनाक्रोश ज्यादा बढ़ गया तो मजबूरी में जिस जनता ने मुझे वोट दिया है उसके साथ अनशन में बैठने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। सरकार से अपेक्षा करूँगा कि जो भी घोषणा की गई है दूसरी जगह जो बिजली दी जा रही है उसी हिसाब से बुन्देलखंड में भी बिजली देने की कृपा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

*श्री सुरेश राणा-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। ऊर्जा बजट पर कटौती का प्रस्ताव आदरणीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने रखा है, मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ 'मैं बहुत ज्यादा गूढ़ आँकड़ों में बात न करके कुछ व्यवहारिक पक्ष रखना चाहता हूँ। मान्यवर जब कोई पहली बार निर्वाचित होकर आता है, तो एक अजीब सा जोश होता है, अजीब सा उत्साह होता है, और यही अजीब सा उत्साह लेकर हम निर्वाचन स्थल से बाहर निकले तभी संदेश मिला कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो विश्वास लगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। फिर और उत्साह बढ़ा कि प्रदेश के अन्दर युवा मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने शपथ ली है, तो निश्चित रूप से लगा कि प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। हम प्रबोधन कार्यक्रम में आए और उसमें जब उन्होंने अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने कहा कि मैंने एक सपना देखा था। कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, लेकिन वह सपना पूरा हुआ। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कि हमने भी एक सपना देखा था और वह सपना था क्षेत्र के विकास का बड़ी-बड़ी बातें और बड़े-बड़े वायदे, और लोगों से यह कहा था। कि बिजली की समस्या से, पानी की समस्या से आपको निजात दिलायेंगे। जनता ने हमको विधायक बनाया और विधायक बनने के बाद आज जो क्षेत्र में बिजली की स्थिति है, मैं कोई वाद विवाद की बात नहीं करता चाहता हूँ मैं सच्चाई और धरातल की बात करना चाहता हूँ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रात साढ़े ग्यारह बजे मेरे क्षेत्र से टेलीफोन आया, थाना भवन विधान सभा क्षेत्र है मेरा, रात के साढ़े ग्यारह बजे लोग सड़कों पर थे। मैंने रात में साढ़े ग्यारह बजे एस0सी0एन0 ट्रांसमीशन से बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि आज ही आदेश आया है कि जो सारे क्षेत्रों की बिजली बढ़ोत्तरी हुई थी उसे काट लिया जाए, मान्यवर, नगर पंचायत क्षेत्र है मेरा बड़ी नगर पंचाचत है, थाना भवन में 60 हजार की आबादी है वहां 6 और 7 घंटे की बिजली आपूर्ति मैने आग्रह भी किया था और आग्रह यह किया था कि मौलाना अशरफ अली खाँ के नाम से वह नगर पंचायत है वह थाना भवन, वहां देश विदेश से लोग आते है वहां मैंने आग्रह भी किया था कि विद्युत की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत क्षेत्रों को भी 5 से 6 घंटे बिजली मिल रही है हाहाकार है। दूसरा व्यवहारिक पक्ष मैं यह रखना चाहता हूँ कि उत्पादन की जो क्षमता है उस क्षमता से 50 प्रतिशत उत्पादन कम हो रहा है। नौ हजार मेगावाट में से मात्र 42सौ से 45सौ मेगावाट उत्पादन हो रहा है तो कहीं न कहीं प्रबन्धन उसका निरीक्षण करे और महत्वपूर्ण तरीके से और गम्भीरता से देखे तो उत्पादन बढ़ेगा। मैं पश्चिम प्रदेश से आता हूँ। अभी हमारे मित्र वीरपाल जी भी बोल रहे थे वास्तव में वह डार्क क्षेत्र है और सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान ट्यूबवेलों के आधार पर सिंचाई करता है इसलिए ट्यूबवेल की बहुत माँग है यह आँकड़े में भी आया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 7780 का लक्ष्य था और 9803 की प्रगति है, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि वहां पर ट्यूबवेल की बहुत माँग है मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेलों के कनेक्शन कुछ बढ़ाकर दिए जाएं और प्रार्थना पत्र के एक महीने के अन्दर अगर स्वीकृत हो जाएंगे तो किसान दलालों के चक्कर से बच जाएगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री गायत्री प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी आप द्वारा ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद मान्यवर यह जो बजट आया हुआ है यह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली लाएगा। मान्यवर, इसके पूर्व की सरकारों द्वारा जिस तरह से क्षेत्र की ही नहीं पूरी प्रदेश की जनता के साथ मजाक और मखौल उड़ाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा क्षेत्र अमेठी है, क्षेत्र में जनता को यह नहीं पता था, इतना त्रस्त थी कि कब बिजली आयेगी, कब जायेगी और लोग सड़को पर उतर कर चिल्लाते रह गए, किसान त्राहि-त्राहि करता रह गया, फसलें सूख गयी, उनके दर्द को इन लोगों ने पहचाना नहीं और इस कदर से हद कर दी थी, उस समय मैं विपक्ष में था, 80 ट्रान्सफार्मरों पर मैने जले हुए ट्यूबबेलों के ज्ञापन भी दिया था लेकिन एक भी नहीं लगे और जो गाँव-गाँव में ट्रान्सफार्मर जले थे, 142 थे, उसके लिए तो पैसा वसूला जाता था, बिना पैसे के एक भी ट्रान्सफार्मर नहीं लगा। ऐसी पूर्व की जो लुटेरी सरकार थी, उसको एक खुशी थी कि बिजली सारी पार्कों में लगायी जाती थी। सारे पार्क

जगमगा रहे थे, उन्हें किसान की चिन्ता नहीं थी, उन्हें नौजवान की चिन्ता नहीं थी कि वह कैसे पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है। छात्र परेशान था, उस समय जब इग्जाम आए थे, तब भी बिजली नहीं मिल रही थी। तो जिस तरीके से पूर्व की सरकार ने 25 हजार करोड़ रूपया जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया और यह बड़े दुख की बात है, इतने का कर्ज छोड़ करके गए हैं। अब पूरे प्रदेश को आशा है कि हमारे मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जो है। याद आता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 14 घण्टे, 16 घण्टे बिजली मिलती थी। आज विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए, जो सामने बैठे हुए है, इनको शर्म आनी चाहिए कि वह माँग कर रहे हैं, उन्हें तो माँगना ही नहीं चाहिए। जैसे अभी हमारे विपक्ष के एक साथी ने कहा कि 5 घण्टे, 6 घण्टे बिजली आ रही है, इन्हें तो सोचना चाहिए, ''सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद।'' जिनको बिल्कुल इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए, यह भाजपा और कांग्रेस के लोगों को कहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट की मै कितनी सराहना करूँ, मैं एक नया सदस्य हूँ, मैं देख रहा हूँ कि प्रारम्भ के दिन से ही विपक्ष के लोगों को सिर्फ बिजली ही याद आ रही है, उसके पहले उन्हें बिजली नहीं याद आ रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्य मंत्री जी ने, हमारे नेता जी ने और माननीय हमारे शिवपाल सिंह यादव जी ने जो इस विभाग के मंत्री है, उन्होंने जो बजट पेश किया है और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जनता को आत्म विश्वास है तो निश्चित तौर से जो बजट आया है, वह किसानों के, नौजवानों के व्यापारियों के उद्योग धन्धों के लिए है और इससे जो समस्याएँ है वह आने वाले दिनों में दूर होगी और पूरा प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, प्रदेश जगमगायेगा। जय हिन्द, जय भारत।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए हाथ उठाने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी योगेश दीक्षित जी नहीं बोले हैं, उन्हें बोलने दीजिए। सुल्तानबेग जी, आप तो इस असेम्बली के पुराने मेम्बर हैं, बहुत बोले हैं, ये नए आये हैं, बोल लेने दीजिए।

*श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बिजली कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं बागपत जिले की बड़ौत विधान सभा से आता हूँ। हमारे क्षेत्र में मात्र 5-6 घण्टे बिजली आती है। अभी हमारे से पहले भाई बोल रहे थे, सामने बैठे हैं, प्रजापति जी, कि बसपा वालों को तो मांग ही नहीं करनी चाहिए, बी0जे0पी0 और कांग्रेस को बात करनी चाहिए। मैं माननीय सदस्य को यह बताता हूँ, आपके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यम से कि जो सूबे का मुख्यमंत्री होता है या भारत का प्रधानमंत्री होता है, वह किसी एक पार्टी या समाज का नहीं होता, वह पूरे प्रदेश और पूरे भारत का होता है। मैं बताना चाहता हूँ, तस्वीर कहीं और चली गयी है। पूर्व ऊर्जा मंत्री सदन में आते थे।

पूर्व ऊर्जा मंत्री सदन में आते हैं, पूर्व सिंचाई मंत्री सदन में आते हैं। जांच करा लीजिए न दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो बेईमान होगा पकड़ जाएगा वह कहाँ भागा जा रहा हैं और टाइमबाण्ड जांच कराइये। ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तीन महीने आपकी भी सरकार को हो गये हें। चिल्लाने से क्या होता है। हर विभाग की जांच कराइये पर छींटाकशी करके हमारा मनोबल कम न करिये क्योंकि यह होने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, नवयुवा मुख्यमंत्री जी से पूरे प्रदेश को आशायें हैं। माननीय सिंचाई मंत्री जी से आशायें हैं हमसे हों या न हों पर आपसे बहुत आशायें हैं। मान्यवर, मैंने अभी सोमवार को बढ़ौत में जहाँ ट्रांसफार्मर शाप है वहाँ छोटी सी विजिट कर ली। तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर 4-5 सौ किसान भाई ट्रांसफार्मर के लिए खड़े थे। हर एक व्यक्ति की जेब में 3 से 5 हजार रुपये था। वह किसी काम के लिए नहीं आये थे। वहां के कर्मचारी जो हैं वह बिना पैसे किसी को ट्रांसफार्मर नहीं देते है। वहाँ पर एक नरेन्द्र होमगार्ड हैं जिसके थ्रू पैसे लेकर ट्रांसफार्मर दिये जाते हैं।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

सुनने का मादा रखों डरते क्यों हो। बात तो आने दो। जब बात आयी है तो बहुत दूर तक जायेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहाँ पर मैंने एस0ई0 साहब से बात की, एम0डी0 साहब से बात की तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया तो एक डेढ़ घण्टे में वहाँ पर एस0ई0 साहब आ गये और उन्होने स्थिति को संभाल लिया। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जगह-जगह कालोनियाँ कट रही हैं। जब से तीन महीने से सरकार आयी है तब से असामाजिक तत्वों और बड़े-बड़े भूमाफिया और बिल्डरों की एक बहार सी आ गयी है। हर एक किलोमीटर के बाद कालोनियां कटनी शुरू हो गयी हैं। आने वाले समय में वह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी कयोंकि वह राजस्व नहीं देते। वह इल्लीगल तरीके से कालोनी काटकर भोले-भाले किसान-मजदूर को बहकाकर अपना प्लाट बेच जायेगे। माननीय अध्यक्ष जी, बागपत यमुना के किनारे बसा हुआ है। वह डार्क क्षेत्र में आ जाता है। हमारे यहां जिसके यहाँ 7.5 हार्सपावर की मोटर लगी है उसको भी बारह का बिल देना पड़ता है। जिसके यहाँ 10 हार्सपावर की मोटर लगी है उसको भी साढ़े बारह हार्सपावर का बिल देना पड़ता है। तो ढाई की हमारे यहाँ वृद्धि हो गयी है। माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, हमसे इस तरह का बर्ताव होता है जैसी सौतेली मां बर्ताव करती है। हम कुछ बोलने लगते हैं तो इधर से बहार सी आ जाती है।

(श्री योगेश प्रताप सिंह सहित कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

योगेश जी आप वरिष्ठ सदस्य है। माननीय लोकेश जी अब आप समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बाबू खाँ-

माननीय अध्यक्ष महोदय मै आपका बहुत आभारी हूँ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, विद्युत मंत्री जी ने जो अपने विचार रखे हैं 2003 में जब मेरी सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की और जो भी इनके द्वारा योजनाएं, परियोजनाएं दी गई थी, यह बात सही है कि आज जो भी विद्युत मिल रही है वह उसी की देन है। दुसरी बात, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का स्वागत करता हूँ कि कल भी उन्होनें एक परियोजना का शिलान्यास किया है। मान्यवर, पाँच मिनट में मैं क्या बोल सकता हूँ, पुराना सदस्य हूँ तीन बार पहले रहा, बीच में गैप कर के फिर आ गया हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसलिए आपको ज्यादा अनुभव है बोलने का, आप जल्दी बोल सकते है।

श्री बाबू खाँ-

मान्यवर, मै कहना चाहता हूँ कि पाँच साल में उन परियोजनाओं से जो बिजली मिली है, इसके अतिरिक्त मै जानना चाहता हूँ सामने बैठे है यह लोग पाँच साल सरकार में रहे है, इन्होनें कौन सी बढ़ोत्तरी की लूटने के अलावा, ठेकेदारों और इन्जीनियरों के माध्यम से जो लूट किया है मान्यवर, मै धन्यवाद देता हूँ लोकायुक्त को कि उन्होने इनके पीछे जो सी0बी0आई0 लगाने का जो काम किया है वरना यह डरते नही लूटने में भी । एक बात मै और कहना चाहता हूँ मान्यवर, जो हमारे तमाम सदस्यों ने सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के कुछ लोग हों, उन्होनें कहा है कि बिजली विभाग में जो ट्रान्सफर का तेल बेचा जा रहा है और उसमें एफ0आई0आर हो रही है तो उस पर कन्ट्रोल होना चाहिए। एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मान्यवर, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 घण्टे बिजली जा रही है, जितनी भी क्षमता है, मै समझाता हूँ बहुत है, मै स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि छश्र दिनों में रात में बिजली आयेगी और छः दिनों में दिन में बिजली आयेगी मान्यवर, इस शेड्यूल को चेन्ज कराया जाय, छः दिन कोई रात में व्यतीत नही कर सकता है, मै चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि छः महीने दिन में आ जाय और छः महीने बिजली रात में आ जाय, तो मान्यवर ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

अपने क्षेत्र को उत्तरी ध्रुव बनाना चाहते हो।

श्री बाबू खाँ-

मान्यवर, मै इस समस्या का निदान चाहता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जयहिन्द।

*श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं गिरिराज महराज की जय बोलता हूँ, मान्यवर, मै आपका बहुत आभारी हूँ, आपने ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री जी के संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ क्योंकि मथुरा से हमारे मा0 ऊर्जा मंत्री जी का काफी लगाव है। हमारे यहाँ बाबा जयगुरूदेव जी हैं वहां पर भी मा0 माननीय मंत्री जी का आना जाना रहता है, मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा में करोड़ों करोड़ों श्रृद्धालु आते है चाहे वह गिरिराज महराज के दर्शन करने के लिए आयें, चाहे बांके बिहारी के दर्शन करने आयें, चाहे वह जय गुरूदेव के यहां आयें, हर समय मान्यवर श्रृद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आज जनपद मथुरा में स्थिति यह है मान्यवर, हमारे बिजली विभाग के अधिकारी भी पीछे बैठे हुए हैं, नोट कर लें, मान्यवर, 04 घण्टे से अधिक की बिजली आपूर्ति हमारे जनपद मथुरा में नही हो रही है। रूरल एरिया में देहात में। आज मान्यवर, किसान इस हालत में पहुँच गया है कि जो नीचे का पानी है, वह बड़ा खराब हो गया है। सब इस पर डिपेन्ड रहता है, चाहे वह किसान की फसल के लिए पानी का मामला हो, चाहे पीने के पानी का हो, चाहे टैकरों से पानी जा रहा हो। सब उसमें डिपेन्ड है मान्यवर। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जो किसान हैं, जिन्होंने विद्युत के कनेक्शन के पैसे जमा करा दिए, लाइन आज तक नहीं लगी है और उनके वर्षो के बकाये के बिलिंग हो रहा है। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हो रही है। हमारे जनपद में थाना-बलदेव के अन्तर्गत 400 एफ0आई0आर0 हुई है और किसानों को बकाया कितना है, 10 हजार, 20 हजार रुपया। जबकि मान्यवर, जो पूँजीपति हैं, जिनके तीन-तीन, चार-चार लाख रुपये बाकी है, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 होने का काम नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी एफ0आई0आर0 जरूर हो रही है, जो छोटे-छोटे किसान हैं और जो 10 हजार, 20 हजार के बकायेदार हैं ओर उसके साथ सम्यक राशि और जोड़ी जा रही हैं मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, मा0 ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो विद्युत कनेक्शनों के लिए लोगों नें अप्लाई किया हुआ है, जिनका पैसा जमा हो गया है और कोई बड़ा काम नहीं है मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

ऐसा नहीं है कि कोई लम्बी लाइन आ रही हो, केवल 14-15 गाँव है बलदेव ब्लॉक में और उन्होंने पैसा भी जमा करा दिया है। वहाँ पर एक-एक, दो-दो, और तीन-तीन खंभों का काम है, लेकिन वहाँ पर कहा जा रहा है कि जब राजीव गांधी योजना आएगी तब आपूर्ति की जायेगी। अगर मान्यवर, कनेक्शन नहीं देना था तो कम से कम पैसा जमा न कराया जाता और कह दिया जाता कि रुकिये बैठिए। मैं आपके माध्यम से मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें आपने ही दस दिन पहले मान्यवर, हमें अताराकिंत प्रश्न का जवाब दिया था। मा0 मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर दिया गया था। इसी हाऊस में 10 दिन पहलें उस घटना में 46 लोग करेंट लगने से खत्म हो गए थे, तार में लटके रह गए थे। उन 46 में सिर्फ 18 व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया। यह मान्यवर, आपका 29 तारीख का अतारांकित प्रश्न का जवाब है जिसमें करेंट लगने से 46 लोग मरे थे, उनको अभी तक मुआवजा नही दिया गया है। आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा मान्यवर, कि जो बकायेदारों की विद्युत कनेक्शनों की रसीदें हैं, उनमें सम्यक् राशि जोड़ दी गयी है उन किसानों के ऊपर । वह सम्यक् राशि खत्म की जाए। मै आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि जिनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई है, दो-दो, दस-दस और बीस-बीस हजार रुपये के पीछे, उन किसानों के एफ0आई0आर0 को खत्म किया जाए, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा खत्म किया जाए और इनको वापस कर लिया जाए। मा0 अध्यक्ष जी, मेरी विडम्बना है कि लोग आते है मथुरा में और एक इम्प्रेशन लेकर जाते हैं कि मथुरा जैसी नगरी में विद्युत आपूर्ति की हालत यह है तो पूरे प्रदेश में क्या होगी इससे पूर्व में भी पूर्ववर्ती सरकारें रही थीं, मैं यह तो नही कहना चाहूँगा कि उन्होने कोई बहुत बड़ा काम किया लेकिन मै पिछली सरकार की एक खामी आपको जरूर बताना चाहूँगा। मान्यवर, बलदेव क्षेत्र में पचावर गाँव पड़ता है और पचावर के अन्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन दो साल से बना रखा है, मशीनें लगी हुई है, सारी व्यवस्था है लेकिन दो साल से उसे चालू नही किया गया है। पिछली सरकार में मा0 मंत्री उद्घाटन तो जरूर कर गये थे, लेकिन अभी तक चालू नही किया गया है। तो पिछली सरकार ने जो किया वह किया। मैं अपेक्षा करूँगा हमारी नयी सरकार से कि कम से कम वह तो पिछली सरकार के पगचिन्हों पर न चले। मै आपके माध्यम से मा0 अध्यक्ष जी एक और निवेदन करना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में अपनी पूरी बात खत्म कर रहा हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से यह अनुरोध करूँगा कि मान्यवर, प्रदेश में बिजली

की बड़ी कमी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे जनपद मथुरा में बेशुमार बिजली बन रही है मथुरा रिफाइनरी के अन्तर्गत। आखिर क्या कारण है मान्यवर, कि दूसरे प्रदेश उस बिजली को लेकर जा रहे हैं, दिल्ली प्रदेश उस बिजली को लेकर जा रहा है, हरियाणा प्रदेश उस बिजली को लेकर जा रहा है, राजस्थान लेकर जा रहा है उस बिजली को। हमारे प्रदेश में मथुरा रिफाइनरी में बिजली बन रही है और दूसरा प्रदेश उस बिजली को ले जा रहा है, सारी सुविधाएँ उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, तो मा0 ऊर्जा मंत्री जी मेरी प्रार्थना है, मान्यवर, कि उन्होंने गलती करी तो करी लेकिन आप उस बिजली को दूसरे प्रदेशों में क्यों बेच रहे हैं? अभी मथुरा में इतनी बिजली की आपूर्ति है कि उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कम्प्लीटली, मथुरा रिफाइनरी की बिजली से कम्प्लीट हो सकता है। मैंने पिछले हाउस में भी यह मामला उठाया था और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि हम यह करने जा रहे हैं। लेकिन यह कुछ नहीं कर पाये। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मथुरा रिफाइनरी में जो विद्युत का उतपादन हो रहा है, वह जब दूसरा प्रदेश ले सकता है तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश उसको नहीं ले सकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है।

* श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर मैं कुछ नियम-उपनियम की बात न कहकर सिर्फ एक व्यावहारिक बात कहना चाहता हूँ। वह बात यह है इधर के लोग उधर के लोग इधर आरोप लगा रहे है। पिछले 22 साल में जो बिजली के प्रोडक्शन की आवश्यकता थी, व इन दोनों सरकारों ने नहीं की। हमारी सरकार जो कर गयी थी, उसका रखरखाव भी यह सरकारें नहीं कर पायी। साथियों, मित्रों, बिजली एक गंभीर समस्या है और इस समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार की मंशा साफ हो तो बिजली की व्यवस्था करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मै यह बात कहना चाहता हूँ कि बिजली चारी को चिन्हित करने का काम जो इस बजट में नहीं किया गया है, आप केवल बिजली चोरी रोकने का काम कर दें, उससे इतनी बिजली आपको मिल जायेगी या फिर बिजली चोरी करने वालों को आप नियमित कनेक्शन दे दें तो इतना राजस्व आपको मिल जायेगा कि बिजली के कारखाने लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आयेगी। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बिजली चोर, किसान लोग या जनता के लोग हो सकते है लेकिन माननीय मंत्री जी सबसे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा बिजली का चोर आपका जे0ई0 और एस0डी0ओ0 है, उन पर अंकुश लगाया जाये। हमारे एक एम0एल0ए0 ने बताया कि वह एक बार वहाँ रूक गये जहाँ बिजली के ट्रान्सफारमर रिपेयर हो रहे थे, यह सत्य है कि शुरूआत इधर से हुयी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन बसपा शासनकाल में जहाँ 5 और 10 हजार में बिजली के ट्रांसफारमर बदले जाते थे, वहीं आज कुछ रेट कम हुआ है और लोग डरे है, अब यह रेट 3 हजार पर आ गया है, 2 हजार पर आ गया है। उसे भी रोकने का सरकार प्रयास करे। आज लोगों में डर है कि अखिलेश यादव के नाम पर उनकी ईमानदारी और उनकी सरकार की कुछ करने की मंशा है, उनका डर है लेकिन उसे रोकने के लिये आपको जो पुरानें अफसरान जहाँ के तहाँ बैठे है, उनकी हरकतें अभी बदली नहीं है। अध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से यह जानना चहता हूँ कि यह ट्रांसफारमर बनवाये कहां जाते है, यह खरीदे कहाँ से जा रहे है, यह तीन दिन में फूंक जाते है, 5 दिन में फूँक जाते है। इतना जरूर है कि पहले ट्रांसफारमर 10 साल में बदला जाता था, फिर 5 में बदला जा रहा है, 3 में बदला जा रहा है और यदि दुबारा फूंक गया तो शायद फ्री भी बदला जा सकता है। तो मेरी मांग है कि इन ट्रांसफारमरों की जाँच कराई जाये। आदरणीय अध्यक्ष जी, मै आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा के सदस्य नसीम जावेद और जिला काग्रेस के लोग बिजली के खिलाफ जौनपुर में आन्दोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी है, उसको वापस कराया जाये। अध्यक्ष जी एक मिनट की मेरी बात रह गयी है, मै आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कड़ाई से इस बात का पालन हो जाये कि बिजली में यह नियम हो सकता है, लेकिन नियम को शिथिल कर दिया जाता है। अध्यक्ष जी, यदि बिजली के कर्मचारी चाहे वह किसी भी पोस्ट पर हो अगर दो तीन साल में उसे हटाये जाने की व्यवस्था आप कर दें तो बिजली चोरी रुक जाएगी और बिजली के कनेक्शन में आ रही बाधाओं को दूर करा दें, धन्यवाद।

*श्री संगीत सिंह सोम-

मान्यवर, आपने मुझे मा0 अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में बिजली की जो अव्यवस्था है वह तो मुझसे पहले सभी सदस्यगण कह ही चुके हैं। मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। मेरे सरधना विधान सभा में सवाला झवाल में दो टर्बाइन लगी हुई हैं, 1936 में में दो टर्बाइन लगी थीं, 1936 की लगी टर्बाइन की कैपिसिटी डेढ़-डेढ़ मेगावाट थी । लेकिन मान्यवर, दुखद बात यह है कि 1936 की लगी टर्बाइन जिनसे डेढ़-डेढ़

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

मेगावाट बिजली बनाई जाती थी, पिछले कई सालों से एक टर्बाइन बन्द पड़ी है केवल एक चलाई जाती है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपया जाता है टर्बाइन को ठीक करने के लिए लेकिन टर्बाइन पिछले 10 सालों से ठीक नहीं हो पाई है केवल एक टर्बाइन आज चालू स्थिति में है। मान्यवर, जो बिजली हमारे यहाँ बनाई जाती है उसमें न कोयले की जरूरत पड़ती है, न गैस की जरूरत पड़ती है, केवल पानी से बिजली बनाई जा रही है जो सबसे सस्ती पड़ती है। अब से कुछ साल पहले वहाँ के डी0 एम0 महोदय ने उसकी कास्ट निकलवाई थी जो मात्र सात पैसे प्रति यूनिट का खर्चा उस पर आता था मान्यवर, आज महगाई बढ़ी है तो यह सात पैसे से बढ़कर 12 पैसे, 14 पैसे हो गई होगी। मान्यवर, अगर दूसरी टर्बाइन भी चला दी जाए और बी0एच0ई0एल की जो नई तकनीक की मशीने आ रही हैं उनका उपयोग किया जाए तो मान्यवर, न जमीन लेना है, न कहीं से कोयला लेना है और न कोई अतिरिक्त कहीं से स्टाफ लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। मान्यवर, यदि थोड़ी सी मशीने बदल दी जाएं तो एक टर्बाइन से लगभग 3.5 से 4.0 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकती है और उससे एक पूरे जिले को बिजली दी जा सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरफ ध्यान देकर उन दोनों मशीनों को चालू कराने का काम करें। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में हरितपुर, खेड़ा, सलावा आदि कई गाँव ऐसे हैं जिनमें जर्जर लाइनों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, इन जर्जर लाइनों से रोज तार टूटते हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इन जर्जर तारों को बदलवाने का काम करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरधना कस्बे का इतिहास में एक नाम है, इतिहास में एक जगह रखता है, यहाँ बेगम समरू द्वारा बना चर्चा, जिस चर्च की फोटो हमारी विधान सभा में भी लगी है, लोक सभा में भी लगी है लेकिन मान्यवर, आज उस कस्बे की ऐसी स्थिति है कि वहाँ तीन से चार घण्टे लाइट आ रही है। हमेशा उस कस्बे का इतिहास है कि आज तक उसे एच0बी0-2 में रखा जाता रहा है लेकिन पहली बार वहाँ तीन से चार घण्टे बिजली आ रही है। मैं एक दिन सी0एम0डी0 महोदय से मिला और उनसे कहा कि जब आप हमारे यहाँ डी0एम0 रहे तो खुद आपने एच0बी0-2 में कराने का काम किया था आखिर आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आपने उस कस्बे के लिए तीन-चार घण्टे लाइट दिये जाने की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने कहा कि आज ही आदेश होगा, आज ही आदेश किये देता हूँ एच0बी0-2 होनी चाहिए। जब मैने अगले दिन खुशी-खुशी क्षेत्र में सरधना में फोन कर कहा कि नहीं भाई एच0बी0-2 में यह क्षेत्र हो रहा है अब 17-18 घण्टे बिजली आयेगी तो पता लगा कि जितनी बिजली आ रही थी उससे भी दो घण्टे कम आ रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि तीन से चार घण्टे जो लाइट आ रही है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और लाइट की व्यवस्था की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

मान्यवर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कई दिनों से एक चीज देखने को मिल रही है, उधर से कहते है कि इन्होंने घोटाला कर लिया और ये कहते है कि उन्होने घोटाला कर लिया, पिछले काफी दिनों से यही चल रहा है, ये इन पर आरोप लगा रहे हैं और वे उन पर आरोप लगा रहे है। एक बात यह आ रही है कि जिसने घोटाला किया उसे तुरन्त गिरफ्तार करिये, जेल भिजवाइये लेकिन मेरा कहना यह है कि जेल तो आप भिजवाइये ही लेकिन जो घोटाला किया है उसकी रिकवरी भी कराइये। उतने पैसे से ही बिजली की व्यवस्था हो जायेगी, कहीं अलग से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। जो घोटाला किया है उसकी रिकवरी होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि घोटाला किसी ने भी किया हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए क्योंकि आज प्रदेश की स्थिति बहुत जर्जर अवस्था में है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री संगीत सिंह सोम-

बड़ा दुखद विषय है, इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश, 403 विधान सभा सदस्य हैं, आप उत्तराखंड में चले जाईये 24 घण्टे बिजली मिलती है, हिमाचल में 24 घण्टे बिजली मिलती है, चूँकि आपने अगले वक्ता को बुला लिया है इसलिए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री हेमराज वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आज जिस तरह से हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने ऊर्जा का जो ऐतिहासिक बजट आज सदन में पेश किया है, वास्तव में इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। सदन में मैं मा0 राज्यपाल महादेय के अभिभाषण पर बोलना चाहा, मौका नहीं मिल पाया, बजट पर भी मौका नहीं मिल पाया, लेकिन जब से सदन चला है तब से लगातार मैंने देखा कि डेली चर्चा बिजली के विषय में हुई है। आज हमारे प्रदेश मे बिजली का जो संकट है, अगर पूर्व की सरकार ने जरा सा भी ध्यान बिजली की तरफ दिया होता तो आज हमारे प्रदेश मे बिजली का संकट नहीं होता। हमारे युवा मा0 मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से इस तरह से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का सपना देखा है, इस प्रदेश को आगे ले जाने का सपना देखा है, अन्य प्रदेश जो तरक्की की राह पर है उनके मुकाबले ले जाने का हमारे मुख्य मंत्री जी ने सपना देखा है। आज जिस तरह से मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है इससे लगता है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आने वाले समय में हमारे प्रदेश की जो बिजली की समस्या है उसका समाधान हो जायेगा और पूरे प्रदेश को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे नये सदस्य को पहली बार बोलने को मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री महावीर सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र से चुकर आया हूँ, यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। 62 विद्युत परियोजनायें जो यमुना से शुरू हुई है उनमें से खारा जल विद्युत परियोजना उस क्षेत्र से है। तीन योजनाओं का मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने बजट में समावेश किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि घाड़ क्षेत्र में 80 गाँव पीने के पानी से वंचित रहते हैं इनमें पेयजल योजनाओं से पानी की आपूर्ति होती है। इन योजनाओं को डबल ग्रुप सप्लाई बिजली की होती थी जो पिछले 03 दिनों से बंद है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मात्र 18 घण्टे बिजली यदि उस क्षेत्र को मिल जाए, इस क्षेत्र से 13 कि0मी0 पर उत्तराखण्ड की राजधानी है, यह क्षेत्र हिमाचल, हरियाणा से मिला हुआ है, इस पहाड़ी क्षेत्र के 80 गाँव है इन्हें पानी पिलाने की व्यवस्था कर दें। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि खारा परियोजना, भेक परियोजना जल विद्युत परियोजना है, शेष परियोजना तो उत्तराखंड में चली गयी, इनमें पानी की कमी नहीं है, खारा बाँध है, यमुना नदी में बहुत पानी है। डबुल मशीनें करके, हथिनी कुण्ड बैराज जो पिछली सरकार के पहले बना था उससे बिजली का उत्पादन बढ़ सकता है और पूरे क्षेत्र की बिजली की समस्या साल्व हो सकती है। मेरा इतना कहना है कि 07 बिजली घर ग्यारह हजार की एक ही लाइन पर बने हुए है। 220 के0वी0 का बिजली घर तैयार है मात्र लाइन बननी शेष है मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि 18 घण्टे की बिजली भी मिल जाती है तो पानी पीने के लिए मिल जायेगा। माँ शाकुम्भरा देवी का एक बहुत बड़ा वहाँ मंदिर है लाखों व्यक्ति वहाँ आते है और पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं 18 घण्टे की बात करता हूँ मैं मात्र 6 घण्टे की बात करता हूँ इतनी सप्लाई हो जाए तो पानी पीने की समस्या साल्व हो जाएगी। मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद कि आपने इस ऊर्जा विभाग की कटौती पर बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी जो अभी ऊर्जा विभाग पर माननीय डा0 राधामोहन अग्रवाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैं बुन्देलखण्ड के जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ 17 दिन में पहली बार आपने बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे बबीना विधान सभा

में कम से कम 55 ऐसे गाँव हैं जो आज भी विद्युतीकरण से वंचित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि मेरी बबीना विधान सभा मे जिन 55 गाँवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उन्हें राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उन गाँवों में विद्युतीकरण कराने का काम करें और बजट में उन गाँवों को सम्मिलित करने का काम करें जैसे लहर गाँव का सारमधु खिरकन है। बबीना कैंट का मुखिया मोहल्ला गोंची रांची खैरा। खाड़ी का खुशीपुरा वैरागड़ हीरापुर का ढग्गा-सिमरावारी, मखरऊ, चौका, बादली कोडरा, डुबकी, खजुराह बुजुर्ग का मोटा, टोरिया, दयानगर, पथरवारा, पनहारी है। खजुराहा खुर्द का मातनपुर, बुडपुरा-हरपालपुर आदिवासी बस्ती है। सारवां का भड़रा, छर्रा वैदौरा का कसावरी, डुबकी छोटी डुबकी बड़ी, चिपलौंटा का धमनाई, खिरक, चिरगाँव देहात का पाल का डेरा, कोलवां का हनुमान खिरक, तदौल का कुशवाहा का डेरा, रकसा का जनकपुर, भरतेलेका डेरा, सिमरइयन का डेरा, पुरतगवां बाँध मोहल्ला, रसीना का मटयाई मथुरा पुरा का टपरियन भंडरा पहाड़ील बुजुर्ग का कबूतरन का डेरा खैरा का पड़ती मोहल्ला, डिमरपुर, परिहार मुहल्ला, टपरियन, चमरौआ का टपरियन, गुढ़ा का ढिमरपुरा और पुनावली कंला का पट्ठापुरा हमारे बबीना विधान सभा के यह गाँव हैं जिनमें विद्युतीकरण नहीं है। अध्यक्ष जी हमारे बबीना विधान सभा में पाँच सात ऐसे बड़े पुरवे हैं नगर पंचायत, नगरपालिकाएं है जिनमें ओवर लोड की वजह से ज्यादातर ट्रांसफार्मर फुकते रहते हैं मेरा आपसे अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि इनमें हमारे जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उनकी क्षमता वृद्धि बढ़ाकर उनमें बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाएं जिससे बार-बार फुंकने की समस्या रहती है उससे जनता में जो रोष रहता है उससे निजात मिल सके। अध्यक्ष जी मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो वेतवा नहर निकली है पारीक्षा डैम से उस पर चार मेगावाट की एक टरबाइन लगी है अगर उसी नहर पर हम तीन चार टरबाइन और लगा दें तो जो हमारे पानी से बिजली बनती है वह बहुत ही कम पैसे में बनती है जैसा कि हमारे साथी ने बताया हैं कि उसका खर्चा 10-12 पैसे प्रति यूनिट का उसका खर्चा आता है तो वह बाँध से नहर बराबर चलती रहती है एक टरबाइन की वजह से अगर उसी नहर पर हम चार पाँच जगह और लगा दें तो पानी उतना ही खर्च होना है लेकिन चार पाँच जगह हमारी बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। माता टीला बांध से जो पाइप लाइन आई है उसका बबीना में शुद्धिकरण होता है उससे जो वेस्ट पानी निकलता है तो अगर वहाँ पर भी हम टरबाइन लगा दें तो उस पानी से भी हमारी विद्युत बन सकती है। वह पानी वेस्ट निकल ही रहा है। उस वेस्ट पानी में अगर हम एक छोटी सी माइनर निकाल दें तो जो बबीना ब्लाक में पानी की समस्या है यहाँ पानी की वजह से हजारों एकड़ जमीन सिंचित नहीं हो पाती है उसी से जो माइनर निकल जाएगी तो उससे असिंचित जमीन सिंचित भी हो जाएगी अध्यक्ष जी मेरा आपके द्वारा अनुरोध है कि हमारे इन पुरवों का विद्युतीकरण कराया जाय। इन नगरों में क्षमता वृद्धि करा करके ट्रांसफार्मर लगवाया

जाये। ऐसी मुझे आशा है कि जरूर मा0 मंत्री जी शामिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ-साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री जगराम पासवान-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 ऊर्जा मंत्री जी के बजट के समर्थन में आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं जिला बलरामपुर के बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र से चुन कर आया हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे जिले में बलरामपुर से तुलसीपुर लाइट के तार जर्जर हो चुके है और अभी 20-25 दिन पहले उसी तार से बिजलीपुर गांव में तार के टूट जाने से आग लग गयी और 20-25 घर उसमें जल गये। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मा0 मंत्री जी से कि उन जर्जर तारों का बदलवाने का कार्य किया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर में कई ऐसे गांव है जो कई सालों से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बन रही थी आज कहीं खंभे खाली पड़े है, कहीं तार नहीं है। मान्यवर, तीन चार ग्राम सभा ऐसी है जिसमें कि खाली खंभा खड़ा हुआ है, न उसका कोई कार्य पूरा हुआ और उसमें कोई कार्य आगे बढ़ाने की पूर्ति की गयी। मा0 अध्यक्ष जी, ज्यादा समय न लेते हुये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बलरामपुर से तुलसीपुर में जो जर्जर तार है उसको बदलवाने का कार्य करें और राजीव गांधी विद्युतीकरण का जो कार्य अधूरा पड़ा है उसे पूरा कराने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं आपको भी बधाई देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 सदस्य न बोल पावें कल की तरह वो लिख रहे, उसको इसमें जोड़ दिया जायेगा, बोलने की तरह ही माना जायेगा।†

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं बारम्बार आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, विद्युत के सम्बन्ध में तीन अवस्थायें है विद्युत के सम्बन्ध में तीन अवस्थायें है, विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण। मान्यवर, तीनो स्थितियां खराब है। आज जब उत्तर प्रदेश के अन्दर विद्युत की इतनी मांग है तो मांग और आपूर्ति के अनुसार विद्युत का उत्पादन आखिर हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। करना चाहिए हो सकता है कि बजट में कमियां हो, हो सकता है कि कुछ कम संसाधन हो। लेकिन उन संसाधनों को सरकार बढ़ाये। केवल आरोप और प्रत्यारोप करने से काम चलने वाला नहीं है। एक तरफ एक ने उंगली उठा दी, दूसरी तरफ दूसरे ने उंगली उठा दी। लेकिन मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है हम लोग उत्पादन करें। मान्यवर, पारेषण के आधार पर जो विद्युत आ रही है, उसमें लाइन लांस है, रास्ते में चोरी बहुत है तो चोरी को

† (लिखित भाषण के लिये देखिये नत्थी ''ख'' आगे पृष्ठ 198-220 पर)

तत्काल रोकने का प्रयत्न सरकार करे। जब हम लोग क्षेत्र के अंदर देखते हैं कि तारों पर कुण्ढिया पड़ी रहती हैं, कुण्ढियों से चोरी सीधे हो रही है तो मान्यवर, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों के संरक्षण में चोरी होती है। मान्यवर, तीसरी वितरण व्यवस्था, वितरण व्यवस्था के तहत आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से हूँ। मान्यवर वहां किसान कनेक्शन के लिए दर-दर भटक रहा है। घरेलू व निजी नलकूप कनेक्शन के लिए नहीं दिये जा रहे हैं। तत्काल दिए जायं सहायता दी जाय सरकार दंभ भरती है कि हम किसानों के रखवाले हैं लेकिन मान्यवर, किसान दर दर भटक करके वहां ट्यूबवेल लगाने के लिये, ट्यूबवेल जो मुख्यतः उसका सिंचाई का साधन है, उसको ट्यूबवेल के लिये विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। विद्युत के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे है। मान्यवर, जो फुंके हुये ट्रांसफार्मर हैं वो समय से बदले नहीं जा रहे हैं।

मान्यवर, वहाँ पर लाईन नहीं बनी है। लाइनमैन है नहीं पूरी तरह से। हमारे मेरठ का दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कई ऐसे गांव व शहरी क्षेत्र है जहां बिजली तो है कनेक्शन तो है बिजली जा रही है न खम्भे है न लाइन है, वहां जो विद्युत आपूर्ति हो रही है उससे आश्चर्य होता है कि यह कैसा विद्युतीकरण है। मान्यवर, हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र में कुछ घनी आबादी के गांव व शहरी हिस्सा है वहां पर 35 साल 40 साल पुरानी बस्ती है वहां पर चार हजार की हाई टेंशन लाईन जा रही है मेरठ, माधौपुरम में गढ़ रोड भोपाल विहार है, घनी बस्ती है वहां पर घरों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है वहां घरों के बीच में खंभे गड़े हैं मैं चाहूँगा कि उन हाई टेंशन लाइनों को वहां से हटवाया जाय ताकि लोगों के जान माल की रक्षा हो सके। मान्यवर, जहां पर जर्जर लाईनें है, उनको बदला नहीं जाता है, उससे होता यह है कि जो ईख (गन्ने) के खेत है, जब वह लाइनें टूटकर गिर जाती हैं खेतों में तो गन्ने की फसल नष्ट हो जाती है गेहूँ की उपज लगी हुई है तो वह जल जाती है। हम चाहते है कि उन जर्जर लाइनों को तुरन्त बदला जाय। और वहां पर फीडर्स की कैपिसिटी बढ़ायी जाय ताकि वहाँ ठीक प्रकार से विद्युत का वितरण कार्य हो सके। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जिस प्रकार से विद्युत की आपूर्ति हो रही है इतनी कम है इतनी खराब है कि लोगों को बहुत परेशानी है। वहां पर उद्योग धंधे है, बिजली अर्प्याप्त है उस क्षेत्र में बिजली के अभाव में उद्योगपतियों को बिजली नहीं मिल पा रही हैं। उद्योग धंधे पलायन कर रहे हैं तो बड़ी कठिनाई में वह उद्योग चल रहे है। उस ओर ध्यान देने का कष्ट करें मा0 ऊर्जा मंत्री जी। मान्यवर, हम चाहते है कि हमारे यहाँ पर विद्युत का वितरण और पारेषण कार्य भली प्रकार से हो। मान्यवर, इस सरकार ने बिजली उत्पादन को बढ़ाने की बहुत सारी बातें कही है घोषणा 22 घन्टे की और आपूर्ति आधे घंटे भी नहीं लेकिन वहीं एक कहावत है न कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। मान्यवर, एक बात यह कहना चाहता हूँ कि बिजली का उत्पादन इतना बढ़ाया जाना चाहिए कि वह मांग के अनुरूप जनरेट हो सके। तभी हम घर-घर में बिजली दे सकेंगे। बिजली जीवन के लिए आवश्यक आवश्यकता बन चुकी है। धन्यवाद।

श्री सईद अहमद-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ऊर्जा विभग की बजट मांगों पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, हमारी पार्टी की सरकार को सत्ता में आये हुए ढ़ाई महीने ही हुए हैं फिर भी हमारे मा0 मुख्य मंत्री ने बिजली व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए सराहनीय प्रयास शुरू कर दिये हैं जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसको पूरा पांच साल का कार्यकाल मिला उस अवधि में उन्होंने पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। जब आदमी बीमार हो जाता है और उसकी किडनी लीवर खराब हो जाता है तो फिर एक इंजेक्शन लगाने से वह ठीक नहीं हो पाता है। उसके इलाज में समय लगता है। यही हालत आज विद्युत का है। हमारी सरकार उसे ठीक करने में लगी हुई है। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने विद्युत व्यवस्था को इतना खराब कर दिया उससे हर आदमी परेशान हो गया। मान्यवर, हमारे माननीय नेता जी ने, जब हमारी पार्टी की पिछली बार सरकार थी, तो 600 मेगावाट का पावर प्लांट रोजा में,500 मेगावाट का आनपारा में, 500 मेगावाट का हरदुआगंज में, 1000 मेगावाट का आनपारा बी में, और 500 मेगावाट का पारीक्षा में लगाने का काम किया था। इस तरह से कुल 2900 मेगावाट का बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम हमारी समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के समय में हुआ था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। अभी हमारी सरकार को सत्ता में आये हुए ढ़ाई महीने हुए हैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी घाटमपुर, कानपुर में पावर प्लांट का शिलान्यास किया है। इससे यह उम्मीद है कि आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र है ऊर्जा उत्पादन के संबंध में वह पूरी तरह से लागू हो जायेगा और लोगों को 24 घण्टे बिजली मिलने लगेगी। मान्यवर, आज बिजली की जरूरत हर व्यक्ति को हर उद्योग को हर व्यवसाय को होती है चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो उसमें भी बिजली की जरूरत है। हर व्यक्ति को बिजली की जरूरत है और मांग बढ़ रही है।

बिजली में जितना सुधार होना चाहिए उतना सुधार करने का यह सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में जो मंशा है, वह बहुत सही है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत देने का काम किया है, और वह जनता देख रही हैं। मैं समझता हूँ बिजली का एक नया उत्पादन संयत्र लगाने का काम करेंगे, तमाम विकास की जो योजनाएं हैं उनको जनता को देने को काम करेंगे और पूरे प्रदेश में 22 घन्टे नहीं पूरे प्रदेश को हमारी सरकार 24 घंटे बिजली देने का काम करेगी और आने वाले समय में बहुत जरूरत है। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री प्रदीप कुमार-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, बिजली की व्यवस्था जहाँ तक मैं मानकर चलता हूँ कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि बिजली उतनी मिल नहीं पाती जितनी हम चाहते हैं, सब धरने प्रदर्शन पर उतारू हो जाते है और उसका परिणाम यह होता है कि वहाँ जाकर अलावा आश्वासन के हमारे पास और कुछ नहीं बचता है। जहाँ के ट्रांसफारमर फुक जाते हैं उसको लेकर बिजली विभाग के लोग आते हैं और अगर वहाँ पर दो ट्रांसफारमर लेकर बिजली विभाग के लोग पहुँच जाते है तो वह दूसरे ट्रांसफारमर पर भी इस तरह से झपट्टा मारने की कोशिश करते है ताकि दूसरे ट्रांसफारमर को भी वहीं उतार कर रख दिया जाय। क्योंकि फुँके हुए ट्रांसफारमर 4-5 दिन से ज्यादा चलते नहीं हैं। और न चलने की वजह उनकी मैं समझता हूँ कि जिस कम्पनी को ठेका दिया गया है उस कम्पनी द्वारा सही तरीके से ट्रांसफारमर की मरम्मत न करना वह समस्या हमारे सामने बार-बार आती रहती है और बार-बार उस ट्रांसफारमर के इस्टीमेट बनवा करके देने का काम किया जाता है इसी कारण 4-5 दिन में ट्रांसफारमर फुंक जाते हैं।

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि 30-40 सालों से जिन गांवो का विद्युतीकरण हुआ था उनके तार और खम्भे जर्जर अवस्था में हो चुके हैं वहाँ बिजली अगर आती है तो उसकी वजह से व्यवधान पैदा होता है। दूसरी, अगर थोड़ा सा आंधी तूफान आ जाता है तो बिजली के तार और खम्भे टूटकर नीचे गिर जाते है उससे भी बड़ा व्यवधान पैदा होता रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली घरों के अन्दर जो मशीनें लगी हुई हैं वह ओवरलोड हो चुकी है और ओवरलोड होने की वजह से भी व्यवधान बड़ा जबरदस्त तरीके से पैदा होता है जिसकी वजह से 3-4 घन्टें से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाती है। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध करूँगा कि बिजली घरों की क्षमता बढ़ाने की मांग हम लोग करते हैं ताकि बिजली अच्छी तरीके से हम लोगों को मिले, 24 घन्टे बिजली मिले। मान्यवर, और क्षेत्रों में 24-24 घंटे डबुल-डबुल ग्रुप में बिजली उपलब्ध हो जाती है लेकिन हम लोगों के क्षेत्र में मात्र 3-3, 4-4 घंटे ही मिल पाती है हम इसकी व्यवस्था चाहते हैं कि हमें भी समान रूप से बराबर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। विधायक निधि सन् 2001-2002 के अन्तर्गत विधायक को जो गांव दिये गये थे उसमें कुछ गांव ऐसे बचे हैं जिनमें विद्युतीकरण नहीं हो पाया। 2001-2002 में जो प्रस्ताव दिये गये थे मात्र वहाँ खम्भे डले हुए हैं उन खम्भों को खड़ा करने की जो व्यवस्था 2001-2002 में ही हो जानी चाहिए थी उन खम्भों को खड़ा कराने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वहाँ जो गाँव बचे हुए हैं जो शीतलपुर शान्तन और सिथेड़ी गांव बचे हुए हैं इन गांव में खम्भें पड़े हुए हैं उनको खड़ा कराने की मैं मांग करूँगा और जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरतने का काम किया है उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं हो पाई है उसको कराने की मैं मांग करता हूँ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में विद्युत बिल वसूली के मामले को लेकर के वहाँ के जो जेई लोग है वह किसानों के कनेक्शन काटने का काम करते हैं। जबकि बिजली मिल नहीं रही है और लाइन काट करके तार को उतारने का काम कर रहे हैं। इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे संकट के मामले में जब बिजली का संकट पैदा हुआ है और विद्युत विभाग के लोग जाकर के बिजली कनेक्शन काटने का काम करते हैं तो उनके सामने एक संकट पैदा हो जाता है। तो उनको सुचारू रूप से बिजली मिले और वहाँ जाकर कनेक्शन काटने का काम न करें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ हाईटेंशन लाइनें जो बनी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रदीप कुमार-

मान्यवर, एक मिनट में कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। मकानों के ऊपर जो हाई टेंशन की लाइन जा रही है उनकी वजह से जो घटनाएं हो जाती हैं। लोगों की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से उनकी माँग भी जायज बनती है वह मुआवजे की मांग करते हैं। वहाँ पर समय से मुआवजा नहीं मिलता हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि उनको मुआवजे की व्यवस्था भी तत्काल करा दी जाय ताकि उनको तत्काल मुआवजा दिया जा सके। धन्यवाद।

*श्री गजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कटौती प्रस्ताव पर जो डा0 अग्रवाल द्वारा रखा गया है उससे मैं अपने आप को जोड़ते हुए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर जो छोटी काशी के नाम से इस यू0पी0 में जाना जाता है, वहाँ से चुनकर आता हूँ। जब से हरिद्वार उत्तराखण्ड में चला गया है तब से सिर्फ अनूपशहर ऐसा क्षेत्र बचा है जहां गंगा हमारे अनूपशहर से होकर गुजरती है और जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। जहाँ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

पर इस प्रदेश के ही नहीं देश के लाखों लोग स्नान करने और मंदिरों में पूजा अर्चना करने जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक तो मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ सदैव डबल ग्रुप में लाइट रही है। वहाँ गंगा है और इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। वहाँ लगभग पिछले ढ़ाई तीन महीने से अब मात्र 3-4 घंटे लाइट नहीं आ रही है जिस कारण से जो लोग गंगा स्नान करने वहाँ पर जाते हैं वह अँधेरे की वजह से वहाँ पर डूब जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ जैसी लाइट की व्यवस्था सदैव से रहती आई है वहाँ लाइट की व्यवस्था डबल ग्रुप की वैसी ही रहे। माननीय अध्यक्ष जी अभी पीछे शासन द्वारा अनूपशहर क्षेत्र के काफी गाँव विस्तृत विद्युत प्लान में लिये गये थे उन गाँवों में कुछ में काम हो गया, कुछ में अधूरा रह गया और कुछ में टेंण्डर होने के बाद रह गये थे उन गाँवों के काम रुक गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी रामगढ़, दौलताबाद, गंगाहरी, मैथना जगतपुर, ईस्माइला, बालका, अबराबाद कूड़ा, जमुनाठेर, मिर्जापुर अगरपुर, व आलमगीर नैनसुख, बुढ़ाना रसूलपुर उर्फ तौलिया (मैथना) शाहपुर, खनपुरा, जुगराना खुर्द व जुगराना खुर्द व जुगसाना कलां (जहॉगीराबाद) नवीनगर, जलीलपुर, भिरौली, बिरौली, मलकपुर, आहार (ब्लाक अनूपशहर) सिरौरा, रोरा मिर्जापुर नगला, कुच्छेजा एवं दोहली (ब्लाक बुलन्दशहर) नोबतपुर, खनौदा, अच्छेदा घाट, कियावली, मूढी बकापुर, मुरसाना, सन्नौट, आलमगीरपुर, धनौरा, मुरसाना यह काफी गांव हैं इनमें कुछ में खम्बे लग गये और कुछ में ट्रांसफार्मर लग गये । कुछ में सामान पहुंच गया है लेकिन खम्बे खड़ें नही कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि वहॉ पर जो काम बचा है, पहले शुरू हुआ था उसको कराने का कष्ट करें । धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी, एक आप बुलवा लें। साढ़े चार बजे आपको बोलना है। आप अपने एक सदस्य जिसको कहिये मैं बुला लूँ। माला द्विवेदी, सीमा द्विवेदी जी, अरे नाम याद नहीं आया।

*श्रीमती सीमा-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं डा0 साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ बातें कहना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश का बड़ा जिला है और माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, हमारे पड़ोसी जिले के अम्बिका चौधरी जी बैठे हैं। मेरे जनपद जौनपुर ने आपको बहुत दिया है। हमारे यहाँ नौ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा की सीटें हैं और 9 में से 7 विधायक आपकी पार्टी के हमारे जनपद जौनपुर ने दिया है। दो लोक सभा की सीटें हैं एक सीट आपकी पार्टी को हमारे जनपद ने दिया है। आखिर कौन सी बुराई हमारे जनपद में है कि आज भी हमारा जिला ए नहीं बी नहीं सी श्रेणी में हमार जिला रखा गया है। प्रतापगढ़ में लाइट रहती है 18 घंटे, इलाहाबाद में रहती है, बनारस में रहती है मान्यवर आखिर जनपद जौनपुर में तीन घंटे से चार घंटे लाइट क्यों रहती है। मेरी आपसे पीड़ा है मान्यवर हम लोग भी चुनकर आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, कस्बे में लाइट नहीं आती है कभी सरकार कहती है, कि हम लाइट 18 से 20 घंटे लाइट देंगे, कभी सरकार कहती है, हम लाइट की अच्छी व्यवस्था करेंगे। अभी माननीय ऊर्जा मंत्री उस दिन कह रहे थे मैंने पता नही कितना करोड़ रुपया दिया है विद्युत को ठीक कराने के लिए मान्यवर, मार्केटों में जाकर देखिए रोज तार टूट-टूट कर गिरते हैं । व्यवसायी वर्ग के लोग रहते हैं कही उनकी दुकान जल गई, कहीं इनकी दुकान जल गई। हमारे क्षेत्र मुंगराबादशापुर चार घंटे लाइट हमको प्राप्त नहीं हो रही है 45 डिग्री तापमान है। बिजली का इतना संकट है मान्यवर, न बच्चों को पढ़ने को मिल रहा है न किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। मान्यवर, मैं तीन चार बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ पहले ट्रांसफार्मर जलता था तो विभाग का जे0 ई0 ले आता था, लाकर बदल देता था। लेकिन अब पता नहीं किस की सरकार ने किया अब व्यवस्था यह हो गई है कि ट्रांसफार्मर जलेगा तो कन्ज्यूमर लेकर जाएगा, और लेकर आएगा। कितनी बड़ी अव्यवस्था हो गई है एक बार कन्ज्यूमर चन्दा इकट्ठा करता है दो हजार इकट्ठा करता है, चार हजार इकट्ठा करता है, एक बार ट्रांसफार्मर जमा करने जाता है, और उसके बाद कई राउन्ड चक्कर मारता है, तब जाकर के दूसरी बार गाड़ी करके लेने जाता है। मान्यवर, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि ट्रांसफार्मर जले और कन्जयूमर लेकर जाए वहां जमा करे तो लगे हाथ ट्रांसफार्मर बदल दिया जाए। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि छोटी-मोटी गड़बड़ी हो जाती है तो एक भी लाइन मैन ठीक करने के लिए नहीं मिलता है। जब विभाग में बात करते हैं तो एस0सी0एन0 कहता है कि मेरे पास कोई भी लाइनमैन नहीं है। सरकार ने फ्रेन्चाइजी की व्यवस्था की है। फ्रेन्चाइजी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कोई काम नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष-

यह वर्मा जी बार-बार खड़े हो जाते हैं। साढ़े चार बजे एक बजट और लेना है बाकी लोग लिखकर दे दें बोला हुआ मान लिया जाएगा कार्यवाही में जुड़वा देंगे।

श्रीमती सीमा-

मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हमारे विधान सभा क्षेत्र में औद्यौगिक क्षेत्र सतहरिया है और वहीं से लगा हुआ हमारे नगर का बाजार है जो नगर पालिका एरिया है वहां बीस से

बाइस घंटे लाइट रहती लेकिन हमारे मुंगराबादशाहपुर में चार घंटे लाइट रहती है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ मान्यवर, सतहरिया इण्डस्ट्रियल एरिया से हमारा क्षेत्र जोड़ दिया जाए।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें। बंसल जी आप तो कई विषयों पर बोल चुके हैं।

श्रीमती सीमा-

माननीय अध्यक्ष हम पागल हैं क्या, हम सदन में बोल रहे हैं और यह सब एक साथ बोले जा रहे हैं। मेरी बात कौन सुन रहा है न आप सुन रहे हैं न यह सुन रहे हैं। आप पहले सदन को व्यवस्थित कीजिए। आपने मुझे बुला लिया तो मै बोल तो लूँ अपनी समस्या तो बता दूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी समस्या एक घंटे की होगी तो कैसे सुनेंगे अब समाप्त करिए। पाँच मिनट हो गए है।

श्रीमती सीमा-

आप इशारा कर दीजिए हम बैठ जाएं। लेकिन जब आपने हमें बोलने का मौका दिया है तो टीका-टिप्पणी करने का किसी को कोई हक नहीं है। आप मुझे कहें मैं तुरन्त बैठ जाऊँगी।

श्री अध्यक्ष-

लास्ट में जब खत्म होने को होता है तो हर आदमी प्रयास करता है कि हम बोल लें, हम बोल लें।

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशापुर, अगर आप 18 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, तो तीन घंटे में हमको बरगलाने का काम मत करिए। हमें भी उतनी बिजली दीजिए जितनी की आपके एजेन्डे में है। मुंगराबादशापुर से सटी हुई सटहरिया है वह इण्डस्ट्रियल एरिया है। उससे सटी हमारी नगरपालिका है। दो किलोमीटर का फासला है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि सटहरिया से हमारी नगरपालिका को जोड़ दिया जाए। हमारे नगरपालिका के निवासियों को अच्छी तरह लाइट मिल सके यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष-

अब साढ़े चार बज गया है।

(कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

आप लोग शान्त रहें, आप लिखकर दे देंगे तो वह प्रोसीडिंग का अंग बन जायेगा कि आपने भाषण दिया। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी, अब चर्चा शुरू करिए। आप सब लोग बैठिए, अभी एक बजट और है। वर्मा जी, कल भी बजट है, आप लिखकर दे दो, प्रोसीडिंग का अंग बन जायेगा। जैसे आप बोलते हैं, वह प्रोसीडिंग का अंग बनता है, आप लिखकर दे दीजिए मैं उसे प्रोसीडिंग का अंग बनवा दूँगा। माननीय अग्रवाल साहब, आप शुरू करें।

(कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करते रहे)

मैंने कहा कि जब आप बोलते हैं, वह प्रोसीडिंग का अंग बन जाता है। यह महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आप लिखकर दे देंगे तो वह प्रोसीडिंग में जुड़ जायेगा और कल आकर देख लीजिए, वह प्रोसीडिंग में जुड़ जायेगा और कल आकर देख लीजिए, वह प्रोसीडिंग में जुड़ा रहेगा। इससे समय बच जायेगा, उतने समय में दूसरा बजट ले लिया जायेगा। आप लिखकर दे दीजिए, मैं उसे बोला हुआ ही मान लूँगा। आप उठने से पहले लिखकर दे दीजिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के उन सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने हमारे द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये। विशेष रूप से सत्तापक्ष में बैठे हुए उन 3 सदस्यों का मैं विशेष आभारी हूँ जिन्होंने अपनी बातें रखते हुए, कम से कम सच बोलते हुए कुछ हिम्मत पैदा की और कहा ट्रांसफार्मर का तेल बेचा जा रहा है। यह माननीय सदस्यों का सदन में कथन है। लाइन मैन नहीं हैं, प्राइवेट लाइन मैन रखे जा रहे हैं और नागरिकों का आर्थिक शोषण हो रहा है और तीसरी चीज गाँव का विद्युतीकरण नहीं हुआ, नागरिकों को अपने मोबाइल चार्जिंग कराने के लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ रहा है। मैं उन माननीय सदस्यों की साफगोई के लिए जिन्होंने वहाँ रह कर भी घुटन महसूस की और सत्य को बोलने की हिम्मत पैदा की, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें हैं जिन्हें अन्त में हम लोग जिक्र करना चाहते हैं। सबसे बड़ा आरोप जो माननीय सदस्यों की बात से निकला है, कटौती तो अपनी जगह है, सबसे बड़ी समस्या तो लोकल फाल्ट हो गई है। आज विभाग के पास न तो ट्रांसफार्मर हैं, न ट्रांसफार्मर का तेल है, न वायन्डिंग वायर्स हैं, न मोबाइल ट्रांसफार्मर हैं, न लाइन मैन हैं और लाइन मैनों की जगह पर प्राइवेट लोग रख दिए गए जो बेचारे अगर ऊपर से गिरकर मर जाते हैं तो उनको कोई मुआवजा भी नहीं है। हर साल कुछ न कुछ लोग मर रहे हैं। यह प्राविधान होना चाहिए कि बिजली के खम्भे पर वही चढ़ेगा जो आफिशियल लाइन मैन है। सरकारी खम्भे पर

या सरकारी कार्य से अगर कोई व्यक्ति चढ़ गया तो उसको वही मुआवजा मिलना चाहिए जो लाइनमैन को मिलता है। नागरिकों की गरीबी का यह शोषण, यह मजाक बन्द होना चाहिए। सरकारी सम्पत्ति है, कोई न चढ़े, मत बने बिजली, सरकार के सामने स्थितियाँ आयेंगी। यदि प्राइवेट लोगों को लेकर बिजली बनाई जाती है, तार जोड़े जाते हैं और कोई दुर्घटना होती है यदि उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाए यह कदापि उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, वर्कशाप की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। वर्कशाप में ट्रांसफार्मर नहीं बनाये जा रहे हैं। नकली ट्रांसफार्मर तेल कहाँ से भेजा जा रहा है नहीं मालूम है। लेकिन है। नहीं तो जो ट्रांसफार्मर बनकर आते हैं वह दो-तीन घण्टे में क्यों खराब हो जाते हैं। रिपेयर के नाम पर एक काकस बन गया है। एक बहुत बड़ा खेल है। मैं यह तो नहीं कहता कि आपका खेल है लेकिन खेल है। मैं यह तो नहीं कहता कि आपका खेल है लेकिन खेल है और खेल है तो इसे रोका जाना चाहिए। एक जांच होनी चाहिए कि गोरखपुर में अप्रैल, 2011 में 407 ट्रांसफार्मर फुंके तो अप्रैल, 2012 में 680 क्यों फुंक गये। ट्रांसफार्मरों के फुंकने की स्पीड में वह तेजी क्यों आ गयी। यह अपने आप में बहुत बड़ा रैकेट है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस बात की सदन में घोषणा होनी चाहिए कि बदले जाने वाले जो ट्रांसफार्मर बार-बार फुंक रहे हैं, कौन सा वह खेल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकारी किये हुए हैं। केवल गोरखपुर की बात नहीं है। यह खेल पूरे प्रदेश में हो रहा है। यह खेल बंद होना चाहिए। अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी चीज जो चर्चा में नहीं आयी केप्टी पावर प्लान्ट की। हम न जाने कितनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं उन्हें जमीन भी देना होता है। पानी भी देना होता है और कोयला भी देना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें न जमीन चाहिए न कोयला चाहिए न पानी चाहिए। वह अपनी क्षमता के आधार पर केप्टी पावर प्लान्ट लगा सकते हैं और छोटे-छोटे एरिया को बिजली भी दे सकते हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार इतनी सारी सब्सिडी बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे देती है और जो छोट-छोटे प्लांट केप्टी पावर प्लान्ट के लगाये जा सकते हैं जिनमें थोड़ी सी कैपिटल सब्सिडी देकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम उन्हें क्यों नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप दक्षिण भारत में चले जाइये सड़कों के किनारे पवन चक्कियों का जाल बिछा हुआ है। वह जाल हम यहाँ क्यों नहीं बिछा पा रहे हैं। यह बात सामने आनी चाहिए। हम सिर्फ थर्मल पावर के उत्पादन को लेकर चलते हैं जो हमारे और गैर परम्परागत रिन्युएबल सोर्सेस हैं। हम उनका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात की चिंता क्यों नहीं हो रही है कि हम छोटे-छोटे दो-दो मेगावाट के ढेर सारे हाइड्रो पावर प्लांट लगा सकते हैं। इस पर कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट विभाग क्यों नहीं तैयार कर रहा है। यह ढेर सारी चीजें हैं जिसकी चर्चा बहुत सारे सदस्यों ने की है। मैं अपनी बात एक छोटे से शेर के साथ समाप्त करूंगा। बहुत पुराना शेर है-कहाँ तो तय था चिराग हर

एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। पूरा प्रदेश बिजली की कमी से तड़प रहा है। धन्यवाद।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ढाई-तीन महीने से बहुत चिंतित है और बहुत प्रयास भी कर रही हैं और बहुत सी परियोजनाओं की तरफ ध्यान भी दे रही है। शायद राधामोहन दास अग्रवाल जी ने अभी तक कुछ सोचा नहीं कि किन कारणों से यह संकट पैदा हुआ है। बी0एस0पी0 के भ्रष्टाचार के साथ-साथ बी0जे0पी0 के शासनकाल में ऊर्जा के क्षेत्र में न्यूनतम प्रगति के बारे में भी जिक्र करना चाहिए था। नहीं किया। इसका भी जिक्र आप कर देते। भ्रष्टाचार पर तो हम तेजी के साथ अंकुश लगायेंगे और माननीय सदस्य श्री दलवीर सिंह जी ने जो कहा उस पर भी हम गंभीर हैं। यहाँ तक कि जो भी सदस्य है। एक ही काम करना चाहिए या तो विधायकी या सांसदगीरी या ठेकेदारी में से किसी एक को चुनना चाहिए। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों पर भी ठेकेदारी पर अंकुश लगना चाहिए। हम इस राय के भी है, तभी मैंने कहा कि सब चीजों पर आपको निगाह रखनी है, सदस्य तभी निगाह रख सकता है, तभी बच सकते हो, अगर ठेकेदारी में शामिल हो जायेंगे विधायक तो भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लग सकती और हम तो यहां तक भी गम्भीर हैं जिसकी वजह से बिजली का संकट है, 25 हजार करोड़ रुपये की जो देनदारी है उस पर भी और हम तो इस पर भी मा0 अध्यक्ष जी, अगर प्रस्ताव ले आइये, जो काला धन है, जो धन लूटकर ले गये हैं, वह वापस आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, अगर सदन सहमत हो तो हम इस पर भी तैयार है, लाइये प्रस्ताव। आपकी तरफ से यह प्रस्ताव आना चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत प्रयास किया बिजली के बारे में, जो कोयला की कमी है, कोयले की बहुत कमी है और कोयले की कमी के कारण परियोजनाएं नहीं लग पा रही है। जो एमओयू हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नहीं आ पा रहे हैं। कोयले की कमी की वजह से, हमने प्रयास किया है, केन्द्र सरकार से भी हमारा प्रयास है, कोयले का प्रयास होना चाहिए और यहीं तक नहीं हमारा केन्द्र सरकार से प्रयास है, पिछली सरकार में जब हम ऊर्जा मंत्री थे, तब हम केन्द्र सरकार के पास गये थे, प्रमोद तिवारी जी को पता है, हम गये थे। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री के पास लेकिन जो हमारा हिस्सा है उत्तर प्रदेश का वह भी मिलना चाहिए, माथुर साहब मिलना चाहिए जो हमारा हिस्सा है उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है केन्द्र सरकार को वह देना चाहिए और इसमें आप सबको सहयोग करना चाहिए और हम तो इस प्रयास में भी है कि अगर कोयले का इन्तजाम यहां नहीं होता है तो हम हिन्दुस्तान से बाहर यहां तक की दूसरे देशों से भी कोयले का आयात करने के लिए तैयार हैं। यह आना चाहिए प्रस्ताव, लेकिन यहां परियोजना लगना चाहिए, बिजली का उत्पादन होना चाहिए और यहीं तक नहीं मा0 अध्यक्ष जी, जो अभी ट्रांसफार्मर के

बारे में कहा गया, हम जब ऊर्जा मंत्री थे तो यूनिट बीच में बन्द नहीं होती थी मैंने इतनी सख्ती की थी, मैंने स्पष्ट कह दिया था कि अगर उसमें से कोई डुप्लीकेट पुर्जा लग गया तो उस अधिकारी की खैर नहीं, ठेकेदारी उसमें भी चलती है, कमीशन उसमें भी चलता है, मैंने रोका था और रोक कर दिखा दिया था तब बिजली आपको 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे बिजली मिलती थी, जो पिछले पाँच साल में गिरावट आई है, हर चीज में कमीशन चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे पुर्जे हों, चाहे परियोजनायें हो, अगर कोई परियोजना लगाने आता है तो पहले से कमीशन, तो कौन आयेगा, इस पर मैंने रोक लगाई थी और रोक लगायेंगें भी और बहुत तेजी के साथ रोक लगायेंगे और यहां तक कि ट्रांसफार्मर के बारे में जितने भी घटिया ट्रांसफार्मर के सप्लायर हैं उनको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे और पता लगा लेना पिछले शासनकाल में जितने भी ब्लैक लिस्ट थे, उन्हीं से ट्रांसफार्मर खरीदे गये। बताओ कौन दोषी है इसमें, हम उनको बन्द करना चाहते हैं, लाइये प्रस्ताव, लाते क्यों नहीं प्रस्ताव लाना चाहिए आप लोग लाइये प्रस्ताव हम तैयार हैं और हम इसको रोक कर दिखायेंगे और हम बिजली की व्यवस्था करेंगे। हम बिजली आपको देंगे, मेरे घोषणा-पत्र में है, हम बिजली देंगे और यहीं तक नहीं, क्यों आज तक आजादी के बाद झोपड़ी क्यों हैं गरीब की, पक्के मकान होने चाहिए उनके भी, उनकी झोपड़ी में भी एक बल्ब और एक पंखा फ्री देने की हमारी योजना है।

गरीब का पक्का मकान बनना चाहिए झोपड़ी क्यों है ? हम इस पर भी सोचना चाहते हैं और सोचा है हमारी सरकार ने। और यही नहीं बिजली हम देंगे। मनुष्य के लिए बिजली आवश्यक है और हमारी सरकार का मजबूत इरादा है कि हम बिजली देंगे। 22 घंटे, 23 घंटे और 24 घंटे हम बिजली देंगे। यह हमारा मजबूत इरादा है और हमने जो वायदे किये हैं, उन्हें पूरा करेंगे। इसका हम आपको आश्वासन देते हैं। इसके साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा के सम्बन्ध में भी मैंने प्रस्तुत तो कर दिया हैं मा0 अध्यक्ष जी जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हमने ढूढें हैं और जो बुंदेलखण्ड के बारे में है। बुंदेलखण्ड में कितनी जमीन पड़ी हुई हैं। यह सही है और उसमें भी हमने व्यवस्था करी है और कल हमारा सिंचाई विभाग का बजट है, उसमें भी हम बताएंगे वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में और सौर ऊर्जा के बारे में और पहली बार इस सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने प्राविधान किया है। हम नहरों पर और हम बुंदेलखण्ड की जो धरती है उस पर भी सौर ऊर्जा का उत्पादन करने जा रहे हैं और उससे पर्यावरण को भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि कोयले से तो प्रदूषण भी होता है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है, जो वैकल्पिक ऊर्जा हम पैदा करेंगे तो उससे लाभ भी होगा। तो मा0 अध्यक्ष जी, हम सदन को आश्वासन देना चाहते हैं कि इस बजट का जो प्राविधान हमने किया है, उसे सर्वसम्मति से पास करें और हमारा इरादा पक्का है, उसे हम पूरा करेंगे।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत दमदारी के साथ अपनी बातें रखी हैं।

*श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि.....

श्री अध्यक्ष-

आप ही की पार्टी के मा0 सदस्य बोल रहे हैं।

श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बोलिए।

श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से मेज ठोंककर बहुत अच्छी बातें कही हैं। मान्यवर, इस बजट में उन्होंने कहा कि सरकारी ट्यूबवेल की जगह हमने किसानों को निजी ट्यूबवेल लगाने के लिए अलग से व्यवस्था की है। में इन्होंने 68 हजार रुपये ट्यूबवेल के लिए देने की बात कही है, इन्होंने कहा है कि हम किसानों को एक ट्यूबवेल लगाने के लिए 68 हजार रुपये का अनुदान देंगे, परन्तु इस पुस्तिका में इन्होंने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि यह अनुदान देने की जो बात कही गयी है, बजट में यह कब घोषणा कर देंगे। इसको और घोषित कर दें। सभी जिलों को समान बिजली देंगे इसकी व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये।

*श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, जो हमारे डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने अभी बात कही है, मैं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे मथुरा जनपद में चावल की भूसी पर आधारित 14 मेगावाट का पावर प्लांट लगा है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे बहुत से मा0 सदस्य ऐसे स्थानों से आते हैं, जहाँ पर चावल बहुत अधिक होता है, उसकी हस्क से भी पावर प्लांट लगते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोगों को इनवाइट करें कि वह 14-14, 15-15 मेगावाट के राइस हस्कवेस्ड पावर प्लांट लगाएं, जिनकी कीमत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक आती है और वह उस इलाके की बिजली को संचालित कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपने सोलर इनर्जी की जो बात कही और आपने पूरे सदन को आश्वस्त किया, हम आपकी इस बात का स्वागत करते हैं और जहाँ तक आपने कोयले की बात कही इस संबंध में हमारी यू0पी0ए0 की चेयरपर्सन साहब, से भी अभी तीन दिन पहले ही बात हुई थी, तो हम लोग भी अपने कांग्रेस विधान मण्डल दल की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपके इस ऊर्जा को जनरेट करने में जो भी केन्द्र सरकार से सहयोग होगा वह हम आपको दिलवाएंगे।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा बजट है, सब इससे सहमत हैं। ढाई महीने की सरकार है, अभी इन पर एतराज कोई लगाया जाये तो क्या लगाया जाये। हम लोग कोई एतराज नहीं लगा सकते। मैं केवल एक ही घोषणा चाहता हूँ कि जितने भी प्रदेश के किसान है, उन पर जो बिजली चोरी की एफ0आई0आर0 दर्ज होती है, यह बहुत गलत है। वह किसान अन्न पैदा करता है, धरती की छाती चीरकर दोपहरी में, बरसात में, ठंड में काम करता है उसके बाद अपना खेत सिंचाई करने के लिये वह दिन रात मेहनत करता है, उस पर जितनी भी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है, वह समाप्त की जायें और भविष्य में भी बिजली चोरी का उस पर कोई मुकदमा न लगे, यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष-

आप मिलकर के बात कर लीजियेगा।

डा0 राधा मोहन जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ऊर्जा मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जो कुछ कहा है, बड़ा अच्छा लगा लेकिन यह अच्छा तब लगेगा, जब सिर्फ कहा ही न जाये बल्कि किया भी जाये। आप ठेकेदारों की, विधायकों की जाँच करना चाहते हैं, आप इस जाँच को कड़ाई से कर लीजिये। खाली बिजली विभाग में नहीं, पी0डब्लू0डी0 में, सिंचाई में और सारे विभागों में भी और चिन्हित करके उन्हें अलग करिये।

श्री अध्यक्ष-

आप वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं वापस लेने जा रहा हूँ, इसलिये कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सत्ता में आने के दो साल के अन्दर हम ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली दे देगें। माननीय मंत्री जी सदन में खड़े हो जायें

और इस घोषणा को कर दें और यह कह दें कि अगर मैं यह नहीं कर पाया तो दो साल बाद ऊर्जा का बजट प्रस्तुत नहीं करूँगा तो मैं अपनी कटौती वापस ले लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-9 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-9 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,84,83,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

चूँकि माननीय मंत्री जी इसका बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, आप क्या उसमें कटौती रखेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं बस दो मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। अध्यक्ष महोदय, यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को एक ऐसे मुख्य मंत्री मिले हैं जो यह कहते हैं कि हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और गांव के नागरिकों में आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं। गांव-गांव में लैपटाप और कम्प्यूटर पहुँचाना चाहते है। यह संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है कि आपके पास कितने वैज्ञानिक उपकरण हैं। महत्व इसका होता है कि आप इस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक रूप से करते है या नकारात्मक रूप से। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लैपटॉप मिले हुए हैं, लैपटॉप मिलने से लैपटॉप का उपयोग नहीं होता है बल्कि वह क्षमता विकसित होनी चाहिए कि लैपटॉप का उपयोग हो सके, इसलिए लैपटॉप और मोबाइल की तुलना करने की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल से बात करना और लैपटॉप को चलाना इन दोनों में बहुत अन्तर है। मान्यवर, जिन्हें

हम लैपटॉप दे रहे हैं उनमें वह क्षमता विकसित की जानी चाहिए जिससे कि वह उसका रचनात्मक उपयोग कर सकें। आज की जो कम्प्यूटर एजूकेशन की स्थिति है, जो व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, हमने प्रयोगशालाएं तो खड़ी कर दीं लेकिन सच्चाई यही है कि किसी भी प्रकार की पढ़ाई अधिकांशतः किसी भी विद्यालय में कम से कम कम्प्यूटर एजूकेशन के बारे में तो नहीं है। यह जो कम्प्यूटर लिटरेसी बहुत कम है इसको बढ़ाए जाने का व्यावहारिक प्रावधान किया जाना चाहिए। एक आंकड़ा आया है देश के बारे में एक कम्पोजिट इंडेक्स का टेक्नालॉजिकल एचीवमेन्ट, तकनीकी उपलब्धता का एक समग्र सूचकांक निकाला गया है और मान्यवर, उस सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं। उस सूचकांक का एक समूह है जो सर्वोत्तम है, दिल्ली, गोवा, केरल, तमिलनाडु, दूसरा वह समूह है जो उससे थोड़ा कम है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हिमांचल प्रदेश, तीसरा वह है जिसमें पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य हैं और मान्यवर, चौथा वह है जिसमें हम गर्व कर सकते हैं कि उसमें हम हैं, हमारे साथ बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखण्ड है। मान्यवर, दोनों के अन्तर को देखिये तो जो तथ्य सामने आता है वह यह है कि हमारी प्रतिव्यक्ति आय अकेली महत्वपूर्ण नहीं होती, हमारी प्रतिव्यक्ति आय कम भी हो सकती है तब भी अगर हम विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करें तो हमारी जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। यह उदाहरण है द्वितीय ग्रुप के लोगों का जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जिनकी प्रतिव्यक्ति आय दिल्ली, गोवा के मुकाबले कम होगी लेकिन क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनकी बेहतर उपलब्धि है, इसलिए वह बेहतर जीवन जी रहे हैं। मैंने आपका बजट देखा है, इसमें लगभग एक करोड़ पचपन लाख रुपया अनुसंधान के लिए दिया गया है। अब यह वही है जो चिड़िया की कहानी थी कि ''का खाई, का पी, का लेके परदेश जाई'' तो इस एक करोड़ पचपन लाख रुपये से प्रदेश के अन्दर हम कितना अनुसन्धान का माहौल बना सकते हैं। यह हम सबके लिये चिन्ता का विषय होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में कैसे प्रयोगशालाएं चल रही हैं, कैसे अनुसन्धान हो रहे हैं और जो विज्ञान से ग्रेजुएट हो करके निकल रहे हैं वह सब अपने आप में वैज्ञानिक सोच से रहित हैं यह सब हम लोगों के लिए चिन्ता का विषय है और हमें इस बात का दुःख है कि यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। ऊर्जा विभाग के बाद अगर प्रदेश विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग कोई हो सकता है तो वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है और मुझे इस बात का दुःख है कि इतने महत्वपूर्ण विभाग का बजट इतना कम रखा गया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी शायद इस विभाग को देखते होंगे फिर भी वह चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस विभाग का बजट बढ़ाया जाना चाहिए, इस विभाग के धन का अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों के अन्दर वैज्ञानिक विश्लेषण क्षमता विकसित हो सके इसके लिए योजनाएं बनानी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि कक्षा 5 के बच्चों को साइंस की शिक्षा में पारंगत किया जाए इसका प्रयास

होना चाहिए और इसके लिए जरूरी होगा कि उन सारे छोटे-छोटे विद्यालयों में जहां हम शिक्षक भी नहीं दे पाते हैं वहाँ कम से कम व्यवस्था करें उनकी सोच को वैज्ञानिक कर सकने की। चूंकि बजट में यह सारे प्रावधान नहीं हैं, मैं बहुत लम्बा इस विषय को खींचना नहीं चाहता हूँ अन्यथा यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और घंटों बोलने का विषय है। मैं आग्रह करूँगा कि आप यह सारी व्यवस्था कीजिए, बजट को बढ़ाइये तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूँगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वैज्ञानिक युग है, कम्प्यूटर युग है। वैसे तो हमारी सरकार पूरे प्रदेश में सेटेलाइट के माध्यम से सर्वेक्षण भी कराना चाहती है क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में जरूरी हो गया है। चाहे नदियाँ हों, चाहे नहरें हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, सब पर यह लागू हो सकता है। इसके साथ ही साथ मा0 सदस्य किसी दिन समय निकाल करके मेरे पास आयें तो मैं उनको प्रजन्टेशन दिखाऊँ। मैंने एक कम्पनी को बुलाया था। जो भी माननीय सदस्य देखना चाहेंगे प्रजेन्टेशन करवा दिया जायेगा। मैंने कहा कि अभी तक वैकल्पिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बारे में कोई सोचता नहीं था। हमारी सरकार ने पहली बार, पता कर लेना कि पिछली सरकार ने 2011-2012 में सौर ऊर्जा पर कितना बजट दिया था ? नहीं दिया था, हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया है। इसी तरीके से हमारी सरकार ने अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग के इस योजना में पिछली सरकार ने 2011-2012 में 3424 लाख रुपये दिया था और हमारी सरकार ने 159 करोड़ 51 लाख, लगभग पाँच गुना धन दिया है और इस पर हम बहुत गम्भीर हैं। हमने कहा कि हम प्रयास करेंगें, बुन्देलखण्ड, उत्तर प्रदेश की नहरों पर, हमने चिन्हित भी कर लिया है। क्योंकि हम एक मेगावाट ऊर्जा पैदा करेंगें तो जमीन की बहुत आवश्यकता होगी। एक मेगावाट में शायद एक एकड़, अगर 05 मेगावाट की लगायेंगें तो 5 एकड़, इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहरों पर भी जगह पड़ी रहती है और पानी से ज्यादा ऊर्जा बनेगी। इस तरीके से बुन्देलखण्ड के जो जिले हैं उसमें जमीन का प्रबन्ध हो सकता है। इस योजना पर हम बहुत गम्भीर हैं इसलिए मैंने बजट भी बढ़ा करके दिया है और जरूरत पड़ेगी तो अध्यक्ष जी और दे देंगे। इस पर हम गम्भीर हैं, इस योजना को हम बहुत तेजी के साथ लागू करना चाहते हैं और जो भी सुझाव आयेंगें, हम उसको पूरा करेंगें। क्योंकि इससे पर्यावरण को भी बहुत लाभ है। यह हमारा सौभाग्य है कि साल में 09 महीने कम से कम हम लोगों को धूप मिलती है, पर्याप्त मात्रा में हमें सूरज की ऊर्जा मिलती है। पर्यावरण इससे बहुत अच्छा होगा, प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं होगी। केन्द्र सरकार से भी हम प्रयास करेंगें। वैसे तो केन्द्र सरकार से सब्सिडी मिल जाती है। हम प्रयास करेंगें और जब सब्सिडी मिलती है तो उपभोक्ताओं को हम बिजली सस्ती देंगे। 3.50 रुपये प्रति यूनिट बिजली की कीमत होगी, तो सस्ती बिजली भी मिलेगी, पर्यावरण को

भी लाभ मिलेगा। इसलिए इस योजना पर अगर और बजट की जरूरत पडेगी तो बढ़ाकर दे देंगे। हम इस योजना के ऊपर बहुत गम्भीर है। डॉ0 साहब आप कटौती को वापस ले लीजिए और सर्व-सम्मति से इस बजट को पारित करिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जो नए सदस्य हैं वह हम लोगों के पास आए थे जो लैपटाप हम उन्हें देते हैं वह चाहते हैं कि लैपटॉप का एक प्रशिक्षण कैम्प लगा दिया जाय। इसकी व्यवस्था कर लीजिए। दूसरा आग्रह है कि हम सब लैपटॉप दिये जाने के समर्थक हैं लेकिन लैपटॉप बहुत छोटे बच्चों के लिए दोहरी तलवार है जिनकी विवेक क्षमता बहुत अधिक विकसित नहीं है उनके लिए वह लाभदायक भी हो सकती है और नुकसानदायक भी हो सकती है। हम लैपटाप में वह प्रक्रिया कर सकते हैं जिसमें हम उनकी कुछ स्पेशफिक साइट्स को ब्लाक कर सकते हैं। चूँकि हमें बहुत बड़ी संख्या में लैपटाप चाहिए हमने इस बात को पता किया है हम उनके हार्डवेयर में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं मैं किसी का नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को आक्षेपित नहीं करना चाहता लेकिन छोटे-बच्चे हैं 14-15 साल के उनके हाथ में एक बड़ी चीज आती है को एजूकेशन का माहौल होता है हो सके तो जो लोग हमें इतने बल्क में लैपटाप देने जा रहे हैं हम उनको बाध्य कर सकते हैं कि वह इसकी व्यवस्था कर लें।

श्री हुकुम सिंह-

वह समस्या तो यहाँ भी आ सकती है। जो लैपटॉप आप यहाँ देंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह समस्या कहीं कहीं आ भी चुकी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

यहाँ ज्यादा गम्भीर है। इस विरादरी के लोगों को सदस्यता तक गंवानी पड़ी। इसलिए यह बड़ा गम्भीर है। इसलिए इसे बच्चों पर लागू कम कीजिए यहाँ ज्यादा लागू कीजिए। क्योंकि आपके आस पास बड़ा खतरा है। माननीय अध्यक्ष जी माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक बात कही है। मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ और सदन को भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो अंग्रेजी में सारी चीजें आती हैं उनको न करके उसको हिन्दी या उर्दू में भी कर सकते हैं और उसमें कुछ चीजें स्थाई रूप से डालने की भी बात कर सकते हैं उन्होंने जैसे राष्ट्रगान वाली बात कही और जो आपका सुझाव है कि कल इण्टरनेट चलाने के लिए उनको दिया जाएगा तो हार्डवेयर के माध्यम से कोई विशेष साइट ब्लाक की जा सकती है या नहीं इसका तकनीकी ज्ञान मुझे नहीं है। लेकिन हम लोगों को यह प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए कि हम बच्चों को जो

कम्प्यूटर दे रहे हैं वह उनके जीवन को आलोकित करने के लिए उनका सहायक बने न कि उनके फिसलने के लिए कोई फिसलनदार रास्ता बने। इसलिए आपके सुझाव के साथ-साथ और भी जो सुझाव होंगे उनको शामिल करवाने का काम करेंगे इसको सरकार सुनिश्चित करेगी। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है। इसलिए अगर आप सीधे खड़े होकर कह देते कि हम कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं तो हम आपको धन्यवाद देते।

श्री अध्यक्ष-

मैं अब प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,24,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग

श्री अध्यक्ष-

और जो मदें हैं उनमें विवाद नहीं होगा। आप उसे प्रस्तुत कर दें।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,98,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,98,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यकर)

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,29,08,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,29,08,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,18,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,18,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13 जून, 2012 को नियम-51 की कुल 62 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद श्रावस्ती में अनुसूचित जाति के जोगी पुत्र दूबर पर जानलेवा हमला करने वालों की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न

स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना-श्री मदन गोपाल वर्मा की फतेहपुर में स्थित उपकेन्द्रों की विद्युत क्षमता बढ़ाये जाने के संबंध में, तीसरी सूचना-श्री सुरेश बंसल की गाजियाबाद के पटेलनगर एवं अन्य क्षेत्रों में सीवर के जाम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौथी सूचना-श्री रविदास मेहरोत्रा की लखनऊ मध्य क्षेत्र के नाले लबालब भरने एवं चोक होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा पांचवीं सूचना-श्री गायत्री प्रसाद की अमेठी स्थित टिकरिया सीमेन्ट फैक्ट्री से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में प्राप्त सूचनाओं को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। छठीं सूचना-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट के मऊ मानिकपुर में तेज तूफान आने के कारण विद्युत पोल एवं तार टूटने के कारण विद्युत आपूर्ति बन्द होने के संबंध में, सातवीं सूचना-श्री श्याम बहादुर सिंह यादव की आजमगढ़ के ग्राम टैनी में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के संबंध में, आठवीं सूचना-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की प्रदेश में उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी को समयबद्ध करते हुये पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में तथा नवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नया मास्टर प्लान न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। दसवीं सूचना-श्री अनीसुर्रहमान की मुरादाबाद के ग्राम गोपालपुर आदि बाढ़ प्रभावित ग्रामों को बचाने हेतु बंधा व पिचिंग का कार्य कराये जाने के संबंध में प्राप्त सूचना पर शासन का ध्यानाकर्षण किया जाता है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं :-

1-श्रीमती अनुप्रिया पटेल,

2-श्रीमती पूजा पाल,

3-श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू,

4-डा0 धर्म पाल सिंह,

5-श्री पूरन प्रकाश,

6-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,

7-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

8-श्री कृष्ण कुमार ओझा,

9-श्री सिबगतुल्ला अंसारी,

10-श्री शेर बहादुर सिंह,

11-श्री बंशी सिंह पहाड़िया,

12-श्री वीरपाल राठी,

13-श्री मुकेश श्रीवास्तव,

14-श्री उमाशंकर सिंह,

15-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

16-श्री विमला सिंह सोलंकी,

17-श्री केशव प्रसाद मौर्य,

18-श्री अजय मिश्रा,

19-श्री गुलाब चन्द सरोज,

20-श्री दिलनवाज खान,

21-श्री दलजीत सिंह,

22-श्री सुरेश राणा,

23-श्री संगीत सिंह सोम,

24-श्री कालीचरन सुमन,

25-श्री जगतम्बा सिंह,

26-श्री संजय कपूर,

27-श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय,

28-श्री प्रदीप चौधरी,

29-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

30-श्री मनीष असीजा,

31-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

32-श्री विजय बहादुर यादव,

33-श्री गुटियारी लाल दुवेश,

34-श्री गोरख पासवान,

35-श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह,

36-श्री भगवान सिंह कुशवाहा,

37-श्री राजेश त्रिपाठी,

38-श्री रामहेत भारती,

39-चौधरी गजेन्द्र सिंह,

40-डॉ0 धर्म सिंह सैनी,

41-श्री जगपाल सिंह,

42-श्री जय प्रकाश निषाद,

43-श्री विजय कुमार पासवान,

44-श्री अगयश रामसरन वर्मा,

45-डॉ0 रमेश चन्द्र बिंद,

46-श्री सिनोद कुमार शाक्य,

47-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य,

48-श्री आरिफ अनवर हाशमी,

49-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई',

50-श्री राधेश्याम जायसवाल,

51-श्री भीम प्रसाद सोनकर तथा

52-श्री गुलाम मोहम्मद।

जनपद मथुरा के वृन्दावन में उपमण्डी समिति शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

प्रदीप माथुर जी, अनुपस्थित हैं। ये रहते नहीं हैं। वैसे इस पर मंत्री जी का लिखित अनुरोध प्राप्त हो गया है इसे स्थगित करने के लिए। इस लिए इसे स्थगित किया जाता है।

जनपद महराजगंज के निर्वाचन क्षेत्र सिसवां में बरसात एवं बाढ़ की विभीषिका से बचने के सम्बन्ध में श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई। सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जनपद महाराजगंज नेपाल की सीमा का जनपद है। नेपाल से निकल कर..

श्री नारद राय-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[पूरे गण्डक नहर प्रणाली की नहरें एवं उसके बचाव हेतु नेपाल से लेकर प्रदेश के जनपदों में भी तटबंधों का निर्माण है, जो क्षतिग्रस्त है और भारत सरकार से धन मिलते रहने के कारण प्रदेश सरकार से बरसात पूर्व प्रतिवर्ष मरम्मत का कार्य होता है।

वर्तमान में बरसात एवं बाढ़ के लिये अल्प समय शेष है और मरम्मत के लिये धन के अभाव में कार्य न होने से खतरे की सम्भावना दिनों दिन नजदीक आती जा रही है। शासन के प्रमुख सचिव एवं विभाग स्तर से प्रयास के बाद भी प्रगति के अभाव में अविलम्बनीय इस लोक महत्व के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाकर अनुरोध है कि मुहाने पर पड़ने वाले मेरे क्षेत्र को आने वाली विभीषिका से बचाने हेतु कृपया सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही का निर्देश देने की कृपा करें।

<u>वक्तव्य</u>

उत्तर प्रदेश का जनपद महराजगंज नेपाल राष्ट्र का सीमावर्ती जनपद है, जो प्रतिवर्ष नेपाल राष्ट्र में होने वाली अतिवृष्टि से प्रभावित होता है। मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर का शीर्ष नेपाल राष्ट्र एवं बिहार राज्य की सीमा पर बड़ी गण्डक नदी पर स्थित वाल्मिकीनगर बैराज पर है। इस नहर द्वारा बिहार राज्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है।

बड़ी गण्डक नदी की बाढ़ से नेपाल राष्ट्र में स्थित क्षेत्र को तथा जनपद महराजगंज में स्थित मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर को सुरक्षा प्रदान करने हेतु बंधों, स्पर आदि का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। वाल्मिकीनगर बैराज के डाउन स्ट्रीम में गण्डक नदी के कटान एवं बाढ़ से सुरक्षा हेतु नदी के दायें तट पर निम्न कार्यों का निर्माण किया गया है :-

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ए-गैप बांध, बी-गैप बांध, लिंक बांध, नेपाल बांध आदि पर 16 अदद स्पर, कटर आदि के कार्य कराये गये है। प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात बाढ़ से हुई क्षति का आकलन भारत सरकार द्वारा अधिकृत गण्डक उच्च स्तरीय स्थाई समिति पटना द्वारा किया जाता है तथा क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत, पुनर्स्थापना एवं सुरक्षा हेतु नये बाढ़ कार्यों के निर्माण हेतु संस्तुतियां दी जाती है। उक्त समिति के निरीक्षणोपरान्त संस्तुतियों के आधार पर परियोजनाएं तैयार कर स्थाई संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। स्वीकृत परियोजनाओं पर प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधानों ने धन उपलब्ध कराया जाता है जिससे परियोजनाओं के कार्यों का सम्पादन बाढ़ से पूर्व कराया जाता है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात सम्पादित कार्यों का विवरण/व्यय विवरण भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है जिसकी शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को की जाती है।

[वर्ष 2011 की बाढ़ के पश्चात गण्डक उच्च स्तरीय स्थाई समिति पटना द्वारा नेपाल राष्ट्र के जनपद नवलपरासी में गण्डक नदी के दांयें तट पर नेपाल बांध के स्पर सं0-3 के अपस्ट्रीम शैंक भाग पर 60 मी0x6 मी0 साइज के 3 अदद टीथ का निर्माण कार्य, स्पर सं0-3 के अपस्ट्रीम में 5 अदद बेडवार 12 मी0x6 मी0 का निर्माण, सं0-5 तथा बेडवार सं0-5-ए के मध्य क्षतिग्रस्त एच-क्रेटिंग की पुनर्स्थापना का कार्य की परियोजना, नेपाल राष्ट्र के जनपद नवलपरासी में गण्डक नदी के दायें तट पर बी-गैप बांध के स्पर सं0-12 के क्षतिग्रस्त लांचिंग एप्रन को नायलान क्रेट से बेस बनाकर 6 मी0 चौड़ाई में पुनर्स्थापना एवं नोज स्लोप को एप्रन से समरूप करने का कार्य, स्पर सं0-6 से 9 के मध्य बैंक एलांग 3-रो में एक सेट परक्यूपाइन डालने का कार्य, स्पर सं0-16 के डाउनस्ट्रीम के स्पिल को बंद करने का कार्य तथा ए-गैप बांध एवं सिल्ट इजेक्टर के मध्य तथा पूर्व निर्मित 5 कटरों के मध्य पहले से डाले गये परक्यूपाइनों के मध्य झाखड़ डालने के कार्य की परियोजना तथा नेपाल बांध के किमी0 9.500 से 10.200 के मध्य सुरक्षा कार्य की परियोजनाएं संस्तुति हुई हैं। कुल लागत 794.50 लाख की बजट प्राविधानित है। बजट अनुमोदन के पश्चात् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी कृपा यह पूछना चाहेंगे कि प्रदेश के विभिन्न बाँधों का निरीक्षण सिंचाई मंत्री जी ने किया बाढ़ की तैयारियों के सिलसिले में। हमारा भी प्रश्न इसी से है कि क्या मंत्री जी हमारे वहाँ निरीक्षण कर लेते। क्या हम को भी यह सौभाग्य मिलेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, शिवेन्द्र बाबू जब बुलायेंगे उनके यहाँ जाने में खुशी महसूस होगी। इसमें कोई दो राय नहीं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत से लोग जा सकते हैं इनके यहाँ।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला निवासी श्री राजेन्द्र गुप्ता द्वारा ट्रैक्टर हेतु लिये गये कर्ज की किश्तों को माफ करके उनके टैक्टर को वापस किये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

राजस्व अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लेखा सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा श्री धर्मपाल सिंह द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराया जाता है कि विधान सभा आंवला के ग्राम कैनीकिनचोर,

श्री नारद राय-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[झूनानगर निवासी राजेन्द्र गुप्ता तहसील आंवला जनपद बरेली के हैं। इन्होंने ट्रैक्टर बैंक से कर्जे पर लिया और बैंक ने इनकी जमीन को बन्धक बनाकर ट्रैक्टर दे दिया। यह उससे अपनी खेती करते आ रहे हैं और बैंक का कर्जा भी देते रहे हैं। पिछले वर्ष खेती खराब हो जाने के कारण से कर्जे की किश्त अदा नहीं कर पाये। बैंक मैनेजर ने आर0सी0 काट दी। आर0सी0 की वसूली हेतु तहसीलदार आंवला ने लगभग 20 दिन से ट्रैक्टर आंवला तहसील पर खड़ा कर रखा है। यह कर्जा देना चाहते हैं। ट्रैक्टर से सिंचाई व जुताई का काम

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करते हैं। इनके पास 2 लाख रूपये का मिन्था आयल निकलेगा। इसे बेचकर बैंक का कर्जा अदा कर देंगे परन्तु ट्रैक्टर के अभाव में फसल भी सूखी जा रही है। सरकार की नीति भी खेती के कर्जे के लिए जमीन की नीलामी नहीं की जायेगी है और यह सरकार 50 हजार रूपये तक किसानों का कर्जा माफ कर दिया जायेगा ऐसा वायदा किया है। अतः श्री राजेन्द्र गुप्ता का ट्रैक्टर उन्हें वापस करा दिया जाय जिससे व अपनी खेती कर सके।

अतः इसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर में सरकार से वक्तव्य दिलाने की मांग करता हूँ।

प्रकरण में जिलाधिकारी बरेली से आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी बरेली द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बहादुर निवासी इन्चौर झूनानगर पोस्ट अनुरूद्धपुर तहसील आंवला जनपद बरेली द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा आंवला से मु0 3,80,00/- 13.25 प्रतिशत ब्याज दर पर ट्रैक्टर क्रय करने हेतु ऋण लिया गया था। इस ऋण की अदायगी समय पर न हो पाने के फलस्वरूप बैंक द्वारा वसूली खर्च रू0 35,714/- सहित कुल रु0 3,92858/- की वसूली हेतु दिनांक 29-6-11 को वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। उपस्थिति पत्र जारी किये जाने के उपरान्त बाकीदार द्वारा दिनांक 05-08-2011 को रु0 54,545/- बैंक ऋण तथा रु0 5455/- संग्रह व्यय सहित रु0 60,000 जमा किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 26-12-11 को संग्रह व्यय रु0 2728/- सहित कुल रु0 30,000 जमा किया है। बाकीदार द्वारा दिनांक 01-01-2012 को कोई धनराशि जमा नहीं किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-05-12 को बाकीदार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया किन्तु बाकीदार की नामौजूदगी के कारण गिरफ्तारी सम्भव नहीं हो सकी। तत्पश्चात् दिनांक 18-05-12 को बाकीदार की चल सम्पत्ति कुर्की अधिपत्र जारी किया गया एवं इसके अनुपालन में बाकीदार का ट्रैक्टर न्यू हालैण्ड 3030 दिनांक 25-05-12 को कुर्क कर दिया गया। इस ट्रैक्टर की नीलामी 12-06-12 को नियत है।

कृषि ऋण से सम्बन्धित दो लाख तक के बकायेदारों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने के प्राविधान शासनादेश संख्या-429/1-7/2011 दिनांक 04-04-2011 में दिये गये है किन्तु बाकीदार के विरुद्ध रु0 3,92,858/- की आर0सी0 बैंक द्वारा जारी की गयी है इसके सापेक्ष बाकीदार द्वारा कुल रु0 90,000/- जमा किये गये है। इस प्रकार अभी भी बाकीदार के ऊपर रु0 3,02,858/- एवं ब्याज का बकाया है। बाकीदार द्वारा अवशेष बकाया जमा करने के लिए न तो कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है और न ही ट्रैक्टर वापसी के लिए कोई आवेदन दिया गया है। यदि बाकीदार ट्रैक्टर नीलामी से पूर्व आंशिक बकाया जमा करने अथवा ट्रैक्टर वापस लेने के लिए कोई प्रार्थना पत्र देता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण के बाकीदार के विरुद्ध करायी गयी ट्रैक्टर कुर्की की कार्यवाही सम्प्रति नियमों के अनुकूल है।

*श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इन्होंने यह सरकारी वक्तव्य प्रस्तुत कर दिया। मा0 राजस्व मंत्री किसानों से जुड़े हुये हैं। वैसे भी सरकार की मंशा है कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, किसान की आज दुर्दशा है जेबखाली, बदहाली और कंगाली, सरकार ने वायदा किया कि किसान की जमीन नीलाम नहीं करेंगे। ये राजेन्द्र गुप्ता, ट्रैक्टर लिया इन्होंने, ये ट्रैक्टर की किश्त देते भी रहे। खेती खराब हो जाने से जो जवाब आया है वह उसके अनुरूप नहीं है। एक व्यावहारिक पहलू के बारे में बता रहा हूँ कि खेती खराब हो जाने से ये किश्त जमा नहीं कर पाये। आपके पास जवाब आ गया तो मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये ट्रैक्टर की किश्त देना चाहते हैं। ये जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, हम चाहते है कि इसकी किश्त बनवा दे। आसान किश्त हो जायेगी तो इनका ट्रैक्टर भी बच जायेगा और पैसा भी वसूल हो जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जवाब पूरा है और सही है लेकिन कठिनाई किसानों की है ट्रैक्टर लेकर के किसान ने समय पर किश्त नहीं दी तो उस पर उसका भार बढ़ता चला जाता है, ब्याज की दर बहुत ऊँची है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज की दर बहुत ऊँची है, कठिनाई है उसके सामने हम माननीय सदस्य को बताना चाहते है धर्मपाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के, अगर जो बकाया राशि है उसका 10 प्रतिशत लेकर के एक शपथ-पत्र के साथ किसान यह दे दे जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि 2 लाख रुपये जमा कर देंगे मेंथा आयल से, मेंथा आयल एक महीने में जुलाई के आखिर तक हो जाता है, अगस्त तक हो जाता है। वह अपनी ओर से शपथ-पत्र देकर के 10 प्रतिशत की राशि भी अगर जमा कर दें और निवेदन कर लें कलेक्टर के यहाँ तो में उनको निर्देशित कर दूँगा कि उनका ट्रैक्टर उनको वापिस लौटा दिया जाय, काम करें, और उसके बाद वह 2 लाख रुपये मेंथा आयल से दे देंगे बाकी की किश्तें सुविधानुसार दे देंगे हम इसके निर्देश दे देंगे।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड माण्डा एवं मेजा में पेयजल की भीषण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार का वक्तव्य

राजस्व अभाव सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक .....

श्री नारद राय-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

---

* * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[07-06-2012 को नियम-51के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि 'मेरे विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत वि0ख0 माडा कोरांव एवं मेजा जो पूर्णरूप से पहाड़ी क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र में अधिकतर कोल जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़े समाज के लोग निवास करते है। जहाँ पर इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापन मानक के अनुरूप नहीं किया गया है। जबकि इन विकास खण्डों में गर्मी के समय जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है कुए भी सूख जाते हैं। जिसके कारण लोगों को स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पाता है लोग मजबूर होकर काफी दूर से पानी ले आने या नदियों का पानी पीने से मजबूर है। कोल जाति एवं अनुसूचित जाति के बस्तियों में हैण्डपम्पों के कमी के कारण अधिकांश बस्तियों में पानी का घोर संकट बना हुआ है। उक्त क्षेत्र में कोहडार पेयजल योजना एवं धनावल पेयजल योजना काफी पुराने समय से संचालित हो रही थी जो विगत कई वर्षों से पेयजल योजना लगभग बन्द हो चुकी है। इसके अलावा पानी पीने की और कोई योजना संचालित नहीं है। हैण्डपम्पों की कमी के कारण गरीब जनता में काफी आक्रोश एवं जनाक्रोश व्याप्त है।'

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव के अंतर्गत विकास खण्ड कोरांव, माण्डा (आंशिक-20 ग्राम) एवं मेजा (आंशिक-47 ग्राम) आते है। यह विधान सभा क्षेत्र पूर्ण पठारी है। विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 401180 थी तथा 2.37 वार्षिक वृद्धि के अनुसार वर्ष 2012 की अभिकल्पित जनसंख्या 505768 है। विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव में दिनांक 31.03.2012 तक 4717 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित थे। वर्ष 2012-13 में प्रति विकास खण्ड 50 नग नये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प एवं 50 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों के रिबोर के अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके अनुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र के कुल 3 विकास खण्डों (पूर्ण एवं आंशिक) हेतु कुल 120 नग नये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने है जिसके सापेक्ष 19 नग नये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये गये है तथा 16 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प रिबोर कराये जा चुके है। अतः विकास क्षेंत्र 265, कोरांव में वर्तमान के कुल 4736 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस प्रकार जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव में प्रति 107 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प उपलब्ध है।

3-जनपद इलाहाबाद का विधान सभा क्षेत्र कोरांव पूर्ण पठारी होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर गिर जाता है। कुछ क्षेत्रों में जलस्तर काफी नीचे चले जाने के कारण चिन्हित 12 ग्रामों में 12 टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है शेष क्षेत्र में इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

4-जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव में जल स्तर में गिरावट के दृष्टिगत स्त्रोत स्थायित्व हेतु 57 नग चेकडैम स्वीकृत किये गये थे, जिसके सापेक्ष 37 नग चेकडैमों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 20 नग चेकडैमों के निर्माण कार्य अगस्त, 2012 तक पूर्ण कर लिये जाना प्रस्तावित है।

5-उक्त के अतिरिक्त जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव के मेजा विकास खण्ड में 05 एकल ग्राम पाइप योजना से सीधे पम्पिंग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, इस योजना के शिरोपरि जलाशय का कार्य दिनांक 30.07.2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड कोरांव में 05 एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना निर्माणाधीन है जिससे सीधे पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति मार्च, 2013 तक एवं शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य जून, 2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजनाओं से लगभग 40514 की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

6-यह भी अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र कोरांव में कोहडार घाट ग्राम समूह पेयजल योजना, धनावल ग्राम समूह पेयजल योजना एवं कोरांव ग्राम समूह पेयजल योजना के माध्यम से भी कुछ गाँव में पेयजल आपूर्ति की जा रही है परन्तु योजनाएँ अपने जीवन काल पूर्ण होने के दृष्टिगत पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हो पा रही है। इसके दृष्टिगत पुर्नगठित योजना विरचित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7-उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद-इलाहाबाद के कोरांव विधान सभा क्षेत्र में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराने तथा भूगर्भ जल स्त्रोत के ह्रास के प्रबन्धन हेतु यथासम्भव कार्यवाही की जा रही है और लोक महत्व के इस कार्यक्रम के प्रति राज्य सरकार सजग एवं प्रतिबद्ध है।

श्री राजबली जैसल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस उत्तर को पढ़कर लगता है जो मानक दिया गया है कि 107 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प अधिष्ठापित है इसको मैं इसलिए भी बल देना चाहूँगा कि 107 जनसंख्या पर

हैण्डपम्प अधिष्ठापित बताया तो गया है परन्तु ऐसी जगह भी है जहाँ 30 और 40 की जनसंख्या पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं और ऐसी जगह जो अपने आप हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराने की क्षमता नहीं रखते उस क्षेत्र में कोल जाति और अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा है उन बस्तियों में कोई हैण्ड पम्प नहीं है तो क्या सरकार ऐसी जगह जहाँ गरीबी के कारण अपनी क्षमता से लोग हैण्ड पम्प अधिष्ठापित नहीं करा सकते वहां पर मानक के अनुरूप हैण्डपम्प लगाने का काम करेंगे कि नहीं ?

मान्यवर, दूसरी चीज हमारे यहाँ कोहडार पेयजल योजना धनावल पेयजल योजना जिसमें ऊपर लिखा हुआ है कि उक्त पेयजल योजना का जीवनकाल जो है वह समाप्त हो चुका है इसको पुर्नगठित करने की आवश्यकता है तो इन दोनों पेयजल योजना को पुर्नगठित करने की कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे और करेंगे तो कब करेंगे ? जिससे शुद्ध पेयजल का संकट समाप्त हो सके।

श्री अम्बिका चौधरी

मान्यवर, नियम 51 में स्पष्टीकरण पूछने का तो है लेकिन प्रश्नकाल की तरह नहीं पूछे जा सकते। माननीय सदस्य हमारे साथी है और हम और ये साथ ही चुनकर आये थे सदन में। मान्यवर, दो बातें इन्होंने कही एक तो हैण्डपम्प के बारे में मै अवगत कराना चाहता हूँ कि दुखद है कि विगत 5 वर्षों में हैण्डपम्प लगाने की जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर जो कार्यवाही होती थी वह समाप्त कर दी गयी और जनप्रतिनिधियों की भूमिका शून्य हो जाने के कारण सचमुच मे जो शिकायत आप कर रहे हैं वह हैण्डपम्प 10-10 फिट की दूरी पर कही लग गये और कही बड़ी आबादी में जहाँ आवश्यकता थी वहां नहीं हुए इसमें आपकी शिकायत सही है। जहाँ तक मानक के अुनसार हैण्डपम्प लगाये जाने की बात है सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जितनी आबादी पर हैण्डपम्प लगाये जाने है उस आदेश का कड़ाई से पालन हो। यह सरकार इसको सुनिश्चित करेगी और हम इस पर ध्यान रखेंगे कि पेयजल को जिन्हें जरूरत है-

जिन्हें प्यास कम उन्हें दम ब दम,

और जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम।

साकिया तेरी बज्म का यह उसूल है कि मज़ाक।।

मान्यवर, हम जिन्हें प्यास है उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस पानी को इसलिए पेयजल के मामले में जो मानक है उसके अनुसार ही हैण्डपम्प लगाये जायेंगे।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, धनावर पेयजल योजना और कोहडार पेयजल योजना के बारे में बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अच्छा है अपनी प्यास का इजहार तो कर रहे हैं, हम दिखवा लेंगे।

जनपद बलरामपुर में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग के टेण्डर की बिक्री के समय हुए उपद्रव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बब्बन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री बब्बन का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष जी-

इस मद को व्यपगत किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में बी0पी0एड0 डिग्री धारकों की नौकरी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार होने के कारण रोजी रोटी के संकट के सम्बन्ध में श्री बावन सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य।

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य, विधान सभा, श्री बावन सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत.....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[कराया गया है कि उ0 प्र0 सरकार पिछले कई वर्षो से बी0पी0एड0 डिग्री धारकों के लिए जू0 हाईस्कूल में व्यायाम शिक्षकों के 41307 पद सृजित हैं जिसके लिए केन्द्र सरकार ने एक वर्ष का वेतन भी राज्य सरकार को प्रदान कर दिया है परन्तु अभी तक व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शासन द्वारा विज्ञप्ति न जारी किये जाने से बी0पी0एड0 डिग्री धारकों में व्याप्त है। बहुत बी0पी0एड0 धारक निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने के कगार पर है ऐसे अभ्यर्थियों के सामने योग्यता होने के बाद भी रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है और उनका भविष्य अंधकारमय होता नजर आ रहा है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा प्रदान हेतु दिनांक 01.4.2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा माना गया।

अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम में ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां 100 से अधिक छात्र संख्या हो वहां पर कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षा के 3 अंशकालिक अनुदेशक (पार्ट टाइम इन्सट्रेक्टर) को रखे जाने का प्राविधान है। वर्ष 2010-11 के सप्लीमैन्ट्री प्लान में भारत सरकार द्वारा 100 से अधिक छात्र संख्या वाले 13769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्त तीनों विषयों के पृथक पृथक 13769 अंशकालिक अनुदेशकों (कुल 41307) के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार प्रदेश में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेतु कुल 13769 पद स्वीकृत किये गये हैं।

वर्ष 2012-13 में भारत सरकार द्वारा उक्त अंशकालिक अनुदेशकों के लिए रु0 7000/- की दर से एक माह के वेतन/मानदेय का प्रावधान स्वीकृत किया गया हैं।]

जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा के ग्राम पंचायत पौली, टाड़ा, काली जगदीशपुर, कांटे, बेलहर में नये थाने बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अलगू प्रसाद चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री अलगू प्रसाद चौहान, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत

श्री शिवपाल सिंह यादव (लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना दी गयी है कि विधान सभा क्षेत्र धनघटा के अन्तर्गत 02 थाने पड़ते हैं। धनघटा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है, जिसमें 350 राजस्व ग्राम हैं, जो पूरब से पश्चिम 40 कि0मी0, उत्तर से दक्षिण 18 कि0मी0 तक फैला हुआ है। इस थाने का बार्डर 4 जनपदों (गोरखपुर, बस्ती, अम्बेडकरनगर एवं आजमगढ़) से सटा हुआ है। कुआनो एवं सरयू दो नदियों के बीच पड़ता है। इस थाने से आस-पास एक थाना महुली भी स्थित है। जिसमें 300 राजस्व ग्राम आते हैं। चार जिलों के बीच में होने के कारण आये दिन लूट, हत्या एवं अन्य तरह की अपराधिक घटनाएं होती रहती है। जनपद में नवसृजित थानों का बनना अति आवश्यक है, जो निम्न है :-

(1) ग्राम पंचायत पौली, थाना धनघटा, वि0ख0-पौली।

(2) ग्राम पंचायत टाडा, थाना धनघटा, वि0ख0- हैंसर।

(3) ग्राम पंचायत काली जगदीशपुर, थाना महुली, वि0ख0- नाथनगर।

(4) ग्राम पंचायत कांटे, थाना कोतवाली, वि0ख0-खलीलाबाद।

(5) ग्राम पंचायत बेलहर, थाना दुधारा, वि0ख0-बेलहर।

उक्त विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 पुलिस आयोग की रिपोर्ट में नवीन थाना स्थापित करने हेतु शहरी पुलिस स्टेशन के लिए जनसंख्या 50,000 तथा ग्रामीण पुलिस स्टेशन के लिए जनसंख्या 75,000-90,000 एवं क्षेत्रफल 293.76 वर्ग कि0मी0 निर्धारित किया गया है। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 11 जून, 2012 द्वारा जनपद संतकबीर नगर में 05 स्थानों पर (1-लौहरैया, 2- कांटे, 3- बेलहरकला, 4-काली जगदीशपुर, 5-पौली) में नवीन थाना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव हुआ है, जिसका वितरण निम्नवत है :-

(1) प्रस्तावित थाना लौहरैयाः-थाने का क्षेत्रफल 115 वर्ग कि0मी0 एवं जनसंख्या 1,95,565 है।

(2) प्रस्तावित थाना कांटेः-थाने का क्षेत्रफल 170 वर्ग कि0मी0 एवं जनसंख्या 1,51,157 है।

(3) प्रस्तावित थाना बैलहरकलाः-थाने का क्षेत्रफल 209.5 वर्ग कि0मी0 एवं जनसंख्या 1,24,309 है।

(4) प्रस्तावित थाना काली जगदीशपुरः-थाने का क्षेत्रफल 100 वर्ग कि0मी0 एवं जनंसख्या 1.25.000 है।

(5) प्रस्तावित थाना पौलीः-थाने का क्षेत्रफल 100 वर्ग कि0मी0 एवं जनसंख्या 1.80.515 है।

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त नवीन थाना स्थापित किये जाने का औचित्य पाये जाने पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र व तहसील मीरगंज के बहेड़ी-पिथौरा मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुल्तान बेग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि विधान सभा .....

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लें।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[क्षेत्र मीरगंज व तहसील मीरगंज, जनपद बरेली का बहेड़ी-पिथौरा मार्ग जो अत्यधिक जीर्ण-शीर्ष अवस्था में है तथा इस मार्ग पर आवागमन पूर्ण रूप से अवरूद्ध है। इस सड़क को बनवाने में करोड़ो रुपया शासन के लोक निर्माण विभाग, बाढ़ राहत तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दिया जा चुका है, परन्तु सारा का सारा पैसा अधिकारियों से मिलकर ठेकेदारों द्वारा हड़प कर लिया गया है। इसकी उच्चस्तरीय जांच भी हो चुकी है, जिसमें ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट तथा उनकी जमानत धनराशि जब्त करने के आदेश संबंधित अधिकारियों द्वारा दिये गये हैं, परन्तु जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कोई भी सक्षम, वैधानिक, दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।

इस सड़क से जे0के0 चीनी मिल मीरगंज, केसर चीनी मिल बहेड़ी तथा कोआपरेटिव चीनी मिल सेमीखेड़ा बरेली को दो दर्जन से अधिक गन्ना क्रय केन्द्रों द्वारा गन्ना खरीद कर उपरोक्त चीनी मिलों को किसानों द्वारा पहुंचाया जाता है और अत्यधिक सड़क खराब होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कई दर्जन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिस कारणवश इस सड़क की मरम्मत नितान्त आवश्यक है।

2- उक्त के संबंध में स्थिति यह है कि जनपद बरेली में भिटौरा (पिथौरा)-शाही-शेरगढ़ -बहेड़ी मार्ग की कुल लम्बाई 41.80 कि0मी0 है जो कि बरेली-बागेश्वर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-37) को बरेली-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग संख्या-24 से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भिटौरा से शेरगढ़ के मध्य मार्ग का उच्चीकरण 21.25 कि0मी0 लम्बाई से वर्ष 2009 में पूर्ण हुआ तथा शेरगढ़ से बहेड़ी के मध्य 18.30 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का उच्चीकरण वर्ष 2010 में पूर्ण हुआ है जिस पर कुल रु0 956.08 लाख व्यय हुआ है। वर्ष 2006 के यातायात घनत्व के आधार पर गठित डी0पी0आर0 प्राविधानों के अनुसार मार्ग के उच्चीकरण हेतु 15 से0मी0 बेसकोर्स तथा 2.00 सेमी0 पीसी कार्य कराया गया।

भिटौरा से शाही तक 8.25 कि0मी0 लम्बाई पी0एम0जी0एस0वाई0 के अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण न करने के कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया एवं जमानत धनराशि जब्त करके यू0पी0आर0आर0डी0ए0 में जमा करायी जा चुकी है। उक्त ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किये जाने हेतु कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।

सम्पादित कार्य की गुणवत्ता स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा संतोषजनक पायी गयी है, अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। वर्ष 2010 एवं 2011 की अभूतपूर्व बाढ़ के कारण भिटौंरा से शाही मार्ग के मध्य विभिन्न चैनेज में वर्ष 2010-11 में 658 मीटर लम्बाई में लागत रु0 33.39 लाख से एवं वर्ष 2011-12 में 1325 मीटर लम्बाई में लागत रु0 19.85 लाख से मार्ग की मरम्मत करायी गयी है।

शाही से शेरगढ़ होकर बहेड़ी तक 31.30 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का अनुरक्षण अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। लालकुँआ क्वेरी से ओवरलोड़ वाहनों के यातायात के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की जा रही है। भिटौरी से शेरगढ़ मार्ग लम्बाई 21.25 कि0मी0 को पी0एम0जी0एस0वाई0 से लो0नि0वि0 को हस्तांरित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त हस्तान्तरण के पश्चात् भिटौरा(पिथौरा)-शाही-शेंरगढ़ बहेड़ी मार्ग के चौड़करण व सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद रामपुर के समस्त मिनी विद्युत केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति समय से न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अली यूसुफ अली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से निम्न बिन्दु उठाये गये है.....

सिंचाई, लोक निर्माण, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जनपद-रामपुर के समस्त मिनी विद्युत केन्द्र पर जैसे बमाना, स्वार, खोद सैदनगर, दुर्गनगला भोट, ताण्डा आदि मिनी विद्युत केन्द्र पर विद्युत आपूर्ति समय से न होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं किसानों को भीषण गर्मी के मौसम में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनता में शासन के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि जनपद रामपुर के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मिलकखानम (बमना), स्वार, खौद, सैदनगर, दुर्गनगला, मोट एवं टाण्डा को निर्धारित शिड्यूल के अनुसार 10 घण्टे साप्ताहिक अदल-बदल कर विद्युत

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा माना गया।

आपूर्ति आदेशित है। माह मई, 2012 में उपरोक्त विद्युत उपकेन्दों को औसत विद्युत आपूर्ति का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0सं0	उपकेन्द्र का नाम	वितरित आपूर्ति (घण्टों में)
1	मिलकखानम (बमना)	9.32
2	स्वार	9.48
3	खौद	9.28
4	सैदनगर	8.36
5	दुर्गनगला	9.22
6	भोट	9.08
7	टाण्डा	9.42

राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा एवं स्थानीय व्यवधान के कारण कभी-कभी आकस्मिक कटौती करनी पड़ जाती है। स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति भी सामान्य हो जाती है।]

श्री अध्यक्ष-अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन ....05 बजकर 22 मिनट पर गुरूवार दिनांक 14 जून, 2012 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 13 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अतांराकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर पीछे प्रश्न पृष्ठ 42-43 पर)

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	आवंटित कार्य	पटल पर तैनाती
1	श्री शंकर लाल वर्मा	वरिष्ठ सहायक	कैशबुक एवं कार्यालय अधीक्षक का कार्य	जनवरी 2010 से
2	श्री राम आसरे	आशुलिपिक	आशुलेखन, चिकित्साधिकारियों की ए0सी0आर0 सम्बन्धी कार्य एवं जाँच सम्बन्धी पत्रावलियां	अप्रैल 1986 से
3	श्री आर0के0 शुक्ला	वरिष्ठ लिपिक	बजट सम्बन्धी समस्त कार्य स्वैच्छिक संस्थाओं सम्बन्धी समस्त कार्य	अप्रैल 2008 से
4	श्री शंकर सिंह	वरिष्ठ लिपिक	लेखा सम्बन्धी कार्य	अक्टूबर 2006 से
5	श्री गोवर्धन लाल शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी(तृतीय) का समस्त लेखा कार्य	नवम्बर 1998 से
			एन0आर0एच0एम0 से सम्बन्धित समस्त लेखा कार्य	अप्रैल 2011 से
			एड्स कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य	2008 से
6	श्री एन0के0 मिश्रा	कनिष्ठ लिपिक	राज्य/मण्डलीय चिकित्सा परिषद्/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र	मई 2010 से
			पोस्ट मार्टम/वी0वी0आई0पी0 ड्यूटी	मई 2012 से
7	श्रीमती संत शीला मोहन	कनिष्ठ लिपिक	स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0/आप्टोमेट्रिस्ट	जुलाई 07 से
			जिला अन्धता निवारण कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य	अप्रैल 2011 से
8	श्री जलाल अहमद	उर्दू अनुवादक कम कनिष्ठ लिपिक	चिकित्सा प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्त/डेथ केस	जुलाई 2007 से

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	आवंटित कार्य	पटल पर तैनाती
9	श्री संजय अस्थाना	कनिष्ठ लिपिक	मा0 आयोग,एच0ई0ओ0/कम्प्यूटर अधिष्ठान/चिकित्सा प्रतिपूर्ति	अक्टूबर 2009 से
10	श्री लालजीत	कनिष्ठ लिपिक	सूचना का अधिकार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति	नवम्बर 2007 से
11	श्री विनोद कुमार चौरसिया	कनिष्ठ लिपिक	चिकित्साधिकारी का अधिष्ठान	अक्टूबर 2011 से
12	श्री फसाहत अली	कनिष्ठ लिपिक	फार्मसिस्ट, नजारत चिकित्सा प्रतिपूर्ति	जुलाई 2007 से
13	श्री प्रदीप कुमार	कनिष्ठ लिपिक	पेंशन/जी0पी0एफ0/चतुर्थ श्रेणी अधिष्ठान	अक्टूबर 2006 से
14	श्री शिव शर्मा दीक्षित	कनिष्ठ लिपिक (अधिसंख्य)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	जुलाई 2007 से
			लेखालिपिक का सहयोग,	जनवरी 2008 से
15	श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता	कनिष्ठ लिपिक (अधिसंख्य)	मिनिस्ट्रियल	अक्टूबर 2006 से
			वाहन चालक/एक्स-रे टेक्नीशियन/डेन्टल हाइजेनिस्ट/ई0सी0जी0 टेक्नीशियन के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य, वाहन सम्बन्धी कार्य	1998 से
			सिविल/विद्युत सम्बन्धित समस्त कार्य	2002 से
			आई0डी0एस0पी0 से सम्बन्धित कार्य	2008 से
16	श्री सौरभ माथुर	कनिष्ठ लिपिक (अधिसंख्य)	एन0आर0एच0एम0 से सम्बन्धित कार्य	जुलाई 11 से
			चिकित्सा प्रतिपूर्ति	मार्च 2012 से

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	आवंटित कार्य	पटल पर तैनाती
17	श्री विवेक कुमार	कनिष्ठ लिपिक (अधिसंख्य)	डाक प्राप्ति	जून 2009 से
18	श्री आशीष कुमार सिंह	कनिष्ठ लिपिक	प्राइवेट चिकित्सालयों/नर्सिंग होम का पंजीकरण, वेस्ट मैनेजमेन्ट	जून 2009 से
			चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	जनवरी 2011 से
19	श्री सुरेश कुमार गौतम	कनिष्ठ लिपिक(अधिसंख्य)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	जुलाई 2007 से
			मलेरिया, यूजर चार्जेज	जून 2011 से
20	श्री शशि शेखर राय	कनिष्ठ लिपिक (अधिसंख्य)	विकलांग बोर्ड एल0टी0/एल0ए0, चिकित्सा प्रतिपूर्ति	अप्रैल 2010 से
			आर0 एस0बी0वाई0 कार्यक्रम से सम्बन्धित लिपिकीय कार्य	सितम्बर 2011 से
21	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	कनिष्ठ लिपिक (अधिसंख्य)	कोर्टकेस, पी0एन0डी0टी0	अगस्त 2009 से
22	श्री हितेश मनोचा	कनिष्ठ लिपिक (अधिसंख्य)	डाक डिस्पैच	मार्च 2010 से
23	श्री राकेश कुमार	कनिष्ठ लिपिक (अधिसंख्य)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति डाक प्राप्ति	दिसम्बर 2010 से

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

नत्थी-'ख'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ संख्या 158 पर)

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, आपने मुझे डॉ0 अग्रवाल जी कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए अवसर दिया मैं आप का आभारी हूँ। आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ जो बिजली विभाग की पुस्तिका मिली उसके पेज 11 खण्ड-4 में उल्लेख किया गया है कि 2011-12 में 116 जो कि मात्र 18 जनपदों में 33 के0वी0 का सब-स्टेशन निर्माण कराया गया, जिसमें बलिया को छोड़ दिया गया। नये सरकार ने 2012-13 में 250 नग नए 33/11के0 वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण कराये जाने की बात कही गई है। मान्यवर इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि हमारे विधान सभा रसड़ा में 2 नये 33 के0वी0 के सब स्टेशन एक चोगड़ा चट्टी पर और दूसरा ग्राम सभा अठीलापूरा या ग्राम सभा खरुआंव में लगाने हेतु आग्रह है। इसके पीछे मान्यवर कारण यह है कि जो हमारे क्षेत्र में सब-स्टेशन है। उन पर काफी लोड है जिसके कारण बार-बार जल जाया करता है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कराया जा रहा है। उसमें काफी विरोधाभास है जैसा कि पुस्तिका के पेज संख्या 15 में जनपद सुल्तानपुर एवं रायबरेली के समस्त ग्रामों एवं मजरों की विद्युतीकरण लगभग समाप्ति पर है। यही नहीं जनपद मैनपुरी, इटावा एवं कन्नौज के विद्युतीकरण हेतु निविदाएं कर ली गई हैं लेकिन मान्यवर इसमें हमारा बागी जनपद बलिया एवं मऊ एवं अन्य पूर्वांचल के जनपदों का नाम नहीं है। मान्यवर आप के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मान्यवर हमारे बलिया जनपद के साथ-साथ रसड़ा विधान सभा के समस्त छूटे हुए ग्रामों/मजरों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कराने हेतु आग्रह है। क्योंकि बलिया जनपद के साथ भेदभाव न किया जाय।

मान्यवर, आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि जो किसानों को फ्री बोरिंग की योजना चलायी गयी थी जिसमें 68000 रुपया प्रति नलकूप दिये जाने का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे काट दिया है। यह कहकर कि जब अन्तिम संसाधन की व्यवस्था हो जाएगी तो उसमें जो प्रस्तावित किया गया है। उसमें पश्चिमांचल के लिए 2095, मध्यांचल-1586 दक्षिणांचल 1089 जबकि पूर्वांचल के लिए मात्र 745 का ही लक्ष्य दिया गया है यह पूर्वांचल के साथ काफी भेदभाव है। इसलिए इसे बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। मान्यवर, आप को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि किसानों के लिए एक व्यवहारिक समस्या है कि हमारे किसानों को जो नए कनेक्शन दिये जाते हैं। उसमें 5 हार्सपावर के मोटर पर सम्भवतः 400 रु0 लिये जाते है। यदि किसान को 2 हार्सपावर की आवश्यकता है तो बिजली विभाग के लोग उसे कामर्शियल बताकर 500 रुपये लेते हैं। इसलिए किसान को यदि

2 हार्सपावर की आवश्यकता है तो वह कामर्शियल के डर से नहीं लेता है। इसलिए मान्यवर, इस व्यवहारिक कठिनाई से बिजली का अपव्यय होता है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

मान्यवर अन्त में मैं आप से निवेदन करूँगा कि प्रत्येक विधायक को कम से कम 5 ग्राम विद्युतीकरण करने हेतु मा0 मंत्री से निवेदन करूँगा। मान्यवर हमारे नगर पालिका रसड़ा के समस्त पुराने ट्रान्सफार्मर एवं जर्जर तारों को बदलने हेतु भी निर्देश देने की कृपा करें एवं रसड़ा नगर के लिये 2 अतिरिक्त ट्राली पर ट्रान्सफार्मर रखा जाय जिससे कि जलने पर तत्काल उससे काम लिया जाय जिससे कि वहां के लोग पानी के लिये न तरसे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अवगत कराना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र 310 बस्ती सदर के निम्न ग्रामों का विजनेंस प्लान 2 के लिए 18 नग ग्रामों का चयन 2010-11 में स्वीकृत हुआ था जिसका विद्युतीकरण आज तक नहीं कराया गया है। कृपया सदन के माध्यम से निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की कृपा करें :-

1-ग्राम वोढ़वल दलित बस्ती वि0ख0 बनकरी।

2-ग्राम रसना दान्ता दलित बस्ती वि0ख0 बनकरी।

3-ग्राम शादी बुजुर्ग दलित बस्ती वि0ख0 साऊँघाट।

4-ग्राम शाहपुर दलित बस्ती वि0ख0 साऊँघाट।

5-ग्राम महदेव धोबी टोला वि0ख0 बस्ती सदर।

6-ग्राम तेनुआ खटिक टोला, वि0ख0 बस्ती सदर।

7-ग्राम बेलहरा दलित बस्ती, वि0ख0 बस्ती सदर।

8-ग्राम बरडाड दलित बस्ती, वि0ख0 बनकटी।

9-ग्राम मड़वानगर में डॉ0 अम्बेडकर पार्क होते हुए राम सुमिरन चौधरी के घर तक विद्युतीकरण वि0ख0 बस्ती सदर।

10-ग्राम बागडीह दलित बस्ती वि0ख0 साऊंघाट।

11-ग्राम भूअर निरंजनपुर दलित बस्ती वि0ख0 बस्ती सदर।

12-मो0 शिवा कालोनी नगर पालिका सीमान्तर्गत।

13-ग्राम सिकराखुर्द वि0ख0 बनकटी।

14-ग्राम गोविन्दपुर वि0ख0 बनकटी।

15-ग्राम मेढ़ामपुर झारी वि0ख0 बनकटी।

16-ग्राम पकरी चन्दा वि0ख0 बनकटी।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे ऊर्जा विभाग पर डा0 राधामोहन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। उसके लिये धन्यवाद मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऊर्जा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि बगैर बिजली आज जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हर क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, सिंचाई, रोशनी से लेकर मोबाईल चार्ज से लेकर घरेलू जीवन में भी बिजली आवश्यक है। यह सत्य है कि आज गांवों व शहरों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इसको देखते हुए हम विद्युत की व्यवस्था जैसी ब0स0पा0 शासन में चल रही थी वैसी करनी होगी।

मान्यवर मैं बताना चाहता हूँ कि आज ज्यादातर कर्मचारी अपने अधीन निजी व्यक्ति किराये पर रखे हैं। वह कार्य स्वयं नहीं करते उन्हें भेजते हैं। ज्यादातर ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करवा देते हैं जिससे विद्युत सप्लाई कार्य बाधित होता है।

मान्यवर मैं अब विधान सभा क्षेत्र धौरहरा की कुछ समस्या बताना चाहता हूँ जिससे कि उक्त गांवों की बिजली की व्यवस्था हो सके। मान्यवर मेरे विधान सभा के कई गांव बगैर विद्युतीकरण के हैं उनका विद्युतीकरण कराया जाय। ग्रा0 रायपुर, सोठियाना नकहिया लखपेड़ा, सरपतहा व कई मजरों का विद्युतीकरण कराया जाय।

ग्राम खमरिया में इन्द्रकुमार शुक्ला के छत पर तीन फिट पर नंगेतार की लाइन निकल रही है। उसे वहां से हटाया जाये।

एक समस्या मान्यवर यह है कि हमारा विधान सभा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित है, यहां पर बाढ़ से खम्भे व तार गिर जाते हैं। उन्हें रिपेयर कराया जाय तथा ग्राम रायपुर ईसानगर में सड़क के चौड़ीकरण हेतु खम्भे हटाये गये थे उन्हें पुनः लगाये, जाएँ।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिये आपका धन्यवाद करते हुए मैं अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री दिलनवाज खान-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2012-13 के ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ।

1-मेरा विधान सभा क्षेत्र स्याना फलपट्टी क्षेत्र का लाखों टन आम पेड़ों पर लदा हुआ खड़ा है व पेड़ों से सूखकर गिर रहा है। आखिर फल पट्टी के किसानों को बिजली न देकर ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। आज से ही डबल ग्रुप की बिजली देना किसानों के साथ इंसाफ होगा।

2-मेरे विधान सभा क्षेत्र स्याना स्थित गोपाल जी डेरी की नयी बनने वाली लाइन को न बनाकर स्याना नगर व बुगरासी देहात की लाइन से क्यों जोड़ा गया जबकि उसके लिये अलग इस्टीमेट जमा हुआ था। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की जनता को लो-वोल्टेज देने व उनकी बिजली काटनें की जरूरत क्यों पड़ी, यह जांच का विषय है।

3-मेरे विधान सभा क्षेत्र के सैदपुर, वीवीनगर, करौटी, दौलतपुर, खानपुर, बुगरासी को डबल ग्रुप से बिजली दी जाय। स्याना तहसील मुख्यालय है व शहरी क्षेत्र है लेकिन नगर को देहाती क्षेत्र में दर्ज करके बिजली दी जा रही है, इसे तुरन्त नगर क्षेत्र में दर्ज करके नगरीय क्षेत्रों में दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की तरह बिजली दी जाय।

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये शुक्रिया।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी आपने वित्तीय वर्ष 2012-13 के ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट के कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि बिजली सूबे के लिए सबसे गंभीर समस्या है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि बिजली को सुधारने के प्रयास जारी हैं, बहुत अच्छी बात है, जो काम सरकार द्वारा किया जा सकता है, वह तो सरकार करें, जितनी बिजली प्रदेश में मिल रही है, उसे बिना भेदभाव के सही प्रकार से सभी क्षेत्रों में दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा बिजली व्यवस्था ठीक करायी जा सकती है। बिजली न बढ़े लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन देकर टूटे तार खम्भे बदलवा कर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति कराकर, घरों के ऊपर से जा रही हाईटेंशन तारों को हटवाकर राहत का काम किया जा सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र शामली, जनपद प्रबुद्धनगर में मेरे व मा0 सदस्यों के अनुरोध पर कुछ उप संस्थानों की बिजली डबल ग्रुप की गयी थी, परन्तु वह आदेश भी निरस्त कर दिये गये हैं। पूरे जिले के लोग बिजली न आने से त्रस्त हैं, किसानों में रोष व्याप्त है। मेरे क्षेत्र में पड़ने वाले उप संस्थान, एलम, बनत, भभीसा, गंगेरू, कांधला, कुरमाली, कुडाना डांगरोड, लॉख आदि क्षमता भारित है। क्षेत्र के इन उप केन्द्रों की क्षमता वृद्धि कर डबल ग्रुप बिजली दिये जाने के आदेश पारित करने का कष्ट करें। जनपद प्रबुद्ध का जिला मुख्यालय शामली है,, परन्तु वहाँ बिजली जिला मुख्यालय मानकर नहीं दी जा रही है, वहाँ कम से कम बीस घण्टे बिजली सप्लाई दी जाय। कांधला में स्थित उप केन्द्र को बड़ा केन्द्र बनाया जाना चाहिए। मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी विधान सभा मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में ऊर्जा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य कराने का कष्ट करें।

1-गुलावठी नगर में स्थित 132KV सब स्टेशन अति भारित है। वहां 20 MBA का ट्रांसफार्मर है। उसमें 20MSA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगना है। उसे शीघ्र लगवाने का कष्ट करें।

2-गुलावठी नगर में काफी वर्ष पहले 37KV की लाइन खींची गयी थी जो शहर के बीचोबीच से निकलती है। उससे काफी मानव दुर्घटनायें घट चुकी हैं। कृपया उस लाइन को शिफ्ट कराने का कष्ट करें।

3-गांव भटपुरा में कई वर्ष से तार तथा खम्भें लगे हुये खड़े हैं लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। कृपया वहां ट्रांसफार्मर रखवाकर विद्युत कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें।

4-गांव सुखलालपुर सराय दूल्हा, विल्सूरी, धमैड़ा नारा आदि गांवों में ट्रांसफार्मर अति भारित है कृपया उनकी क्षमता बढ़ाने का कष्ट करें।

5-गांव झाझर के लिये ककोड फीडर से गयी लाइन को अलग कर नयी लाइन बनवाने का कष्ट करें।

6-सिकन्द्राबाद नगर के आस-पास बसी कालोनियों S.D.M. कालोनी, टीचर्स कालोनी, ज्ञानलोक कालोनी में उपयुक्त मात्रा में खम्भे लगवाने का कष्ट करें।

7-जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है लेकिन वहां अन्य माध्यमों से वहां लोगों ने बिजली का कनेक्शन ले रखा है। वहां लोगों को घरेलू बत्ती के लिये कनेक्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

ऊर्जा बजट में कटौती के समर्थन में

श्री मनीष असीजा-

महोदय, जनपद फिरोजाबाद पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु देश एवं विदेश में काँच उद्योग नगरी के नाम से विख्यात है। लाखों की संख्या में बड़े-छोटे उद्योग/ कुटीर फिरोजाबाद में नगर में अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं।

महोदय जैसा कि सर्वविदित है कि उद्योग धंधों के विकास में ऊर्जा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही उद्योग धंधों से जुड़े लाखों की संख्या में नागरिकों के जीवन स्तर में भी विद्युत की उपलब्धता बहुत बड़ा स्थान रखती है।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद जनपद में आसफाबाद स्थित 220 के0वी0 क्षमता के बिजलीघर में वर्तमान में 40-40 MV क्षमता के तीन ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, जो कि विद्युत आपूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त के स्थान पर 60.60 MV क्षमता के तीन ट्रांसफॉर्मर स्थापित कराने का कष्ट करेंगे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा इस कार्य को शीघ्र अति शीघ्र वरीयता पर कराया जायेगा।

औद्योगिक आस्थान, फिरोजाबाद फीडर पर 5 एमवीए तथा 10 एमवीए के दो ट्रांसफॉर्मर हैं, जो कि ओवरलोड होने के कारण आये दिन फॉल्ट होते रहते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र औद्योगिक आस्थान की परिधि में आता है, अतः इन ट्रांसफॉर्मरों में आये दिन फॉल्ट होने की वजह से वहाँ स्थापित कारखाने एवं औद्योगिक संस्थान बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र अति शीघ्र 5 एमवीए के स्थान पर 10 एमवीए का ट्रांसफॉर्मर लगाकर उक्त फीडर की क्षमता को 10+10 एमवीए करने की महती कृपा करें।

महोदय, जनपद फिरोजाबाद पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु देश एवं विदेश में काँच उद्योग नगरी के नाम से विख्यात है। लाखों की संख्या में बड़े-छोटे उद्योग/ कुटीर उद्योग फिरोजाबाद में नगर में अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं।

महोदय जैसा कि सर्वविदित है कि उद्योग धंधों के विकास में ऊर्जा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही उद्योग धंधों से जुड़े लाखों की संख्या में नागरिकों के जीवन स्तर में भी विद्युत की उपलब्धता बहुत बड़ा स्थान रखती है।

उपरोक्त विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बिजलीघर निर्माण की स्कीम तथा लोन सैंक्शन हो चुका है एवं यह कार्य टर्न की बेसिस पर एलॉट है। उक्त बिजलीघर निर्माण हेतु आवश्यक लगभग 10 एकड़ भूमि में से लगभग 4 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है। 6 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु हो रहे विलम्ब मात्र से इतना बड़ा प्रोजेक्ट लम्बित हुआ जा रहा है। जो कि न केवल पूरे जनपद की जनता के लिये सुविधा प्रदान में पीछे रह जायेगा अपितु देरी के कारण विभाग के ऊपर भी अनावश्यक वित्तीय बोझ कारण बनेगा।

महोदय मुझे आशा ही अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपके अत्यन्त सक्षम एवं योग्य हाथों से उक्त प्रोजेक्ट को तीव्र गति मिलेगी एवं यह बिजलीघर आने वाले समय में हमारे जनपद को आपके द्वारा दी गयी एक सौगात के रूप में याद किया जायेगा। धन्यवाद।

श्री अनीसुर्रहमान एड0-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की विद्युत समस्या की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर बिजली के मामले में मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। मेरे कांठ क्षेत्र में गन्ना की भारी उत्पादकता है तथा कांठ में रेडिमेड कपड़ों का भारी कारोबार है। परन्तु बिजली न आने के कारण किसान व रेडिमेड का काम करने वाले सभी परेशान रहते हैं। उन्हें अपना

व परिवार का पालन पोषण करना भी भारी पड़ता है। मान्यवर पूरे क्षेत्र में जर्जर तारों की भरमार है। पूरे क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मरों के फुकने की भी भारी समस्या हैं। यदि क्षेत्र में विद्युत तार बदल दिये जाए तथा नये ट्रांसफॉर्मर खरीद कर लगवाये जायें तो बिजली की समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही बिजली की सप्लाई में एकरूपता भी होनी जरूरी है। मेरे क्षेत्र के लोग भी इसी प्रदेश के हैं। जब मेरे पड़ोस में बिजली 20-20 घंटे आ सकती है तो कांठ क्षेत्र को क्यों नहीं। मैं चाहूंगा का जो शेड्यूल कांठ के लिए शासन और पावर कारपोरेशन से जारी हुआ है। इस पर भी क्षेत्र में अमल हो। मान्यवर अध्यक्ष जी पूर्व से एक 220KVA का विद्युत उप केन्द्र कांठ के लिए स्वीकृत है। अभी तक नहीं लगा है। मैं चाहूंगा सरकार सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर उक्त विद्युत उपकेन्द्र को लगवाने का कष्ट करें। मान्यवर, अध्यक्ष जी मेरे क्षेत्र की जिन ग्रामों में विद्युतीकरण होने से रह गया है तो उनमें भी विद्युतीकरण कराने की कृपा करें। मान्यवर मेरे क्षेत्र के गन्ना किसानों की भलाई के लिए कारोबारियों की भलाई के लिए, मजदूरों की भलाई के लिए तथा जनता की भलाई के लिये उपरोक्त प्रस्तावों को बजट में शामिल कर धन आवंटित कर उक्त कार्यों को कराने की कृपा करें। मान्यवर मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, निवेदन है कि बाँदा जनपद के तिन्दवारी वि0स0 क्षेत्र (232) के निम्न लिखित गाँव आजादी के 65 वर्ष गुजर जाने के बाद भी विद्युतीकरण से वंचित हैं अतः विद्युतीकरण कराये जाने की कृपा करें:-

(1) ग्राम, चमरहा वि0ख0 बड़ोखर।

(2) ग्राम मतौधं ग्रामीण के मजरा, मनकापुरवा, पटना, मुडेर, खहरा बनिया खोड़, झिंगाखोड़, कन्धीपुरवा, वि0ख0 बड़ोखर।

(3) ग्राम दुरेणी के मजरा, दौलतपुरवा, काशीपुरवा, बंशीपुरवा, हीरापुरवा, इन्द्रापुरवा वि0ख0-बड़ोखर।

(4) ग्राम-मरौली, वि0ख0 बड़ोखर।

(5) ग्राम-चहितारा, वि0ख0 बड़ोखर।

(6) ग्राम-बेंदा के सभी मजरे वि0ख0 तिन्दवारी।

(7) ग्राम, जौहरपुर+ग्राम अमली कौर+ग्राम-माचा के सभी मजरे, वि0ख0- तिन्दवारी।

(8) ग्राम-मर्का वि0ख0 तिन्दवारी।

(9) ग्राम-रैपुरा, ग्राम-तरौड़ा, ग्राम-गड़ोला, ग्राम-गाजीपुर, ग्राम-नरौली (सोनामऊ) वि0ख0 जसपुरा।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, समय दिये जाने के लिए आभार, मान्यवर, बिजली की योजना करते समय लो वोल्टेज की समस्या के निदान के लिए सफल प्रयास किया जाना चाहिए जो यह सरकार नहीं कर रही है। अनेक नए फीडर की आवश्यकता है। नगरों की आबादी बढ़ रही है। इन नगरों की योजना में ध्यान रख कर नई फीडर के लिए जगह सुरक्षित कर ली जाय नहीं तो जैसे-जैसे आबादी क्षेत्र बढ़ेगा बिजली समस्या जटिल होती जायेगी।

मान्यवर कुछ जिलों को पूरे समय बिजली देकर हम लोगों के जिलों की कटौती की जा रही है। यह भेदभाव खत्म किया जाय। कैसरगंज विधान सभा का जरवल कस्बा तथा जरवल रोड लगातार लो वोल्टेज के कारण सफर कर रहा है। तथा फीडर लगाकर बिजली व्यवस्था ठीक कराई जाय।

श्री राजेन्द्र उर्फ वृजेश सिंह-

मान्यवर, अध्यक्ष जी पॉवर प्लान्ट जो सरकारी प्राधिकरणों से किसानों की जमीन लिये हैं, वह अगल-बगल के गांवों में विद्युत आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हमने किसानों से जमीन नहीं लिये हैं, इसलिये विद्युत आपूर्ति नहीं करेंगे, इसी क्रम में बताना है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में गैलेन्ट इन्डिया, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन किसी गाँव में विद्युत नहीं आपूर्ति किया जा रहा है। जबकि उक्त कम्पनी को करोड़ों का अनुदान सरकार ने दिया हैं एवं प्लान्ट कि स्थापना हेतु गीडा द्वारा साधारण मूल्य पर जमीन उक्त कम्पनी को दिया गया है। अतः अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री द्वारा इस पर जरूर निर्णय लिये जावे। धन्यवाद।

साध्वी निरजंन ज्योति-

आज ऊर्जा विभाग के बजट पर मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अभी हाल में ही मेरी विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर में ओलावृष्टि व आंधी से जिन किसानों की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गयी, मेरी मांग है कि पीड़ित किसानों के विद्युत बिलों को मा0 मंत्री जी माफ करेंगे। क्योंकि मेरी विधान सभा हमीरपुर में 11 अप्रैल को ओलावृष्टि एवं आंधी से कम से कम 50 गांव प्रभावित हुए तथा काफी तादात में लोग घायल हुए थे।

1-मेरी विधान सभा में कम से कम 17 छोटे-बड़े मजरे हैं जो कि बिजली व रोड से अछूते हैं। क्या उन गॉवों को किसी योजना के तहत विद्युतीकरण करवाने का प्रावधान है।

2-मेरी विधान सभा में कम से कम 100 गांव ऐसे हैं जहां बिल न जमा करने का बहाना करके उनको ट्रांसफार्मर नहीं दिये जा रहे हैं। उन लोगों की क्या गलती है

जो बिल जमा तो करते लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है यह कहकर कि गांव वाले बिल नहीं जमा करते हैं।

कमोवेश यही हाल पूरे जनपद का है। जबकि बुंदेलखंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। फिर भी वहां बिजली की सप्लाई 10 से 12 घंटे उपलब्ध है।

श्री रामशरन-

मान्यवर, विद्युत बजट प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया जिसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा लाया गया बजट 2012-2013 बहुत ही सराहनीय है। जो उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देगा। विपक्ष में बैठे सदस्यों द्वारा तरह-तरह की टीका टिप्पणी की मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा तो यदि पूर्व की ब0स0पा0 सरकार स0पा0 द्वारा 2003-2004 में बनाई गई नीति को समय रहते सही ढंग से लागू करने का कार्य करती। सम्भवतः आज स्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होता। पूर्व की सरकार पाँच साल के काल में धन उगाही करने का कार्य किया प्रदेश हित में कोई कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश आज विद्युत की मार झेल रहा है। आज समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र के साथ संकल्प वद्ध है। घोषणा के मु0 विद्युत आपूर्ति करने का वादा पूरा करने का काम करेंगे।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र बलहा जनपद बहराइच के अन्तर्गत भिहीनपुरवा, चफरिया, सुजौली, गायघाट, बलइगाँव तथा सभी ग्रामीण अंचलों में विद्युतीकरण जहां चार से पांच घन्टा से अधिक बिजली नहीं आती है तथा सभी तार जर्जर है नये तार लगाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से माँग करती हूँ कि बिजली का समय बढ़ाने तथा सभी तार बदलाने की मांग करती हूँ।

श्रीमती माधुरी वर्मा-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र नानपारा बहराइच के अन्तर्गत बालागंज, रूपैडीहा, नानपारा शिवपुर बेहणा इम्मालगंज तथा सभी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतकरण जो चार से पाँच घण्टे ज्यादा बिजली नहीं आती है तथा तार सभी जर्जर है नये तार लगाने की कृपा करने का कष्ट करें।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा विभाग के बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो क्रान्तिकारी

परिवर्तन करने की शुरुआत की उसका असर आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। पूर्व की सरकार द्वारा किए गये भ्रष्टाचार के कारण ही आज प्रदेश में बिजली का संकट हुआ। पूर्व की सरकार में बैठे लोगों ने जिस तरह से इस विभाग को लूटने का काम किया वैसा कभी किसी भी सरकार के समय इस प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ था। व0स0पा0 सरकार के समय में ट्रान्सफामर जल जाने पर एक एक साल बीत जाता था परन्तु ट्रान्सफामर नया नहीं लगाया जाता था। पूर्व की सरकार किसानों के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी।

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि 100 दिन के अन्दर ही 1980 मेगावाट का बिजली उत्पादन का संयन्त्र कानपुर में शिलान्यास किया जो समय से बिजली उत्पादन शुरू कर देगा। इसी तरह के अन्य संयन्त्र भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी मैं आप के माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत पट्टी नरेन्द्रपुर में 33/11 का एक उपकेन्द्र तथा खुटहन में 33/11 के उपकेन्द्र में एक अन्य फीडर बनवाने का काम तथा शाहगंज में स्थित 132 KVA के केन्द्र पर फीडर बढ़ाने का काम करते हुए तथा तहसील शाहगंज के अन्तर्गत आने वाले 132 KVA शाहगंज व 33/11 खुटहन उपकेन्द्र व 33/11 सुईया व केन्द्र व 33/11 गुड़बड़ी उपकेन्द्र के सभी क्षेत्र में होने वाली विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में समस्त जर्जर तारों व खम्भों को प्राथमिकता के आधार पर बदल कर नये तार व खम्भे लगवाने का कष्ट करने की कृपा करें।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में स्थित नगर पालिका शाहगंज में स्थित 132 KVA शाहगंज के चार फीडर क्रमशः (1) रेलवे फीडर (2) भादी फीडर (3) टाऊन नं0 1 फीडर घासमण्डी फीडर से होने वाली विद्युत आपूर्ति कम से कम 18 घण्टे दो पालियों तथा 33/11 खुटहन व 33/11 सुइयाकला व 33/11 गुड़बड़ी से जाने वाली आपूर्ति कम से कम 16 घण्टे दो पालियों में देने का आदेश देने की कृपा करें।

मान्यवर मैं, पुनः शानदार बजट के लिए मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता है। धन्यवाद।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

मान्यवर, हमारा जनपद सोनभद्र बिजली पैदा करता है, जमीन हम देते हैं, प्रदूषण हम लोग झेलते हैं, हमारा जनपद सबसे ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश में पैदा करता है। लेकिन दीपक तले अँधेरे वाली कहावत हमारे जनपद में चरितार्थ होती है।

हमारा क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है फिर भी वहाँ दो चार घंटे ही बिजली मिल पाती है। हमारे दुद्दी विधान सभा में 1 लाख 32 हजार केवी का ग्राम कुदरी में स्टेशन बना है जमीन भी अधिग्रहित कर लिया गया है लेकिन काम अभी तक चालू नहीं हुआ कृपा कर माननीय ऊर्जा मंत्री जी चालू करवाने की कृपा करें।

हमारे क्षेत्र पिपरी से अम्बार सब स्टेशन के बीच 33 केवीम का लाइन जो लगभग करीब 40 साल पहले बनी है वह काफी जर्जर स्थिति में है उसका मेन्टेन्स करने की कृपा करें। डुमरडीहा सब स्टेशन एवं अम्बर सब स्टेशन से संचालित 11 M.V. है, L.T के लाइन का जीर्णोद्धार जो लगभग 1800-2000 हजार K.m. लम्बा है जो जीर्ण शीर्ण तथा लकड़ी एवं बाँस के खम्भो द्वारा संचालित है जिसपर earthing व काई बचाव का उपकरण नहीं लगा है अब तक लगभग मेरे जानकरी में विगत पाँच वर्षो के दौरान लगभग सैकड़ों लोग मर चुके है, कृपा कर उसे मरम्मत करें। पिपरी से दुद्दी फीडर जो लगभग 30 K.m. लम्बा है। 11 केवीम की लाइन जो ग्राम रजखड़ आती थी उसे 5 K.m. और बढ़ाकर दुद्दी तक लाइन विस्तार व जीर्णोद्धार कराया जाए, इससे दुद्दी नगर को दो भागों में बाँटकर विद्युत आपूर्ति की जाए।

डा0 सियाराम सागर-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 बिजली मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर ब्लाक कुम्मा डांडा पर गत मा0 मुलायम सिंह सरकार द्वारा विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति हुई थी वह सब स्टेशन अर्धनिर्मित है।

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से मा0 बिजली मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त बिजली घर पूरा कराने हेतु धन की स्वीकृति कर चालू कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

महोदय,

निम्नलिखिल को ऊर्जा बजट पर कटौती प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जाये।

1. अजूहा और बालकमऊ में स्वीकृत 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र का निर्माण शीघ्र कराया जाये।

2. प्रस्तावित अन्दॉवा और देवखरपुर 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र का निर्माण भी शीघ्र कराया जाय।

3. जनपद के 1305 नलकूप का कनेक्शन ले चुके किसानों को कनेक्शन की सामग्री तत्काल उपलब्ध कराया जाये।

4. बिजली विभाग द्वारा टावर लगाने पर किसानों की ली जाने वाली जमीन का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये।

5. जनपद कौशाम्बी को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में शामिल कर वंचित गॉवों का विद्युतीकरण कराया जाये।

6. नलकूप के लिए सामान्य योजना में किसानों को 300 मीटर तक की सीमा को समाप्त किया जाये।

7. जिन फीडरों की लाइनें जर्जर हो चुकी हैं उन्हें तत्काल बदला जाये।

8. 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्रों सिराथू, भरवारी, कमालपुर, घटमापुर, सैनी में लोड में बढ़ोत्तरी होने के कारण उपकेन्द्रों में अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाएं जायं।

9. सिराथू क्षेत्र में कम से कम 20 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाय।

10. जले ट्रांसफार्मरों को 48 घंटे विभाग द्वारा खोलने के बाद लगाया जाय।

11. शक्तिपीठ शीतलाधाम कड़ा में कटौती विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जाय।

12. कोखराज का 33/11 के0वी0ए0 उपकेंद्र को अविलम्ब चालू किया जाय।

13. कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाय।

14. किसानों और उपभोक्ताओं को भ्रष्टाचार से बचाने के प्रभावी कार्यवाही की जाये।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं को ऊर्जा बजट के कटौती प्रस्ताव में जोड़ करके समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने का कष्ट करें।

श्री राजबली जैसल-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे आप विद्युत विभाग की बजट पर मा0 मंत्री जी द्वारा पेश किया गया जिसपर मा0 राधा मोहन अग्रवाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि विद्युत की समस्या बहुत पहले से चली आ रही है जिस समस्या के समाधान के लिए माननीया बहन जी पूर्व मुख्य मंत्री जी ने अपने शासन काल में बिजली उत्पादन पर बल दिया था अगर यह सरकार उन्ही पावर प्रोजेक्ट को अगर ठीक से तैयार कर लिया जाय तो आने वाले समय में 2017 तक निश्चित रूप से विद्युत की व्यवस्था दुरुस्त हो जायेगी उसे कोई रोक नहीं पायेगा।

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री से यह कहना एवं पूछना चाहते है कि एक तरफ तो आप कहते है कि पूर्व की किसी योजना की बन्द नहीं किया जा रहा है। परन्तु मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर चुनाव के पहले कुछ माननीय सदस्यों को विस्तारित विजनेस प्लान के अर्न्तगत ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु धन मिला था जिसका धन भी जनपद पर पहुँच गया था ग्रामों में विद्युत पोल की भी कुछ व्यवस्था करा दिये गये थे परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसी धनराशि को आपके द्वारा 80,000 पोल एवं 1800 कि0मी0 जर्जर तार बदलने की व्यवस्था कर दिया गया जिससे पूर्व के माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो पायेगा।

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अभी आपको दिक्कत हो रही है कि बसपा के माननीय सदस्यों के काम हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप

उन विधान सभा क्षेत्रों से आपको विधायकों से नया प्रस्ताव लेकर विद्युतीकरण कराने की कार्यवाही करना चाहिए अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो उस तरफ के माननीय सदस्यों एवं मंत्री जी द्वारा यह कहना बन्द कर देना चाहिए मैं पूर्व के किसी कार्यों को रोकने का काम नहीं कर रहा हूँ। वैसे बिजली एक ऐसी व्यवस्था है कि जब तक हम लोग स्वयं जागरूक होकर विद्युत को अनावश्यक रूप से जलने पर रोक लगाने की क्षमता स्वयं में पैदा करना होगा और अवैध रूप से कटिया मारी को रोकना पड़ेगा जिससे बिजली की व्यवस्था को ठीक किया जाय।

मा0 अध्यक्ष जी मा0 मंत्री जी द्वारा जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें किसानों के निजी ट्यूबवेल के लिए निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने की बात कही गई जो इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई जो किसानों के साथ धोखा है चूँकि इन्होंने चुनाव के समय यह घोषणा किये थे अंत में मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर मा0 सदस्य राधा मोहन अग्रवाल जी द्वारा कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने बिजली विभाग में कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है आपका आभारी हूँ मान्यवर, मैं जनपद शाहजहांपुर से चुनकर आता हूँ जनपद की बिजली व्यवस्था बहुत खराब है मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ यदि सरकार चाहे तो जनपद शाहजहाँपुर की सप्लाई ठीक हो सकती है जनपद शाहजहाँपुर में स्थित कृभको श्याम फर्टीलाइजर जो इतनी बिजली बनाता है जिससे पूरा शाहजहाँपुर सप्लाई पा सकता है कृभको श्याम के यहाँ टर्बाइन से बिजली बनती है परन्तु उसे स्टोर करने का कोई प्रावधान नहीं है जिससे वहाँ की बिजली खराब हो जाती है। मैं चाहूँगा कि सरकार पहल करके कृभको से बात करें और जनपद शाहजहाँपुर में एक अनुबन्ध करके पूरे जनपद की सप्लाई ठीक करने का कार्य होना चाहिए आज हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की बहुत समस्या है कृपया जांच कराकर व्यवस्था सुधारी जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप के बजाय सकारात्मक सोच के साथ सभी के सहयोग से ऐसी बिजली नीति बने जिससे जनहित का भला हो एक और मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की तमाम BPL परिवारों को अधिकारियों ने भ्रमित कर निःशुल्क कनेक्शन जो होने थे उन्हे निशुल्क बिजली देने की बात कहकर बिजली कनेक्शन BPL परिवारों को दे दिया आज गरीबों के पास जब बिल आये तो वह परेशान है। BPL के परिवार बिल बकाया नहीं दे पा रहे हैं परेशान है। कृपया गरीबों, BPL के Bill माफ कराते हुए उनकी सहमति के बगैर कनेक्शन न दिए जाय, मान्यवर जनपद शाहजहाँपुर में रोजा तापीय परियोजना भी चल रही है

परन्तु जनपदवासी सप्लाई नहीं पा रहे हैं मान्यवर हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिये मैं मांग करता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जर्जर लाइने व बहुत पुराना पावरहाउस को तत्काल नया कराते हुए क्षेत्र में बचे हुए सभी गाँव का विद्युतीकरण कराया जाय। तमाम ऐसे गाँव भी हैं जहाँ आधे गाँव में बिजली है, आधे में नहीं है कृपया अधूरे गाँव में पूरी तरह से विद्युतीकरण कराया जाय। अन्त में आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याएं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहूँगा।

(1) जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम तिराह में 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र बनाना चाहिये जिस पर काम चल रहा था उसे रोक दिया गया है।

(2) विलासपुर 33 के0वी0 उपकेन्द्र ओवर लोड है इस पर 10 एम0वी0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगना चाहिये।

(3) तहसील मिलक के ग्राम बरारवास के 33 के0वी0 का उपकेन्द्र बनना चाहिये जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से मिल सके।

(4) 33 के0वी0 भोट उपकेन्द्र को सीधा 132के0वी0 उपकेन्द्र अशोकनगर से जोड़ने।

(5) मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लखीनपुर, सईदाबाद बकनौरी वसीपुर रहसौना सिमरिया, उदयपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण होना चाहिये।

धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश अंचल-

मान्यवर,

आपने मा0 ऊर्जा मंत्री के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिए आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ साथ ही अपने ऊर्जा मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने ग्रामीण स्तर पर किसानों के कार्य हेतु अलग से फीडर लगाने और शहरों के लिए अलग कराने का आश्वासन दिया है तथा आगे से लगने वाले ट्रांसफार्मर की एक वर्ष की गारन्टी की बात कही है इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा, बैरिया (वलिया) के तरफ ले जाना चाहता हूँ कि दो सब-स्टेशन (वैरिया व जय प्रकाश नगर) पर अधिक लोड़िग के वजह से आये दिन बिजली की कोई न कोई फीड़र जला रहता है इसका विस्तार कराकर ओवर लोडिंग रोका जाय तथा जिन ग्रामों अथवा पूरवे में विद्युतीकरण नहीं हुआ है जैसे, भोपालपुर, दत्तहा, रामपुर मसरिख, रामपुर मगरिब, गोपालनगर, मानगढ़ वशिष्टनगर, शिवालमढिया, चाँददियर, चाईछपरा, दयाछपरा,

सोनवरसा, इम्ब्राहिमाबाद उपरवार, रामपुर कोड़रहा, संसारटोला, बिगही, मुड़ाडीह, दलपतपुर, श्रीनगर, खरिका वशिष्टनगर प्लाट, दुर्जनपुर, बैरिया आदि का विद्युतीकरण कराकर गांव के वंचित लोगों तक बिजली पहुंचाकर लाभान्वित कराने की व्यवस्था करें तथा साथ ही एक अलग से सब स्टेशन की स्थापना करायी जाय। इसी के साथ ऊर्जा मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री गुलाम मोहम्मद-

माननीय अध्यक्ष जी, आप के माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी का ध्यान मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में अपर गंगा नहर पर ग्राम भोला में बनी झाल (जल विद्युत संयन्त्र) की मशीनें बहुत पुरानी हो गयी है तथा उत्पादन ना के बराबर हो रहा है, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यदि उक्त संयन्त्र की मशीनरी को बदल दिया जाय तो यह संयन्त्र जनपद के बड़े हिस्से को बिजली दे सकता है।

अतः ग्राम भोला में अपर गंगा नहर पर लगे बिजलीघर की मशीनरी को बदलकर नई मशीनरी लगायी जाने की कृपा करें।

श्री प्रभुदयाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे ऊर्जा के बजट में कहना है कि पूरे प्रदेश का ऊर्जा का बजट पिछली सरकार के मुकाबले बहुत अच्छा है। प्रदेश में ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने विश्वास दिलाया है कि किसानों को, बुनकरों को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बिजली दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

मान्यवर, मुझे आपसे अनुरोध करते हुए मा0 ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान हस्तिनापुर विधान सभा की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरठ जनपद के हस्तिनापुर, मवाल, परिक्षतगढ़ वसूफ नगर की विद्युत हालात अत्याधिक खराब है क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं। जिनमें विद्युतीकरण कराने की आवश्यकता है। चाहे वह आसिफाबाद गाँव हो या नगॅला या भद्रकाली के आस-पास के गांव हो उन तमाम गांव में बिजली के खम्भे एवं तार लगवाने हेतु इस बजट भाषण में जोड़ने की कृपा करें यह बजट बहुत अच्छा है। मैं इस बजट की प्रशंसा करते हुए बल देता हूं।

श्री राधेश्याम-

माननीय अध्यक्ष जी, महोदय हमारे विधान सभा क्षेत्र की विद्युत समस्या का निस्तारण कराने की कृपा करें।

(1) 33/11 के0वी0ए0 का पावर हाउस वि0 खण्ड वल्दीराय सुल्तानपुर के निर्माण को पूर्ण कराया जाय।

(2) शुकुल बाजार वि0 खण्ड के कस्बा पाण्डेगंज चौराहा से इन्हौना की ओर जाने वाली सड़क के किनारे पेट्रोल पम्प तक ल0 3 किमी0 जर्जर तार।

(3) महोना कस्बा के जर्जर तार को बदलने के लिए ल0 2.5 कि0 मी0।

(4) जैनबगंज बाजार के तार जर्जर बदला जाय सड़क के किनारे का ल0 2 कि0 मी0।

(5) देवकली फीडर का तार जर्जर बदला जाय ल0 20 कि0 मी0।

(6) रानीगंज कस्बा में सड़क के किनारे नहर से लेकर पेट्रोल पम्प तक ल0 3 कि0 मी0।

(7) नाँदी पम्प कैनाल के फीडर की लाइन विद्युत तार बदला जाय ल0 10 कि0मी0।

(8) जले ट्रान्सफार्मर को बदला जाय ग्राम किशनी ग्राम पूरे गौहर ग्राम नामदारपुर।

नोट-विधान सभा जगदीशपुर के क्षेत्र को दोनों पाली में विद्युत सप्लाई पूर्व की भांति दी जाय 16 घन्टे।

जिन विद्युत उपकेन्द्र से सप्लाई दी जाती है उनका विवरण निम्न है।

(1) जगदीशपुर 33/11 उपकेन्द्र

(2) मुकुल बाजार 33/11 उपकेन्द्र

(3) महोना 33/11 उपकेन्द्र

(4) थौरी 33/11 उपकेन्द्र

(5) जामों 33/11 उपकेन्द्र

(6) मु0 दाना 33/11 उपकेन्द्र

(7) वल्दीराय 33/11 उपकेन्द्र सुल्तानपुर

(8) कढ़ौरा 132 KVA

श्री जगपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, बी0पी0एल0 जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी0पी0एल0 धारकों को सरकार खाद्यान 12 रु0 प्रति किलो खरीदकर 2 रुपये किलो गरीब को सुविधा देती अनेकों जगह बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को सरकार अनेकों सुविधा देती है। विद्युत व्यवस्था में पूरे प्रदेश में कनेक्शन में बी0पी0एल0 धारकों कनेक्शनों में छूट देती है। लेकिन महोदय, रेट में बी0पी0एल0 धारको को कोई छूट नही हैं महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को विद्युत किराया या मूल्य एक पूंजीपति के बराबर यूनिट देना पड़ता है। मैं आपके

माध्यम से चाहूंगा कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जो बी0पी0एल0 धारक है उनके लिए बिजली किराये में कम करने का कार्य करने का काम करेंगे। मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे विद्युत विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ।

श्री अब्दुल मशहूद खान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महान सदन में विद्युत जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसके दीन-हीन की दशा में एवं यह विभाग तो बहुत ज्यादा कर्ज़ में डूबा हुआ था और अभी है ऐसी हालत में मात्र लगभग तीन महीने की सरकार में जो बजट माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है बहुत ही सराहनीय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे-जैसे सरकार अपने युवा मुख्य मंत्री जो बहुत ही तेजस्वी हैं की अगुवाई में आगे बढ़े विद्युत व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार आएगा और हमारी घोषणा पत्र में कही गयी बातों को भी पूरा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराना चाहूंगा कि मैं जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं, यह वही विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर है, जहां बहुत बड़ा तीर्थ स्थल 51-सिद्ध शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ ''देवी पाटन मंदिर' के रूप में स्थित है जहां लाखों श्रद्धालु देश-विदेश से आते हैं विद्युत व्यवस्था जो सरकार के पास है वह तो एक हफ्ते दिन में दस घंटे एक हफ्ते रात्रि मे दस घंटे के रूप में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, परन्तु नगर तुलसीपुर जहां तीर्थ स्थल स्थित है वहां श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे नगर तुलसीपुर के लिये विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था जितना सम्भव हो बढ़ाकर दो शिफ्ट (दिन व रात्रि दोनों) में कर दें तो उपकार होगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बलरामपुर से तुलसीपुर गयी मुख्य लाइन व तुलसीपुर नगर की लाइनों में लगे तार बहुत जर्जर हो चुके हैं जो प्रायः टूट जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधा उत्पन्न करते हैं कृपया इन्हें भी बदलवाने का काम करेंगे। मान्यवर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका पुनः धन्यवाद।

श्री सुरेश बंसल-

महोदय, गाजियाबाद एक बहुत बड़ा इन्डस्ट्रियल क्षेत्र है। हजारों फैक्ट्री हैं। लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। परन्तु इस समय सिर्फ 8-10 घन्टे बिजली आ रही है। इससे उत्पादन पर भी काफी फर्क पड़ा है। यदि आपने 20 घन्टे की विद्युत आपूर्ति नहीं करायी तो अधिकांश फैक्ट्री बन्द हो जायेगी। इससे बेरोजगारी की समस्या के साथ-साथ सरकार को भी राजस्व की हानि होगी।

कृपया गाजियाबाद को 20 घन्टे बिजली आपूर्ति करायी जाये। जिससे फैक्ट्री लगातार चल सके।

श्री अली यूसुफ अली-

मा0 अध्यक्ष जी जनपद रामपुर के विधान सभा चमरुआ के लिये मैं डा0 राम मोहन दास के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये बताना चाहता हूँ कि स्वार विद्युत केन्द्र से आने वाले फीडर रजानगर पर लाइट कई-कई दिन नहीं आती है बमना विद्युत केन्द्र पर लाइट नहीं आती भोट-खोद आदि बिजली घर पर लाइट नहीं आती इन मिनी बिजली घरों पर टाइम टेबिल तय कराने का कष्ट करें।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

अध्यक्ष जी, विद्युत कटौती प्रस्ताव (बजट) पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया लेकिन समय कम मिलने के कारण पूरा विषय नहीं आ पाया था लिखकर दे रहा हूं जो निम्न है।

मान्यवर, जो बड़ी हाईटेंशन लाइन घनी बस्ती के ऊपर से जा रही हैं उन सभी से जान माल का खतरा हो रहा है, विद्युत विभाग जब लाइनें बनाता है उसी समय उसका ध्यान नहीं रखा जाता कि लाइन को रास्तों के किनारे बनाया जाये लेकिन विभाग की खामी जनता को भुगतनी पड़ती है जनता जनप्रतिनिधि के पास आती है कि लाइनों को अपनी निधि से बदलवायें (शिफ्टिंग करायें) जो गलत है ये सभी कार्य विभाग को स्वयं करने चाहिये, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिशन चौक ब्रहमपुरी से माधवपुरम् घनी बस्ती के ऊपर से तथा शिव शक्ति बिहार में तथा जसवन्त शुगर मिल के पास से सैन समाज की धर्मशाला की तरफ जो लाइन जा रही है ये सभी लाइनें घनी बस्ती के ऊपर से है। जिन्हें तत्काल हटाने की आवश्यकता है तथा विद्युत आपूर्ति मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार शहरी क्षेत्र में 22 घन्टे देहात में 20 घन्टे सुनिश्चित की जाय, किसानों को विद्युत कनेक्शन अविलम्ब दिये जाये। धन्यवाद। किसानों के खेतों से लाइन जबरन न निकाली जाये। उनकी अनुमति ली जाय।

श्री अनिल कुमार-

महोदय, आपने मुझे ऊर्जा के बजट पर लाई गई कटौती प्रस्ताव पर जो बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर, मैं पुरकाजी वि0स0 क्षेत्र, जनपद मुजफ्फरनगर से आता हूं, मान्यवर मेरी क्षेत्र की ऊर्जा से सम्बन्धित कुछ समस्यायें हैं, मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि मेरी क्षेत्र की समस्याओं को भी सम्मिलित कर लें। मान्यवर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार मेरी विधान सभा में (2) विद्युत उपकेन्द्र 33/11 स्वीकृत हुये थे, जिनका तत्कालीन ऊर्जा मंत्री द्वारा शिलान्यास भी किया गया था एक तुगलकीपुर

कम्हेड़ा जहां वर्तमान में काम चल रहा है। लेकिन मान्यवर दूसरा रुड़की रोड रामपुर तिराहा पर स्वीकृत था, उस पर टेण्डर हो जाने के बाद भी काम शुरू नहीं कराया गया, जब की मान्यवर उसके लिये पर्याप्त जमीन भी उपलब्ध है और मान्यवर दो मजरे क्रमशः (1) बढीवाला (सदर ब्लाक) तथा (2) कोलाहेडी (सिम्भालकी) पुरकाजी ब्लाक के विद्युतीकरण की भी धनराशि स्वीकृत है और टेण्डर तथा Agreement भी हो चुके है। मान्यवर आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से सभी कामों के लिये अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द काम शुरू कराने की कृपा करें तथा मेरे लिखित वाक्य को विधान सभा की कार्यवाही में लाने का भी कष्ट करें।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मा0 अध्यक्ष जी, ऊर्जा विभाग के बजट पर अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं कि राधा मोहन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत उपकेन्द्रों की मशीनें पुरानी हो चुकी हैं तथा ओवर लोडिंग की वजह से रोस्टर के अनुसार बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, इस बजट में उक्त मशीनों को बदलने व लोड के अनुसार क्षमता बढ़ाने का कार्य किया जाये। मेरे जिले में कम से कम तीन चीनी मिलें ऐसी हैं जो बिजली बनाते हैं, मेरा अनुरोध है कि उक्त उत्पादित बिजली से पहले जनपद लखीमपुर खीरी को बिजली दी जाये। मेरा यह भी कथन है कि व्यवहारिक रूप से बिजली विभाग का बहुत सा कार्य प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जो प्रशिक्षित नहीं होते, जिसके कारण दुर्घटनायें तो होती ही हैं। बिजली की चोरी भी होती है, जिससे आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती करके आपूर्ति सुधर सके तथा दुर्घटनायें रुक सकें। निघासन क्षेत्र के विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाने के अनुरोध के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मी कान्त (पप्पू) निषाद-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने सदन में बोलने का समय दिया आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। विद्युत बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं शानदार है। मेरे जनपद सन्तकबीर नगर के मेरे विधान सभा के मेहदावल फीडर का तार जर्जर हो गया है कि पिछली हमारी सरकार में तार बदलने का पैसा गया था लेकिन पिछली बसपा सरकार ने तार नहीं बदला बल्कि जो पैसा गया था खा गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नया बना 132 विद्युत उपकेन्द्र चालू नहीं हो पा रहा क्योंकि 132 विद्युत उपकेन्द्र का लाइन बन चुका खाली एक पोल नहीं लग पा रहा है लगाने का जगह वह बस्ती जनपद में पड़ता है। उसको जल्दी लगवाया जाय।

मेरे विधान सभा में लगभग 100 गांवों में विद्युतीकरण नहीं है आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को अवगत कराया जाय। मा0 अध्यक्ष जी मेरा विधान सभा बुनकर बाहुल्य है पावरलूम चलाने का काम होता है, बर्तन बनाने का काम होता है, बखिरा में। जो विद्युतीकरण हुआ है तार जर्जर है तथा जो ट्रान्सफार्मर लगे वो कम पावर के हैं 25केबी, 63केबी, 10केबी अब जादे लोडिंग हो गयी पुराने लगे ट्रान्सफार्मर दुगने पावर का लगाया जाय। मेरे विधान

सभा में सौर ऊर्जा बिजली प्लान्ट लगाया जाय तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र में सोलर लाइट द्वारा विद्युतीकरण कर किया जाय।

श्री मदन गोपाल वर्मा-

मान्यवर, मा0 ऊर्जा मंत्री ने बजट पेश किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं मेरे जहानाबाद क्षेत्र में लगातार 8 से 10 घन्टे बिजली आपूर्ति की जा रही है मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि अभी 11 जून को नवेली कार्पोरेशन बिजली बनाने के कारखाने की शिलान्यास किया है जो 1980 मेगा वाट बिजली सन् 2015 से 2016 तक बिजली उत्पादन शुरू हो जायेगा और बिजली की समस्या दूर हो जायेगी इसके बाद उक्त कार्पोरेशन 1500 मेगावाट बिजली का कारखाना नवेली फैक्ट्री बिजली बनायेगी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन बिजली फैक्ट्री है भोज के बारे में मैं मा0 मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उपकेन्द्र अमौसी, बवई, कादिमपुर, देवरी, जहानाबाद बडाघर आदि उपकेन्द्रों में 5 एम0बी0ए0 कि जगह 10 एम0बी0ए0 और 10 एम0बी0ए0 की जगह 15 एम0बी0ए0 के ट्रान्सफार्मर लगवाने की कृपा करें जिससे लो वोल्टेज की समस्या का निदान हो सके और किसान को लो वोल्टेज से निजात मिल सके मैं ऊर्जा मंत्री के बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री सन्त प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत विभाग के कटौती प्रस्ताव जो मा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा रखा गया। बल देने के लिये खड़ा हुआ है। मैं डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा रखी गयी बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। उ0प्र0 गांवों का प्रदेश है। 75% से 80% लोग गांवों में रहते हैं। उनकी जीविका का साधन खेती में किसानों को 3 हार्स पावर की मोटर लगाने की छूट होनी चाहिये। मैं खजनी विधान सभा से चुनकर आया हूँ। मभया गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। कागज में संतृप्त दिखाया गया है जिससे किसी योजना में नहीं हो पा रहा है। खजनी विधान सभा में रात्रि 11.00 बजे से 5 बजे तथा दिन में 12 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली मिलनी चाहिये।

सहजनवा, बासगाँव व चिल्लूपार में जो रोटेशन लागू है। वही रोटेशन खजनी में भी होना चाहिये। यहाँ के तार एवं पोल जर्जर हैं। उसे तत्काल ठीक कराया जाये। आज कर्मचारियों की कमी है या काम नहीं करना चाहते है। प्राइवेट आदमी लगाकर काम कराते हैं। दुर्घटना होने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उसे कम से कम कृषि बीमा योजना की तरह 5 लाख रु0 दिया जाना चाहिये। छमता वृद्धि कर दी जाये।

श्री इन्द्रपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपने विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा जनपद रमाबाई नगर की विद्युत व्यवस्था चौपट हो गई है।

हमारे क्षेत्र के अधिकतर गांव के मजरे विद्युतीकृत होने से वंचित रह गये हैं। जबकि गांव पंचायतें विद्युतीकृत की जा चुकी हैं।

अतः आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से अनुरोध है। हमारे क्षेत्र के मजरों को विद्युतकृत कराने हेतु बजट में प्रावधान करने की कृपा करें। साथ ही अभी बहुत से गांव विद्युत से वंचित हैं। उनकी जांच कराकर विद्युत लगाने हेतु बजट में व्यवस्था करने की कृपा करें।

हमारे क्षेत्र में ओवर लोडिंग होने से ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं। इसलिये अधिक पावर के ट्रान्सफार्मर हेतु बजट में प्राविधान कराने की कृपा करें।

श्री सुल्तान बेग-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा रखे गये ऊर्जा बजट पर डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया गया। इसके लिये धन्यवाद देते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र 119 मीरगंज की कुछ ज्वलन्त समस्याएं हैं, उन पर ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूँ।

(1) मा0 अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा में मीरगंज बरेली में नगर पंचायत मीरगंज जो तहसील मुख्यालय भी है में लगभग 35 वर्ष पूर्व 33/11 K.V.A. का विद्युत सबस्टेशन स्थापित हुआ। तबसे आज तक बिजली की खपत दोगुनी और तीन गुनी हो गयी है। अतः मैं चाहूँगा कि उपभोक्ता हित में इस विद्युत सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि करके 132K.V.A. का विद्युत सब स्टेशन स्थापित किया जाये। ताकि ओवरलोडिंग, LOW बोल्टेज तथा फाल्ट आदि की समस्या दूर हो सके।

(2) मा0 अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा क्षेत्र में जे0के0 चीनी मिल मीरगंज विद्युत उत्पादन करती है। जब यह चीनी मिल लगी थी तो क्षेत्रीय किसानों से चीनी मिल मालिक के बीच एक समझौता हुआ था कि क्षेत्रीय किसान खासतौर पर नगर पंचायत मीरगंज बरेली को 22 घंटे बिजली और देहात के किसानों को 18 घंटे बिजली-विजली दरें लेकर बिजली देंगे, परन्तु चीनी मिल मालिकों ने इस समझौते को तोड़ दिया, मैं चाहूँगा कि सरकार समझौते के मुताबिक क्षेत्रीय किसानों को जे0के0 चीनी मिल द्वारा बिजली दिलवायी जाये।

(3) मेरी विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित गाँव में 15 साल पहले विद्युतीकृत हुए थे। जहाँ नई आबादी बढ़ने के कारण शेष विद्युतीकरण कराने का कष्ट करें। ताकि कटिया आदि अवैध रूप से जलाई जा रही बिजली पर अंकुश लग सके।

मा0 समय न मिलने के कारण अपनी क्षेत्र की समस्याएं लिख आपके पास भेज रहा हूँ। कृपया यह विधान सभा की कार्यवाही में शामिल करने का कष्ट करें।

(1) ग्राम सिमरावा ब्लाक शेरगढ़।

(2) ग्राम दिवना ब्लाक मीरगंज।

(3) ग्राम अगरास ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी।

(4) ग्राम टिटौली ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी।

(5) ग्राम आमौर ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी।

(6) ग्राम लोहार नगला ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी।

(7) ग्राम लमकन ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी।

(8) ग्राम वीथम ब्लाक मीरगंज।

(9) ग्राम पैगा नगरी ब्लाक मीरगंज।

(10) ग्राम मण्डनपुर ब्लाक मीरगंज।

(11) ग्राम मनकरी ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी।

(12) ग्राम चिटौली ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी।

(13) ग्राम भोलापुर ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी।

(14) ग्राम कपूरपुर ब्लाक मीरगंज।

(15) ग्राम वहादुरपुर ब्लाक मीरगंज।

(16) ग्राम शुजातपुर ब्लाक मीरगंज।

(17) ग्राम मनकरा ब्लाक मीरगंज।

(18) ग्राम सोरहा ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी।

(19) ग्राम मीरापुर ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी।

(20) ग्राम रहपुरा जामीर ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी।

(21) ग्राम धनेटा ब्लाक मीरगंज।

अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती फसीहा बशीर (गजाला लारी)-

देवरिया जनपद की नवसृजित विधान सभा क्षेत्र 339 रामपुर कारखाना जनपद की देवरिया सदर, गौरी बाजार कसया, सलेमपुर एवं भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र की विकास की दृष्टि से उपेक्षित भागों से मिलकर सृजित की गई है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के बहुत सारे ग्राम अबतक विद्युतीकरण से वन्चित हैं। वहां के निवासी अब तक 19 वीं सदी में जीने के लिये विवश हैं। विधान सभा के जिन भागों का विद्युतीकरण पहले से है। उनकी विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अत्यन्त दयनीय है। सारे स्थानों के विद्युत तार एकदम जर्जर हो गये या जिसके कारण बिजली का अपव्यय हो रहा है तथा विद्युत आपूर्ति भी सूचारू रूप से नहीं हो पाती हैं। जो ट्रासफार्मर लगे हुये है उनकी क्षमता कम होने के कारण अक्सर जल जाते है। जिससे आपूर्ति बाधित होती है। विधान सभा क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भटनी, खुखुन्द, देवरिया, कारखाना, तरकुलवा आदि विद्युत उपकेन्द्रों से की जाती है। इन उपकेन्द्रों में स्थापित ट्रान्सफार्मर बहुत ही कम क्षमता के हैं जिससे एक साथ सब फीडरों को चलाया जाना सम्भव नहीं है। जिसके कारण बराबर सब स्टेशनों में आग लगती रहती और कभी-कभी दुर्घटनायें भी हो जाती है। बड़े ही दुख के साथ अवगत कराना है कि दिनांक 01 जून, 2012 को जनपद देवरिया में जबरदस्त चक्रवात आया था जिससे जनपद देवरिया में काफी क्षति हुयी है। रामपुर कारखाना की समस्त विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। इस चक्रवात का सबसे अधिक प्रभाव भटनी उपकेन्द्र से सम्बन्धित विद्युत आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पड़ा है। यहां की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हजारों की संख्या में विद्युत पोल व तार टूट गये हैं। वहां आज 13 दिनों से विद्युत आपूर्ति बन्द है। भटनी सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति तत्काल आरम्भ कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु स्पेशल पैकेज स्वीकृत करने की कृपा करें।

रामपुर कारखाना टाउन और भटनी टाउन में व्यापारियों के हित में, किसानों के हित में, छात्र-छात्राओं के हित में और खास तौर से महिलाओं और दुध-मुहें बच्चों के हित में, दोनों टाउन के जर्जर तारों और पोल को बदलने के लिये व्यवस्था करवाने की कृपा करें। और बरियारपुर में विद्युत सब-स्टेशन जो बन रहा है, वहां का काम शीघ्र निर्माण कराने की कृपा करें।

पी0एस0यू0पी0-एल0 184 विधान सभा (331)-6-9-2012-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।